Vol.-14 Issue-53 Oct.-Dec., 2025

CHHAVI

National Journal of Higher Education
ISSN :- 2319-9679 PEER REVIEWED

देश की आधी आबादी (नारी शक्ति) का पूर्ण योगदान
अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विशेषांक
January 2026

SERIC
BIKANER

Prof. (Dr.) Rajendra Kumar Shrimali

Editor in Chief
09414742973, 09413471252

Published by :-
Shubham Education, Research & Information Centre
B/H KARNI MATA TEMPLE, O/S JASSUSAR GATE, BIKANER-334004, RAJ
E-mail : shrimalidrrajendra@gmail.com Website : www.chhavinjhe.in

OUR REVIEWER BOARD

DR. RANJEET KHINCHI
Educationist, Hindoli, District-Bundi

Sh. P.D. YADAV
Educationist, Neem Ka Thana, Sikar

DR. SANJAY KUMAR VERMA
Educationist, Haryana

DR. ASHOK K. GODARA
Educationist, Jhunjhunu

DR. YOGESHWAR S. YADAV
Educationist, Kotputli-Behror

DR. SUMAN SHARMA
Educationist, Malsisar, Jhunjhunu

AD. ARUN KUMAR
Educationist, Behror

DR. MITHILESH K. SHRIVASTAV
Educationist, Ajmer

राजस्थान सरकार के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान भंवरसिंह भाटी छवि पत्रिका के वेबसाईट का लोकार्पण व त्रैमासिक अंक का विमोचन करते हुए

शुभम एज्युकेशन, रिसर्च एवं इन्फोरमेशन सेन्टर के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय परिसर, बीकानेर

एन.सी.ई.आर.टी., दिल्ली

शि.सं.उ. न्यास, नई दिल्ली से डॉ. अतुल कोठारी

केन्द्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुनरामजी मेघवाल

पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला

DISCLAIMER

The accountability of the research matter articulated in this journal is entirely of the author(s) concerned. The view expressed in the research papers/articles in this journal does not essentially correspond to the views of the publisher/editor, The publisher/editor of the journal is not liable for errors or any consequence arising from the exercise of information contained in it.

-Chief Editor

हमारे सदस्यगण

CHHAVI National Journal of Higher Education

ISSN :- 2319-9679

Published by

International Education & Research Centre, Bikaner

1. डॉ. आशु सिंह, आई.एफ.एस., बीकानेर
2. श्री पी.डी. यादव, नीम का थाना, सीकर
2. डॉ. कमलाकान्त यादव, वाराणसी
3. डॉ. रूपा यादव, हरियाणा
4. डॉ. नमामीशंकर आचार्य, बीकानेर
5. डॉ. उषा गोदारा, हनुमानगढ़
7. डॉ. मोहन सिंह शेखावत, झुन्झुनूं
8. डॉ. नरेन्द्र सिंह शेखावत, सीकर
9. श्री रवि बिजारणिया, सीकर
10. श्री जगवीर सिंह खंगारोत, पाली
11. डॉ. श्रीराम, हनुमानगढ़
12. डॉ. अनुराधा बिस्सु, हनुमानगढ़
13. डॉ. (श्रीमती) सुखपाल कौर, बीकानेर
14. डॉ. गुरमीत सिंह, हनुमानगढ़
15. डॉ. प्रहलाद सोनी, राजसमंद
16. डॉ. श्रवण कुमार शर्मा, चूरू
17. डॉ. संजय शर्मा, बिसाऊ, झुन्झुनूं
18. डॉ. निहालचन्द, घड़साना
19. डॉ. रेणु शर्मा, बीकानेर
20. डॉ. जयश्री शर्मा, बीकानेर
21. डॉ. सुनील कुमार शर्मा, जयपुर
22. डॉ. गणेश शर्मा, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर
23. डॉ. (श्रीमती) विद्यावती, चूरू
24. डॉ. बी.एल. सैनी, श्रीमाधोपुर, सीकर
25. श्री औंकार सिंह राठौड़, नागौर
26. डॉ. मोहम्मद उस्मानी, जोधपुर
27. डॉ. सुनीता डूडी, श्रीगंगानगर
28. डॉ. प्रवीण कुमार जैन, प्रतापगढ़
29. डॉ. संजू श्रीमाली, बीकानेर
30. डॉ. कृष्णा आचार्य, बीकानेर
31. डॉ. ओम प्रकाश मेहराडा, अनूपगढ़
32. डॉ. नवनीत सिंह भदौरिया, बीकानेर
33. डॉ. प्रेम कंवर चारण, रतनगढ़
34. डॉ. प्रकाश चान्दावत, अजमेर
35. डॉ. ललित श्रीमाली, उदयपुर
36. डॉ. अरूण शर्मा, बाँसवाड़ा
37. डॉ. गिरीराज भोजक, लाडनूं
38. डॉ. विभा पारीक, जयपुर–बीकानेर
39. डॉ. अंजली पारीक, जयपुर
40. डॉ. मनोज झाझड़िया, झुझुंनू
41. डॉ. प्रभुसिंह सारण, सरदारशहर
42. डॉ. पूजा बागड़ी, अजमेर
43. डॉ. राजेश बाबू, जोधपुर
44. डॉ. विजय कुमार, संगरिया, हनुमानगढ़
45. डॉ. सुमन जोशी, बीकानेर
46. डॉ. सरोज अरोड़ा खत्री, बीकानेर
47. डॉ. बृजरतन जोशी, बीकानेर
48. डॉ. आर.पी. सैनी, जयपुर
49. डॉ. सरोज चौधरी, सरदारशहर
50. डॉ. नरेन्द्र श्रीमाली, बीकानेर

CONTENTS

S. No.	AUTHOR(S) NAME AND TITLE	PAGE NO.
1.	महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान –हरिओम सैनी, राधा शर्मा	1–1
2.	लोकगीतों के माध्यम से संस्कृति को संजोने वाली महिला : भँवरी देवी (राजस्थान) –पिंकी यादव	2–5
3.	माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक चिंतन प्रक्रियाओं पर लिंग भेद एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रभाव – एक अध्ययन – सीमा, डॉ. मनीष भटनागर	6–11
4.	ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन – आरती कुमार गौतम, डॉ. श्याम मनोहर गौतम	12–16
5.	देश की आधी आबादी (नारी शक्ति) का पूर्ण योगदान – डॉ. राजीव पाराशर	17–18
6.	**Role of Women in Agricultue and Alliced Sectors : Challenges and Imperative for Empowerment-K.K. Singh, Mahadevi Singh**	19–24
7.	माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी छात्र–छात्राओं के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन – विमला यादव, प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार उपाध्याय	25–27
8.	विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रति बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का अध्ययन – सुनेहरी बाई, डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव	28–32
9.	आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 'नारी शक्ति' की भूमिका का अध्ययन – डॉ. गोपाल प्रसाद पाठक	33–36
10.	देश की आधी आबादी : नारी शक्ति की राजनीति के क्षेत्र में योगदान – पुनम बाला	37–38
11.	महेंद्रगढ़ जिले के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की व्यावसायिक प्राथमिकताओं पर सामाजिक–आर्थिक स्थिति का प्रभाव का अध्ययन – प्रो. पी. एस. राणा, इंद्रजीत	39–44

CONTENTS

S. No.	AUTHOR(S) NAME AND TITLE	PAGE NO.
12.	**Women's Concerns : Need for Empowerment -Mahadevi Singh, Anjali Purohit**	45–49
13.	**Effect of Perceived Stress of Emotional Intelligence and its Relation with Aggression among Gen Z and Gen Y - Akanksha Srivastava, Dr. Anjana Srivastava, Dr. Viveka Nand Tripathi**	50–59
14.	उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की इंटरनेट उपयोगिता का अध्ययन – प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार उपाध्याय, सुमन यादव	60–62
15.	कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का अध्ययन – डॉ. पल्लव पाण्डे, रितिका जाट	63–69
16.	डॉ. प्रीति राजपुरोहित का चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान – **Dr. Deepak Rajpurohit**	70–74
17.	राजस्थान के संदर्भ में मोबाइल लाइब्रेरी एप्लिकेशन और संस्थागत भंडारों में डिजिटल साक्षरता की भूमिका : एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण – अनिल चौधरी, विजेन्द्र कुमार सेवलिया	75–80
18.	आनंदी बाई जोशी का चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान – वैष्णव शशिबाला	81–81
19.	**Impact of Holistic Development of Weightlifting Performance of State Level Player - Dr. Bhupendra Singh Chouhan, Rakesh Paliwal**	82–85
20.	पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाने में विकलांग लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका : एक समीक्षा – मीनाक्षी जैन	86–99
21.	ई–कन्टेंट का प्रभाव : माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की स्व–प्रभावकारिता, उपलब्धि प्रोत्साहन तथा शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव –गरिमा शर्मा, डॉ. चन्दन साहरण	100–103
22.	हिन्दी साहित्य में नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि – राजेश कुमार	104–109
23.	बी.एड. महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि एवं समायोजन का उनकी शिक्षण प्रभाविता पर प्रभाव – मुकेश कुमार, डॉ. पंकज पारीक	110–116
24.	माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया पर प्रभाव – योगेश बनिया, डॉ. पंकज पारीक	117–123

CONTENTS

S. No.	AUTHOR(S) NAME AND TITLE	PAGE NO.
25.	**Emotional Intelligence of Secondary School Teachers** **M/s Khushbu Kanwar Rathod, Dr. Sunita Murlia**	124–128
26.	मध्यकालीन उत्तर भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ : सामाजिक संरचना एवं धार्मिक समन्वय के विकास में ऐतिहासिक भूमिका – पूजा, डॉ. पवन कुमार रांकावत	129–132
27.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी **(ICT)** का शिक्षण अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव : शिक्षा के बदलते परिदृश्य में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन – सुनीता पुरी, डॉ. संजय कुमार जिंदल	133–136
28.	औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था : प्रभाव, उद्देश्य एवं सामाजिक–बौद्धिक परिवर्तन का विश्लेषण – रवि, डॉ. कुलदीप सिंह	137–139
29.	**Synthesis and Characterization of Solid Catalysts for Green Organic Reactions- Kumari Rishi, Dr. Sangeeta Choudhary**	140–145
30.	प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन – डॉ. बि. अमरनाथ शर्मा	146–147
31.	'जुना खेड़ा' उत्खनन नाडोल (पाली) – मनोहर लाल/राजाराम	148–149
32.	21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में" – डॉ. रीमा कुमारी	150–155
33.	शिक्षण–अभ्यास के दौरान बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण व्यवहार का अध्ययन– प्रियंका शर्मा, डॉ. सुरजमल शर्मा	156–159
34.	संग्रह विकास की दृष्टि से राजकीय एवं निजी महाविद्यालयी पुस्तकालयों की स्थिति एवं दशा – सुनील महर्षि, डॉ. योगेन्द्र सिंह	160–163
35.	राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी **(RS-CIT)** की विद्यालयों में अनुप्रयोग के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन – मुक्ता शर्मा, डॉ. सुरजमल शर्मा	164–167
36.	श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव का योगदान – डॉ कैप्टन, डॉ. मिथिलेश कुमारी श्रीवास्तव	168–174

CONTENTS

S. No.	AUTHOR(S) NAME AND TITLE	PAGE NO.
37.	ग्लॉबल होती संस्कृति में जीवन मूल्यों के द्वंद्व – डॉ. ललित श्रीमाली	174–183
38.	कोविड–19 के बाद की भारतीय शिक्षा प्रणाली, नवाचार और भविष्य की दिशा एक अध्ययन– डॉ. चन्द्र कान्त शर्मा	184–185
39.	भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक ऐतिहासिक विश्लेषण बच्चों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 ए के अन्तर्गत अध्ययन – श्रीमती अंजू शर्मा, डॉ. देवेन्द्र कुमार	186–192
40.	समावेशी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की भूमिका – श्रीमती शीतल गुप्ता, डॉ. रशमी उपाध्याय	193–194
41.	प्राचीन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था : मौर्य और गुप्तकालीन कर व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन – राजेन्द्र जोईया, डॉ. तपेन्द्र सिंह शेखावत	195–199
42.	**Impact Assessment of the Ambuja Cement Marwar-Mundwa Plant on Livelihoods, Economy, and Environment of Neighboring Area - Babita Bishnoi, Dr. Kishan Lal Gahlot**	200–205
43.	बी.एड. स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति का अध्ययन – आशा भाटी, डॉ. राम गोपाल शर्मा	206–210
44.	स्वच्छ भारत अभियान के प्रति माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन – सुरेश कुमार शर्मा, डॉ. संजय जिन्दल	211–215
45.	मानवाधिकार शिक्षा के प्रति महाविद्यालय के शिक्षकों की अभिवृत्ति : एक अध्ययन – प्रीति जोशी, डॉ. प्रतिभा शर्मा	216–217
46.	भारत तथा विदेशों में बाल अधिकार अधिनियम : एक तुलनात्मक सैद्धान्तिक विश्लेषण – कामिनी गुर्जर, डॉ. ऐकता हुसैन	218–220

महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान

हरिओम सैनी
विद्यार्थी एम.एड. द्वितीय वर्ष
सौरभ कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रैनिंग खेडा
तह. हिण्डोन सिटी जिला करौली
इमेल– hariomsaini104@gmail.com
मो. 9001930605

राधा शर्मा
विद्यार्थी बी.एड–एम.एड. द्वितीय वर्ष
सौरभ कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रैनिंग खेडा
तह. हिण्डोन सिटी जिला करौली
इमेल– radhasharma100891@gmail.com
मो. 7014519015

सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और वंचितों के लिए स्कूल खोलकर, उन्हें प्रशिक्षित शिक्षिका के रूप में तैयार करके और सामाजिक रूढ़ियों से लड़कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला, 1851 तक इसे तीन स्कूलों तक बढ़ाया और महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज में शिक्षा के प्रति चेतना जगाई।

सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जीया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओ को शिक्षित बनाना। वे एक कवियत्री भी थीं उन्हें मराठी की आदिकवियत्री के रूप में भी जाना जाता था। वे स्कूल जाती थीं, तो उनका विरोध होता था। सावित्रीबाई पूरे देश की नायिका हैं।

आधुनिक भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें 'शिक्षा की देवी' के रूप में जाना जाता है। सावित्रीबाई फुले के स्कूलों में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, जो उस समय के अनुसार एक क्रांतिकारी पाठ्यक्रम था। यह पाठ्यक्रम पारंपरिक वेदों और शास्त्रों से अलग था और इसका उद्देश्य महिलाओं को व्यापक शिक्षा देना था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सामाजिक सुधार और जागरूकता पर भी ध्यान केंद्रित किया।

शिक्षा में उनका योगदान

बालिका विद्यालय की स्थापना: 1848 में, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला, जहाँ वे स्वयं पहली शिक्षिका बनीं।

वंचित वर्गों के लिए शिक्षा : उन्होंने उन वर्गों के लिए भी विद्यालय खोले, जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था। उन्होंने शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ भी दीं।

पहली प्रशिक्षित शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका : सावित्रीबाई ने शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया और भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका बनीं।

सामाजिक बाधाओं का सामना–शिक्षा देने के अपने काम के दौरान, उन्होंने समाज के विरोध का सामना किया। लोगों ने उन पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंके, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम को जारी रखा।

महिलाओं का सशक्तिकरण: उनके स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुले थे, और उन्होंने महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर भी प्रदान किए, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

शिक्षा के प्रति जागरूकता:उन्होंने माता–पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और समाज की सोच को बदलने का प्रयास किया।

प्रगतिशील प्रयास : उन्होंने मुस्लिम समाज की पहली महिला शिक्षिका फातिमा शेख को स्कूल में नियुक्त करके अपनी प्रतिबद्धता का विस्तार किया।

इस प्रकार सावित्री बाई फुले का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हमेशा रहेगा।

लोकगीतों के माध्यम से संस्कृति को संजोने वाली महिला: भँवरी देवी (राजस्थान)

पिंकी यादव
शोद्यार्थी
ज्योति विधापीठ महिला विश्वविद्यालय
जयपुर राजस्थान – 303122
मो. +91 9829900120
pinki.parmanpura@gmail.com

सारांश

भारतीय लोकसंस्कृति अपनी मौखिक परंपराओं, गीतों, लोकभाषाओं और सामूहिक स्मृतियों से निर्मित हुई है। इन मौखिक परंपराओं को संरक्षित करने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्त्रियाँ केवल लोकगीत गाती ही नहीं, बल्कि अपनी अनुभूतियों, श्रम, भावनाओं, संबंधों और सामाजिक ज्ञान को गीतों के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक पहुँचाती हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध लोकगायिका भँवरी देवी इस विरासत की सशक्त प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने ढोलक की धुन, लोकरीतियों, ग्रामीण जीवन, भक्ति और श्रम गीतों को अपने स्वर में अभिव्यक्त किया और राजस्थान के लोकगीतों को वैश्विक पहचान दिलाई। इस आलेख में उनके जीवन, कृतित्व और सांस्तिक योगदान का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि लोकगीतों के माध्यम से महिलाएँ समाज निर्माण, सांस्कतिक निरंतरता और सामूहिक पहचान में महत्वपूर्ण योगदान देती रहती हैं।

मुख्य शब्दावली

लोकगीत, नारी शक्ति, राजस्थान, भँवरी देवी, लोकपरंपरा, संस्कृति, सामूहिक स्मृति, मौखिक परंपरा

प्रस्तावना

लोकगीत किसी भी समाज की भावनात्मक भाषा होते हैं। ये लिखित इतिहास के बजाय अनुभवों, श्रम, खुशियों, दुखों और लोकविश्वासों के संचित रूप हैं। भारत की लोकपरंपरा में स्त्रियाँ गीतों के माध्यम से जीवन–अनुभव संप्रेषित करती रही हैं।

राजस्थान, विशेषकर नागौर, जोधपुर, पाली और बीकानेर क्षेत्र में स्त्रियाँ सामाजिक अवसरों.जैसे जन्म, विवाह, तीज, गणगौर, मेलों, खेती, पशुपालन और धार्मिक अनुष्ठानों में गीत गाती रही हैं। इन गीतों में स्त्री की भावनाएँ ही नहीं, बल्कि पूरा सांस्कृतिक इतिहास संरक्षित है।

उदाहरण के रूप में एक लोकगीत

"केसरिया बालम, पधारो म्हारे देस"

यह गीत केवल स्वागत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गौरव, अतिथि–भावना और मिट्टी के गर्व का प्रतीक है।

इन्हीं गीतों को संरक्षित और प्रसारित करने वाली स्त्री–शक्ति का एक सशक्त नाम है भँवरी देवी।

प्रारंभिक जीवन

भँवरी देवी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में एक पारंपरिक भोपा परिवार में हुआ। यह वह परंपरा है जहाँ गीत, कथा–वाचन और वाद्य पूजा और सामाजिक आयोजन का प्रमुख हिस्सा रहा है।

लड़कियों का मंच पर गाना इस परंपरा में सामान्य नहीं था, परंतु घर के आंगन, चौक–चौपाल और स्त्रियों की बैठकों में गीत सुनना–गाना बचपन से उनके जीवन का अंग रहा।

उनकी माँ और दादी द्वारा गाया जाने वाला एक जन्म–गीत उन्हें आज भी याद है.

"लाडो रो आवणो, सुगंध री सगाई,
मटकी में दूध औ रीवणो मिठाई"

यह गीत स्तनपान, मातृत्व और नवजीवन का आशीर्वाद एक साथ समेटे हुए है।

3. व्यक्तित्व

भँवरी देवी का व्यक्तित्व सादगी, संकोच और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का अद्भुत मिश्रण है। वे आज भी सामाजिक परंपरा के अनुसार घूंघट में मंच पर गाती हैं, और उन्हें यह उनका सम्मान प्रतीत होता है।

उनकी गायन शैली में स्वर की गहराई, ताल का प्राकृतिक प्रवाह, लोकधुन की सहजता, और भावों की तीव्रता मुख्य हैं। उनके गीतों में कोई कृत्रिमता नहीं है . वे जैसे जीवन है वहीं से उभरते हैं।

उनकी आवाज़ में सूखी थार मरुस्थल की तपिश भी है और लोकगीतों की संवेगात्मक मिठास भी।

4. कृतित्व

(क) भोपाओं की परंपरा में गायन

भँवरी देवी की प्रारंभिक गायन यात्रा अपने पति के साथ पारंपरिक भोपाओं की शैली में हुई। वे पाँच रातों तक चलने वाली फड़ कथा में भक्ति गीत गाती थीं, जहाँ पीछे हाथ से चित्रित फड़ (scroll painting) कथा को दर्शाती थी।

उनका एक प्रसिद्ध गीत है:

"पाबूजी म्हारे, रण धर्यो रे"

यह गीत वीरता और लोकविश्वास का प्रतिनिधि है। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले गायन जारी रखा यह परंपरा में एक क्रांतिकारी कदम माना गया।

(ख) लोकगीतों को सार्वजनिक मंच तक पहुँचाना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर योगदान

2003: शिमला संगीत महोत्सव

2004: जयपुर विरासत महोत्सव

2009: राजस्थान अंतरराष्ट्रीय लोक महोत्सव जहाँ उन्हें अप्रत्याशित लोकप्रियता मिली

2011: एडिनबर्ग इंटरनेशनल फेस्टिवल जहाँ उन्हें "Living Legend" कहकर सम्मानित किया गया।

"काटे" गीत की रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज़ यूथ संगीत का हिस्सा बन गई।

गीत

"काटे झर मारां रे"

जो बाद में फिल्म "Angry Indian Goddesses" का हिस्सा भी बना।

उनका लोकगीत

"निम्बूड़ा–निम्बूड़ा, ढूढ़ सू महरो सांवरिया..."

वैश्विक लोकसंगीत मंचों पर लोकप्रिय हुआ।

(घ) नई पीढ़ी को लोकपरंपरा का हस्तांतरण

भँवरी देवी घर–घर, विद्यालयों, संगीत संस्थाओं और ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लोकगीत सिखाती हैं। उनका मानना है

"जिस दिन बच्चे लोकगीत भूल गए, उस दिन समाज अपनी जड़ों से दूर हो जाएगा।"

लोकगीतों के माध्यम से समाज निर्माण

लोकगीतों में सामाजिक शिक्षा छिपी होती है। विवाह का एक गीत कहता है

"बन्नी, ससुराल म्हारे जावे, बोल–चाल नाजुक राखजो"

यह गीत केवल रस्म नहीं, बल्कि नई दुल्हन को सामाजिक व्यवहार और भाव–संस्कृति की सीख देता है। इसी प्रकार एक श्रम–गीत

"बैल रा संग खेत जोतो, हँस–हँस दिन कटावे"

कठिन श्रम को उत्सव बना देता है।

समरसता और सांस्कृतिक एकता

भँवरी देवी के गायन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उनके गीतों में समाज की सीमाएँ मिटती हुई प्रतीत होती हैं। चाहे धर्म हो, जाति हो, वर्ग हो या आयु . उनके गीत सबको जोड़ने वाली लोकधारा के रूप में कार्य करते हैं। राजस्थान की सामाजिक संरचना में जहाँ परंपरागत रूप से जातीय और धार्मिक विभाजन उपस्थित रहे हैं, वहाँ लोकगीत सामुदायिक भावनाओं के पुल के रूप में कार्य करते हैं। भँवरी देवी का गायन इसी सामाजिक पुल का सजीव उदाहरण है।

उनके गीत केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि सामूहिक पहचान का भावनात्मक दस्तावेज़ हैं। तीज, गणगौर, सावन और विवाह जैसे अवसरों पर जब स्त्रियाँ एकत्र होकर गीत गाती हैं, वे केवल गायन नहीं करतीं,

बल्कि सामाजिक संबंधों को फिर से जीवित करती हैं। सामूहिक भावनाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से गान–समाज एक ऐसी संरचना बनाता है जहाँ व्यक्ति नहीं, बल्कि संस्ति बोलती है।

सावन में गाया जाने वाला गीत

"झूला डोलै आले, सावण आयो रे"

सिर्फ प्रकृति–परिवर्तन की सूचना नहीं देता, बल्कि स्त्री–समूह की भाव–एकता, ऋतु की सौंदर्यता और सांस्तिक उत्सवधर्मिता का प्रतीक है। यह गीत बताता है कि लोकगीत किसान की भूमि, स्त्री के मन और समाज की सामूहिक आत्मा को एक ही सूत्र में बाँधते हैं।

इसी कारण भँवरी देवी के गीतों में समरसता, सामूहिकता और सांस्कृतिक समानता का स्वर प्रबल रूप से उभरता है . वे लोकगीतों को एक माध्यम के रूप में देखती हैं जिसके द्वारा समाज एक–दूसरे के निकट आता है, साझा अनुभवों को पुनः स्वीकार करता है और विभाजन के स्थान पर जुड़ाव को महत्व देता है।

संस्कृति संरक्षण और भविष्य

डिजिटल और तेज़ी से बदलते वैश्विक युग में लोकगीतों और पारंपरिक कलाओं का विलुप्त होना एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। अनेक लोककलाएँ अपने वाहकों के साथ ही समाप्त हो गईं क्योंकि वे पुस्तकों में नहीं, बल्कि स्मृति और प्रदर्शन में जीवित थीं। ऐसे समय में भँवरी देवी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्होंने लोकगीतों को केवल मौखिक परंपरा तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें रिकॉर्डिंग, मंचीय प्रस्तुति, कार्यशालाओं और शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जीवित रखा।

उनकी उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि संस्कृति तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह अनुभव और अभ्यास में मौजूद हो। भँवरी देवी ने डिजिटल युग को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखा . उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग, मंच सहयोग, टेलीविज़न कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय संगीत मंचों (जैसे Coke Studio, जिप्सी किंग्स सहयोग, RIFF समारोह) के माध्यम से लोकगीतों को नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक और आकर्षक बनाया। उनके इस निरंतर प्रयास ने उन्हें केवल कलाकार नहीं, बल्कि जीवित सांस्तिक विरासत बना दिया है। उनके गीतों ने प्रमाणित किया कि संस्ति को संरक्षित करने का अर्थ केवल उसका संग्रह नहीं, बल्कि उसे नवयुग के अनुरूप आगे बढ़ाना है। वे यह दिखाती हैं कि लोकधरोहर तभी जीवित रह सकती है जब वह समय, समाज और तकनीक के साथ संवाद करना सीखे।

उपसंहार

भँवरी देवी का जीवन और उनके द्वारा संजोया गया लोकसंगीत इस तथ्य की पुष्टि करता है कि लोकगीत केवल शब्द और धुन नहीं, बल्कि सामाजिक स्मृति, ऐतिहासिक चेतना और भावनात्मक जीवन के जीवंत माध्यम हैं। उनके गीतों में स्त्री के आँसू, हँसी, श्रम, विश्वास, प्रेम, स्मृति और संघर्ष की अनुगूँज सुनाई देती है।

वे यह सिद्ध करती हैं कि लोकगीत गाए नहीं जाते वे जीए जाते हैं।

उनका संगीत हमें यह भी बताता है कि संस्कृति लिखित ग्रंथों में नहीं, बल्कि स्मृति, स्वर और अनुभव में जीवित रहती है। लोकगीतों के माध्यम से वे वर्तमान और भविष्य के बीच एक ऐसा पुल बनाती हैं जिसमें परंपरा और आधुनिकता विरोध नहीं, बल्कि सामंजस्य के रूप में उपस्थित हैं।

भँवरी देवी की यात्रा यह संदेश देती है कि यदि लोकगीतों को सम्मानपूर्वक संरक्षित किया जाए और नए मंच प्रदान किए जाएँ, तो वे न केवल जीवित रहेंगे बल्कि समय के साथ और अधिक सशक्त और वैश्विक पहचान प्राप्त करेंगे।

उनके माध्यम से स्पष्ट होता है किः

"लोकगीत संस्कृति का संगीत नहीं – संस्कृति की साँस हैं।"

संदर्भ सूची

1 गुप्ता, "एन इक्वल म्यूज़िक।" डीएनए इंडिया, प्रकाशितः 7 नवम्बर 2015।

उपलब्धः 25 अक्टूबर 2025 को।

2 "ए डिफरेंट काइंड ऑफ़ म्यूज़िक।"
द फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस, प्रकाशितः 1 नवम्बर 2015। उपलब्धः 25 अक्टूबर 2025 को।
3 द पायनियर।
"सॉन्गस्ट्रेसेज़ फ्रॉम द ड्यून्स।"
उपलब्धः 26 अक्टूबर 2025 को।
4 "विमेन म्यूज़िशियन्स ऑफ़ राजस्थान।"
जयपुर विरासत फ़ाउंडेशन . गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। उपलब्धः 26 अक्टूबर 2025 को।
5 "जैज मास्टर्स जॉइन फ़ोक सिंगर्स ऐट राजस्थान इंटरनेशनल फ़ोक फ़ेस्टिवल।" हिन्दुस्तान टाइम्स, प्रकाशितः 2 नवम्बर 2014। उपलब्धः 2 अक्टूबर 2025 को।
6 भाटिया, रितिका। "रेगे एट आरआईएफएफ।" बिज़नेस स्टैंडर्ड इंडिया, प्रकाशितः 26 सितंबर 2015। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
7 "द लेजेंडरी म्यूज़िक ऑफ़ राजस्थान . एडिनबर्ग फ़ेस्टिवल।" उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
8 "द लेजेंडरी म्यूज़िक ऑफ़ राजस्थान।" नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ स्कॉटलैण्ड, हेराल्ड स्कॉटलैण्ड, प्रकाशितः 29 अगस्त 2011। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
9 "न्यू म्यूज़िक रिवोल्यूशन. रॉम इंडिया'स मार्जिन्स।"
. री प्रेस जर्नल। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
10 "आरआईएफएफ अप द साउंड सिस्टम।" इंडियन एक्सप्रेस आर्काइव। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
11 "मेमोरीज़ अनवेल्ड . बैकस्टेज विथ बनवारी देवी।" आरआईएफएफ डायरीज़। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
12 "कट्टे (राम संपत): राजस्थान लर्न्स टू रॉक।" द कोका–कोला कंपनी। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
13 "'एंग्री इंडियन गॉडेस' एल्बम इज़ ए मिक्स ऑफ़ जॉनर्स।" द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, प्रकाशितः 28 नवम्बर 2015। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
14 रैब, नेट। "ट्यून इन टू सम ट्रूली स्पेक्टैक्युलर ग्लोबल जिप्सी म्यूज़िक . विथ इंडिया इन इट्स सोल।" स्क्रॉल. इन, प्रकाशितः 24 जुलाई 2016। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
15 "पॉपुलर राजस्थानी फ़ोक म्यूज़िशियन कुतले ख़ान स्पीक्स अबाउट चैलेंजेज़, ग्रोथ इन म्यूज़िक एंड मोर।" रेडियो एंड म्यूज़िक डॉट कॉम। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।
16 "विमेन वोकलिस्ट्स मेज़मराइज़ ऐट राजस्थान फ़ोक म्यूज़िक फ़ेस्टिवल।" डीएनए इंडिया, प्रकाशितः 12 अक्टूबर 2014। उपलब्धः 25 नवंबर 2025 को।

माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक चिंतन प्रक्रियाओं पर लिंग भेद एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रभाव–एक अध्ययन

डॉ.मनीष भटनागर
शोध निर्देशक
असिसटेन्ट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय, लाड़नूं,
राजस्थान।

सीमा
शोधार्थी
जैन विश्वभारती विश्वविद्यालय,
लाड़नूं, राजस्थान।

सार

चिंतनशील शिक्षण एक सफल दृष्टिकोण है जो शिक्षकों को प्रत्येक छात्र की सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने, सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति का चयन करने और विद्यार्थियों को पढ़ाने के बेहतर तरीके तैयार करने में सक्षम बनाता है। विभिन्न कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों के चिंतनशील चिंतन कौशल के निर्माण के लिए विशेष कार्यक्रमों के साथ–साथ सहायक शिक्षण प्रथाओं के उपयोग की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अध्यापक लिंग भेद एवं विद्यालय प्रबन्धन चरों का चिंतन प्रक्रियाओं पर प्रभाव का अध्ययन करना था। जिसके लिए चिंतनशील प्रक्रिया की स्वनिर्मित प्रमापनी का प्रयोग 400 अध्यापकों पर किया गया। निष्कर्षतः यह पाया गया कि चिंतनशील प्रक्रिया पर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अध्यापक लिंग भेद एवं विद्यालय प्रबन्धन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता हैं।

मुख्य शब्द : चिंतनशील प्रक्रिया, चिंतन कौशल, चिंतनशील शिक्षण, माध्यमिक विद्यालय।

1.0 प्रस्तावना

हम ज्ञान और तीव्र तकनीकी सुधार के युग में जी रहे हैं, जिसके लिए शिक्षा का विकास और प्रशिक्षकों का पुनर्प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। विभिन्न चिंतन कौशलों का विकास शैक्षणिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम विकासकर्ता छात्रों के चिंतन कौशल को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि "चिंतनशील अभ्यासों के माध्यम से दूसरों को देखने से हमें अपने अभ्यासों के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से खुद से पूछने के अवसर मिलते हैं।" (कॉवेल्स, 2008)। शैक्षणिक संस्थान व्यक्तियों में चिंतनशील चिंतन कौशल प्रदान और विकसित करते हैं ताकि छात्र शिक्षकों के प्रदर्शन को विकसित करके और उन्हें विभिन्न शिक्षण वातावरणों में शिक्षण प्रक्रिया में चिंतन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके सीखने की प्रक्रिया में कमियों की पहचान कर सकें (टोमन, 2016)।

विभिन्न विधियों का उपयोग करके शिक्षकों के चिंतन कौशल को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया गया है, जिनमें से सबसे आवश्यक कौशल प्रशिक्षण विधियाँ हैं। विशिष्ट क्षमताओं में प्रशिक्षण का उपयोग कक्षाओं को ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। सहकर्मी इन तकनीकों को देखेंगे और प्रयोग करेंगे, साथ ही आगे का प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे, जिसका उद्देश्य उनकी समग्र शिक्षण क्षमता को बढ़ाना, पेशेवर संगति विकसित करना, सहकर्मी बातचीत को बढ़ावा देना और चिंतनशील सोच को प्रेरित करना है (अल–अयासरा (2015)। इसमें समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षकों के बीच सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का प्रशिक्षण, विशेषज्ञ प्रशिक्षण जिसमें एक प्रतिष्ठित शिक्षक दूसरे शिक्षक को सहायता प्रदान करता है, या क्रॉस–ट्रेनिंग जिसमें शिक्षक सहकर्मी अवलोकन तकनीकों का उपयोग करके आपस में भूमिकाओं का आदान–प्रदान करते हैं। चिंतनशील शिक्षण

एक ऐसा .ष्टिकोण है जिसमें हम प्रश्नों (क्या या क्यों) के उत्तर देने के लिए 'कैसे करें' के दायरे से बड़े दायरे में जाते हैं। ये प्रश्न हमें व्यापक शैक्षिक प्रणाली के संदर्भ में शिक्षक की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों की जाँच करने की अनुमति देते हैं। इस पद्धति के अनुसार, शिक्षक कक्षा में अपने काम पर चिंतन करके सीख सकते हैं (रजब एट अल. ,2011)। चिंतनशील अभ्यास विभिन्न विषयों में शिक्षकों के विकास और प्रशिक्षण का द्वार है।

यह उन्हें स्वयं को विकसित करने और अपनी शैक्षिक प्रथाओं का मूल्यांकन करने की परीक्षा में डालता है, जिससे उन्हें आत्म–जागरूकता और व्यावसायिक विकास में वृद्धि करने का अवसर मिलता है क्योंकि वे अवलोकन, आलोचना, तार्किक विश्लेषण और अन्य लोगों के विचारों के प्रति खुलेपन के माध्यम से अपनी चिंतनशील प्रथाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, (शाहीन 2012)। कई शोधकर्ता चिंतनशील अभ्यास में बढ़ती रुचि का श्रेय सीखने में रचनात्मकता की बढ़ती शैक्षणिक प्रवृत्तियों को देते हैं, जो बताती है कि शिक्षार्थी सामग्री और आसपास के वातावरण के साथ एकीकरण और अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, क्योंकि यह चिंतन को सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण कारक भी मानता है (फैरेल 2008)। विभिन्न कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों के चिंतनशील चिंतन कौशल के निर्माण के लिए विशेष कार्यक्रमों के साथ–साथ सहायक शिक्षण प्रथाओं के उपयोग की आवश्यकता है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों की प्रगति एक निश्चित समय सीमा के भीतर ज्ञात हो ताकि जागरूकता और समझ की प्रक्रिया को प्राप्त किया जा सके, उन्हें सौंपे गए शैक्षिक कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा का वातावरण उपयुक्त हो, शिक्षण सामग्री को समझने पर पुनः ध्यान केंद्रित किया जा सके, और सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को प्रेरित और मार्गदर्शन किया जा सके, (कोवलिक और ऑलसेन 2010)। चिंतनशील क्रियाओं को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और घटना से परे भी विचार किया जा सकता है। यह एक मानसिक चिंतन प्रक्रिया है जो विचारों, भावनाओं और मूल्यांकनों की खोज के लिए अनुसंधान और बहस के विभिन्न चरणों को जोड़ती है जो गतिविधियों के कौशल और परिणामों को उजागर करते हैं। इनका अभ्यास स्वतंत्र रूप से या समूहों में भी किया जा सकता है। जब हम दूसरों के साथ चिंतन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने मूल्यों और विश्वासों का सामना करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम आत्म–चिंतन का अभ्यास करते समय करते हैं। इस प्रकार, चिंतनशील अभ्यास नैतिक अभ्यासों को महत्व देने की एक विधि है, जो जवाबदेही को बढ़ावा देती है; यह प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त या नियोजित हो सकती है, और इसे हमारे काम पर प्रकाश डालने के लिए शुरू किया जा सकता है (नोल्स, 2008)। चिंतनशील प्रथाओं का लक्ष्य प्रशिक्षकों के व्यवहार और निर्णयों को बदलना है और यह उन निर्णयों के परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन का लाभ प्रशिक्षकों की कक्षा अभ्यास विकसित करने और शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने की क्षमता में पाया जाता है। चिंतनशील शिक्षण एक सफल दृष्टिकोण है जो शिक्षकों को प्रत्येक छात्र की सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने, सर्वोत्तम शिक्षण पद्धति का चयन करने और विद्यार्थियों को पढ़ाने के बेहतर तरीके तैयार करने में सक्षम बनाता है (हसन, 2013)।

चिंतनशील शिक्षकः

वल्ली और वल्ली (1997) के अनुसार, एक चिंतनशील व्यक्ति वह होता है जो अपने देखे या सुने हुए विचारों पर चिंतन करता है, चिंतन करता है और जानबूझकर विचार करता है। वह आगे कहती हैं कि एक चिंतनशील व्यक्ति महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करता है और दूसरों की आवाज़ों, विचारों और सुझावों के प्रति ग्रहणशील होता है। स्टाउट (1989) के अनुसार, ये वे लोग हैं जो अपनी कक्षाओं और पेशेवर जीवन पर नियंत्रण के लिए प्रयास करते हैं; तथा जो विचार प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक निगरानी करते हैं और शैक्षिक तर्कों की जाँच और विश्लेषण की प्रणालियाँ और तकनीकें स्थापित करते हैं। ये अपनी

तैयारी और निर्देश के परिणामों की भविष्यवाणी भी करते हैं। इसके अलावा, ये समस्या–समाधान कौशल के साथ निर्देश देते हैं और सृजनात्मक अधिगम में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अंततः, ये अनुकूलनीय और लचीले होते हैं, हमेशा छात्रों की ज़रूरतों का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकतानुसार कक्षा की गतिविधियों में बदलाव करते हैं।

1.1 सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

चिंतन प्रक्रिया से सम्बन्धित शोध अध्ययन–

ओस्मानोविक ज़ाजिक, जेलेना एस.; मक्सिमोविक, जेलेनाए जेड़ ; स्नेटिक, संजा आर. (2023) यह शोध के संचालित शिक्षण की गुणवत्ता पर चिंतनशील अभ्यास के प्रभाव को निर्धारित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। COVID–19 महामारी की शुरुआत के बाद इस शोध का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षण और सीखने के सुधार पर विचार करते हुए चिंतनशील अभ्यास की अनुप्रयोगात्मक क्षमताओं के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण की जांच करना था। चिंतनशील अभ्यास और शिक्षण की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव पर बहुत कम शोध हुआ है। इसलिए, यह अध्ययन चिंतनशील अभ्यास पहलुओं की एक और समझ में योगदान देता है जो सर्बियाई शैक्षिक प्रणाली के ढांचे के भीतर ऑनलाइन शिक्षण को सीधे प्रभावित करता है।

सुफाश्री, पोंसवान; चिनोकुल, सुमाली (2021) व्यावसायिक योग्यता के चिह्न के रूप में चिंतनशील अभ्यास शिक्षक शिक्षा में एक प्रचलित शब्द बन गया है। यद्यपि चिंतनशील अभ्यास के महत्व को लंबे समय से स्वीकार किया गया है, लेकिन इसे कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए या शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में कौन सी प्रक्रियाएं शुरू की जानी चाहिए, इस पर अभी भी आपसी सहमति नहीं बन पाई है। अंत में, सेवा–पूर्व शिक्षकों के व्यावसायिक जीवन पर चिंतनशील अभ्यास के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

टेलबो तलाली (2018)– ने ''चिंतन प्रक्रिया सेवापूर्ण'' अध्यापकों के बीच अध्ययन के माध्यम से व्यावसायिकता का विकास, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में सेवापूर्व अध्यापकों के मध्य व्यावसायिकता को विकसित करने के लिए चिंतन प्रक्रिया का उपयोग करना है।

2.0 समस्या कथनः–

वर्तमान शोध अध्ययन माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों पर निम्नलिखित निम्नलिखित षोध समस्या का कथन किया गया है।

''माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक चिंतन प्रक्रियाओं पर लिंग भेद एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रभाव–एक अध्ययन''

3.0 शोध उद्धेश्यः–

प्रस्तावित शोध प्रबंध में निम्नलिखित शोध उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु चयनित किया गया है :–

1. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के निम्नलिखित व्यक्तिगत चरों का चिंतन प्रक्रियाओं का अध्ययन करनाः–

(i) विद्यालय प्रबन्धन प्रकार पराजकीय पप अराजकीय

(ii) अध्यापक लिंग भेद

4.0 शोध परिकल्पनाएँः–

वर्तमान प्रस्तावित शोध के उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित शोध परिकल्पनाओं को निर्मित किया गया हैः–

1. माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया पर अध्यापक लिंग भेद (महिला एवं पुरुष) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है।

2. माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया पर विद्यालय प्रबन्धन (राजकीय एवं निजी विद्यालय) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है।

5.0 शोध में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरणः–

प्रस्तावित शोध अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का परिभाषीकरण निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हैः–

(i) अध्यापक चिन्तन प्रकियायें

(ii) माध्यमिक विद्यालय अध्यापक

(i) अध्यापक चिन्तन प्रकियायें

अध्यापक चिन्तन प्रक्रियाओं पर किये गये शोध कार्य एवं सम्पादित शोध पत्रों द्वारा इस सम्प्रत्यय को

व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास पूर्व शोधकर्ताओं द्वारा किये गये है।

स्माइथ (1992) के अनुसारः– चिन्तन प्रकिया का अर्थ सभी लोगों के लिए सभी चीजें हो सकता है, इसका उपयोग एक प्रकार और छतरी शब्द के रूप में किया जाता है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि कुछ अच्छा या वांछनीय है ...हर किसी की अपनी व्याख्या है कि चिन्तन प्रकिया का क्या मतलब है और इस व्याख्या को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है सद्गुणों और चिन्तन प्रकियाओं को इस तरह से प्रचारित करना कि यह मातृत्व के गुणों के समान प्रतीत हो।

इण्डें (2000) द्वारा प्रतिपादित चिन्तन के प्रतिमान के अनुसार चिन्तन प्रक्रियायें चिन्तन का विश्लेषण, स्वजागरूकता, तथा समलोचनात्मक चिन्तन है। इससे चिन्तन प्रक्रियाओं का दर्शन एवं चिन्तन प्रक्रियाओं के कार्य की स्वच्छता प्रदर्शित होती है।

(ii) माध्यमिक विद्यालय :– ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 9 से कक्षा 10 के विद्याार्थियों को शिक्षण करवाया जाता है, माध्यमिक स्तर के विद्यालय कहलाते है। इन विद्यालयों में सामाजिक अव्यवस्था को देखते हुए शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बालक एवं बालिकाओं के लिये विद्यालय खोले गये है।

6.0 शोध परिसीमांकन

शोधकर्ता द्वारा शोध को समय पर पूर्ण करने एवं व्यवस्थित तरीके से किये जाने के कारण एवं समय व साधन कम होने के कारण इस शोध के अध्ययन हेतु परिसीमांकन का क्षेत्र चुना गयाः–

1. वर्तमान शोध कार्य हेतु अजमेर जिले को चुना गया।
2. शोध कार्य हेतु माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को चुना गया।
3. इस शोध कार्य हेतु राजकीय व अराजकीय विद्यालयों के पुरुष एवं महिला अध्यापकों को चुना गया।

7.0 अनुसंधान विधि –

शोध में अनुसंधान विधि अनुसंधान प्रक्रिया को परिलक्षित करने का एक ढ़ंग है, जो समस्या की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होती है। प्रस्तुत शोध में आदर्श मूलक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया हैं। इस विधि का चयन अनुसंधान के उद्देश्यों, परिकल्पनाओं तथा आंकड़ों के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप किया गया है।

8.0 शोध उपकरणं

शोधकर्ती द्वारा उपलब्ध उपकरणों का अध्ययन करने के पश्चात वर्तमान शोध प्रबन्ध हेतु निम्नलिखित उपकरणं का चयन किया गया है।

1. अध्यापक चिंतन प्रक्रिया मापनी

9.0 सांख्यिकी उपकरण और तकनीक –

अनुसंधान कार्य में दत्तों के व्यवस्थापन और सारणीयन के बाद सांख्यिकी गणना अलग–अलग चरों के प्रदर्शन और प्रभाव की कल्पना करने के लिये की जाती है। वर्तमान शोध कार्य निम्नलिखित सांख्यिकी गणना के साथ किये गयेः–

i मध्यमान

ii प्रामाणिक विचलन

iii टी–मान

10.0 ऑकड़ों का विश्लेषण

परिकल्पना संख्या 1

माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया पर अध्यापक लिंग भेद (महिला एवं पुरुष) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है।

सारणी संख्या 1.1

माध्यमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी– मान चिन्तन प्रक्रिया एवं आयाम महिला अध्यापिकाऍ (208)

चिन्तन प्रक्रिया एवं आयाम	महिला अध्यापिकाऍ (208)		पुरूष अध्यापक (192)		टी– मान
	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
चिन्तन प्रक्रिया के प्राप्तांक	141.41	5.694	141.20	5.667	0.38
सतही चिन्तन	34.92	2.726	34.89	2.884	0.16
पाठयचर्या चिन्तन	35.98	2.843	35.90	2.525	0.30
समालोचनात्मक चिन्तन	35.63	2.673	34.81	2.955	2.92**
आत्म चिन्तन	34.88	2.671	35.60	2.311	2.87**

आलेख संख्या 1.1

माध्यमिक विद्यालय के महिला एवं पुरुष अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया के मध्यमान

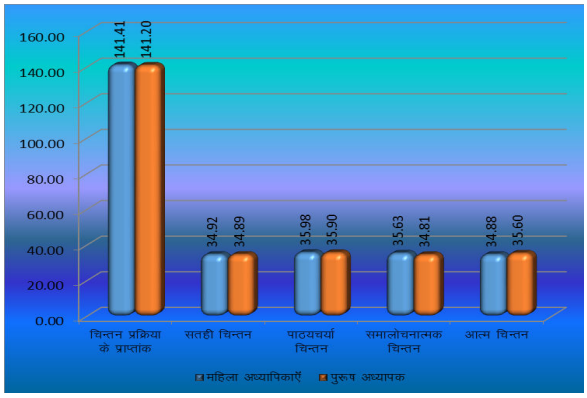

उपरोक्त सारणी संख्या 1.1 के अनुसार चिंतन प्रक्रियाओं के कुल प्राप्तांक पर महिला अध्यापिकाओं का मध्यमान 141.41 तथा मानक विचलन 5.694एंव पुरूष अध्यापकों का मध्यमान 141.20 तथा मानक विचलन 5. 667 हैं। अतः कुल चिंतन प्रक्रियाओं पर महिला अध्यापिकाओं का मध्यमान पुरूष अध्यापकों से अधिक है। गणना से प्राप्त मध्यमानों के अन्तर का टी–मान 0.38 हैं जो .05 स्तर पर सार्थक टी मान से कम है। अतः यह सांराशित किया जा सकता है कि अध्यापिकाओं में कुल चिंतन प्रक्रियाओं का मान पुरूष अध्यापकों से सार्थक अधिक नही है। इसलिए वर्तमान शोध प्रबन्ध की परिकल्पना संख्या 1 चयनित की जाती है जिसके अनुसार माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया पर अध्यापक लिंग भेद (महिला एवं पुरुष) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। सारणी संख्या1.1 के अनुसार चिंतन प्रक्रियाओं के प्रथम आयाम सतही चिंतन पर महिला अध्यापिकाओं का मध्यमान 34.92 तथा मानक विचलन 2.762 एंव पुरूष अध्यापकों का मध्यमान 34.89 तथा मानक विचलन 2.884 हैं। गणना से प्राप्त मध्यमान में इस आयाम पर महिला अध्यापकों का मध्यमान पुरूष अध्यापकों से अधिक है। मध्यमानों में अन्तर का टी मान 0.16 है जो .05 स्तर पर सार्थक नही है अतः चिंतन प्रक्रियाओं के सतही चिंतन आयाम पर महिला अध्यापकों का मध्यमान पुरूष अध्यापकों के मध्यमान से सार्थक अधिक नही है।

सारणी संख्या 1.1 के अनुसार चिंतन प्रक्रियाओं के द्वित्तीय आयाम पाठ्यचर्या पर महिला अध्यापिकाओं का मध्यमान 35.98 तथा मानक विचलन 2.843 एंव पुरूष अध्यापकों का मध्यमान 35.90 तथा मानक विचलन 2.525 हैं। गणना से प्राप्त मध्यमान में इस आयाम पर महिला अध्यापकों का मध्यमान पुरूष अध्यापकों से अधिक है। मध्यमानों में अन्तर का टी मान 0.30 है जो .05 स्तर पर सार्थक नही है अतः चिंतन प्रक्रियाओं के द्वित्तीय आयाम पाठ्यचर्या पर महिला अध्यापकों का मध्यमान एवं पुरूष अध्यापकों के मध्यमान से सार्थक अधिक नहीं है।

सारणी संख्या1.1 के अनुसार चिंतन प्रक्रियाओं के तृतीय आयाम आलोचनात्मक चिंतन पर महिला अध्यापिकाओं का मध्यमान 35.63 तथा मानक विचलन 2.673 एंव पुरूष अध्यापकों का मध्यमान 34.81 तथा मानक विचलन 2.995 हैं। गणना से प्राप्त मध्यमान में इस आयाम पर महिला अध्यापकों का मध्यमान पुरूष अध्यापकों से सार्थक अधिक है। मध्यमानों में अन्तर का टी मान 2.92 है जो .05 स्तर पर सार्थक है अतः चिंतन प्रक्रियाओं के आलोचनात्मक चिंतन आयाम पर महिला अध्यापकों का मध्यमान पुरूष अध्यापकों के मध्यमान से सार्थक अधिक है।

सारणी संख्या 1.1 के अनुसार चिंतन प्रक्रियाओं के चतुर्थ आयाम आत्म चिंतन पर महिला अध्यापिकाओं का मध्यमान 34.88 तथा मानक विचलन 2.671 एंव पुरूष अध्यापकों का मध्यमान 35.60 तथा मानक विचलन 2.311 हैं। गणना से प्राप्त मध्यमान में इस आयाम पर पुरूष अध्यापकों का मध्यमान महिला अध्यापकों से सार्थक अधिक है। मध्यमानों में अन्तर का टी मान 2.87 है जो .05 स्तर पर सार्थक है अतः चिंतन प्रक्रियाओं के आत्म चिंतन आयाम पर पुरूष अध्यापकों का मध्यमान महिला अध्यापकों के मध्यमान से सार्थक अधिक है।

निष्कर्षतः चिंतन प्रक्रियाओं के कुल प्राप्तांक एवं सतही चिंतन तथा पाठयचर्या चिन्तन आयामों के प्राप्तांकों

में महिला अध्यापकों का मध्यमान पुरूष अध्यापकों से कुछ अधिक है जबकि समालोचनात्मक चिन्तन आयाम में सार्थक अधिक हैं। चतुर्थ आयाम आत्म चिंतन के प्राप्तांकों में पुरूष अध्यापकों का मध्यमान महिला अध्यापकों से सार्थक अधिक है। अतः वर्तमान शोध की परिकल्पना संख्या 1 चिंतन प्रक्रियाओं के कुल प्राप्तांकों एवं सतही चिंतन तथा पाठयचर्या चिन्तन आयामों के सन्दर्भ में स्वीकृत तथा तृतीय एवं चतुर्थ आयाम यथाः समालोचनात्मक चिन्तन व आत्म चिंतन आयामों के सन्दर्भ में अस्वीकृत की जाती हैं।

उपरोक्तानुसार परिकल्पना संख्या 2 का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया पर चिंतन प्रक्रियाओं के कुल प्राप्तांक एवं पाठयचर्या चिन्तन, समालोचनात्मक चिन्तन तथा आत्म चिंतन आयामों के प्राप्तांकों में राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों का मध्यमान निजी विद्यालयों के अध्यापकों से कुछ अधिक है जबकि समालोचनात्मक चिन्तन आयाम में निजी विद्यालयों के अध्यापकों का राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों से कुछ अधिक हैं। अतः माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया पर विद्यालय प्रबन्धन (राजकीय एवं निजी विद्यालय) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। इसलिए परिकल्पना 2 को कुल प्राप्तांकों एवं समस्त आयामों के सन्दर्भ में स्वीकृत किया जाता है।

11.0 शोध अध्ययन के निष्कर्ष

1. परिकल्पना संख्या 1 चिंतन प्रक्रियाओं के कुल प्राप्तांकों एवं सतही चिंतन तथा पाठयचर्या चिन्तन आयामों के सन्दर्भ में स्वीकृत तथा तृतीय एवं चतुर्थ आयाम यथाः समालोचनात्मक चिन्तन व आत्म चिंतन आयामों के सन्दर्भ में अस्वीकृत की जाती हैं। जिसके अनुसार माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया पर अध्यापक लिंग भेद (महिला एवं पुरुष) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है।

2. परिकल्पना 2 माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की चिंतन प्रक्रिया पर विद्यालय प्रबन्धन (राजकीय एवं निजी विद्यालय) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। कुल प्राप्तांकों एवं समस्त आयामों के सन्दर्भ में स्वीकृत किया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अबेदनिया, ए., होवासैपियन, ए., तीमुर्नेज़हाद, एस., और घनबारी, एन. (2013). चिंतनशील जर्नल लेखनः सेवारत ईएफएल शिक्षकों की धारणाओं की खोज. सिस्टम, 41(3), 503–514। https: //doi-orgè10-1016/j-system-2013-05-003.

एल्गर, सी. (2006). 'क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ'– पूर्व–सेवा शिक्षकों में प्रतिबिंब का विकास.चिंतनशील अभ्यास, 7(3), 287–301. https://doi-org /10-1080/14623940600837327

ब्यूचौम्प, सी.(2015). शिक्षक शिक्षा में प्रतिबिंब : वर्तमान साहित्य की समीक्षा से उभरते मुद्दे. चिंतनशील अभ्यास, 16(1), 123.141। https://doi-org/10-1080/14623943-2014-982525

ब्यूचौम्प, सी., और थॉमस, एल. (2009). शिक्षक पहचान को समझनारू साहित्य में मुद्दों का अवलोकन और शिक्षक शिक्षा के लिए निहितार्थ. कैम्ब्रिज जर्नल ऑफ एजुकेशन, 39(2), 175–189 https://doi-org/10-1080/03057640902902252

बॉन्ड, एम. (2020(। कोविड–19 महामारी के दौरान स्कूल और आपातकालीन दूरस्थ शिक्षारू एक जीवंत तीव्र व्यवस्थित समीक्षा. एशियन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, 15(2), 191–247। https://doi-orgè10-5281 /ज़ेनोडो.4425683.

चिनोकुल, एस.(2012)ईएफएल शिक्षण कौशल का विकासः कार्यप्रणाली पाठ्यक्रम से वास्तविक कक्षा अभ्यास तक ज्ञान हस्तांतरण.थाईलैंड विज्ञान अनुसंधान और नवाचार. https://cmudc-library-cmu-ac-th/frontend/Info/item/ डीसी : 129775

सिआम्पा, के., और गैलाघेर, टी. (2015), सहयोगात्मक पूछताछ के दौरान सेवारत शिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा और विकास को बढ़ाने के लिए ब्लॉगिंग. शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, 63(6), 883–913। https://doi -org/10-1007/s11423.015–9404.7

ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

डॉ. श्याम मनोहर गौतम
अस्सिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षा संकाय
जवाहरलाल नेहरु टी टी कॉलेज,
कोटा, राजस्थान

आरती कुमारी गौतम
शोधार्थी
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
राजस्थान
मो. 7891640301

प्रस्तावना –

पारिवारिक वातावरण– पारिवारिक वातावरण से तात्पर्य परिवार के सभी सदस्यों द्वारा बालक के साथ होने वाली क्रियाओं –प्रतिक्रियाओं से है। बालक एक परिवार में जन्म लेता है , जन्म के समय वह एक कोरी स्लेट होता है तथा जन्म लेने के बाद से ही वह कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। बालक सर्वप्रथम अपनी सहज क्रिया एवं उत्तेजनाओं से सीखता है। जन्म के समय नवजात शिशु की प्रमुख उत्तेजनाएँ रोने, चूसने, पकड़ने, और जकड़ने की क्रियाएँ हैं, जो साँस लेने, भोजन करने, और माता–पिता एवं परिवार से जुड़ने में मदद करती हैं। शिशु माँ की खुशबू को भी पहचानता है और वातावरण के प्रति विभिन्न उत्तेजनाओं से प्रतिक्रिया देता है, जैसे तापमान में बदलाव होने पर गर्मी लगे तो रोता है ठंड लगे तो रोता है, सिकुड़ने लगता छींकने लगता है । शिशु अपनी माँ की गंध को पहचानता है। परिवार के व्यक्तियों के स्पर्श को पहचानने लगता है तथा स्पर्श करने पर पकड़ने का प्रयास करता है। कुछ समय बाद शिशु परिवार के व्यक्तियों की आवाज को पहचाने लगता है और उनके प्रति निरर्थक ध्वनियाँ निकालकर प्रतिक्रिया करने का प्रयास करता है, जैसे कि रोना! अगर उसको पैदा होने के बाद भूख लगती है तो वह रोने लग जाता है । जब उसको पता चलता है कि रोने के बाद मुझे दूध मिलता है तो वह वही आदत दोहराने लगता है। जब–जब उसको भूख लगती है तब, वह रोने लगता है, जब–जब वह गीला कर देता है तो वह फिर से रोने लगता है, क्योंकि वह यह सीखने लग जाता है कि मेरे रोने से मुझ पर ध्यान दिया जाएगा।

बालक जैसे–जैसे बड़ा होता जाता है वैसे–वैसे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखता जाता है। वह सीखने में परिवार के प्रत्येक सदस्य की मदद लेता है । परिवार के प्रत्येक सदस्य का अनुकरण करने एवं नकल करने का प्रयास करता है । परिवार के सदस्य जिस प्रकार की क्रियाएएँ करते हैं बालक उन्हीं क्रियाओं को बार–बार दोहराने लगता है। यदि बालक को नकारात्मक क्रियाएँ देखने को मिलती है पर वह नकारात्मक क्रियाओं का दोहरान करता है और अगर उसको सकारात्मक क्रियाएँ देखने को मिलती है तो वह सकारात्मक क्रियाओं को दोहराने का प्रयास करता है।

बालक के सर्वांगीण विकास में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । बालक का मानसिक विकास पारिवारिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है । एक बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार के सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व जिम्मेदार होता है । अपने भारत में एक लोकोक्ति प्रचलित है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन अर्थात जैसे वातावरण में बालक की परवरिश की जाती है, बालक की मानसिक धारणा भी वैसी ही बनती चली जाती है, और उसी धारणा के अनुसार वह आगे अपने रीति–रिवाज व्यवहार संस्कार आदि को प्रचलित रखता है ।

विश्वास और भावनात्मक समर्थन से युक्त सुरक्षित वातावरण सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। सुरक्षित एवं सम्मानित पारिवारिक वातावरण बालकों में

आत्मविश्वास आत्मसम्मान को बढ़ाता है तो वही नकारात्मक व्यवहार बालकों में विवेक चिंता अंधविश्वास एवं मानसिक विकारों को जन्म देता है। परिवार का अत्यधिक तनावपूर्ण, असंतुलित, संघर्षमयी या अस्वस्थ वातावरण मानसिक विकारों को उत्पन्न करता है एवं उनको बढ़ावा देता है। समस्या का औचित्य –कोई भी शोध कार्य समस्या के औचित्य के बिना आगे बढ़ाना तथा उसे दिशा प्रदान करना अत्यंत कठिन कार्य होता है । जब शोधार्थी ने नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का अवलोकन किया तो देखने में आया कि इस क्षेत्र का वातावरण काफी दोष पूर्ण एवं रूढ़िवादी धारणाओं से घिरा हुआ है तथा परिवार के सदस्यों में लिंगभेद के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य कुप्रभावित हो रहा है । अतः शोधार्थी ने नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण को जानने और पारिवारिक वातावरण का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव को देखने के लिए इस विषय को शोध के लिए चुना हैं।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण–

ग्रामीण क्षेत्र– जनसंख्या निवास का वह भौगोलिक क्षेत्र जो कि शहर एवं कस्बों से दूर स्थित होता है । वह क्षेत्र जो नगरों,शहरों व कस्बों के समान भौतिक सुख सुविधाओं व रोजगार के पर्याप्त संसाधनों से वंचित है, उसको ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है।

उच्च माध्यमिक स्तर– 23 सितम्बर 1952 को डॉ० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में शिक्षा को प्राथमिक ,माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तीन स्तरों में विभाजित किया जिसमें उच्च माध्यमिक स्तर से तात्पर्य है 11 वीं एवं 12वीं कक्षा में दी जाने वाली धार्मिक व्यावसायिक शिक्षा है ।

विद्यार्थी– विद्यार्थी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है – 'विद्या', 'अर्थी' जिसका अर्थ होता है 'विद्या चाहने वाला'। अर्थात ऐसा मानव आयुवर्ग जो विद्यालय में शिक्षकों के निर्देशन में विद्या अध्ययन कर कुछ सीखता है ।

पारिवारिक वातावरण –पारिवारिक वातावरण से तात्पर्य है परिवार के व्यक्तियों द्वारा बनाया गया रहन–सहन का परिवेश जिसमें किसी बालक की रूचियों, आदतों, –ष्टिकोणों एवं धारणाओं आदि का विकास होता है।

मानसिक स्वास्थ्य– किसी व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति जिसके अनुसार वह सोचता है, समझता है , किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है, भावनात्मक , क्रियात्मक एवं संवेगात्मक क्रियाओं का प्रदर्शन करता है ।

संबंधित साहित्य का अध्ययन –किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए उससे पूर्व तथा समस्या के चुनाव के लिए उस समस्या से संबंधित विभिन्न साहित्यिक पत्र–पत्रिकाओं आदि का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है।सबंधित साहित्य का अध्ययन करने से शोध करने की दिशा प्रदान होती है परिकल्पना निर्माण करने का अनुभव प्राप्त होता है एवं शोध के उद्देश्य का निर्माण होता है।

1 प्राची दीक्षित य (2020) किशोर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं योग के प्रति अभिव्यक्ति पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन ।

उद्देश्य –

1 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर योगाभ्यास द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।
2 निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर योगाभ्यास द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

निष्कर्ष – अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष निकला कि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर छात्र एवं छात्रा दोनों ही योग को जीवन को अनुशासित करने का साधन मानते हैं। जीवन की कार्यकुशलता व सफलता के निर्धारण में मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका होती है तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है।

2 रविशंकर महावर (2020) मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक पहलू उदयपुर संभाग के मनोरोगियों के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।

उद्देश्य–1 मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं का अध्ययन करना।

2 मनोरोगियों में मानसिक बीमारी संबंधी परम्परागत मान्यताओं का अध्ययन करना तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के प्रति विचारों की जांच करना।

निष्कर्ष– उपर्युक्त शोध में निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक पहलुओं में उसका उच्च शैक्षणिक स्तर, आय, रोजगार वैवाहिक जीवन, पारिवारिक वातावरण, मनोरंजन के साधन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3 शालिनी गुप्ता (2019) किशोरावस्था के बालकों पर मस्तिष्कीय अनुशासन, योगाभ्यास एवं मानसिक स्वास्थ्य का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

उद्देश्य–

1. किशोरावस्था के विद्यार्थियों के मस्तिष्कीय अनुशासन का अध्ययन करना।

2. किशोरावस्था के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि योगाभ्यास के द्वारा किशोर विद्यार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ एवं व्यवहार कुशल पाए गए तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी उच्च पायी गयी।

4 डॉ. देवकीनन्दन शर्मा (2018) पारिवारिक वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि के सम्बंध का अध्ययन ।

उद्देश्य–

1 बालक के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की भूमिका का अध्ययन करना।

2 पारिवारिक वातावरण द्वारा बालक की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना

निष्कर्ष– प्रस्तुत शोध में निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि परिवार का वातावरण, परिवार के व्यक्तियों का विद्यार्थियों के प्रति उसके व्यवहार एवं शैक्षिक विकास को प्रभावित करता है।

शोध के उद्देश्य–

1 लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना।

2 लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना।

3 लिंगभेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सहसंबंध का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना –

1 लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

2 लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3 लिंगभेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

शोध में प्रयुक्त न्यादर्श– प्रस्तुत– शोध कार्य में शोधार्थी ने नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 300 विद्यार्थियों का चयन किया है, जिसमें से 150 छात्र हैं एवं 150 छात्राएँ हैं।

शोध विधि– किसी भी शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए एक शोध विधि का उपयोग किया जाता है प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया है शोध के उपकरण– शोधार्थी ने पारिवारिक वातावरण के मापन हेतु डॉ. बीना शाह द्वारा निर्मित पारिवारिक परिवेश मापनी और मानसिक स्वास्थ्य के मापन हेतु डॉ. अरुण कुमार एवं अल्पना सेन गुप्ता द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण मानसिक स्वास्थ्य मापनी का उपयोग किया गया है ।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी– शोधार्थी द्वारा शोध कार्य में प्राप्त किए गए डाटा से निष्कर्ष निकालने हेतु मध्यमान ,मानक विचलन एवं टी परीक्षण शोध सांख्यिकी विधियों

का उपयोग किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण –

1 लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी संख्या 4.1

लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर–

क्र. स.	चर	न्यादर्श	मध्यमान	प्रमाप–विचलन	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों का पारिवारिक वातावरण	150	76.20	13.20	2.04	0.05 पर अस्वीकृत
2.	ग्रामीण क्षेत्र की उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं का पारिवारिक वातावरण	150	71.97	21.59		

df=N1+N2=2=150+150-2=298

df=298 पर 0.01 का मान=2.59

df=298 पर 0.05 का मान=1.97

विश्लेषण– उपर्युक्त सारणी संख्या 4.1 के अनुसार लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं के पारिवारिक वातावरण के मध्यमान क्रमशः 76.20 व 71.97 तथा प्रमाप विचलन क्रमशः 13.20 व 21. 59 प्राप्त हुए है। इनसे प्राप्त टी का मान 2.04 है. जो स्वतंत्रता के अंश (df) 298, के लिए सार्थकता स्तर 0.05 पर सारणीयन मान 1.97 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना लिंगभेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है। को अस्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त परिकल्पना के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है के लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्र– छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में भिन्नता होती है।

2 लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है

सारणी संख्या 4.2

लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों में सार्थकता का अंतर–

क्र. स.	चर	न्यादर्श	मध्यमान	प्रमाप-विचलन	टी-मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य	150	73.90	13.70	6.10	0.05 पर अस्वीकृत
2.	ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य	150	63.10	16.82		

df=N1+N2=2=150+150-2=298

df=298 पर 0.01 का मान=2.59

df=298 पर 0.05 का मान=1.97

विश्लेषण– उपर्युक्त सारणी संख्या 4.2 के अनुसार लिंगभेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमान क्रमशः 73.90 व 63.10 तथा प्रमाप विचलन क्रमशः 13.70 व 16. 82 प्राप्त हुए है। इनसे प्राप्त श्टी का मान 6.10 है. जो स्वतंत्रता के अंश (df) 298, के लिए सार्थकता स्तर 0.05 पर सारणीयन मान 1.97 से बहुत अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त परिकल्पना के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि लिंगभेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के मध्यमान छात्राओं के मध्यमान से अधिक है । इसीलिए छात्राओं की तुलना में छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में लिंग भेद के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य में भिन्नता होती है।

3 लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

सारणी संख्या 4.3

लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य प्रोडक्ट मॉमेन्ट सहसंबंध गुणांक का मान–

चर	चर	सहसंबंध गुणांक (r)	सार्थकता स्तर
01	02		0.05 पर अस्वीकृत
पारिवारिक वातावरण	मानसिक स्वास्थ्य	0.151	

df=N1+N2=2=150+150-2=298

df=298 पर 0.01 का मान=2.59

df=298 पर 0.05 का मान=1.97

विश्लेषण– उपर्युक्त सारणी संख्या 4.3 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सहसम्बन्ध गुणांक 0.151 प्राप्त हुआ है, जो कि df 298, के सार्थकता स्तर 0.05 पर सारणीयन मान 0.138 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है, को अस्वीकृत किया जाता है । इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जिन विद्यार्थियों का पारिवारिक वातावरण अच्छा हो उन विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा यह आवश्यक है। परिणामतः हम कह सकते है कि ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध है।

शोध के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष–

परिकल्पना 1– लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपर्युक्त परिकल्पना से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों की अपेक्षा छात्राओं के अनुकूल पारिवारिक वातावरण में कमी पायी गई हैं।

परिकल्पना 2– लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उपर्युक्त परिकल्पना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों की अपेक्षा छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य में कमी पायी गई हैं।

परिकल्पना 3– लिंग भेद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है।

उपर्युक्त परिकल्पना के निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जिन विद्यार्थियों का पारिवारिक वातावरण अच्छा होता है उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अतः विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए उनका पारिवारिक वातावरण अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक निहितार्थ –प्रस्तुति शोध कार्य में विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं उनके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया गया। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक विकास के लिए उनका पारिवारिक वातावरण का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है, जितना अनुकूल पारिवारिक वातावरण होगा विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा।

भावी शोध हेतु सुझाव–

1 प्रस्तुत शोध कार्य केवल महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों पर किया गया है । यह शोध कार्यराज्य के अन्य जिलों के विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता है।

2 यह शोध कार्य भारत के अन्य राज्यों के विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता है ।

3 प्रस्तुत शोध कार्य केवल उच्च माध्यमिक के स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों तक सीमित है यह शोध कार्य शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता है ।

4 यह शोध कार्य महाविद्यालय के विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. शर्मा, कैलाश नाथ, 1958 'भारतीय समाज और संस्कृति' राजस्थान ग्रंथ अकादमी,जयपुर।

2. करलिंगर, एफ.एम. 1964 'फाउन्डेशन ऑफ व्हेवियर रिसर्च' (हाल्ट)

3. मित्र, कैलाश 1995 'आओं गाँव चलें' जयपुर राजस्थान पत्रिका प्रकाशन

4. लाल, बिहारी (1998). खेल–प्रशिक्षण,अग्रवाल पब्लिकेशन्स, पटना।

5. डवेक एस डॉ. कैरोल,(2020), सफलता का नया मनोविज्ञान मंजुल पब्लिशिंग हाउस, भोपाल।

6. पाण्डेय, इन्द्र मोहन (2017). माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के अधिगम शैली तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य

में सम्बन्ध का एक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, राजा हरपाल सिंह पी०जी० कालेज, सिंगरामऊ,

देश की आधी आबादी (नारी शक्ति) का पूर्ण योगदान

डॉ. राजीव पाराशर
केबीएम टी.टी. कॉलेज, बोली,
सवाई माधोपुर
E-mail :PARASHARRAJIV85@GMAIL.COM
Mob. 9887308907

भारत एक ऐसा देश है जो "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" की भावना में विश्वास रखता है। अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। नारी केवल समाज की शोभा नहीं, बल्कि उसके निर्माण की आधारशिला है। वह माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में जीवन के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है। वास्तव में देश की आधी आबादी नारी शक्ति के रूप में हमारे राष्ट्र की प्रगति का मूल स्तंभ है।

प्राचीन काल में नारी शक्ति

प्राचीन भारत में नारी को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा, राजनीति, युद्धकला और धर्म के कार्यों में समान अधिकार प्राप्त थे। गर्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियाँ वेदों और उपनिषदों की रचनाकार थीं। रानी पद्मिनी, द्रौपदी, सीता, और सावित्री जैसी महिलाएँ साहस, त्याग और धर्मनिष्ठा की प्रतीक थीं।

मध्यकाल में नारी की स्थिति

मध्यकाल आते–आते नारी की स्थिति में गिरावट आई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा ने उनके विकास को रोक दिया। परंतु इस कठिन समय में भी रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होल्कर, और मीरा बाई जैसी महान स्त्रियों ने अपने साहस, भक्ति और बलिदान से नारी शक्ति का परिचय दिया।

स्वाधीनता संग्राम में नारी शक्ति का योगदान

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी नारी शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, और उदिता देवी जैसी महिलाओं ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति में नारी किसी भी पुरुष से पीछे नहीं।

स्वतंत्र भारत में नारी की भूमिका

स्वतंत्रता के बाद नारी ने समाज, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, खेल और कला के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं, कल्पना चावला और सुनिता विलियम्स ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया, मेरी कॉम, पी.वी. सिंधु, मिताली राज जैसी खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया। आज नारी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक, पायलट, और उद्यमी के रूप में देश का निर्माण कर रही है।

वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण

आज का युग नारी सशक्तिकरण का युग है। सरकार ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", "महिला आरक्षण विधेयक", और "उज्ज्वला योजना" जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

अब नारी केवल घर तक सीमित नहीं रही – वह समाज, उद्योग, राजनीति और तकनीकी क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है।

नारी का सामाजिक योगदान

सामाजिक जीवन में नारी का योगदान अतुलनीय है। वह परिवार की प्रथम शिक्षिका होती है। माँ के रूप में वह संस्कारों का बीजारोपण करती है। घर–परिवार की

व्यवस्था, बच्चों का पालन–पोषण, वृद्धों की सेवा–इन सबके माध्यम से वह समाज की सुदृढ़ नींव रखती है। आज की नारी सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी है–चाहे वह पंचायतों की सरपंच हो, समाजसेवी संस्थाओं की अध्यक्ष या गाँव–शहरों में महिलाओं के समूहों की संचालिका।

नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता

हालाँकि आज भी समाज के कुछ हिस्सों में महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, अशिक्षा, और लैंगिक भेदभाव जैसी बुराइयाँ उनके विकास में बाधा हैं। इन बंधनों को तोड़ने के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता और कानूनी अधिकारों की जानकारी आवश्यक है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसी योजनाएँ इसी दिशा में एक सशक्त कदम हैं।

निष्कर्ष

यदि देश की आधी आबादी नारी शक्ति को पूर्ण अवसर और सम्मान दिया जाए, तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। नारी केवल घर की नहीं, पूरे देश की शक्ति है। जब नारी आगे बढ़ेगी, तभी राष्ट्र सच्चे अर्थों में प्रगति करेगा। नारी सम्मान ही राष्ट्र सम्मान है।

नारी शक्ति वह ऊर्जा है, जो समाज को संतुलन और दिशा देती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक नारी ने अपने परिश्रम, त्याग, और प्रतिभा से देश की उन्नति में पूर्ण योगदान दिया है।

सच कहा गया है –

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।"

जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहीं सच्चे अर्थों में समाज और राष्ट्र का विकास संभव होता है।

Role of Women in Agriculture and Allied Sectors : Challenges and Imperatives for Empowerment

K.K. Singh
Office of the Deputy Director, Agriculture (Agronomy), Adaptive Trial Centre, Lunkaransar-334603 (Dist. Bikaner)
Contact No. : 9460414377;
email : kishoreks9165@gmail.com

Mahadevi Singh
Sophia Sr. Secondary School, Bikaner-334003 (Raj.)
Contact No. 7938207040;
email : singhkk95@yahoo.com

ABSTRACT

In India and many developing countries, rural women make up a significant portion of the labour force. Their involvement in nearly every aspect of agriculture - from planting seeds to marketing agricultural goods - is widely acknowledged. Women constitute about 43 per cent of the workforce in developing countries, yet they have less access to essential resources such as water, fertilizers and market outlets. Undoubtedly, women in India form the backbone of the country's food production system. Their contribution to agriculture and allied sectors, such as fisheries, is both substantial and vital. Although Indian agriculture has developed immensely through innovative research and technological advancements, the significant role played by women continues to be overlooked. A large section of women workers are engaged in agriculture, but they are not duly recognized for their work, There is a wide gap between public perception and the actual contribution of women. The gender gap that hampers productivity can be minimized by creating more opportunities for women empowering them, and recognizing their role and significance in agricultural development.

Keywords : Women, agriculture, gender equity, empowerment.

Introduction

Women play a significant and crucial role in agricultural development and allied sectors including livestock rearing, horticulture, post-harvest operations, agro/social forestry, fisheries and poultry. Most labour-intensive manual operations in agriculture, such as livestock management, fodder collection, milking, crop harvesting, threshing, winnowing are performed by women. When pages of history are scanned it was revealed that women are the pioneers in farming. While men went out for hunting for food, women gathered seeds from the flora and began cultivating for needs of food, fodder, fibre and fuel. This, women have an umblical attachment with agriculture since ancient times. Recognition of their crucial role in agriculture should not obscure the fact that farm women continue to be concerned with their primary functions as wives, mothers and home makes. The patriarchal system of family life, which has been in vogue since time immemorial has relegated women to the background (Singh and Mahalawat, 2002).

Vertivel and Maniganden (2013) in his study reported that half of the agricultural workforce across world constitute of women, they are responsible for production as well as sale of food. Ghosh and Ghosh (2014) reported that about more than 40 per cent of agricultural labour force consist of women but they still remain invisible. Discrimination exists in labour force. Mandal (2013) reported that women can perform range of activities at home as well as field. They can work for longer hours as compared to men

but have more chances of being exploited. Discrimination is still faced by women.

Goswami (2013) in his case study reported that financially weak women contribute to the household income by agreeing to work at comparatively lower wages. Due to lack of employment opportunities, they agree to work on farms in meagre salary, while Swamikannan and Jeyalakshmi (2015) found out that the participation of women in agricultural sectors has drastically declined over years due to the price discrimination and exploitation faced by female labourers.

Women contribute to agriculture through multiple roles as cultivators, entrepreneurs, and labourers. About 60-80% of the food produced in India can be attributed to the efforts of rural women. Women make up 43 per cent of the agricultural workforce in the developing countries (Ball, 2020). In India, agricultural contributes to 13.5 per cent to the GDP of the economy. It provides 55 per cent employment in the country of which a good number of workforce is shared by women. Role of women in this sector cannot be ignored. They comprise 33 per cent of the agriculture labour force and 48 per cent of self-employed farmers. Despite playing an essential role in agricultural progress and allied sectors, women have no access to agricultural information, services, or production assets and very little say over their own incomes (Sharma, 2022).

The paper examines the role of women in agriculture and allied sectors and discusses ways to enhance their contribution. It argues that gender gap hindering productivity can be reduced by empowering women, expanding opportunities, and recognizing their importance in agricultural development.

Role of women in agriculture and allied sectors is described as follows:

1. Women in Agriculture

Women are considered to be the backbone of their economy. They play a significant role in agricultural economy especially in rural areas. They are involved in every stage of food production. Sustainable food security is a mandate of all households to ensure both physical and economic access to a balanced diet. Pre-sowing operations like puddling, seed selection and treatment, nursery bed raising, transplanting seedlings, thinning and gap filling are some of the activities where women play active role. After sowing of different field crops, they perform weeding and hoeing, scaring of birds, filling of spray equipments with pesticide solutions for effective crop husbandry. Harvesting and post-harvesting also engage a considerable number of farm women in various chores like threshing and winnowing, earthing up of groundnuts and potatoes, picking tea leaves and vegetables, and carrying out processing and storage. Keeping in view the traditional knowledge and skill of farm women in different farm operations, it will not be wise to ignore the possibility of increasing avenues that can strengthen the country's food basket through utilization of this unattended and unrecognized power (Singh and Mahalawat, 2002).

Often, women have less access to facilities and assets. Their contribution could double if they were provided with adequate facilities and the same recourses as men. At present there are many opportunities that can be utilized in terms of supply chains and contract farming. Women peasants continue to work as soil builders rather than soil predators, thereby promoting natural farming and protecting nature (Jibran and Khandelwal, 2012 and Singh *et al.*, 2007).

2. Women in Livestock and Poultry

Livestock management has been recognized as a key source of support for women and a way to improve their financial condition. They look after various animals, especially poultry

and milch animals. Poultry farming give the highest returns per unit of land used. Feeding and watering of the birds, collection of eggs and marketing are some key management practices carried out by the women. Unfortunately the role women play in livestock management is not well documented yet. The demand for livestock products is increasing faster especially in Asian countries. Therefore, steps should be taken to encourage women and give them fairer chances to engage in this sector so that they could perform their responsibilities in a better way (Singh and Mahalawat, 2002).

3. Women in Fisheries and Aquaculture

In India, it has been reported that women constitute upto 30 per cent of employment in fisheries which includes both primary and secondary activities. They are considered important part of fish farming. Women rarely engage in commercial or long-distance fishing because it involves laborious work; however, they are largely involved in subsistence fishing in small boats and in inland waters. Women can be good entrepreneurs and provide labour in artisanal fisheries. Their contribution can be coordination of fisheries chain from production to selling process. The prominent role that women can play in fisheries is most evident in the processing and marketing stages (Jibran and Khandelwal, 2019).

Aquaculture opens up new vistas of economic progress for rural women. It can be taken up as an additional occupation alongside any traditional vocation. When it is taken up, in combination with horticulture or even poultry, it leads to the broad-basing of economic activities closer to home and within the purview of the womenfolk. Even small backyard ponds can be turned into successful resource base with the use of appropriate aquaculture technology. The same pond can be utilized for fry and fingerling rearing or for producing table-sized fish. The more progressive women participants have mastered the breeding techniques of the common carp. The spawn produced is a good source of income and provides the starting material for fry production. Lack of adequate supply of feeds is a major constraint and if women are trained to prepare the feed at the village level, it will generate employment. Women show great skill in fishing net fabrication which is used as an indoor income generating activity (Singh and Mahalawat, 2002).

4. Women in Forestry and Sericulture

Women play role in both forestry and sericulture. Their presence is felt in social and agroforestry, watershed management, protection and conservational strategies. Women are involved in taking care of nurseries, plantation and wood processing. Their role is small but significant and needs to be documented properly. Women are involved in menial jobs in saw mills and logging camps. Government should take initiatives to involve women in research and policy making that will assist much them to take out from drudgery (Jibran and Khandelwa, 2019 and and Singh and Singh, 2002).

Sericulture has emerged as a potential agro-based industry because it is an easy way of afforestation and also gives good return to the farm women. In Indian Silk Industry, about 51 per cent of the labour force involved in producing the silk are women. The involvement of women is greater in the activities related to silkworm rearing, reeling to weaving an in garment manufacturing industries. In this particular occupation, women are preferred due to dexterity of their fingers in getting the line filaments from the cocoons and they possess the ability to work with hot water streams for long hours (Singh and Mahalawat, 2002).

5. Women in Allied Activities

The role of women in agriculture has been recognized since ancient times. It is believed that a woman domesticated the first crop plant, which marked the beginning of farming. Women cultivated

seeds on their own and showed interest in producing food, fibre and fodder (Sharma, 2022).

In India, women contribute significantly in food production. In 2004, about 70 per cent of women depended on agriculture for their livelihood. Many of them were involved in raising cereals, vegetables, fruits, fisheries and nursery beds for agro/social forestry. They also collected fuelwood, looked after agricultural and horticultural farms, poultry and performed household chores (Patila nd Babus, 2018).

An FAO survey in developing countries showed that women make up 70 per cent of the agricultural labour force. Over 60 per cent handle household food production, 80 per cent are responsible for food storage and 90 per cent collect water and fuel. Despite limited access to land, inputs, and facilities women continue to work in labour-intensive tasks such as cutting grass, chopping fodder, weeding and hoeing, separating seeds, and collecting sticks of cotton and pigeon pea to meet household needs (FAO, 2011).

With the increasing rural-to-urban migration of men, the agriculture sector is witnessing a clear feminization, as more women assume multiple roles as cultivators, entrepreneurs and labourers. Globally, empirical evidence shows that women play a decisive role in ensuring food security and in preserving local agro-biodiversity (Singh *et al.*, 2007). It is evident that women's roles are diverse and vary across regions and countries. These roles cannot be understood properly, and interventions targeting them cannot be designed effectively without also examining their differential access to land, capital assets, human capital, and other resources.

Therefore, accurate, current and region-specific information and analysis are necessary for good gender-aware agricultural policy making.

Challenges Women Face in Agriculture

Women play a significant and often overlooked role in agriculture, promoting a wide range of tasks from sowing and harvesting to post-harvest processing and livestock management. Despite their crucial contributions, they often face challenges, including limited access to land, credit and training, which can hinder their productivity and economic empowerments Moreover, there are many disparities between men and women in farming. Farms run by women reported, on average, 20-30 percent lower yields than those run by men, despite having the same capabilities (Satyavathi *et al.,* 2010 and Udry *et al*., 1995). The main reasons for this disparity and barriers are :

- **Land Ownership and Control :** Women often lack ownership of land and resources, making it difficult for them to start or expand their farms. Addressing these barriers and providing women with secure land inheritance, ownership and tenure can improve their productivity, income, and decision making power in agricultural production.
- **Education and Training :** Women are often excluded from formal agricultural training programmes, hindering their ability to adopt new technologies and practices. Access to and the ability to operate improved farming technologies is imperative for boosting agricultural production as well as expanding their business.
- **Gender Discrimination and Social Stigma :** Traditional gender roles and societal expectations often limit women's participation in agriculture and expose them to discrimination and harassment. Women in agriculture are at risk of gender-based violence, including sexual harassment, assault, and exploitation. Addressing gender-based violence in agricultural settings is essential for protecting women's rights, ensuring their safety and wellbeing, and enabling their full participation in agricultural development (Singh *et al.*, 2010).

Social stigma also restricts women from selling their produce in *mandis*, preventing them from securing

fair prices and hindering their economic empowerment. These stigmas can be reduced through strengthening women's leadership and expanding excess to education.

• **Finance and Technology :** Women farmers often lack access to credit, which limits their ability to invest in their farms and adopt sustainable practices. Providing financial services tailored to women's needs and promoting the use of appropriate technologies - such as groundnut decorticators, improved implements, and efficient tools - can increase women's productivity, reduce their workload and drudgery, and improve their resilience to climate change.

Despite these challenges, women are making remarkable strides in overcoming them. They have broken these barriers by forming cooperatives and networks, embracing technology and innovation, advocating for their rights and by leading roles showcasing their potential.

Imperatives for Empowerment of Women in Agriculture

Family culture, societal dynamics, and gender roles are all shaped by India's agricultural culture. Women, whether as subsistence farmers or wage workers, often suffer from poverty, marginalization, and gender inequality (Singh *et al.*, 2010). The contribution of women to Indian agriculture cannot be ignored, as they play a vital role in nation's prosperity. By recognizing their contributions, we can enable them to bring new life into agriculture. In spite of all the contributions they make, still suffer in a society dominated by men. They need to be provided with more employment opportunities and jobs. Women, like men, also depend on the agricultural sector for their income and spend long hours working in the fields. They have to struggle a lot to get credit or loans and are sometimes exploited in this process. Women face the additional burden of household work; they manage both home and fields with great diligence. Women find it difficult to migrate to cities as they have many responsibilities, and thus they agree to work in exchange for a handful of grains or peanuts under harsh and miserable conditions. The Late Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi rightly said, "We cannot ignore the importance of women who comprise half of our population. The upholder of tradition must also be ushered for modernity. We should look to science for greater social justice and equality of opportunity (Sharma, 2022).

The United Nations declared 2026 the **International Year of the Woman Farmer** (IWF 2026). The year will spotlight the essential roles women play across agrifood systems, from production to trade, while often going unrecognized. Women farmers play a pivotal role in ensuring food security, nutrition and economic resilience. IWF 2026 aims to raise awareness and catalyse actions to close gender gaps, address the systemic barriers women face and their livelihoods globally.

Women are crucial to sustainable development, as they are central to household management, resource use, and community resilience. Their empowerment through education, economic opportunity, and political participation leads to better health and education outcomes, greater climate change adaptation, and a more peaceful and prosperous society. Therefore, empowering women in agriculture will have far-reaching benefits - not just for women themselves, but for communities, economies, and the environment as a whole. These following are the key benefits -

• **Improved Livelihoods :** Empowering women in agriculture can lead to increased income and greater economic opportunities for women, and their families. This can contribute to poverty reduction and improved overall wellbeing.

• **Increased Food Security :** Studies have shown

that when women have access to resources and training, they can boost agricultural productivity by up to 20 per cent. This can significantly strengthen food security, particularly in developing countries.

• **Enhanced Nutrition :** As primary caregivers, women are central to household nutrition. With access to resources and nutritional knowledge, they are better equipped to choose and cultivate healthier foods, resulting in better health and nutritional outcomes for the entire family.

• **Sustainable Agriculture :** Women farmers are often more likely to adopt sustainable practices than their male counterparts as they have a vested interest in protecting the environment for future generations.

By working together, we can create a more equitable and sustainable food system where women have the opportunity to reach their full potential and contribute to a brighter future for all. Let us celebrate the vital role of women in agriculture and break down the barriers that hold them back.

Together, we can cultivate a more just and nourishing world.

Conclusion

Agriculture is a crucial sector for human survival, and women's contribution to agriculture is essential for sustaining life on our planet, *Mother Earth*. The farm woman is the backbone of agriculture, Growing food has been an integrated part of her life journey. No field operation is beyond her. She excels in sowing, transplanting, weeding and hoeing, nurturing crops, harvesting, winnowing, threshing, storing, rearing cattle, poultry and fish. In many of these operations, she is more efficient than man. However, women in agriculture face barriers, such as limited access to markets due to restricted mobility. Therefore, providing them with access to markets and market information can help increase their income, reduce their dependence on subsistence farming, and contribute to economic growth.

Empowering women in agriculture, promoting gender equity, and equality, and increasing women's leadership and innovation in the sector are crucial for achieving food security and sustainable development. Addressing gender inequality in agriculture requires global and local approaches involving policymakers, the private sector, civil society and women themselves. Promoting gender equity in agriculture can lead to climate resilience, poverty reduction, and the advancement of human rights. The way forward is to provide women with equal access to avenues for growth through social protection. Protecting women's rights in agricultural settings - specifically those related to land ownership, access to basic services and financial inclusion - is key to achieving the sustainable development goals and reducing poverty.

References :

Ball, J.A. (2020). Women Farmers in Developed Countries : A Literature Review. *Agriculture and Human Values*, Vol. 37(1):147-160.

FAO (2011). The State of Food and Agriculture 2010-2011 : Women in Agriculture, FAO, Rome.

Ghosh, M. and Ghosh, A. (2014). Analysis of Women Participation in Indian Agriculture. *IOSR J. Humanities & Social Sci.*, Vol. 19(5):1-6.

Goswami, C. (2013). Female Agricultural Workers in Assam : A Case Study of Darrang District. *Int. J. Scientific & Research Publications,* Vol. 3(2):1-5.

Jibran, Shahid and Khandelwal, Jyotsana (2019). Role of Women in Agriculture : A Study in Indian Context. *Int. J. Commerce and Business Management*, Vol. 12(2) : 73-76.

Mandal, M. (2013). The Role of Rural Women in Agriculture Sector of Sagar Island, West Bengal, India. *Int. J. Engg. & Sci.,* Vol. 2(2):81-86.

माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी छात्र–छात्राओं के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन

प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार उपाध्याय
निर्देशक
प्राचार्य (शिक्षा संकाय)
महाराजा विनायक ग्लोबल
विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

विमला यादव
शोधार्थी
महाराजा विनायक ग्लोबल
विश्वविद्यालय,जयपुर (राज.)

सारांश–

परिवार में बालक की अधिकांश शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है। बालक को केवल शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक एवं भावनात्मक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। उसे न केवल परिवार के प्रत्येक सदस्य के पूर्ण स्नेह की आवश्यकता होती है अपितु उसे अपने संवेगों के विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन के अधिकार की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होने पर बालक मानसिक रूप से अवसादग्रस्त अथवा कुंठित हो जाता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना अति–आवश्यक है। प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना। माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना। माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना। प्रस्तुत शोध कार्य में माध्यमिक स्तर के 400 विद्यार्थियों को यादृच्छिक विधि से चयन किया गया। दत्तों के विश्लेषण हेतु शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण कर टी–परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। शोध के निष्कर्ष में पाया कि माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर पाया गया। ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर पाये जाने का कारण शहरी छात्राओं को ग्रामीण छात्राओं की अपेक्षा उनके अभिभावकों द्वारा अधिक सुविधाएँ प्रदान करना है।

मुख्य शब्द– माध्यमिक, ग्रामीण तथा शहरी, पारिवारिक वातावरण

प्रस्तावना–

मानव के सर्वांगीण विकास का साधन शिक्षा है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली एक प्रक्रिया है यह व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करके उसका बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक समाज में या समूह में रहना पड़ता है। इसी कारण वह आदि काल से ही सामाजिक पर्यावरण के बीच रहता चला आ रहा है। सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को समाज के नियमों, मान्यताओं, आदर्शों और मूल्यों को स्वीकार करना पड़ता है और उन्हीं के अनुकूल आचरण करना पड़ता है। इन सबका ज्ञान व्यक्ति समाज में रहकर प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षा उसे अपने पारिवारिक, सामाजिक व पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायक होती है।

समस्या का औचित्य–

मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार के सभी स्तरों पर चाहे उन्हें उन्नत कहा जाये या निम्न किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्यतः पाया जाता है। यह भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान कर बालकों के समुचित लालन–पालन, समाजीकरण

और शिक्षण में सहायता देता है। पारिवारिक वातावरण ही बालकों की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देता है।

घर के वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के विकास के सभी स्तरों पर पड़ता है। इसलिए लॉरी कहा है कि "शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है।"

परिवार में बालक की अधिकांश शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है। बालक को केवल शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक एवं भावनात्मक सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। उसे न केवल परिवार के प्रत्येक सदस्य के पूर्ण स्नेह की आवश्यकता होती है अपितु उसे अपने संवेगों के विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन के अधिकार की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होने पर बालक मानसिक रूप से अवसादग्रस्त अथवा कुंठित हो जाता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना अति–आवश्यक है।

अतः शोधार्थी ने अपने शोध का विषय "माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी छात्र–छात्राओं के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन" चुना है। जो वर्तमान समय में औचित्यपूर्ण है।

समस्या कथन–

"माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी छात्र–छात्राओं के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन"

शोध के उद्देश्य–

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ–

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि–

प्रस्तुत शोध के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध में यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा अलवर व जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के 400 विद्यार्थियों को लिया गया है। जिसमें ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थी हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

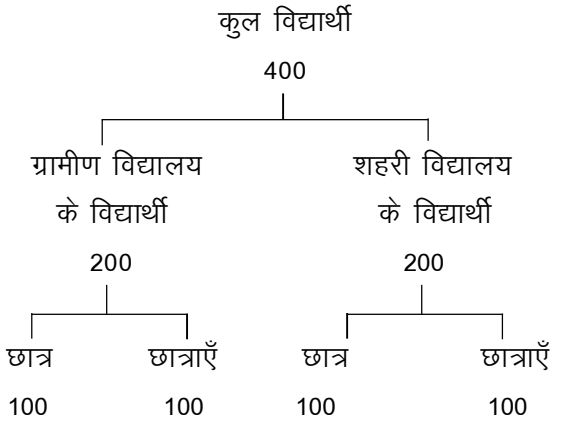

शोध के उपकरण–

प्रस्तुत शोध में मानकीकृत उपकरण करूणा शंकर मिश्र द्वारा निर्मित "गृह पर्यावरण मापनी" का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी–

प्रस्तुत शोध में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण–

परिकल्पना संख्या 1– माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.1

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–परीक्षण	स्वीकृत / अस्वीकृत
ग्रामीण विद्यार्थियों का पारिवारिक वातावरण	200	211.80	22.38	1.36	दोनों स्तर पर स्वीकृत
शहरी विद्यार्थियों का पारिवारिक वातावरण	200	214.73	20.74		

0.05 स्तर पर टी–मान = 1.97

स्वतंत्रता के अंश = 398

0.01 स्तर पर टी–मान = 2.59

तालिका संख्या 4.1 में स्वतंत्रता के अंश 398 पर टी का मान 1.36 प्राप्त हुआ। जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक टी–मान 1.97 एवं 2.59 से कम है। अतः परिकल्पना "माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" दोनों स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना संख्या 2– माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.2

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत
ग्रामीण छात्रों का पारिवारिक वातावरण	100	217.05	21.70	1.37	दोनों स्तर पर स्वीकृत
शहरी छात्रों का पारिवारिक वातावरण	100	213.14	18.51		

0.05 स्तर पर टी–मान = 1.97

स्वतंत्रता के अंश = 198

0.01 स्तर पर टी–मान = 2.60

तालिका संख्या 4.2 में स्वतंत्रता के अंश 198 पर टी का मान 1.37 प्राप्त हुआ। जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक टी–मान 1.97 एवं 2.60 से कम है। अतः परिकल्पना "माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" दोनों स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना संख्या 3– माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.3

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत
ग्रामीण छात्राओं का पारिवारिक वातावरण	100	206.54	21.91	3.09	दोनों स्तर पर अस्वीकृत
शहरी छात्राओं का पारिवारिक वातावरण	100	216.32	22.73		

0.05 स्तर पर टी–मान = 1.97

स्वतंत्रता के अंश = 198

0.01 स्तर पर टी–मान = 2.60

तालिका संख्या 4.3 में स्वतंत्रता के अंश 198 पर टी का मान 3.09 प्राप्त हुआ। जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक टी–मान 1.97 एवं 2.60 से अधिक है। अतः परिकल्पना "माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" दोनों स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

शोध से प्राप्त निष्कर्ष–

1. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
2. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
3. माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर पाया गया। ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं के पारिवारिक वातावरण में सार्थक अन्तर पाये जाने का कारण शहरी छात्राओं को ग्रामीण छात्राओं की अपेक्षा उनके अभिभावकों द्वारा अधिक सुविधाएँ प्रदान करना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

अरोडा, रीता एवं मारवाह सुदेश (2005) : ''शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी'', जयपुर, शिक्षा प्रकाशन।

ब्राडवे, के. पी. (1999) : द सोशल कम्पीटेंस ऑफ एडोलसेन्स चिल्ड्रन, नई दिल्ली, हारानन्द पलब्किेशन।

भार्गव, महेश (1993) : ''आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन'' द्वितीय संस्करण, आगरा, भार्गव बुक हाऊस।

कौल, लोकेश (2005) : मैथोडोलोजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस।

डी. एन. श्रीवास्तव : सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, आगरा, साहित्य प्रकाशन।

पाण्डेय, गणेश (2004) : ''सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी'', आगरा, राधा पब्लिकेशन।

विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के प्रति बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की जागरूकता का अध्ययन

डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव
प्राचार्य
आर. पी. एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
खोड़–अटेली मण्ड़ी

सुनेहरी बाई
सहायक आचार्य
आर. पी. एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
खोड़–अटेली मण्ड़ी

सारांश

मानव एक विवेकशील प्राणी है। अपनी क्रियाओं द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है। उसका ज्ञान उचित है या नहीं इसके लिए वो अपने प्रयासों से छानबीन, खोज एवं शोधकार्य करके अपने ज्ञान की पुष्टि करता है। प्रत्येक शोधकार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्यों को निर्धारित किये बिना किया गया कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक दीवार। अतः जिस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता, उसी के आधार पर दत्तों का संकलन करके विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। शोधकर्ता ने उक्त शोधकार्य में आत्मरक्षा व जागरूकता पर अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला की आज के समय में आत्मरक्षा व जागरूकता के प्रति समाज कॉफी सजग है

प्रस्तावना :–

महिला और पुरूष समाज के अभिन्न अंग है। दोनों समाज रूपी गाड़ी के दो पहिये है। यदि एक पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी रूक सकती है। सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में समतामूलक समाज की स्थापना का प्रयास अधूरा रह सकता है। कन्या बचाओ, महिला उत्पीड़न, जात–पात, भेदभाव सहित सामाजिक मुद्दों पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1999 से प्रयास कर लोगों की संवेदनाओं को झकझोर कर समाज में समता लाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रहे है वर्ष 2003 से भ्रूण हत्या और महिला उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। वर्ष 2010 में संकल्प उठाओ बेटी बचाओ अभियान और महिला उत्पीड़न के खिलाफ जिले में मुहिम चलाकर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया।

शिक्षा मानव समाज को एक सामाजिक प्राणी बनाकर सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तान्तरित करने के योग्य बनाती है। शिक्षा द्वारा ही बालक का सर्वागीण विकास होता हैं वह अपना व्यक्तिगत जीवन सुखमय बनाता है और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए राष्ट्र को विकास में सहयोग देता है।

एक राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों पर निर्भर है, जैसा कि सर्वविदित है कि आज का बालक देश का भावी नागरिक है। जिसे समाज ही पूर्ण रूप से तैयार करता है। इसलिए आवश्यक है कि हमारे भावी नागरिक योग्य कुशल एवं आदर्श व्यक्तित्व लिए हो। बालक के ये सभी व्यावहारिक पक्ष तभी विकसित हो सकते है, जबकि वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने लायक बना सके।

महिला सशक्तिकरण –

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। इसमें अक्सर सशक्तीकरण महिलाओं द्वारा अपनी क्षमता के दायरे में विश्वास का निर्माण शामिल होता है। सशक्तीकरण सम्भवतः निम्नलिखित या इसी प्रकार की क्षमाताओं को मिलाकर है –

1. स्वयं द्वारा निर्णय लेने की शक्ति होना।
2. उचित निर्णय लेने के लिए जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता हो।

महिलाओं के साथ हिंसा के कई रूप हैं। शारीरिक हिंसा जैसे मारपीट, बाहर आने जाने खान पान पर नियंत्रण, काम का बोझ आदि। यौन हिंसा में छेड़छाड़, छींटाकशी, अभद्र शारीरिक व्यवहार, मौखिक व्यवहार, हत्या, मखोल, बलात्कार, यौन शोषण व वैवाहिक बलात्कार सम्मिलित है। इसके अलावा हिंसा मानसिक भी होती है जिसमें औरत को कमतरीका अहसास कराना, ताने कसना, गाली–गलौज, मानसिक तकलीफ देना, बच्चों पर हिंसा के जरीये मानसिक दबाव शामिल की जाते हैं। महिलाओं पर हिंसा घर की चारदीवारी के अंदर व सार्वजनिक स्थानों दोनों पर होती है। हालांकि हम सब को यह बताया जाता है कि औरत के लिए घर सबसे सुरक्षित है, पर सच्चाई है कि औरतों पर सबसे ज्यादा हिंसा की वारदातें घर के अंदर सगे–संबंधियों व दोस्त– जानकारों द्वारा की जाती है।

अब सवाल यह उठता है कि औरतों पर हिंसा क्यों होती है? सबसे पहला और अहम जवाब है औरतों पर हिंसा एक ढांचागत प्रक्रिया है। इसके पीछे हैं– समाज के पितृ सत्तात्मक सोच, जो महिलाओं को कमजोर, कमतर व दोयम दर्जे के नागरिक मानती हैं। इस सोच के अनुसार समाज में पुरुषों का दर्जा उच्च हैं। उन्हें अधिकार है कि वह औरतों को अपने काबू में रखें। पितृ सत्तात्मक समाज में हिंसा महिलाओं पर नियंत्रण रखने का एक हथियार है। डराना, धमकाना ,मारपीट बेइज्जती, खाना ना देना और ना जाने कितने ही तरीके से महिलाओं को दबाने और उन्हें "लाइन पर लाने के लिए" इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस पितृ सत्ता के ढांचे में इस हिंसा को जायज माना जाता हैं। यह भी देखा गया है कि आजकल औरतों का लड़कियों पर बढ़ती हिंसा का एक और कारण है– लड़कियों की बढ़ती हुई ख्वाहिशें। आज लड़कियां समाज द्वारा बनाए गए कानूनो पर बिना सोचे समझे, बगैर सवाल उठाए चलने को तैयार नहीं है। वह अपने सपने, अपनी काबिलियत और अपने हुनर के बल पर लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वह केवल अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी, कुशल मां की भूमिका से संतुष्ट नहीं है। यही सोच पुरुष प्रधान समाज को रास नहीं आती। औरत को वापस घर की दहलीज के भीतर धकेलने के लिए हिंसा का पितृसत्तात्मक हथियार इस्तेमाल किया जाता है।

शोध का औचित्यः –

आज की दुनिया कुल मिलकार अपेक्षाकृत तेजी से बदलती हुई दुनिया है, और यह बदलाव कई दिशाओं में चल रहा है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो भारत की स्वतन्त्रता के बाद से होने वाले सबसे अधिक सारभूत और उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक है नारी–समाज की आपेक्षिक मुक्ति – घरों की चारदीवारियों से निकलकर उसका बाहरी दुनिया की हलचल में शामिल होना।लगभग पचास वर्षों में भारत में जो भारी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उसने यहां की पूरी आबादी प्रभावित हुई है, किन्तु समाज के कतिपय वर्गों पर उनका शासन अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक हुआ है। शहरों में रहने वाले मध्यवित वर्ग के शिक्षित लोगों के बीच इन परिवर्तनों ने पुरूषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित किया है। खासकर स्वतन्त्रता के बाद की बदली हुई सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है और इन नई हालतों के फलस्वरूप इनके लिए अपनी समानता की अभिव्यक्ति और उसकी प्रतिष्ठा के नये रास्ते खुल गये हैं। इस बात की पूरी सम्भावना है कि उन्हें जो नई राजनीतिक–कानूनी सुविधाएँ दी गई हैं वे तथा उपर्युक्त बदली हुई परिस्थितियों, उनकी भावनाओं, विचारों और विवाह, प्रेम तथा यौन–सम्बन्ध आदि जीवन के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के प्रति उनके दृष्टिकोणों को प्रभावित करें।

वर्तमान युग आधुनिकरण एवं वैज्ञानिक प्रगति का युग है। इस युग में मानव की भौतिक सुविधाओं में अपार वृद्धि कर दी हैं, इस कारण वर्तमान युग को भौतिकवादी संस्तिक भी कहा जाता है। इस युग में प्रत्येक वस्तु को

बाजार में ला खड़ा किया है तथा इसी का दुष्परिणाम है कि आज नारी गरिमा का पतन परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि पितृ सत्तात्मक समाज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि उसके अधीन रहने वाली नारी सशक्त होकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले। वह नारी को हतोत्साहित करने हेतु उस पर विभिन्न प्रकार के हमले कर रहा है। उन हमलों में सबसे गंभीर हमला हे यौन हमला। जिसमें या तो नारी की अस्मत जाती है या फिर प्राण जाते हैं। या फिर कभी कभी नारी को दोनों से ही हाथ धोना पड़ता है। अतः अब यह अवश्य हो गया है की छात्राओं को आत्मरक्षा परीक्षण अनिवार्य व आवश्यक रूप से प्रदान किया जाए। जिससे वह ना केवल अपनी रक्षा कर सके अपितु कुंठित मानसिकता को भी परास्त कर सके।

महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं? सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से हैं जिससे उसमें योग्यता आ जाती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं कर सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता खुद हो।

नारी सशक्तिकरण के बारे में एक प्रश्न यह उठता है कि क्या महिलाएं सचमुच में मजबूत बनी है? और क्या अब उसका लंबे समय का संघर्ष खत्म हो चुका है? राष्ट्र के विकास में महिलाओं की सच्ची महत्ता और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आदी जैसे कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असामानता है। जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएं सबसे अव्वल हैं। एक नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले ले सके।

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा पास किए गए कुछ अधिनियम–

– बराबर पारिश्रमिक एक्ट, 1976
– दहेज रोक अधिनियम, 1961
– अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956
– मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 2006
– लिंग परीक्षण तकनीक नियंत्रक व रोकथाम एक्ट, 1994
– कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, 2013

इन सभी बातों पर विचार करने के बाद यह लगता है कि यदि निम्न उपायों को अपनाया जाए तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों में अवश्य ही कमी आएगी–

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दावली–

1. बी.एड. प्रशिक्षणार्थी – बी.एड. प्रशिक्षणार्थी वह प्रशिक्षणार्थी होते है जो दूसरे बच्चों को पढ़ने हेतु प्रशिक्षण लेते है।

2. आत्मरक्षा–आत्मरक्षा का तात्पर्य दूसरों के द्वारा किए गए घातक हमले या बोल प्रयोग के प्रतिउत्तर में स्वयं का बचाव करने हेतु किया गया प्रयास हैं। कानूनी रूप से खतरे के समय अपनी जान बचाने के लिए बल प्रयोग को आत्मरक्षा कहा गया है

3. जागरूकता–प्रस्तुत लधुशोध में जागरुकता से तात्पर्य किसी भी समस्या व विषय के प्रति जानकारी व चेतना का सकारात्मक व ज्ञानात्मक भाव है।

शोध कार्य के उद्देश्य–

– बी.एड. विद्यार्थियों की जागरूकता का अध्ययन करना।
– बी.एड. विद्यार्थियों की सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का अध्ययन करना।
– विषय की गंभीरता तथा अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए विषय का अध्ययन।

शोध की परिकल्पनाएं–

– बी.एड. विद्यार्थियों की जरूरत की जागरूकता का अध्ययन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

– बी.एड. विद्यार्थियों की सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का अध्ययन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श–

बी.एड. प्रशिक्षणार्थी

60

अनुसंधान की विधि–

सर्वेक्षण विधि प्रयोग की गई है।

शोध के उपकरण–

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने अपने शोध कार्य से संबंधित विस्तृत एवं उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु स्व निर्मित प्रश्नावली को उपकरण के रूप में चयन किया है।

शोध का परिसीमांकन–

– प्रस्तुत शोध अध्यन बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों पर अध्ययनरत छात्राओं तक सीमित है।

– प्रस्तुत शोध में दो बी.एड. कॉलेजों को सम्मिलित किए गए हैं।

– प्रस्तुत शोध अध्यन में केवल जयपुर जिले में अध्ययनरत छात्राओं तक सीमित है।

शोध में प्रयुक्त साख्यिकी विधियां–

1. मध्यमान 2. मानक विचलन 3. टी परीक्षण

आंकडो का वर्गीकरण विश्लेषण एवं व्याख्याँ :–

परिकल्पना –1

बी.एड. विद्यार्थियों की जरूरत की जागरूकता का अध्ययन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका–1

Sr. No.	समुह	न्यादर्श	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
1	कॉलेज प्रथम की छात्राएँ	30	50	2.15		0.05-2.00
2	कॉलेज द्वितीय की छात्राएँ	30	56	3.54	0.79	0.01-2.66

Df= n1+n2-2

Df = 30+30-2

Df=58

व्याख्या एवं विश्लेषण–उपरोक्त सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कॉलेज प्रथम व द्वितीय की माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 50 तथा 56 है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमशः 2.15 तथा 3.54 है ।

मध्यमानो के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु कॉलेज प्रथम व कॉलेज द्वितीय की बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों पर अध्ययनरत छात्राओं में महिला आत्मरक्षा के प्रति जागरुकता का टी मूल्य प्राप्त हुआ जो कि सारणी के 58 स्वतन्त्रता के अंश अंशु हेतु 0.05 की सार्थकता का स्तर 2.00 तथा 0.01 की सार्थकता स्तर 2.66 से कम है ।

अतः कॉलेज प्रथम व कॉलेज द्वितीय की बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में महिला आत्मरक्षा के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है। अतः यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना–1

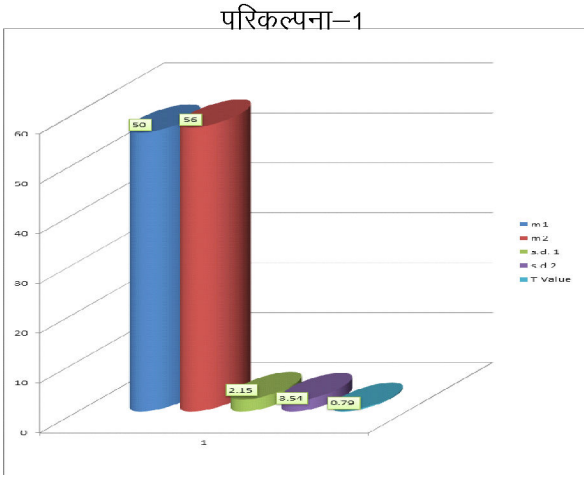

परिकल्पना –2

बी.एड. विद्यार्थियों की सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का अध्ययन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका–2

Sr. No.	समुह	न्यादर्श	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
1	कॉलेज प्रथम की छात्रा	15	55	3.00	1.12	0.05-2.00
2	कॉलेज द्वितीय की छात्रा	15	50	3.31		0.01-2.66

Df= n1+n2-2

Df = 15+15-2

Df=28

व्याख्या एवं विश्लेषण– उपरोक्त सारणी के विवेचन से ज्ञात होता है कि कॉलेज प्रथम व कॉलेज द्वितीय पर अध्ययनरत छात्राओं के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 55 तथा 50 प्राप्त हुआ तथा प्रमाप विचलन क्रमशः 3.00 तथा 3.31 प्राप्त हुआ ।

मध्यमान के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कॉलेज प्रथम व कॉलेज द्वितीय पर अध्ययनरत छात्राओं में महिला आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता का टी मूल्य 1.12 प्राप्त हुआ जो सारणी 28 के स्वतंत्रता के अंश हेतु 0.05 की सार्थकता स्तर 2.00 तथा 0.01 की सार्थकता स्तर 2.66 से कम है।

अतः परिकल्पना कॉलेज प्रथम व कॉलेज द्वितीय पर अध्यनरत छात्राओं में महिला आत्मरक्षा के प्रति जागरुकता में सार्थक अंतर नहीं है । अतः यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना–2

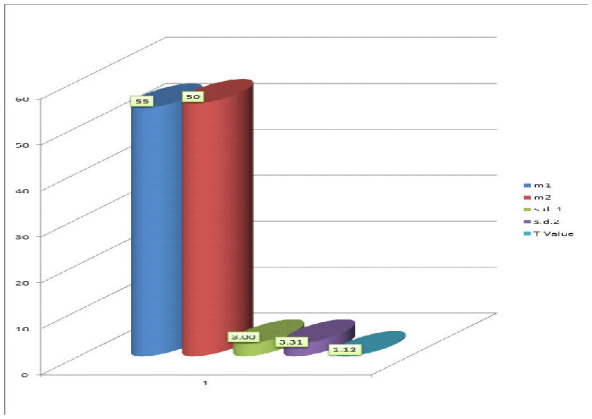

निष्कर्ष

मानव एक विवेकशील प्राणी है। अपनी क्रियाओं द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य होता है। उसका ज्ञान उचित है या नहीं इसके लिए वो अपने प्रयासों से छानबीन, खोज एवं शोधकार्य करके अपने ज्ञान की पुष्टि करता है। प्रत्येक शोधकार्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्यों को निर्धारित किये बिना किया गया कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक दीवार। अतः जिस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता, उसी के आधार पर दत्तों का संकलन करके विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। परन्तु अनुसंधान का कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता। केवल तथ्यों का विश्लेषण करने से शोधकर्ता अपने अनुंसधान से सम्बन्धित परिकल्पनाओं का मूल्यांकन नहीं कर सकता। अतः परिकल्पनाओं का मूल्यांकन करने के बाद ही वह किसी निश्कर्ष पर पहुँच सकता है। एक अच्छा शोधकर्ता वही है, जो अपने अध्ययन के निर्धारित उद्देश्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत करे। वस्तुतः 21वीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस में महिलाओं की क्षमता और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरुक बनाने के प्रयास किए गए। 2001 में प्रथम बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई, जिससे देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताएं निर्धारित किया जाना संभव हो सके।

संदर्भ ग्रथ सूची

– अस्थाना बी., एंव अस्थाना एस. (2005), मनोविज्ञान और शिक्षा मे मापन एवं मुल्यांकन आगरा विनोद प्रस्तक मन्दिर.

– अरोडा आर. एंव मारवाह एस. (2005)– मनोविज्ञान एंव सांख्यिकी जयपुर शिक्षा प्रकाशन

– भटनागर ए.बी. एंव भटनागर एम. (2007)– मनोविज्ञान एंव शिक्षा मे मापन एंव मुल्यांकन. मेरठः आर.लाल बुक डिपो

– लाल,आर.बी. एंव पलोड एस. (2007)– उदीयमान भारतीय समाज मे शिक्षा मेरठ आर.लाल बुक डिपो

– लाल एंव जोशी, एस.सी. (2008)– शिक्षा मनोविज्ञान एंव प्रारम्भिक सांख्यिकी, मेरठ आर.लाल बुक डिपो

– लाल आर.बी. एंव मल्होत्रा,एन. (2008)– उदीयमान भारतीय समाज मे शिक्षा ,मेरठ आर.लाल बुक डिपो.

आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 'नारी शक्ति' की भूमिका का अध्ययन

डॉ. गोपाल प्रसाद पाठक
सहायक आचार्य, शिक्षा
श्री जैन शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय
अलवर (राज.)
मो. 9602504578

सारांशः किसी भी देश व समाज का उत्थान एवं पतन नारी समाज पर अवलम्बित है। पिछली सदियों में जो बेड़ियॉ नारी को जकड़े हुए थीं उन्हें छोड़कर वह अपनी नई पहचान बनाने में जुटी है। शिक्षा, खेल, शासन, प्रशासन, कला, विज्ञान, शोध एवं राजनीति के हर क्षेत्र में वह प्रवेश पा चुकी है। सुन्दरता, भाव–संवेदना, सेवा – साधना परमार्थ– परायणता, सहयोग एवं पत्रकारिता आदि गुण जो नारी में हैं, वे समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आधार है।

सृष्टि की रचयिता है नारी, ममता की निर्झर स्त्रोत है नारी।

शक्ति–स्वरूपा है नारी, धीरज की मूरत है नारी ।।

एक दार्शनिक ने कहा है– तारे आकाश की कविता है और नारी धरती की कविता। लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि एक तरफ जहॉ नई सहस्त्राब्दी में नारी की एक सक्षम, सबल छवि उभर रही है, देवी की आराधना की जाती है। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की निकृष्ट सोच के ऊपर इस तरह हावी है कि नारी को उपेक्षा व तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। पुत्री के जन्म पर शोक, कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं से भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भेदभाव, महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा देना, दहेज के विकराल जाल में नारियों का पिसना, छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घटनाएँ एवं अपराध होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जागरूक महिलाएँ नारी–जाति के उत्थान के लिए आगे बढ़कर कार्य करें। जिससे नारी अपना सम्मान अक्षुण्ण रखना सीख जाए। जागृत नारी समाज ही नहीं राष्ट्र की जीवन ज्योति है। आज की नारी सुषुप्तावस्था में नहीं है। यदि वैष्ठिक प्रयास हों तो वह अपना तेजस्वी स्वरूप दिखा देगी। जब–जब अवसर मिला है, उसने यह कर भी दिखाया है। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी गढ़ दिए, रत्नावली ने राम बोला को तुलसीदास कर दिया। झॉसी की रानी ने रणभूमि में जौहर दिखाकर तथा पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर इतिहास रचा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहॉ महिलाओं ने अपनी सफलता के झंडे गाढ़े हैं। बस आवश्यकता है नारियों का मार्गदर्शन करने की उन्हें शिक्षा, सम्मान प्रदान कर आत्मबल सम्पन्न बनाने की।

संसार में यह देखा जा सकता है कि छोटा दीपक जलता है तो हवा का झोंका उसे बुझा देता है और कहीं आग लगी हो उस समय ऑधी आ जाए तो अग्नि प्रचंड हो जाती है। इसलिए देश की शिक्षित एवं जागरूक बहनों। आगे बढ़ो और सावित्री बाई फुले एवं दुर्गाबाई देशमुख की तरह समर्पण भावना से नारी जाति का उत्थान करो ताकि प्रत्येक नारी सक्रियता दिखाए तथा भविष्य की नई पीढ़ियों को संचेतना एवं विकास की राह प्रशस्त कर देश के उत्थान में भागीदारी सुनिश्चित करें। नारी जागृति के लिए एक संदेश–

"अदम्य साहस दृढ़ निश्चय लेकर, कदम से कदम मिलाए जा।
देश तो क्या दुनियॉ बदलेगी, हौंसले अपने बुलन्द किए जा।।" 1

अतः प्रस्तुत शोध आलेख में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारीशक्ति की भूमिका के अध्ययन को जानने का प्रयास किया गया है।

(2) मुख्य शब्दावली: आज, वर्तमान, परिप्रेक्ष्य, नारी शक्ति, भूमिका, अध्ययन।

(3) प्रस्तावना: नारी इस संसार में ईश्वर की अनुपम कृति है जो कला, साहित्य और समाज का गहन विषय है। नारी के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नारी प्रेम, दया, कोमलता, पवित्रता, मधुरिमा आदि दिव्य गुणों की खान है जिसके अनेक स्वरूप होते हैं। तभी तो कहा गया है कि–

सर्जन, शक्ति का पर्याय है नारी,
त्याग, समर्पण की मिसाल हे नारी।
मॉ, बहिन और पत्नी भी है नारी,
इस दुनियॉ में बेमिसाल है नारी।।

इतिहास गवाह रहा है कि प्रत्येक युग में नारी वंदनीय एवं पूजनीय रही है। आज के आधुनिक परिवेश में नारी ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराके दिखाया है। महिलाओं को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने हेतु हर साल 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाने का रिवाज करीब सौ साल पुराना है। सन् 1909 में 28 फरवरी को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने की घोषणा की गई। सन् 1913 में भारतीय शासन ने 8 मार्च को सदा के लिए महिला दिवस की तारीख निश्चित कर दी। विश्व स्तर पर महिलाओं के महत्व को स्वीकारते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को महिला वर्ष घोषित किया था। भारतीय महिला सृष्टि के आरम्भ से ही अनन्त गुणों की प्रतिमूर्ति रही है। जिस घर में सद्गुण सम्पन्न महिला सुखपूर्वक निवास करती है, सैकडों देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते। नारी दया, प्रेम, ममता ओर सहिष्णुता की पवित्र मूर्ति है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। भारत में जहॉ सीता, सावित्री, गार्गी मैत्रेयी, अपाला, घोषा आदि विदुषी एवं महान नारियों ने अपने कामों की एक अद्भुत मिसाल कायम की तथा इस राष्ट्र को विभूषित किया है। वहीं दूसरी ओर मातृभूमि की रक्षा की खातिर राष्ट्र पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाली लक्ष्मीाबाई, अवंतीबाई, दुर्गावती एवं झलकारीबाई के अद्भुत बलिदान, शौर्य, साहस एवं बहादुरी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। निश्चित ही नारी इस सृष्टि की सबसे सुन्दर कृति तो है ही साथ ही एक समर्थ अस्तित्व भी है। नारी घर, समाज और राष्ट्र का आदर्श है। कोई भी पुण्य कार्य यज्ञ, अनुष्ठान, निर्माण आदि नारी के बिना पूर्ण नहीं होते है। सशक्त नारी सशक्त समाज की आधारशिला है। सती, सावित्री और सीता, इंदिरा और लक्ष्मीबाई हूॅ। देश पर मर मिटने वाली दुर्गावती और अवंतीबाई हूॅ।। 2

(4) नारी की स्थिति: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एनीबेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुभद्रा कुमारी चौहान और कस्तूरबा गॉधी अनेक विदुषी नारियों ने तन–मन–धन से सहयोग किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों के ऐसे साहस भरे हौंसले को देखकर राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने कहा था कि यदि भारत की नारी इस तरह सचेत और जागरूक हो जाये तो कोई भी शक्ति राष्ट्र को स्वतंत्र होने से बिलकुल भी नहीं रोक पायेगी। नारी सिर्फ घर की ही शोभा नहीं है,उसने समय–समय पर घर की दहलीज से बाहर निकलकर देश और समाज के हित में विभिन्न प्रकार के आवश्यक महत्वपूर्ण काम किये हैं। नारी सृष्टि का उत्सव, इंसान की जननी, बच्चे की प्रथम गुरू और पुरूष की प्रेरणा शक्ति होती है। कहा भी गया है कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मध्यकाल में जहॉ जीजाबाई एवं रानी अहिल्याबाई ने न्यायप्रियता एवं कुशल प्रशासन का परिचय दिया है। वहीं साहित्य के क्षेत्र में सभद्रा कुमारी चौहान,मीराबाई और महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना जागृत की थी तथा राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी से लोगों के दिल में स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न किया था।

नारी ईश्वर और प्रकृति के प्रेमपूर्ण अनुबन्ध का नाम है। नारी के बिना इंसान अधूरा है, इसके बिना कोई भी मंगलकार्य पूरा नहीं माना जाता। आज के आधुनिक परिवेश में नारी ने बहुत ही तेजी के साथ प्रगति पथ पर अपने कदम बढ़ाए हैं। आज वह प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। खेलों की दुनियॉ में जहॉ एक तरफ सानिया मिर्जा ने बहुत ही थोड़े समय में नारी खेल प्रतिभा के रूप में ख्याति प्राप्त की है। वहीं दूसरी और किरन बेदी जैसी सुदृढ़ एवं सशक्त नारी ने एक लम्बे वक्त तक पुलिस अधिकारी के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा की कमान संभालकर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया था। राजनैतिक जगत की आंधी और लौह नारी श्रीमती इंदिरा गांधी को कौन नही जानता जिन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता बेहद लगन निष्ठा और मधुर स्वभाव की वजह से देश एवं विदेशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और अनेक सालों तक निष्ठापूर्वक इस राष्ट्र की प्रशासनिक बागडोर की जिम्मेदारी को संभाले रखा और एक प्रिय नेता के रूप में उभरकर सामने आईं। नारी चाहे तो घर संसार को स्वर्ग बना दे चाहे तो नरक। नारी को लक्ष्मी का रूप कहना गलत न होगा। वह गृहस्थ धर्म का पालन बहुत ही चतुराई से करती है। विभिन्न क्षेत्रों की कामयाबी की गाथाओं के बावजूद स्त्री महज, प्रतिभा रूप में ही पूजी जाती है। मर्दों की आधिपत्य वाली दुनियां में जीती जागती नारी को आधे से भी कम जगह मयसर होती रही है। इन हालातों में रातों–रात किसी आमूल चूल परिवर्तन की कल्पना करना हालांकि अब भी किसी सपने से कम नहीं है। परन्तु धीरे–धीरे औरतों की दुनिया में एक ठोस परिवर्तन आ रहा है। जिसकी अनदेखी बहुत दिनों तक शायद नहीं की जा सकती। इसी का नतीजा है कि जहॉ एक ओर नारी को नुमाइश और भोग की वस्तु के रूप में दिखाने का उपक्रम इतनी आक्रामकता से चल रहा है वहीं दूसरी और आज की भारतीय नारी गर्व और स्वाभिमान से उठ खड़े होने की क्षमता दिखा रही है। आज घर से बाहर निकलकर जहॉ नारी ने समाज एवं राष्ट्र हित में अपना योगदान निभाया है, वहीं उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर और हिमाचल की चोटी को फतह करके अद्‌भुत नारी कौशल की मिसाल पेश की है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखने वाली कल्पना चावला के पश्चात सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में छः महीने तक रहने की घोषणा करके अदम्य नारी शक्ति का परिचय दिया है। विगत सालों में जहॉ श्रीमती प्रतिभा पाटिल के रूप में एक नारी ही इस राष्ट्र में राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च प्रशासनिक पद की कमान संभाल चुकी हैं। नारी आज मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को सिद्व कर रही है। स्त्री के गर्भ से ही संसार की महान विभूतियॉ राम, कृष्ण, अर्जुन, एकलव्य, विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। किसी भी समाज का स्वरूप वहॉ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ और सम्मानजनक है तो समाज भी सुदृढ़ एवं मजबूत होगा। नारी में जहॉ एक तरफ प्रेम, करूणा, दया, संवेदनशीलता, भावुकता, कोमलता एवं सेवा की भावना है, वहीं दूसरी ओर वह समर्पण, त्याग एवं वीरता की प्रतिमूर्ति भी है। वह एक चंचल नदी के समान ईर्ष्या, राग एवं द्वेष रूपी कीचड़ को दूर कर निर्मल पवित्र सी आगे बढ़ती ही जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान एवं महादेवी वर्मा जैसी कवयित्रियों ने देश–प्रेम से ओत–प्रोत रचनाओं से लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाया था। आज हमारे समाज में महिला साक्षरता में आशा से अधिक वृद्वि हुई है। आज नारी अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागृत भी हुई है। लेकिन दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, जैसी बुराईयां आज समाज में सुरसा के मुंह की तरह तेजी से बढ़ती ही जा रही हैं। बच्चे की पहली पाठशाला उसकी मॉ होती है। मॉ के द्वारा ही बच्चे में अच्छे और बुरे संस्कार पड़ते है। नारी में असीम शक्ति है। सच ही कहा गया है कि जहॉ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान किया जाता है वह घर, समाज एवं राष्ट्र हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। आज की भारतीय नारी मर्दों के आधिपत्य वाली दुनियां में अपने अस्तित्व को एक नया रूप दे रही

है। आज नारी एक नई शक्ति के रूप में उभरकर हमारे सामने आ रही हैं। जरूरत इस बात की जब नारी पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है तब पुरूषों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे घर के कार्यों में उनकी सहायता करें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बेटा जहॉ सिर्फ एक परिवार को चलाता है बेटियॉ ंतो दो परिवारों को चलाने का दायित्व अदा कर रही हैं। विवाह के पश्चात भी वे अपने माता–पिता की चिंता से अलग नहीं होती हैं। तब बेटी के जन्म से परहेज क्यों ? यह परिवर्तन करेगा कौन ? निःसंदेह हमको ही लड़का और लड़की के बीच की इस खाई को पाटना होगा। अतः हम सभी को मजबूती के साथ लड़का–लड़की में अन्तर वाली विचार–धारा का समूल नाश करना ही होगा। यदि हमने ऐसा करके दिखा दिया तो सच्चे मायनों में महिला सशक्तिकरण की परिभाषा पूर्ण रूप से सार्थक हो जायेगी।

एक कदम जो मेरा बढाओगे,
दस कदम स्वयं ही बढा लूंगी मैं।
प्रोत्साहन और सहयोग जो दोगे,
अंतरिक्ष छूकर दिखा दूंगी मैं।। 3

(5) उपसंहारः प्रस्तुत शोध आलेख को लेखक द्वारा किए गए शोध को आधार बनाकर लिखा गया है जो दर्शाता है कि नारी सम्पूर्ण राष्ट्र की धुरी होती है। इसी के इर्द–गिर्द पूरी दुनियां चक्कर लगाती है लेकिन आज के आधुनिक परिवेश में नारी की क्रांति को देखकर तो यही प्रतीत होता है कि उसने आज सब कुछ उलट–पलट कर रख दिया है। आजादी में जीना भला कौन नहीं जानता परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम अपनी सारी मान–मर्यादाओं को खो बैठे। नारी प्रेम और करूणा की मूर्ति है। नारी सृष्टि का आधार है। वह जननी है, धारणी है, भरिणी है। इसलिए नारी का आदर करो क्यों कि वह वंदनीय है, पूज्यनीय है, स्मरणीय है इसलिए हम सभी को नारी के महत्व को पहचानना होगा। तभी हम सृष्टि पर पूर्ण जीवन की कामना कर सकते हैं। मैं इस लेख के माध्यम से समस्त नारी समाज से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने स्वरूप को पहचानते हुए ही आचरण करें फिर देखिए जीत आपकी ही होगी। 4

इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराके दिखाया है। आज की नारी अबला न होकर सबला हो गयी है। अर्थात आज की नारी पूर्ण रूप से आत्म निर्भर नारी बन गयी है। इस क्रांति को देखकर तो यही लगता है कि 21वीं सदी "नारी शक्ति" का ही समय होगा।

आज नारी ने शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, साहित्य लेखन, शोध, पत्रकारिता, राजनीति, विधि, चिकित्सा,सामाजिक सुधार, उद्यमिता, खेलकूद, संस्कृति, कला, शासन–प्रशासन अर्थात ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहा। नारी ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। वास्तव में "नारी शक्ति" महान है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बालिका शिक्षा व महिला उत्थान में जागरूक नारी की भूमिका, राजरानी, जी.यू.पी.एस. चौकी शेख सराय, अस्तित्व स्मारिका, अध्यापिका मंच, उमरैण, (अलवर), 2014–15 पृष्ठ सं.– 21–22

2. "वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी की भूमिका", डॉ.गोपाल प्रसाद 'पाठक', सृजन की संवाहक पंखुड़ी त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष–17, अंकः 06, अप्रैल–जून 2024, पृष्ठ सं.–11

3. "वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी की भूमिका", डॉ.गोपाल प्रसाद 'पाठक', सृजन की संवाहक पंखुड़ी त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष–17, अंकः 06, अप्रैल–जून 2024, पृष्ठ सं.–12

4. "वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी की भूमिका", डॉ.गोपाल प्रसाद 'पाठक', सृजन की संवाहक पंखुड़ी त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष–17, अंकः 06, अप्रैल–जून 2024, पृष्ठ सं.–13

देश की आधी आबादी : नारी शक्ति का राजनीति के क्षेत्र में योगदान

पुनम बाला
शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान
आर. एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर
मो. 6377880820
ई–मेल : punab.bala2025@mbglobal.ac

भारत में महिलाएँ देश की लगभग आधी आबादी हैं इसलिए उनका राजनीति में सक्रिय होना लोकतंत्र की मजबूती का आधार है । राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है । जब राजनीति में महिलाओ का प्रतिनिधित्व बढता है तो निर्णय निमार्ण अधिक संवदेनशील समावेशी ओर समाज उपयोगी बनता है । पिछले वर्षो मे भारत में नारी नेतृत्व ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है ।

1.राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की राजनतिक भागीदारी – पिछले कुछ वर्षो में भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है। 73वा ओर 74वा संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायतों ओर नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया जिसके तहत आज देश में 14 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि नेतृत्व संभाल रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सरंपचों ने विकास के नये आयाम स्थापित कियें है।

उदाहरण – छत्तीसगढ की मुक्ता देवगण ने सरपंच के रूप में अपने गांव में स्वच्छ पानी की समस्या हल की ओर महिलाओं के लिए सिलाई केन्द्र खोलकर स्वरोजगार बढाया ।

2. राजस्थान की छबीला देवी ने पंचायत में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्ट्रीट लाईट ओर सीसीटीवी लगाने का अभियान चलाया ।

3. केरल की महिला प्रतिनिधियों ने स्वाधाय और शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मॉडल तेयार कर अन्य राज्यों के लिये प्रेरणा दी ।

राष्ट्रीय राजनीति में नारी नेतृत्व – राष्ट्रीय स्तर पर भी कई महिलाए प्रतिष्ठित पदों पर कार्य कर चुकी हैं । स्वगीय इंदिरा गाधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी । सुषमा स्वराज–विदेश मंत्री के रूप में, द्रोपदी मुर्मु – भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, आदिवासी महिलाओं के नेर्तत्व का सशक्त उदाहरण है। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और ममता बनर्जी जेसी महिलाएँ अर्थव्यवस्था, रक्षा और राज्य स्तरीय प्रशासन में प्रभारी नेतृत्व निभा रही है।

नारी नेतृत्व का प्रभाव – महिलाएँ सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थय, पोषण, जलसंरक्षण, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जेसे मुददों पर अधिक ध्यान देती है। उनकी नेतृत्व में लिए गए निर्णय समाज को संतुलन और संवेदनशीलता प्रदान करते है। शोध से यह भी साबित हुआ है कि महिला प्रतिनिधियों के क्षेत्र में शिक्षा दर, स्वछता, पेयजल, पोषण और सुरक्षा जेसी सुविधाओं में अधिक सुधार होता है ।

चुनौतिया – फिर भी राजनीति में महिलाए कई बाधाओं का सामना करती हे

1. सामाजिक रूढिया
2. आर्थिक निर्भरता
3. राजनीतिक दलों में टिकट का अभाव
4. हिंसा और दबाव
5. घरेलू जिम्मदारियॉ

इन चुनौतियों के बावजूद महिलाएँ लगातार आगे बढ रही है और अपने नेतृत्व से नये मानदण्ड स्थापित

कर रही है।

निष्कर्ष – नारी शक्ति का राजनीति में योगदान भारत की लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत बनाता है। पंचायतों से लेकर संसद तक महिलओं की बढती भागीदारी यह साबित करती है कि देश का विकास तभी संभव है जब आधी आबादी को बराबर अवसर मिले । महिला आरक्षण, शिक्षा और सामाजिक समर्थन से हम एक समावेशी संवदेलशील और प्रगतिशील राष्ट्र का निमार्ण कर सकते है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय – पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व संबंधी रिपोर्ट 2003
2. भारती का सविधान – 73वा व 74वा संशोधन अधि ानियम
3. राष्ट्रीय महिला आयोग – महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर वार्षिक रिर्पोट 2022–23

महेंद्रगढ़ जिले के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की व्यावसायिक प्राथमिकताओं पर सामाजिक–आर्थिक स्थिति का प्रभाव का अध्ययन

प्रो. पी. एस. राणा
प्रो–वाइस चासंलर
भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय
अजमेर

इंद्रजीत
शोधार्थी
भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय, अजमेर
मो. 7015648788
ई–मेलः–ysonu9870@gmail.com

सारांश

रचनात्मक छात्र वास्तव में दुनिया की संपत्ति हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उन्नति इन बच्चों पर निर्भर करती है। यह कोई रहस्य नहीं है कि एक अच्छी शिक्षा में जीवन बदलने की क्षमता होती है। शिक्षा अच्छे छात्र, डॉक्टर, भाई–बहन, माता–पिता, उद्यमी और सच्चे व्यक्ति बनने में मदद करेगी। एक शिक्षित व्यक्ति के संपर्क में रहना और उसके साथ बुद्धिमानी से बहस करना समझ का विस्तार करता है और साथ ही मन में एक सूक्ष्म रचनात्मकता और खुशी भी पैदा करता है। यह बच्चों के जीवन से अंध ाकार को दूर करता है और उनके सर्वांगीण विकास पर ध यान केंद्रित करता है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में इसे ''सामाजिक, आर्थिक और सांस्तिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन माना गया है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति है।'' गुणवत्ता को शिक्षा की कुंजी माना जाता है, क्योंकि यह छात्रों के सीखने के शैक्षिक उद्देश्यों, प्रक्रिया और उनके परिणामों को सुनिश्चित करता है, विद्यार्थियों का विद्वत्तापूर्ण प्रदर्शन, शिक्षक की व्यावसायिक तैयारी और जीवन कौशल और कार्य की दुनिया के लिए शिक्षा। शिक्षा वास्तव में कला और विज्ञान धारा से संबंधित विभिन्न विषयों को सीखने के लिए साइन अप करने की एक प्रक्रिया है।

परिचय–शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। समग्र विकास का मुख्य अर्थ शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, व्यावसायिक और सामाजिक विकास है। इसे केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह बच्चे को सांस्कृतिक रूप से विकसित सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मरने से पहले शुरू होती है। वह जीवन भर सीखता रहता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आजीवन सीखने की चुनौतियों को तभी सफलतापूर्वक समझा जा सकता है जब लोग खुद इसमें शामिल हों और इसे हासिल करने के लिए अपनी पहल करें। समकालीन वर्षों में, ज्ञान और किसी की व्यक्तिगत विद्वता प्रक्रियाओं की खोज को महत्व मिला है। पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक शक्ति के साथ–साथ छात्र की उम्र पर निर्भर करते हैं। वयस्क शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा भी शिक्षा फोन प्रणाली के व्यापक अंतर का एक हिस्सा है।

जीवन में कर्म अर्थात् कार्य करने का अर्थ है–सच्ची लग्न, निष्ठा, मेहनत तथा ईमानदारी से अपने दायित्वों को पूर्ण करना, कार्य का बड़ा महत्व हैं, इसके बिना जीवन का कोई सार नहीं हैं। भगवान श्री.ष्ण गीता के कर्मयोग में कार्य का महत्व बताते हुए कहते हैं–''मनुष्य को निरंतर कर्मशील बने रहना चाहिए, उसे फल की चिंता करने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए।'' मनुष्य एक पल भी बिना कार्य के नहीं रह सकता, बाहरी तौर पर भले ही वह कोई कर्म न करे, मगर उसका मन लगातार चिंतन करता रहता हैं। मनुष्य कार्य के बिना शरीर का निर्वाह नहीं कर सकता हैं। जो इन्सान संसार से बंधन से मुक्त हो चुका है उसे भी निरंतर कार्य करके कर्मयोगी बनना चाहिए।

निरंतर कार्य में लगा रहना ही सच्ची सफलता का सूत्र हैं। कार्य रुपी वृक्ष पर सही समय पर कामयाबी के पुष्प पल्लवित होते हैं, जीवन में कार्य ही सच्ची पूजा एवं साधना हैं।

व्यावसायिक विकास

व्यावसायिक निर्देशन के आरम्भिक उपागम में व्यक्ति की क्षमताओं और विशेषताओं, तथा व्यवसाय की मांगों (अर्थात व्यवसाय विशेष के लिए आवश्यक व्यक्ति सम्बंधी क्षमताओं और विशेषताओ) के बीच सम्मेलन स्थापित करने, व्यवसाय अपनाने तथा समायोजन होने के लक्ष्य की दिशा में सहायता देने के कार्य को व्यावसायिक निर्देशन माना जाता था किन्तु व्यावसायिक निर्देशन का आधुनिक स्वरूप इस उपागम की तुलना में अधिक व्यापक और जटिल है।

एक व्यक्ति जिसने अपना बचपन और शुरुआती किशोरावस्था घोर गरीबी में गुजारी है, वह एक ऐसा व्यवसाय चाहता है जो उसे भौतिक लाभ दिला सके ताकि वह धन की अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके। यह व्यावसायिक प्राथमिकताओं के क्षेत्र में सामान्य आवश्यकता सिद्धांत का एक विशेष अनुप्रयोग है। रो के व्यावसायिक प्राथमिकताओं के शुरुआती निर्धारकों के सिद्धांत और हॉलैंड के पर्यावरण निर्धारकों के सिद्धांत को भी यह समझाने के लिए उन्नत किया गया है कि एक किशोर एक व्यवसाय को क्यों पसंद करता है जैसा वह करता है। लेकिन ये दो सिद्धांत सबसे अच्छे रूप में परिकल्पना हैं और उनके समर्थन में उतने ही सबूत हैं जितने उनके खिलाफ हैं। इसके अलावा, इस देश में किशोरों की व्यावसायिक प्राथमिकताओं को समझाने के लिए ज्यादा काम नहीं किया गया है'।

साथ ही यह कहना अप्रासंगिक नहीं है कि विदेशों में विकसित सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को यथोचित परिवर्तनों सहित स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि समाज में प्राप्त होने वाले सामाजिक–सांस्तिक मापदंड उसके लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विज्ञान के नियम उतने अपरिवर्तनीय नहीं हैं जितने कि भौतिक विज्ञान के नियम। और अगर हैं भी तो उन्हें स्वदेशी संस्ति के संदर्भ में देखा और समझा जाना चाहिए।

व्यावसायिक मार्गदर्शन के सिद्धांतः

(1) यह वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

(2) .ष्टिकोण प्रेरक होना चाहिए और किसी भी बिंदु पर बल या जबरदस्ती का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(3) उम्मीदवार को वैकल्पिक नौकरियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और नौकरी का अंतिम चयन उस पर छोड़ देना चाहिए।

व्यावसायिक मार्गदर्शन के लाभः

वैज्ञानिक व्यावसायिक चयन से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगेः

(1) चयनित होने के बाद उम्मीदवार को नौकरी से संतुष्टि होगी।

(2) इसे बेहतर औद्योगिक संबंध बनाना चाहिए।

(3) श्रम कारोबार न्यूनतम हो जाएगा।

(4) यह समग्र दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि की ओर जाता है।

व्यावसायिक चयन की विधियाँ –

व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं को कार्य के उपयुक्त माना जाता है। साधारणतः कार्य के लिए सबसे पहले शरीर की उपयुक्तता देखी जाती है। विशिष्ट कार्य के लिए योग्य व्यक्ति का चयन करने से पहले उसकी अग्रलिखित चार विशेषताओं का परीक्षण अवश्य कर लिया जाता है–

1. प्रवीणता– नौकरी में भर्ती किये जाने से व्यक्ति का 'उस कार्य में पूर्ण परिपक्व ज्ञान को उस व्यक्ति की प्रवीणता कहते हैं। जिन उद्योगों में पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन नहीं किया जाता है, उनमें कर्मचारियों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है तथा श्रम–परिवर्तन अधिक होता है। इसलिए प्रवीणता का ज्ञान उद्योग के चयन की मनोवैज्ञानिक

पद्धति का प्रमुख सोपान है।

2. कुशलता– कुशलता का अर्थ किसी कार्य के सीखने के लिए व्यक्ति विशेष की सामान्य स्थिति से होता है। सी० एल० हल के अनुसार– "कुशलता किसी व्यक्ति विशेष की वह सामान्य शक्ति है, जिससे वह नौकरी में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा चातुर्य सीख सके।"

व्यावसायिक सफलता तथा असफलता के लिए व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की क्षमता निहित रहती है। कुशलता मनुष्य की वह शक्ति है, जिससे वह अपना प्रशिक्षण पूरा करता है तथा अपने कार्य में पूर्णरूप से चतुर हो जाता है। कुशलता दो प्रकार की होती है– (1) सामान्य बुद्धि, (2) विशिष्ट बुद्धि

3. अभिरुचि– कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय के लिए तभी उपयुक्त हो सकता है, जब उसमें उस व्यवसाय के लिए अभिरुचि हो। अपनी अभिरुचि के अनुसार कार्य में यदि कर्मचारी नियुक्त किया जाता है तो वह अधिक से अधिक धन कमा सकता है। इसलिए चयन करने से पहले ही अभिरुचि का परीक्षण करना अत्यन्त आवश्यक है।

4. स्वभाव तथा चरित्र– किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति की सफलता उसके चरित्र, स्वभाव तथा उसकी आदतों पर अत्यधिक निर्भर करती है। पी० एम० साइमण्ड्स के अनुसार– "स्वभाव, चरित्र तथा ईमानदारी ऐसे गुण हैं, जिनका व्यावसायिक चयन में अत्यधिक महत्व है। "

सामाजिक–आर्थिक स्थिति–

सामाजिक आर्थिक स्थिति न केवल आय बल्कि शैक्षिक प्राप्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति और सामाजिक वर्ग की व्यक्तिपरक धारणाओं को भी शामिल करती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति समाज के भीतर लोगों के लिए जीवन–जीवन की विशेषताओं और अवसरों को दर्शाता है और मनोवैज्ञानिक परिणामों के एक विशाल सारणी का एक सुसंगत भविष्यवक्ता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति को उस स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक व्यक्ति या एक परिवार के साथ–साथ सांस्तिक और सामग्री के आधार पर होने वाली मौजूदा मानकों के साथ है। सामाजिक–आर्थिक स्थिति जैसे कि संसाधनों और वस्तुओं के लिए दृष्टिकोण, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन, प्रतिष्ठा और शक्ति, आवास, पर्यावरणीय स्थिति और एक परिवार या एक व्यक्ति के जीवन स्तर के जीवन स्तर। सामाजिक आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य, आहार, बीमारी और मृत्यु भी निर्धारित करती है। यह उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए .ष्टिकोण को प्रभावित करता है। चिकित्सा सेवाओं में असमानताएं, मूल कारणों के साथ–साथ स्वास्थ्य में स्थितियों के संबंध में कई बीमारियों की उपस्थिति। सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में अंतर वैश्विक स्तर पर प्रचलित हैं और किसी व्यक्ति या समाज के एक वर्ग के लिए मापा जा सकता है।

सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक–

- आय
- शिक्षा
- पेशा
- संपत्ति
- स्वास्थ्य
- राजनीतिक भागीदारी
- अपराध
- मनोवैज्ञानिक कारक
- भाषा विकास
- घर का माहौल

परिकल्पना–

H_1 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नही है।

H_2 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और उनकी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच कोई सार्थक संबंध नहीं है।

परिसीमनः–

– अध्ययन महेंद्रगढ़ जिले के 800 विद्याार्थियों पर किया जाएगा।

– अध्ययन केवल ग्यारहवीं कक्षा के विद्याार्थियों पर किया

जाएगा।

– अध्ययन में 400 ग्रामीण और 400 नगरीय क्षेत्रों के विद्याार्थियों को समिलित किया जाएगा।

– अध्ययन केवल विद्याार्थियों के व्यावसायिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक–मनोवैज्ञानिक चरों (केवल व्यावसायिक रुचि,व्यसामाजिक–आर्थिक स्थिति) के प्रभाव पर किया जाएगा।

शोध–उपकरणः–

- Socio- Economic Status Scale- R. L. Bhardwaj
- Vocational Interest Record- Dr. S. P. Kulshrestha

शोध साहित्य

पटेल, आर., और यादव, एन. (2024), ''इस अध्ययन में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि भारत में ग्रामीण किशोरों के बीच सामाजिक–आर्थिक स्थिति किस तरह से करियर के विकल्पों को प्रभावित करती है। 1,000 छात्रों का सर्वेक्षण करने वाले इस शोध में पाया गया कि निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले किशोरों ने मुख्य रूप से कृषि (22%) और शिक्षण (20%) में करियर चुना, जबकि उच्च सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले किशोरों ने व्यवसाय (18%) और इंजीनियरिंग (15%) में करियर में रुचि दिखाई।''

टेलर, एस., और विल्सन, बी. (2024), ''इस अध्ययन में ऑस्ट्रेलियाई किशोरों के बीच करियर वरीयताओं पर सामाजिक–आर्थिक स्थिति के प्रभाव की जांच की गई। 1,000 छात्रों के सर्वेक्षण डेटा से पता चला कि उच्च सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले किशोरों के व्यवसाय (20%) और कानून (18%) में करियर बनाने की अधिक संभावना थी, जबकि निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि वाले किशोरों ने शारीरिक श्रम (22%) और शिक्षण (15%) में करियर बनाने की ओर रुख किया।''

H_1 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का माध्य और मानक विचलन

समूह	संख्या	df	माध्य	मानक विचलन	't' मान	सार्थकता स्तर	सार्थकता
ग्रामीण विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति	400	398	60.97	10.88	-3.59392	0.05	Significant
नगरीय विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति	400	398	63.58	9.64		0.01	

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थितिके अन्तर का लेखाचित्र

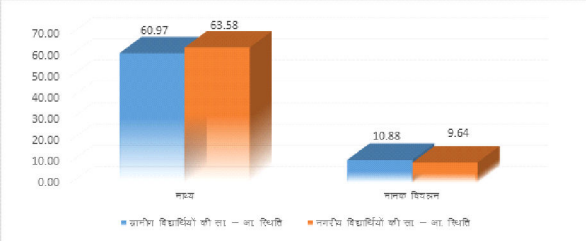

लेखाचित्र

उपरोक्त सारणी 1 और लेखाचित्र 1 से पता चलता है कि ग्रामीण और नगरीय विद्यार्थियों के समूहों के बीच सामाजिक आर्थिक स्थितिके स्तर का ग्रामीण विद्यार्थियों का माध्य 60.97, मानक विचलन 10.88 व नगरीय विद्यार्थियों माध्य 63.58, मानक विचलन 9.64 है। दोनों समूहों का ''टी'' मान –3.59392 है जो कि 0.05 व 0.01 के सार्थकता स्तर पर अंतर को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण और नगरीय विद्यार्थियों के समूहों के बीच सामाजिक आर्थिक स्थितिके स्तर में अंतर पाया जाता है।

अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि नगरीय क्षेत्रों में पारिवारिक आय अधिक, रोजगार के अधिक अवसर तथा शिक्षा का स्तर उच्च होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर, पारंपरिक व्यवसाय तथा संसाधनों की कमी के कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति का स्तर कम होता है।

H_2 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और उनकी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच कोई सार्थक संबंध नहीं है।

विद्यार्थियोंके सामाजिक–आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच सहसंबंध गुणांक

सामाजिक–आर्थिक स्थितिऔर व्यावसायिक प्राथमिकताओं

के बीच सहसंबंध गुणांक

सामाजिक–आर्थिक स्थितिऔर व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच सहसंबंध गुणांक		
व्यावसायिक प्राथमिकताओं के क्षेत्र	ग्रामीण N= 400	नगरीय N= 400
साहित्यिक	0.2644**	0.02381
वैज्ञानिक	0.1242	-0.08246
प्रशासकीय	-0.02236	0.08152
वाणिज्य	0.1104	0.2085**
रचनात्मक	-0.03954	0.019
कला	0.1956*	0.04626
कृषि	-0.01601	-0.2386**
अनुनयात्मक	0.02941	0.1673
सामाजिक	0.07826	0.2371**
घरेलू	-0.03702	0.09518

* Significant at .05 level of significance

** Significant at .01 level of significance

विद्यार्थियोंके सामाजिक–आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच सहसंबंध गुणांक का लेखाचित्र 4.36

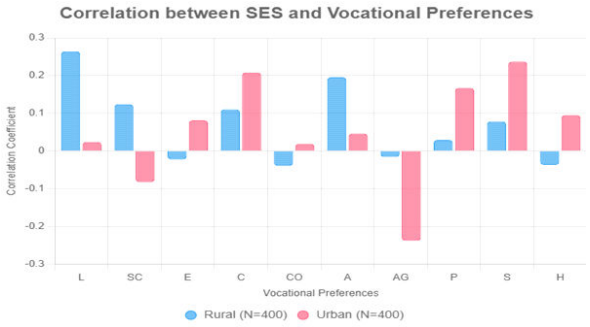

ग्रामीण और नगरीय विद्यार्थियों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच सहसंबंध का विश्लेषण किया गया। ग्रामीण विद्यार्थियों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच सहसंबंध इस प्रकार रहे:साहित्यिक रूचि (r=0.264**),वैज्ञानिक क्षेत्र (r=0.1242), प्रशासकीय क्षेत्र (r=-0.02236), वाणिज्य क्षेत्र(r=0.1104),रचनात्मक क्षेत्र (r=-0.03954), कला क्षेत्र (r=0.1956*), कृषि व्यवसाय क्षेत्र (r=-0.01601), अनुनयात्मक व्यवसाय क्षेत्र (r=0.02941), सामाजिक व्यवसाय क्षेत्र (r=0.07826), घरेलू व्यवसाय क्षेत्र (r=-0.03702)। ग्रामीण विद्यार्थियों में साहित्यिक रूचि और कलाात्मक रूचि के बीच सहसंबंध सार्थक पाया गया है। जबकि अन्य क्षेत्रों में सहसंबंध बहुत कम और सांख्यिकीय रूप से सार्थक नही पाया गया।

नगरीय विद्यार्थियों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच सहसंबंध इस प्रकार रहेः साहित्यिक रूचि (r=0.02381), वैज्ञानिक {ks=(r=-0.08246), प्रशासकीयक्षेत्र (r=-0.08152), वाणिज्यक्षेत्र(r=0.2085**),रचनात्मकक्षेत्र(r=-0.019), कला क्षेत्र (r=0.04626), कृषि व्यवसाय क्षेत्र (r=-0.02386**), अनुनयात्मक व्यवसाय क्षेत्र (r=0.1673), सामाजिक व्यवसायक्षेत्र (r=0.2371**), घरेलू व्यवसायक्षेत्र (r=-0.09518)। नगरीय विद्यार्थियों में वाणिज्य क्षेत्र, कृषि और सामाजिक रूचि के बीच सहसंबंध सार्थक पाया गया है। जबकि अन्य क्षेत्रों मेंसहसंबंध बहुत कम और सांख्यिकीय रूप से सार्थक नही पाया गया।

सामाजिक–आर्थिक स्थिति का प्रभाव व्यावसायिक प्राथमिकताओं पर चयनात्मक और विद्यार्थियों के परिवेश पर निर्भर होता है। ग्रामीण विद्यार्थियों में इसका प्रभाव साहित्यिक और कलात्मक रूचि पर दिखाई देता है। नगरीय विद्यार्थियों में इसका प्रभाव वाणिज्य, कृषि और सामाजिक रूचि पर अधिक दिखाई देता है। इस प्रकार, यह शून्य परिकल्पना कि सामाजिक–आर्थिक स्थिति और व्यावसायिक प्राथमिकताओं के बीच कोई सार्थक संबंध नहीं है, आंशिक रूप से ही अस्वी.त होती है।

परिणाम दर्शाते हैं कि सामाजिक–आर्थिक स्थिति व्यावसायिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है, हालाँकि इस प्रभाव की प्रकृति और प्रबलता पृष्ठभूमि (ग्रामीण बनामनगरीय) और व्यावसायिक क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है। विश्लेषण से पता चला कि शहर के छात्र आमतौर पर गाँव के छात्रों की तुलना में उच्च सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी व्यावसायिक प्राथमिकताओं की व्याख्या करते समय यह अंतर महत्वपूर्ण है।सामाजिक–आर्थिक स्थिति ग्रामीण और नगरीय परिवेश में व्यावसायिक प्राथमिकताओं को अलग–अलग ढंग से आकार देती है, जो शैक्षिक धारा और स्थानीय आर्थिक

स्थितियों द्वारा नियंत्रित होती है।

निष्कर्ष

अध्ययन से पता चला कि छात्रों की व्यावसायिक प्राथमिकताएँ उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति ाधार पर भिन्न होता है।ग्रामीण छात्रों में, सामाजिक–आर्थिक स्थिति ने साहित्यिक और कलात्मक रुचियों पर अधिक प्रभाव दिखाया। व्यावसायिक दृष्टिकोण परिपक्वता का केवल सामाजिक रुचियों पर ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नगरीय छात्रों के लिए, सामाजिक–आर्थिक स्थितिका व्यावसायिक, .षिऔर सामाजिक क्षेत्रों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि छात्रों की आर्थिक पृष्ठभूमि संयुक्त और अन्योन्याश्रित प्रभाव से आकार लेती हैं। इन कारकों का प्रभाव ग्रामीण और नगरीय समूहों और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में भिन्न होता है। कुल मिलाकर, परिणाम छात्रों के व्यावसायिक विकल्पों को समझने और प्रभावी कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण अंत.ष्टि प्रदान करते हैं।

संदर्भ

– लियू, जे., –झांग, वाई. (2024). चीनी किशोरों में करियर विकल्पों पर माता–पिता के करियर मॉडल का प्रभाव। एशियाई करियर अध्ययन पत्रिका, 30(4), 128–141।

– ली, सी., –झांग, वाई. (2022). ग्रामीण चीन में परिवार के समर्थन का किशोरों के करियर आकांक्षाओं पर प्रभाव। ग्रामीण शिक्षा पत्रिका, 38(3), 112–125।

– ले, टी., – गुयेन, एच. (2022). वियतनामी और अमेरिकी किशोरों के बीच लिंग, परिवार और करियर विकल्पः एक तुलनात्मक अध्ययन। एशियाई करियर विकास पत्रिका, 36(2), 77–90।

– वर्मा, आर., कुमार, एस., और मेहता, ए. (2023)। भारत में किशोरों के करियर विकल्पों पर पारिवारिक प्रभाव। भारतीय शिक्षा और विकास पत्रिका, 40(1), 30–42।

– वांग, एल., –झू, जेड. (2022). चीनी किशोरों में पारंपरिक मूल्यों का करियर विकल्पों पर प्रभाव। चीनी व्यावसायिक शिक्षा पत्रिका, 29(2), 78–90।

– विलियम्स, एफ., – ब्लैक, पी. (2021). अमेरिका में सामाजिक–आर्थिक स्थिति का करियर आकांक्षाओं पर प्रभाव। जर्नल ऑफ एडोलसेंट डेवलपमेंट, 34(3), 214–225।

– विलियम्स, के., – हैरिस, डी. (2023). माता–पिता के करियर मॉडल का अमेरिकी किशोरों पर प्रभाव। जर्नल ऑफ व्योकैशनल बिहेवियर, 54(4), 213–226।

– विलियम्स, जी., – व्हाइट, ए. (2021). कनाडा में किशोरों के करियर विकल्पों पर साथियों का प्रभावः एक केस अध्ययन। करियर विकास पत्रिका, 58(1), 34–45।

– विलियम्स, टी., – कार्टर, ई. (2021). किशोरों में सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का करियर पसंदों पर प्रभावः एक अमेरिकी दृष्टिकोण। सामाजिक मनोविज्ञान पत्रिका, 52(2), 99–110।

– शर्मा, एस., – गुप्ता, एस. (2022). भारतीय किशोरों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम और उनके करियर विकल्पों पर प्रभाव। भारतीय शैक्षिक मनोविज्ञान पत्रिका, 41(4), 102–116।

– शर्मा, पी., गुप्ता, एस., और देसाई, आर. (2022)। भारतीय किशोरों में लिंग आधारित पेशेवर प्राथमिकताएँ। करियर शिक्षा और अनुसंधान पत्रिका, 13(4), 235–247।

– शुक्ला, वी., जैन, एम., और अग्रवाल, टी. (2019)। भारतीय किशोरों के करियर विकल्पों में शिक्षक की भूमिका। भारतीय शैक्षिक शोध पत्रिका, 29(5), 211–225।

– सांस्केज, ई., – गार्सिया, एम. (2022). स्पेनिश किशोरों में साथियों का प्रभाव और करियर विकल्प। यूरोपीय किशोर अनुसंधान पत्रिका, 40(3), 65–78।

– सिंह, ए., – कुमार, आर. (2021). भारतीय किशोरों में पारिवारिक मूल्यों का करियर निर्णयों पर प्रभाव। भारतीय परिवार अध्ययन पत्रिका, 40(1), 110–123।

– सिंह, ए., रेड्डी, एम., और कपूर, के. (2021)। सोशल मीडिया और भारत में किशोरों के पेशेवर विकल्पों पर इसका प्रभाव। भारतीय युवा और समाज पत्रिका, 15(2), 56–70।

Women's Concerns : Need for Empowerment

Mahadevi Singh
Sophia Sr. Secondary School,
Bikaner - 334001 (Raj.)
Contact No. : 9928816922
email id : singhkk95yahoo.com

Anjali Purohit
Maharani Kishori Devi Sr.
Secondary School, Bikaner -
334001 (Raj.)
contact No. : 7014330819
email: vyasassoc@gmail.com

ABSTRACT

Women in the Vedic period enjoyed a respected position shaped by the social fabric , cultural norms, and value systems of early Indian society. Texts such as the Rig Veda, which reads nearly 300 poets and seers , including several women, highlight their intellectual and spiritual contributions. Over time however the status of woman declined, as evident across the Vedic , British, and modern periods. This study examines women's position in India through indicators such as education, legal rights, economic conditions and social evils. Revisiting ancient values offers insights for advancing women's empowerment and understanding shifts in their status over time.

Keywords : Women status, gender equality, empowerment

Introduction

The discrimination and exploitation of women is seen all over the world. The empowerment is a support to help women to accomplish equal opportunity with men or to reduce the gap between men and women. Women play a very strategic role in the development of society in particular and development of economy in general. A woman is the key planner of the family, the first trainer and the supplier of labour. By playing a pivotal role in the development of different sectors like agriculture, industry and services, she contributes directly or indirectly to economic development. Though the nature has given the genetic power of reproduction especially to the women, the socio-economic status of women remains poor, and the incidence of poverty falls disproportionately on them. For a nation to achieve sustainable development, both men and women must actively participate and work together. (Datta, 2023).

Women were honoured and acknowledged in society as well as family in ancient India. Women's footprints can be seen in many aspects of society, such as spiritual, aesthetic, cultural and many others. They were allowed to enhance their intellectual and spiritual standards. Women were given the option to educate themselves. The Rigvedic era saw numerous female scholars as well as sages. Even though it was a patriarchal culture, women lived with dignity and freedom. They were active in the administration of the kingdom as well as fulfilling the household responsibility efficiently (Paranthaman, et al., 2019 and Rout, 2016). In addition, women play a significant role in the economic development. She is the chief architect of family and the first teacher of a child.

Therefore, empowering of women is essential for addressing many of these issues. Their potential and latent political power must be harnessed, which requires improving their social status and enhancing their economic condition. Poverty, which resulting in low bargaining power, must be eradicated to enable sustainable

empowerment (Abril, 2009). If women are educated and empowered, their potential can be harnessed for broader economic develop-ment. Mahatma Gandhi aptly said , "You educate a man, you educate an individual ; you educate a woman, you educate an entire family" (Kamat, 1998).
The article sheds light on status of women, gender equality, and women's empowerment.

Status of Women

In ancient India, woman were honoured and treated with respect. They enjoyed equal status with men in all spheres of life. Works by grammarians such as Patanjali and Katyayan suggest that women were educated in the early Vedic period. The Rigvedic verses tell that the women married at a mature age and were free to select their life partner. Scriptures such as Rig Veda and Upanishads mentions several sages and seers, like Gargi, Maitreyi, Lopamudra, and Apala are all prominent female scholars and hymn composers from the Vedic period. (Singh, 2009). Gargi was a renowned scholar philosopher and scholar who is known for her intellectual debates with sage Yagyavalkya, Maitreyi, a philosopher and scholar was considered to be one of the most learned women of her time and known for her intellectual debates with her husband, Yagyavalkya and her deep understanding of the Upanishads, Lopamudra, wife of Sage Agstya, is credited with a hymn in the Rigveda, while Apala was a female sage in the Rigveda, recognized for composing hymn related to healing and purification along with her contributions in the field of mathematics. Stri Sarma Paddhati, reflects the role of woman and states that women were enjoined to be of service to their husbands (Altekar, 1956 and Sasidharan, 2025).

During the early Vedic period women enjoyed equal position and rights in the society. They had the right to education. They were free to remain unmarried and devote their whole lives to the pursuit of knowledge and self - realization. The married women performed all the works and sacrifices equally with their husbands. They were educated in various disciplines of knowledge such as astrology, geography, veterinary sciences and even martial arts. Later around 500 BC, the position of women began to decline. The Manusmirtti followed by later invasions and influences, including the Mughal period and arrival of Christianity further curtailed the freedom and rights of woman. Although reform movements such as Jainism allowed woman to be admitted to religious orders, by and large women in India faced confinements and restrictions. The practice of child marriage is believed to have begun around the 6th century (Bala, 2014 and Avari, 2016).

During the medieval period, Indian women's position in society further deteriorated. Among some communities in India , practice of sati, child marriages and a ban on remarriages of widows became a part of social life. The Muslim conquest brought purdah practice in the India society. Among the Rajputs of Rajasthan , the jauhar was prevalent. The practices of devadasi (temple woman) was common in some parts of India and they were sexually exploited as well. Among Hindu Kshatriya rulers polygamy was widely practiced. In many Muslim families woman were restricted to zenana areas of the house (Kamat, 1980). During and after British rule the condition of woman is not very good. The urge for equality on the part of Indian woman started getting momentum during the colonial times (Sangari, 1995 and Bader, 2003). Noted social reformers and national leaders like Rajaram Mohan Roy, Annie Besant, Sarojini Naidu and Ishwar Chandra Vidyasagar made selfless efforts to create awareness among woman about their status and were quite successful in removing various social evils such as sati , purdah, , child marriage, and polygamy. They also encouraged widow

remarriage and woman education. The reformers were successful in enacting laws through the British Government to counter and eliminate these social evils so that women could attain equality (Saxena and Sharma, 2018).

Understanding Gender Equality and Women's Empowerment

Empowerment has become a fashionable buzzword. It essentially means decentralization of authority and power. It aims to ensure the participation of deprived sections of society in decision-making process. In other words, it gives voice to the voiceless.

Empowerment is described as the "enhancement of assets and capabilities of diverse individuals and groups to engage with, influence, and hold accountable the institutions that affect them." Women's empowerment is also defined as a change in the context of a woman's life that enables her to develop an increased capacity for leading a fulfilling human life. It is reflected both in external qualities - such as health , mobility, education and awareness within the family, participation in decision-making, and maternal security - and internal qualities, such as self-awareness and self-confidence.

Despite many international agreements affirming their human rights, women are still much more likely than men to be poor and illiterate. They usually have less access than men to medical care, property ownership, credit, training and employment. They are also far less likely than men to be politically active and far more likely to be victims of domestic violence (Abril, 2009).

The ability of women to control their own fertility is absolutely fundamental to their empowerment and equality. When a woman can plan her family , she can plan the rest of her life. When she is healthy, she can be more productive. And when her reproductive rights - including the right to decide the number, timing, and spacing of her children, and to make decisions regarding reproduction free of discrimination, coercion and violence - are promoted and protected, she has the freedom to participate fully freely and equally in society (Singh et al., 2010 and ILO, 2018).

Gender equality refers to a society in which women and men enjoy equal opportunities, rights, responsibilities, and outcomes in all spheres of life. Equality between men and women exists when both sexes are able to share equally in the distribution of power and influence; have equal opportunities for financial independence through employment or entrepreneurship ; and enjoy equal access to education and the opportunity to persue personal ambitions.

A critical aspect of promoting gender equality is the empowerment of women, with the focus on identifying and redressing power imbalances and giving women greater autonomy to manage their own lives. Women's empowerment is vital to sustainable development and the realization of human rights for all. Where women's status is low, family size tends to be large, making it more difficult for families to thrive. Population and development as well as reproductive health programmes, are more effective wehn they address the women's educational opportunities, status and empowerment. When women are empowered, entire families benefit, and these benefits often have ripple effects across future generations (WHO, 2001 and Naila, 2005).

The roles that men and women play in society are not biologically determined ; they are socially determined, changing and changeable. Although they are often justified as being required by culture or religion, these roles vary widely across local context and evolve over time. United Nations Population Fund (UNFPA) has found that applying culturally sensitive approaches can be key to advancing women's rights while respecting

different forms of social organization (UNFPA, 2008).

Key Issues and Linkages

Women, for both physiological and social reasons, are more vulnerable than men to reproductive health problems. Reproductive health problems, including maternal mortality and morbidity, represent a major - but preventable - cause of death and disability for woman in developing countries (WHO, 2001). Failure to provide information, services and conditions to help women protect their reproductive health, therefore constitutes gender - based discrimination and a violation of women's rights to health and life.

Stewardship of National Resources : Women in developing countries are usually incharge of securing water, food and fuel and of overseeing family health and diet. Therefore, they tend to put into immediate practice whatever they learn about nutrition and preserving the environment and natural resources.

More women than men live in poverty : Economic disparities persist partly because much of the unpaid work within families and communities falls on the shoulders of woman and because they face discrimination in the economic sphere

Educational Empowerment : About two-thirds of illiterate in the world are female. Higher levels of women's education are strongly associated with both lower infant mortality and lower fertility , as well as with higher levels of education and economic opportunity for their children.

Political Empowerment : Social and legal institutions still do not guarantee women equality in basic legal and human rights in access to or control of hand or other resources, in employment and earning and social and political participation. Laws against domestic violence are often not enforced on behalf of women.

Empowerment Throughout the Life Cycle : Reproductive health is a lifetime concern for both women and men, from infancy to old age, UNFPA suggests programming tailored to the different challenges they face at different times in life.

Need for Women Empowerment

According to ancient Hindu traditions, divinity is always elevated through femineity. Yet child marriage, polygamy and illiteracy all made women pushed into the inferior side of society. Moreover, they have been subjected to discrimination and other sorts of discrimination from the very beginning. Often the women are victimized in the cases like rape, dowry- related harassments, sexual assaults, kidnapping, female infanticide and sex selective abortions, domestic violence, trafficking, etc (Singh et al., 2010 and ILO, 2018). The verdicts of many of such cases go against women because of the non-availability of witness, discontinuation of suits, difficulties in proving the incidents, etc. hence, women should be strengthened and her status should be improved physically, mentally, economically, socially, politically and culturally so that country can make use of their hidden potential for the economic development (UN Women, 2018). Therefore, the empowerment of women is urgently needed.

The empowerment is an aid to help women to achieve equality with men or at least, to reduce gender gap considerably. Without empowerment certain social roles cannot be performed. The mere celebration of 'National Women's Day (February 13) and 'International Women's Day' (March 8) is insufficient to address the plight faced by women. To help women, to attain economic independence, must be the first priority for such a change, women empowerment has to be looked at from a holistic perspective of which proper education, economic self-sufficiency, self-confidence and courage on the part of women and a matching response from men, based on respect and feeling of equality , are essential aspects.

According to Gandhiji, "Man should learn to give place to woman. A country or a community in which woman are not honoured cannot be considered civilized". In addition, he believed that Panchayati Raj is the best system for empowering rural woman. According to him, "Every village ought to be a republic or Panchayat with the authority, and resources to realize its potential for economic and social development" (Kishwar, 1986).

Conclusion

The intensity of exploitation and subjugation varies from one society to another, but there is no such society that has completely eliminated these practices. The patriarchal system has confined women to specific areas such as kitchen and the bedroom and has assigned them fixed gender roles like bearing and rearing children, cooking and cleaning. Even today, a woman is viewed as 'property' rather than as a human being with her own preferences aspirations, and identity. Opportunities for self- development and independent livelihood are denied to her.

Woman is God's greatest gift to humanity. She has the power to create and to transform. It is often said that Kalidas and Tulsidas became great poets because of the inspiration of their wives. There is also a popular saying that behind every successful man there is a woman. Gandhi clearly recognized the patriarchal nature of Indian society. He acknowledged that men play a domineering role, something almost universally prevalent in Hindu Society. He is quoted as saying, "Woman is the companion of man, gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in the very minutest details of the activities of man. She has an equal right of freedom and liberty with him. She is entitled to a supreme place in her own sphere of activity, just as man is in his."

Mere access to education and employment can only assist in the process of empowerment. The next challenge is to build women's capacities and capabilities so that they can perform their roles effectively and bring about change. As a society, we must work together to make the lives of women safe, dignified and fulfilling, beginning our own homes and communities. This is possible through 3 Es - Empower, Educate and Enable. As Prof. Gita Sen Rightly states "Nobody else empowers - women empower themselves."

References

Altekar, A.S. (1956). The position of Women, In : Hindu Civilization : From Prehistoric Times to Present Day. New Delhi : Motilal Banarsidass Publication, pp. 1-20.

Avari, B. (2016). India : The Ancient Past : A History of the Indian Sub-continent from 7000 BC to 1200 AD, 2nd Edn. Oxfordshire, UK. : Routledge Taylor & Francis Group.

Bader, V. (2003), Religious Diversity and Institutional Pluralism. Political Theory, Vol. 31 (2) : 265-294.

Bala, I. (2014). Status of Women in Vedic Literature, Int. J. Humanities and Social Studies, Vol. 2 (6) : 123-127.

Datta, S.K. (2023). Women Empowerment Through Women Entrepreneurship ; A mixed Methodology Approach. Spektrum, J., Vol, 20(1) : 16-43.

ILO (2018), Ending Violence and Harassment in the World of Work, Report V (2). Geneva, Switzerland : ILO.

Kamat, J. (1980). Social life in Medieval Karnataka, New Delhi : Gandhi Peace Foundation.

Kamat, J. (1998). Gandhi and Status of Women New Delhi : Gandhi Peace Foundation.

Kishwar, M. (1986). Gandhi on Woman. Race and class, Vol. 28 (1) ; 43-46.

Majumdar, R.C. and Pusalker, A.D. (1951). The History and Culture of the Indian People, Vol. I,

Effect of Perceived Stress on Emotional Intelligence and its Relation with Aggression among Gen Z and Gen Y

Akanksha Srivastava
Department of Psychology,
Iswar Saran Degree College,
University of Allahabad

Dr. Anjana Srivastava
Asst. Professor
Department of Psychology,
Iswar Saran Degree College,
University of Allahabad

Dr. Viveka Nand Tripathi
Asst. Professor
Department of Psychology,
Iswar Saran Degree College,
University of Allahabad

Abstract

In today's fast-paced and highly demanding social and occupational environments, stress has become a pervasive psychological issue, particularly among younger age groups. Emotional intelligence (EI)-defined as the ability to recognize, understand, and manage one's own emotions as well as those of others-plays a crucial role in emotional regulation. Elevated stress levels are often associated with impaired emotional regulation, which may reduce emotional intelligence and increase the propensity for aggressive behaviour.

This study investigates how perceived stress affects emotional intelligence and how both variables relate to aggression in Generation Z (Gen Z) and Generation Y (Gen Y). The research was conducted on 127 participants (Gen Y: 82; Gen Z: 45) between 18 and 45 years of age using standardized psychometric tools.

Results indicated that higher perceived stress was significantly associated with lower emotional intelligence and higher aggression. Multiple regression analysis showed that Perceived Stress positively predicted Aggression (? = 0.528, $p < .001$) and Emotional Intelligence negatively predicted Aggression (? = -0.203, $p = .010$), with the model explaining 42.4% of the variance in Aggression. Additionally, Gen Z reported higher stress and aggression levels than Gen Y.

The study suggests that emotional intelligence acts as a protective factor, helping individuals cope with stress more effectively and reduce aggressive reactions. These findings are useful for creating stress management programs in schools, colleges, and workplaces.

Keywords: Perceived stress, emotional intelligence, aggression, Generation Z, Generation Y.

Introduction

Background

The naming of generations was started by Gertrude Stein, who coined the term "lost generation", a term she used for those who had devoted their lives to service in World War I. Later, Neil Howe and William Strauss documented several generational names in their 1991 book "Generations". The term "Lost Generation" was coined for those born at the turn of the 20th century who served in World War I (Gertrude Stein). In his 1991 book "Generations," he documented generational names and coined some new terms (Neil Howe and William Strauss). Some names, such as "Generation X" were taken from a novel by Douglas Coupland, and "Millennials" from the book "Millennial Rising" by Neil Howe and William Strauss. The help of sociologists and demographers is taken in deciding the names of generations. The unique characteristics of Generation Z and Generation Y (Millennial) shape

their experiences of stress and emotional regulation. Generation Y, raised during the rise of the internet and economic instability, faces challenges such as job insecurity, student debt, and balancing work-life expectations. They often face workplace stress and social comparison, contributing to their overall stress levels. Generation Z is the first generation to grow up with constant digital connectivity, faces unique stressors, including online harassment, social media pressures, and concerns about personal identity. Research suggests that Gen Z is particularly prone to mental health issues like anxiety and depression, which may be exacerbated by social media and digital culture. The pervasive nature of digital stress could affect their emotional intelligence, influencing how they manage stress and respond to challenges. The way these generations perceive and handle stress is integral to understanding their emotional intelligence (EI) and potential for aggression. The digital environment in which Gen Z operates, for example, might impact their emotional awareness and regulation in ways that differ from Millennials, who grew up in a pre-digital world. Gen Z: Individuals born approximately between 1997-2012. Gen Y (Millennial): Individuals born approximately between 1981-1996. Generational differences in coping mechanisms, stress levels, and emotional intelligence have also been explored in the Indian setting.

Literature Review and Interconnections

Research consistently shows a significant inverse relationship between perceived stress and emotional intelligence, meaning higher EI acts as a buffer against subjective stress. High EI enables individuals to regulate emotions like anger or frustration, preventing them from escalating into aggressive behaviour. Studies support the frustration-aggression hypothesis, which suggests that frustration can lead to aggressive behaviour, particularly when emotional intelligence is low. Regarding generational differences, previous Indian studies have found that Gen Z individuals reported significantly higher levels of perceived stress and aggression compared to Gen Y, and also exhibited lower emotional intelligence scores. This difference is often attributed to Gen Y having more life experience and greater emotional maturity, making them better equipped to handle stress constructively.

Singh and Rani (2021) compared Gen Z (1997-2012) and Gen Y (born 1981-1996), found that Gen Z individuals reported higher born levels of perceived stress and aggression. This group also exhibited lower emotional intelligence scores compared to Gen Y, potentially due to increased digital dependency and reduced face-to-face interactions.

The study emphasized that Gen Y participants, having more life experience and greater emotional maturity, were better equipped to handle stress and aggression constructively, highlighting the developmental aspect of emotional intelligence. Over the last decade, research has shown that psychological experiences and mental health concerns differ significantly across generations. Generation Z has consistently reported higher levels of anxiety, depression, and psychological distress compared to older cohorts, a trend linked to digital saturation, climate anxiety, and academic pressure (Twenge et al., 2019; NHS Digital, 2023). Millennials have also demonstrated increasing mental health concerns, primarily due to economic uncertainty and work-life imbalance (Casey, 2020). In contrast, older generations such as Gen X and Baby Boomers tend to report greater emotional resilience and life satisfaction (Schafer, 2022). Studies suggest that while Gen Z is more open to discussing mental health, they are often reluctant to seek professional help, potentially due to stigma and accessibility issues (KCL, 2023). In workplace psychology,

motivational patterns reveal nuanced generational distinctions: Baby Boomers value job security and loyalty, Gen X prioritizes autonomy, Millennials seek meaningful work, and Gen Z prefers flexibility and mental well-being (Wong et al., 2008; Gursoy et al., 2013). However, recent meta-analyses argue that perceived differences are often exaggerated and that individual values and personality traits might be more predictive than generational labels alone (Costanza et al., 2012). Overall, these findings emphasize the need for context-sensitive strategies in both clinical and organizational psychology to accommodate generational shifts in psychological functioning.

The given table shows the previous studies on last 4 generations which are Baby boomers, Gen X, Gen Y and Gen Z on different psychological attributes for better glance.

Psychological Attribute	Baby Boomers (1946–1964)	Gen X (1965–1980)	Gen Y / Millennials (1981–1996)	Gen Z (1997–2012)
Work Ethic	Strong work ethic; loyal to employers; value job security and hierarchy (Twenge et al., 2010)	Independent; skeptical of authority; value work-life balance (Jurkiewicz & Brown, 1998)	Seek meaning and flexibility in work; less committed to single employers (Twenge, 2010)	Prefer freelancing, digital work, and purpose-driven employment (Francis & Hoefel, 2018)
Mental Health Awareness	Low openness; stigma attached to mental health issues (Twenge et al., 2019)	Increasing awareness, but still private about mental health struggles	Open about mental health; more likely to seek therapy (American Psychological Association [APA], 2018)	High awareness; discuss mental health openly; higher anxiety and depression rates (Twenge et al., 2019)
Technology Adaptation	Digital immigrants; prefer traditional media (Prensky, 2001)	Comfortable with analog and digital; adapt to tech when needed	Digital natives; rely heavily on smartphones and internet (Pew Research Center, 2014)	Hyperconnected; multitaskers; tech-dependent from early age (Seemiller & Grace, 2016)
Self-Concept & Identity	Defined by roles (career, family); stable self-concept (Erikson, 1959)	Strong individualism; often skeptical of societal norms	Fluid identity; value diversity and inclusion (Twenge, 2010)	Highly fluid; often explore multiple identities, both online and offline (Wood, 2021)
Attitudes Toward Authority	Respect for authority; hierarchical orientation	Distrust of authority; value autonomy	Prefer collaboration over hierarchy; question traditional norms (Twenge, 2010)	Challenge authority; expect transparency and inclusivity (Williams et al., 2020)
Risk Tolerance	Generally conservative; value safety and stability	Moderate risk-takers; cautious optimism	Willing to take calculated risks, especially in startups (Ng et al., 2010)	Risk-averse in physical world but bold online; seek security (Twenge et al., 2019)
Social Values	Traditional values; focus on conformity and civic duty	Pragmatic; value self-reliance	Progressive; value inclusivity and social justice (Pew Research Center,	Very progressive; advocate for mental health, climate, equity (Francis &

As the present research is based on Generation Y and Generation Z, the given table shows the various previous studies on these both generations on various psychological attributes.

Psychological Attribute	Generation Y (Millennials)(Born approx. 1981–1996)	Generation Z(Born approx. 1997–2012)	Sources/Citations
Identity Formation	Focus on self-expression, exploration of identity	Values individuality but more pragmatic	Twenge (2017); Dimock (2019)
Technology Use	Digital pioneers; adapted to technology	Digital natives; grew up with smartphones	Twenge (2017); Seemiller & Grace (2016)
Attention Span	Moderate; used to multitasking	Shorter; prefers quick, visual content	Microsoft Canada (2015); Anderson & Jiang (2018)
Mental Health Awareness	Stigma-reducing; increasingly open to therapy	High awareness; more anxiety and depression	Twenge et al. (2019); Pew Research Center (2019)
Social Attitudes	Open-minded, community-oriented	Inclusive, socially aware, activist-oriented	Seemiller & Grace (2016); Francis & Hoefel (2018)
Learning Preferences	Collaborative, experiential learning	Independent, tech-integrated, visual learning	Schroth (2019); Seemiller & Grace (2016)
Work Values	Purpose-driven, feedback-seeking	Security-focused, entrepreneurial	Deloitte Global Millennial Survey (2020); Fromm & Read (2018)
Risk-Taking Behavior	More likely to take personal and financial risks	More cautious and pragmatic	Twenge (2017); Williams et al. (2018)
Social Interaction	Balances online and face-to-face interaction	More online interaction, prefers texting	Anderson & Jiang (2018); Common Sense Media (2019)
Resilience and Coping	Developed resilience through economic setbacks (e.g., 2008)	Facing mental health crises; resilience still developing	Twenge et al. (2019); APA (2020)

This study aims to examine the levels and interplay among, perceived stress, emotional intelligence, and aggression between Gen Z and Gen Y.

Hypotheses:

1. The perceived stress would be significantly affect emotional intelligence among Gen Z and Gen Y.
2. There would be significant negative relationship between emotional intelligence and aggression.
3. Gen Z and Gen Y would be differ significantly in levels of perceived stress, emotional intelligence, and aggression.
4. There would be significant negative correlation between perceived stress and emotional intelligence.

Method

Participants

A sample of 127 respondents who passed two validation questions was selected using a convenient sampling technique. Participants were divided into two generational groups:

Generation Y (Millennial): 82 participants (64.5%)

with an average age of 36.5 ± 4.3 years.

Generation Z: 45 participants (35%) with an average age of 23 ± 2.89 years.

The total sample included 72 (56.7%) males and 55 (43.3%) females.

Tools

A series of psychometric scales were employed to assess the constructs of interest:

- Aggression (AG) Buss and Perry: Aggression was assessed using Aggression Questionnaire developed by Buss and Perry (1992), which includes four subscales: hostility, physical aggression, verbal aggression, and anger. The scale consists of 29 items rated on a 5- point Likert scale.

The scale's internal consistency, measured using Cronbach's alpha, reflects high degree of reliability across its subscales. The overall alpha coefficient for the full scale is reported to be 0.89, indicating that the items reliably assess the multiple dimensions of aggression.

Correlation coefficients ranging between 0.72 and 0.80 have been observed over intervals of several weeks, suggesting that the scales provide consistent results over time.

The scale also demonstrates convergent validity, as individuals scoring high on the BPAQ (Buss-Perry Aggression Questionnaire) tend to exhibit higher levels of aggression-related behaviors and emotional reactivity.

Furthermore, the scale exhibits strong discriminant validity, with low correlations (r= -.42 to -.50) found between aggression scores and unrelated psychological traits, indicating that the scale measures aggression specifically rather than other factors.

Factor analyses consistently validate the four-dimensional structure of the scale, which includes Physical aggression, Verbal aggression, Anger, and Hostility. This confirms the factorial validity of the instrument. Additionally, the BPAQ has been translated into various languages and adapted across different cultures, with validation studies supporting its cross-cultural relevance and applicability.

- Emotional Intelligence (EI) Hyde, Pethe, Dhar: Emotional intelligence was assessed using the scale by Hyde, Pathe, and Dhar (2001). It includes 34 items across 10 sub-dimensions including self-awareness, empathy, self-motivation, emotional stability, managing relations, integrity, self-development, value orientation, commitment, and altruistic behavior on a 5- point Likert scale ranging from Strongly Disagree (1) to strongly Agree (5).

This scale is specifically designed to measure emotional intelligence in the Indian socio-cultural context and has been widely applied in educational and organizational research.

The scale demonstrates high internal consistency , with a Cronbach's alpha of $\alpha = 0.88$, indicating that the items are reliably measuring emotional intelligence. The test-retest reliability coefficient is 0.73, suggesting stability of responses over time.

The scales exhibits strong content validity, as the items were developed based on experts input to ensure that all relevant aspects of emotional intelligence were represented. The scales also shows good construct validity, significant positive correlations with related psychological variables such as motivation, interpersonal competence, and emotional control. Its development within the Indian context also supports its cultural validity and practical application in Indian samples.

- Perceived Stress (PSS-10) Cohen, Kamarch, & Mermelstein,1983: Perceived Stress was assessed using the scale by Cohen, Kamarch and Mermelste in originally developed in 1983. It includes 10 items measuring the degree to which individuals perceive situations in their lives as stressful, unpredictable, and uncontrollable. Items are rated on a 5- point Likert scale ranging from

0(Never) to 4(Very often). This widely recognized and used across psychological research for evaluating the extent to which individuals perceive situations in their lives as stressful.

The PSS measures subjective stress that is how unpredictable, uncontrollable, and overloaded respondents find their lives. It does not focus on specific events or experiences, but rather on the general feeling of stress during the past month.

The PSS-10 demonstrates good internal consistency, with Cronbach's alpha typically ranging from 0.84 to 0.86 across diverse samples. In the original study by Cohen et al. (1983), the alpha value was reported as 0.84, indicating acceptable reliability.

In terms of validity, the PSS shows strong construct validity, as it correlates well with other psychological measures such as anxiety, depression, and physical health indicators. The scale also demonstrates predictive validity, with higher scores being associated with poorer health outcome. It has been successfully adapted and validated in various cultures and languages, confirming its cross-cultural applicability.

Procedure

Participants were informed about the study's aim and provided written consent. They completed the standardize questionnaire individually on online Google form. Responses were scored and compiled for analysis using SPSS 26. Independent samples t-tests were conducted to evaluate group differences across all variables. Correlation and Regression were applied after that. Depending on the outcome, either equal or unequal variances were assumed for the t-tests.

Result

Independent samples t-tests were conducted to evaluate group differences across all variables. Correlation and Regression were applied after that.

By computing Means and standard deviation of Emotional intelligence, Perceived stress and Aggression with their dimensions T test was applied. There were 10 dimensions of EI and 4 dimensions of aggression.

Table no. 1

Showing the results of t test generational difference in EI with Means and sd of Emotional Intelligence.

Generation	N	Mean	sd (±)	t (df=125)
Gen Y	82	4.1349	0.48875	3.57*
Gen Z	45	3.8346	0.40182	

* p>.05

As shown in table 1, one can clearly see the mean of Emotional intelligence is greater for Gen Y (N=82) 4.13 (±.48) than Gen Z (N=45) 3.83 (±.40). Calculated t value is more than table value so the result is significant at α=0.05.

The mean of Emotional Intelligence is lower for Gen Z than Gen Y.

Table no. 2

Showing the results of t test generational difference in EI with Means and sd of Perceived stress.

Generation	N	Mean	sd (±)	t (df=125)
Gen Y	82	1.6402	0.83944	3.46*
Gen Z	45	2.1156	0.50585	

* p>.05

As shown in table 2 the mean of Perceived stress is lower for Gen Y (N=82) 1.64 (±.84) than Gen Z (N=45) 2.11(±.50). Calculated t value is more than table value so the result is significant at α=0.05.

The mean of Perceived stress is higher for Gen Z than Gen Y.

Table no. 3

Means and sd of Aggression

Generation	N	Mean	sd (±)	t (df=125)
Gen Y	82	2.2969	0.79772	2.89*
Gen Z	45	2.7011	0.66166	

* p>.05

As shown in table 3 the mean of Aggression is lower for Gen Y (N=82) is 2.30 (±.79) than Gen Z (N=45) is 2.70(±.66). Calculated t value is more than table value so the result is significant at α=0.05. The mean of Aggression is higher for Gen Z than Gen Y.

Table no. 4

Showing Correlation of all variables with generation Z and Y

Pearson Correlation Coefficients between Perceived Stress, Emotional Intelligence, and Aggression (N = 127)

Variable	Perceived Stress	Emotional Intelligence	Aggression
Perceived Stress (PSS)	1.00	-.48**	.63**
Emotional Intelligence		1.00	-.50**
Aggression			1.00

Values are Pearson correlation coefficients. Note: **p < .01

Table no. 5

Correlation Matrix for Gen Y (n = 82)

Variable	Emotional Intelligence	Perceived Stress	Aggression
Emotional Intelligence	1	-.512**	-.478**
Perceived Stress		1	.601**
Aggression			1

Note: **p < .01 Correlation is significant at the 0.01 level

Table no. 6

Correlation Matrix for Gen Z (n = 45)

Variable	Emotional Intelligence	Perceived Stress	Aggression
Emotional Intelligence	1	-.431**	-.422**
Perceived Stress		1	.589**
Aggression			1

Note: **p < .01 Correlation is significant at the 0.01 level

Discussion

The main objective of the study was to understand whether there is any significant difference in Emotional intelligence among Gen Z and Gen Y. Also to understand how perceived stress affects the emotional intelligence and its relation with aggression.

The present study offers critical insights into the interplay between perceived stress (PS), emotional intelligence (EI), and aggression among two significant generational cohorts-Generation Z and Generation Y. Through quantitative analysis using standardized psychometric tools and statistical techniques, the research draws meaningful comparisons between the two groups, enhancing our understanding of how these psychological variables influence each other and manifest in behavioral outcomes.

Differences in Emotional Intelligence Between Generations

The results strongly indicate that individuals from Gen Y exhibit significantly higher emotional intelligence compared to Gen Z. Emotional intelligence, a psychological attribute encompassing emotional awareness, self-regulation, empathy, and interpersonal skills, appears to be more developed in Gen Y participants. This finding supports previous research by Nahata and Joshi (2023), who concluded that Gen Y individuals demonstrate greater emotional competence due to increased life experiences and workplace exposure. Gen Z, growing up in the digital era with less face-to-face interaction, may have fewer opportunities to develop these critical emotional skills.

Perceived Stress and Its Psychological Impact

The data show that Gen Z participants reported significantly higher levels of perceived stress than their Gen Y counterparts. This observation is in line with Singh and Rani's (2021) study, which highlighted that digital dependence and academic competitiveness lead to greater stress among Gen Z. These stressors, exacerbated by social comparison and fear of missing out (FOMO), present a serious concern for mental well-being. This supports the literature indicating that younger populations are more vulnerable to psychological stressors, particularly in rapidly

changing socio-economic environments (Twenge et al., 2019).

Relationship between Perceived Stress and Emotional Intelligence

The study revealed a strong inverse correlation between perceived stress and emotional intelligence. Higher levels of perceived stress were associated with lower emotional intelligence scores, indicating that stress can undermine one's ability to regulate emotions effectively. These findings are consistent with Gupta et al. (2014) and Ashhar (2024), who found that students with lower EI reported higher levels of stress. This inverse relationship was further confirmed by Neethu and Lokesh (2021) during the COVID-19 pandemic, demonstrating EI's protective function in managing stress during crises.

Emotional Intelligence as a Predictor of Aggression

Aggression, characterized by hostile or harmful behavior, was found to be inversely related to emotional intelligence. This finding corroborates studies by Patel et al. (2020) and Farnia et al. (2024), which emphasized that individuals with high EI were less likely to engage in aggressive behaviors due to their superior emotional regulation abilities. The current study adds to this body of evidence by demonstrating that Gen Y, with higher EI, displayed lower aggression, reinforcing the notion that EI serves as a buffer against emotional dysregulation.

Perceived Stress and Aggression

The data also highlighted a significant positive correlation between perceived stress and aggression. Participants experiencing higher levels of stress were more likely to display aggressive tendencies, especially if their emotional intelligence was not sufficiently developed. This result is consistent with the frustration-aggression hypothesis (Dollard et al., 1939), which states that unresolved frustration can lead to aggression, particularly in individuals lacking emotional regulation. Javaid et al. (2024) also emphasized this linkage in their review, showing that stress, without appropriate coping strategies, escalates aggressive responses in young adults.

Gender and Contextual Influences

While the study did not explicitly focus on gender differences, prior research by Vaishnaja and George (2022) and Sharma (2024) suggest that gender and contextual elements significantly moderate these psychological variables. Female participants may show higher emotional awareness but also greater stress sensitivity, and these nuances must be further explored in future studies. Cultural expectations in the Indian context, particularly concerning emotional expression and aggression, further shape these psychological patterns.

Relation of EI and PS in Gen Z and Gen Y

The findings of the present study show that emotional intelligence (EI) and perceived stress (PS) are negatively related in both Generation Z and Generation Y. Participants from Gen Z reported lower emotional intelligence and higher levels of perceived stress, whereas Gen Y showed comparatively higher emotional intelligence and lower stress. This indicates that individuals with higher EI are generally better at understanding and managing their emotions, which helps them experience lower levels of stress. The correlation analysis in the study supports this pattern, as both generations shows an inverse relationship between EI and PS, the association was stronger in Gen Y, reflecting their more mature emotional processing. These results align with earlier findings by Gupta et al. (2014) and Ashhar (2024), who observed that individuals with higher EI tend to interpret stressors more adaptively and demonstrate better coping skills.

Overall, the results highlight that variations in emotional intelligence influence how members of different generations experience and respond

to stress. Strengthening emotional intelligence-especially among Gen Z can significantly reduce perceived stress and improve psychological resilience. Therefore, EI-based intervention programs may be particularly effective for younger populations who face rapidly changing digital and social environments.

Literature Support and Validation

The inverse relationships among perceived stress, emotional intelligence, and aggression have been well-documented by multiple studies cited, including Goleman (1995), Mayer & Salovey (1997), and Baron & Richardson (1994). The study by Halder and Sujathamalini (2025), which emphasized the role of both emotional and spiritual intelligence in reducing aggression among youth, also supports the present findings. Additionally, the correlation matrices provided in the current study closely mirror those in earlier investigations, strengthening the reliability of results.

Implications for Intervention

The results call for proactive intervention strategies, particularly among Gen Z. Educational institutions and workplaces should implement training programs focused on enhancing emotional intelligence and teaching effective stress management techniques. Techniques such as mindfulness, cognitive-behavioral strategies, and emotional coaching can be highly beneficial. Additionally, promoting open discussions about mental health and emotional resilience can reduce stigma and encourage help-seeking behavior.

Conclusion

The study provides robust evidence that perceived stress adversely affects emotional intelligence, and in turn, lower emotional intelligence is associated with increased aggression. Gen Z appears more vulnerable in this chain, emphasizing the urgency for targeted interventions. Emotional intelligence emerges not just as a trait but as a vital skill that can be developed to foster resilience, reduce stress, and curtail aggression. These findings carry significant implications for psychological practice, education, and policy-making in promoting mental well-being across generations.

These findings suggest that the group differences are meaningful and may have practical implications for interventions or further research related to emotional intelligence and aggression management.

These results highlight the importance of emotional intelligence as a potential buffer against aggression and stress. Future research may focus on longitudinal or intervention-based studies to further explore the causal relationships among these constructs.

References

American Psychological Association. (2018). Stress in America: Generation Z. https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2018/stress-gen-z.pdf

Ashhar, V. (2024). Emotional intelligence and perceived stress among college students. International Journal of Indian Psychology, 12(1), 318-325. https://doi.org/10.25215/1201.037

Baron, R. A., & Richardson, D. R. (1994). Human aggression. Springer US.

Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452-459. https://doi.org/10.1037/0022-3514.63.3.452

Casey, L. (2020). Millennials and mental health: Trends and concerns. Journal of Youth Psychology, 34(2), 112-125.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396. https://doi.org/10.2307/2136404

Costanza, D. P., Badger, J. M., Fraser, R. L., Severt, J. B., & Gade, P. A. (2012). Generational differences in work-related attitudes: A meta-

analysis. Journal of Business and Psychology, 27(4), 375-394. https://doi.org/10.1007/s10869-012-9259-4

Deloitte. (2020). The Deloitte Global Millennial Survey 2020. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html

Dimock, M. (2019). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org

Estévez, E., Jiménez, T. I., & Moreno, D. (2022). Emotional intelligence and bullying in adolescents: A meta-analytic review. Psychosocial Intervention, 31(1), 1-10. https://doi.org/10.5093/pi2022a1

Farnia, F., Nafchi, A. M., & Shirbagi, N. (2024). Emotional intelligence and aggression among university students: The mediating role of empathy. Journal of Adolescence and Youth Studies, 12(2), 45-58.

Francis, T., & Hoefel, F. (2018). 'True Gen': Generation Z and its implications for companies. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com

Fromm, J., & Read, A. (2018). Marketing to Gen Z: The rules for reaching this vast and very different generation of influencers. AMACOM.

García-Sancho, E., Salguero, J. M., & Fernández-Berrocal, P. (2016). Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review. Personality and Individual Differences, 89, 135-142. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.10.055

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam Books.

Gupta, A., Koolwal, G. D., & Gehlot, S. (2014). Study of perceived stress and emotional intelligence among 1st year medical undergraduates in India. Journal of Contemporary Medical Education, 2(2), 63-67. https://doi.org/10.5455/jcme.20131209094837

Halder, S., & Sujathamalini, V. (2025). Role of spiritual and emotional intelligence in mental health and aggression reduction among Indian youth. Journal of Indian Psychology, 42(1), 45-60.

Javaid, M., Kumar, S., & Singh, P. (2024). Emotional intelligence and aggression: A systematic review among young adults in India. Indian Journal of Psychology and Behavioural Sciences, 15(2), 112-130.

Joseph, D. L., & Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence: An integrative meta-analysis and cascading model. Journal of Applied Psychology, 95(1), 54-78. https://doi.org/10.1037/a0017286

Kaur, M., & Soni, S. (2024). Perceived stress, loneliness, and fear of missing out: A comparative study between Gen Z and Millennials. International Journal of Indian Psychology, 12(2). https://doi.org/10.25215/1202.112

Khan, S., & Anwar, M. N. (2024). Emotional intelligence as a predictor of verbal aggression among junior high school students. Journal of School Psychology Research, 10(1), 23-38.

King's College London (KCL). (2023). Youth mental health in decline: Generational survey insights. https://www.kcl.ac.uk/news/youth-mental-health-in-decline

Kumar, R., & Boddu, S. (2025). Perceived stress and its physical health impact among Indian youth: Evidence from urban populations. Indian Journal of Health Psychology, 10(1), 33-47.

Lomas, J., Stough, C., Hansen, K., & Downey, L. A. (2021). Emotional intelligence and aggression in children: The importance of early emotional development. Early Child Development and Care, 191(3), 411-421. https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1615952

Malouff, J. M., Schutte, N. S., & Thorsteinsson, E. B. (2017). The relationship between the ability-based emotional intelligence model and aggression: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 34, 27-35. https://doi.org/10.1016/

j.avb.2017.02.005
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications (pp. 3-31). Basic Books.
Microsoft Canada. (2015). Attention spans. https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/
NHS Digital. (2023). Mental health of children and young people in England, 2023. https://digital.nhs.uk/data-and-information
Ng, E. S., Schweitzer, L., & Lyons, S. T. (2010). New generation, great expectations: A field study of the millennial generation. Journal of Business and Psychology, 25(2), 281-292.
Patel, S., Sharma, R., & Dutta, P. (2020). Emotional intelligence and aggressive behaviors in adolescents: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 76(8), 1456-1470. https://doi.org/10.1002/jclp.22999
Petrides, K. V., & Furnham, A. (2018). Trait emotional intelligence: A theory and review of the empirical literature. Journal of Psychoeducational Assessment, 36(1), 1-17. https://doi.org/10.1177/0734282917746046
Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211. https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG
Schroth, H. (2019). Are you ready for Gen Z in the workplace? California Management Review, 61(3), 5-18.
Seemiller, C., & Grace, M. (2016). Generation Z goes to college. Jossey-Bass.
Sharma, N. (2024). Comparative analysis of workplace stress and resilience in Generation Z and Generation Y. International Journal of Social Sciences and Management, 12(4), 150-165.
Singh, S., & Rani, S. (2021). Comparative study of perceived stress and emotional intelligence among Gen Z and Gen Y. International Journal of Indian Psychology, 9(2), 1000-1009. https://doi.org/10.25215/0902.118
Twenge, J. M. (2017). iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy-and completely unprepared for adulthood. Atria Books.
Twenge, J. M., Cooper, A. B., Joiner, T. E., Duffy, M. E., & Binau, S. G. (2019). Age, period, and cohort trends in mood disorder indicators and suicide-related outcomes in a nationally representative dataset, 2005-2017. Journal of Abnormal Psychology, 128(3), 185-199. https://doi.org/10.1037/abn0000410
Vaishnaja, S., & George, S. (2022). Perceived stress in relation to emotional intelligence among emerging adults. International Journal of Indian Psychology, 10(4), 2022-2031. https://doi.org/10.25215/1004.1821
Williams, K. D., Forgas, J. P., & von Hippel, W. (2020). Aggression in the digital age: Understanding the impact of cyberbullying and digital stress. Social and Personality Psychology Compass, 14(1), e12528.
Wong, M., Gardiner, E., Lang, W., & Coulon, L. (2008). Generational differences in personality and motivation: Do they exist and what are the implications for the workplace? Journal of Managerial Psychology, 23(8), 878-890. https://doi.org/10.1108/02683940810904376
Wood, D. (2021). The digital self: Identity in a connected generation. Journal of Youth Identity Studies, 9(1), 12-27.

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता का अध्ययन

प्रो. (डॉ.) विनोद कुमार उपाध्याय
निर्देशक
प्राचार्य (शिक्षा संकाय)
महाराजा विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय,
जयपुर (राज.)

सुमन यादव
शोधार्थी
महाराजा विनायक ग्लोबल
विश्वविद्यालय,जयपुर (राज.)

सारांश–

सूचना तकनीकी के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व सर्वाधिक है। आज कम्प्यूटर तकनीक में सबसे ताजा आश्चर्य है–इंटरनेट। देखते–देखते यह एक ऐसा भंडार बन गया है, जिसमें जो कुछ भी दुनिया में है, वह सब उसमें मौजूद है। राजनीति, विज्ञान, कला, खेल एवं शिक्षा किसी भी क्षेत्र की सूचना चाहिए तो वह वहाँ है। विशाल से विशाल पुस्तकालय उपलब्ध है। हम इन्टरनेट पर घूमते हुए दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे दूसरे इन्टरनेट उपभोक्ता से सम्पर्क कर सकते हैं और विचार मिले तो दोस्ती भी कर सकते हैं। प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता का अध्ययन करना। उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता का अध्ययन करना। उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता का अध्ययन करना। प्रस्तुत शोध कार्य में उच्च माध्यमिक स्तर के 600 विद्यार्थियों को यादृच्छिक विधि से चयन किया गया। दत्तों के विश्लेषण हेतु शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण कर टी–परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। शोध के निष्कर्ष में पाया कि उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता में सार्थक अन्तर पाया गया। उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता में सार्थक अन्तर पाया गया। उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता में सार्थक अन्तर पाया गया। उपरोक्त निष्कर्षों से पता चलता है कि ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) की इन्टरनेट उपयोगिता में सार्थक अन्तर पाया गया। जिसका कारण शहरी विद्यार्थियों द्वारा इन्टरनेट का अधिक उपयोग करना है।

मुख्य शब्द– उच्च माध्यमिक, इन्टरनेट

प्रस्तावना–

जिस गति से समाज के सभी क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी का प्रभाव बढ़ रहा है, उस प्रभाव से शिक्षा जगत कैसे अछूता रह सकता है। इसलिए शिक्षा जगत में आए दिन किसी न किसी नूतन प्रयोग का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसलिए इसमें शिक्षण तकनीकी जैसा एक विषय जुड़ गया है। शिक्षा में त्वरित गति से शुद्धता के साथ किसी समसया का हल निकाल देना एक नितान्त आवश्यक तकनीक है, जिसका प्रयोग शिक्षा जगत में कम्प्यूटर के रूप में जाना जाता है। वैसे इसका उपयोग समाज के सभी क्षेत्रों, उद्योगों, रेल्वे, यातायात के साधनों विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधानों में, चिकित्सा, बिजली, डाक सेवा आदि सभी क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है तो इसके प्रभाव से शिक्षा कैसे बच सकती है।

सूचना तकनीकी के क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व सर्वाधिक है। आज कम्प्यूटर तकनीक में सबसे ताजा आश्चर्य है–इंटरनेट। देखते–देखते यह एक ऐसा भंडार बन गया है, जिसमें जो कुछ भी दुनिया में है, वह सब उसमें मौजूद है। राजनीति, विज्ञान, कला, खेल एवं शिक्षा किसी भी क्षेत्र की सूचना चाहिए तो वह वहाँ है। विशाल से विशाल पुस्तकालय उपलब्ध है। हम इन्टरनेट पर घूमते

हुए दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे दूसरे इन्टरनेट उपभोक्ता से सम्पर्क कर सकते हैं और विचार मिले तो दोस्ती भी कर सकते हैं।

समस्या का औचित्य–

इन्टरनेट और मोबाइल ऐसोसिऐशन के अध्ययन के अनुसार 5 करोड़ लोग फेसबुक पर और एक करोड़ 30 लाख लोग इलेक्ट्रानिक सूचना प्रोद्योगिकी और संचार माध्यमों का विभिन्न क्षेत्रों जैसे– सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जबरदस्त प्रचलन आधुनिक युग की नायाब देन है। फेसबुक, ट्वीटर और गूगल जैसे सामाजिक नेटवर्किंग स्थल ऐसे बड़े संसाधन एवं माध्यम प्रमाणित हुए हैं जो हजारों मील दूर दराज के एवं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लोगों को पास लाने, जोड़ने उनमें बातचीत करने, परस्पर समझने, रिश्ते जोड़ने और गलत फहमियों को दूर करने की राहें उपलब्ध कराते हैं। एक बार सर्चिंग व चेटिंग करने के बाद मन में कई बार यह लालसा पैदा होती है कि क्यों न ई–मेल पर समय बिताया जाये। किसी सामाजिक कार्यक्रम में मिलकर प्रगाढ़ता में नये रंग भरे जाये। शहरों और कस्बों में तो बिजली, पानी, टेलीफोन आदि बिलों का भुगतान जिस ई–मेल से कराया जाता है। यह भी इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रोद्योगिकी का चमत्कार ही तो है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रानिकी, सूचना प्रोद्योगिकी और सूचना माध्यमों से लाखों करोड़ों लोगों के काम आनन–फानन हो जाते हैं। ये सभी समय, श्रम और धन का अव्यय रोकने के अचूक साधन है। महिलाओं, बुजुर्गों, विद्यार्थियों, कार्यालय, कर्मचारियों, व्यापारियों, औद्योगिक धरानों, किसानों, कारीगरों सभी के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।

अतः शोधार्थी ने अपने शोध का विषय "उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता का अध्ययन" चुना है। जो वर्तमान समय में औचित्यपूर्ण है।

शोध के उद्देश्य–

1. उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ–

1. उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि–

प्रस्तुत शोध के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध में यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा अलवर जिले के उच्च माध्यमिक स्तर के 600 विद्यार्थियों को लिया गया है। जिसमें ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थी हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

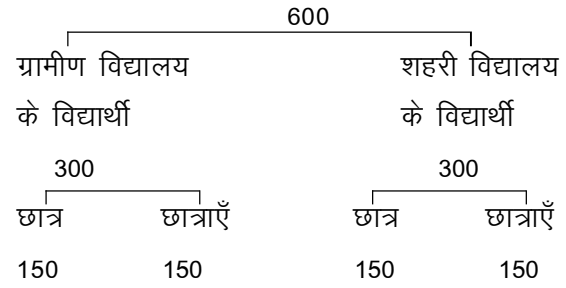

शोध के उपकरण–

प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित "इन्टरनेट उपयोग मापनी" का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी–

प्रस्तुत शोध में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण–

परिकल्पना संख्या 1– उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.1

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत
ग्रामीण विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता	300	25.34	2.33	13.00	दोनों स्तर पर अस्वीकृत
शहरी विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता	300	27.94	2.52		

0.05 स्तर पर टी–मान = 1.96

स्वतंत्रता के अंश = 598

0.01 स्तर पर टी–मान = 2.58

तालिका संख्या 4.1 में स्वतंत्रता के अंश 598 पर टी का मान 13.00 प्राप्त हुआ। जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक टी–मान 1.96 एवं 2.58 से अधिक है। अतः परिकल्पना "उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" दोनों स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना संख्या 2– उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.2

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत
ग्रामीण छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता	150	26.53	2.04	9.67	दोनों स्तर पर अस्वीकृत
शहरी छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता	150	29.14	2.59		

0.05 स्तर पर टी–मान = 1.97

स्वतंत्रता के अंश = 298

0.01 स्तर पर टी–मान = 2.59

तालिका संख्या 4.2 में स्वतंत्रता के अंश 298 पर टी का मान 9.67 प्राप्त हुआ। जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक टी–मान 1.97 एवं 2.59 से अधिक है। अतः परिकल्पना "उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" दोनों स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना संख्या 3– उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या 4.3

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत
ग्रामीण छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता	150	24.16	1.99	11.73	दोनों स्तर पर अस्वीकृत
शहरी छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता	150	26.74	1.77		

0.05 स्तर पर टी–मान = 1.97

स्वतंत्रता के अंश = 298

0.01 स्तर पर टी–मान = 2.59

तालिका संख्या 4.3 में स्वतंत्रता के अंश 298 पर टी का मान 11.73 प्राप्त हुआ। जो 0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक टी–मान 1.97 एवं 2.59 से अधिक है। अतः परिकल्पना "उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" दोनों स्तर पर अस्वीकृत की जाती है।

शोध से प्राप्त निष्कर्ष–

1. उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की इन्टरनेट उपयोगिता में सार्थक अन्तर पाया गया।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी छात्रों की इन्टरनेट उपयोगिता में सार्थक अन्तर पाया गया।
3. उच्च माध्यमिक स्तर की ग्रामीण व शहरी छात्राओं की इन्टरनेट उपयोगिता में सार्थक अन्तर पाया गया।

उपरोक्त निष्कर्षों से पता चलता है कि ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) की इन्टरनेट उपयोगिता में सार्थक अन्तर पाया गया। जिसका कारण शहरी विद्यार्थियों द्वारा इन्टरनेट का अधिक उपयोग करना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

– अग्निहोत्री, रवीन्द्र (2008) : आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएं और समाधान, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

– ढ़ौडियाल, सच्चिदानन्द और पाठक, अरविन्द (1982) : शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, जयपुर, मनोज प्रिन्टर।

– कपिल, एच. के. (1995) : अनुसंधान की विधियाँ, आगरा, हरिप्रसाद भार्गव।

–कौल, लोकेश (2005) : मैथोडोलोजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस।

कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का अध्ययन

डॉ. पल्लव पाण्डे
शोध निर्देशक
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी विश्वविद्यालय), उदयपुर (राज.)

रितिका जाट
शोधकर्त्री
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड–टू–बी विश्वविद्यालय), उदयपुर (राज.)

प्रस्तावना :

यह आम तौर पर माना जाता है कि उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धी खेलों में मनोवैज्ञानिक कारकों का महत्वपूर्ण महत्व है। संज्ञानात्मक चिंता की विशेषता प्रदर्शन के बारे में नकारात्मक चिंताएं, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और बाधित ध्यान हैं (क्रैन एंड विलियम्स, 1994)। दैहिक चिंता में एक व्यक्ति की धारणाएं शामिल होती हैं, जो पसीने से तर हथेलियों, तितलियों और कंपकपी (मार्टेंस, बर्टन, वीली, बम्प और स्मिथ, 1990) जैसे संकेतों से पहचानी जाती हैं (मार्टेंस, बर्टन, वीली, बम्प और स्मिथ, 1990)। जहाँ तक कबड्डी का सवाल है, यह सुझाव दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक कारक किसी प्रतियोगिता में और भी अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो सफल और कम सफल टीमों के बीच अंतर करते हैं। एथलेटिक प्रदर्शन के लिए निर्णायक प्रतिस्पर्धा के विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय के दौरान वांछित एथलेटिक प्रदर्शन स्तर को बनाए रखने की क्षमता है, जैसे दबाव वाली स्थितियों के दौरान जो आम तौर पर चिंता के ऊँचे स्तर को जन्म देती है (उदाहरण के लिए, करो या मरो, सुपर टैकल) या अप्रत्याशित प्रतिकूलताओं के संपर्क में आने पर (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रतिकूल अंपायर कॉल)। इस प्रकार की स्थितियाँ स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब एथलीट, जो सीमांत शारीरिक और तकनीकी मतभेदों से अलग होते हैं, करीबी मुकाबले वाले मैचों, खेलों या दौड़ में लगे होते हैं। ये काफी हद तक एथलीटों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर निर्भर हैं। ये विशेषताएँ मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक स्थिरता प्रतीत होती हैं।

इस खेल का एक लंबा इतिहास है जो प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। इसका आविष्कार संभवतः व्यक्तियों द्वारा समूह हमलों को रोकने के लिए किया गया था और इसके विपरीत भी। यह खेल एशिया के दक्षिणी भाग में अलग–अलग रूपों में अलग–अलग नामों से खेला जाने वाला बहुत लोकप्रिय खेल था। महान भारतीय महाकाव्य, ''महाभारत'' के एक नाटकीय संस्करण में, पांडव राजाओं के उत्तराधिकारी अभिमन्यु द्वारा सामना की गई एक कठिन परिस्थिति की तुलना इस खेल से की गई है, जब वह चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ था। बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध द्वारा मनोरंजन के लिए कबड्डी खेलने का वर्णन मिलता है। इतिहास यह भी बताता है कि पहले के राजकुमार अपनी ताकत दिखाने और अपनी दुल्हनों को जीतने के लिए कबड्डी खेलते थे। (राव. 2002)

खेल में चपलता, फेफड़ों की अच्छी क्षमता, माँसपेशियों का समन्वय, दिमाग की उपस्थिति और त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। एक अकेले खिलाड़ी के लिए सात विरोधियों से मुकाबला करना कोई मामूली काम नहीं है, इसके लिए साहस के साथ–साथ ध्यान केंद्रित करने और प्रतिद्वंद्वी की चाल का अनुमान लगाने की क्षमता की भी आवश्यकता होती है।

मानसिक दृढ़ता इंगित करती है कि मानसिक रूप से मजबूत एथलीट किसी न किसी तरह से निपट सकते हैं, वे हारने, खराब खेलने या कठोर बात किए जाने

से आसानी से परेशान नहीं होते हैं, वे बिना आहत हुए कड़ी आलोचना स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें अपने कोचों से बहुत अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यह यथार्थवादी, आत्मनिर्भर और निंदक व्यवहार में भी प्रकट होता है। कैटेल (1960) ने कठोर सोच वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है जो भावनात्मक रूप से परिपक्व है, कार्य में स्वतंत्र है और हालांकि, अपने और दुनिया के मूल्यांकन में कठोर और यथार्थवादी है जो उसकी भावनाओं पर हावी हो सकता है और अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में चिंता नहीं दिखाता है।

भावनात्मक स्थिरता की विशेषता परिपक्वता, स्थिरता काफी यथार्थवाद, विक्षिप्त थकान की अनुपस्थिति, शांति, अप्रभावितता, आशावाद और आत्म–अनुशासन है। दूसरी ओर, भावनात्मक अस्थिरता की विशेषता निराशा, अपरिपक्वता, अस्थिरता, उच्च उत्तेजना, टाल–मटोल, शब्दाडंबर और विक्षिप्त थकावट के प्रति कम सहनशीलता है। गतिविधि में कमी, आत्मविश्वास में कमी और पहल की सामान्य हानि के साथ उच्च स्तर की चिंता और आशंका भी है।

सही निर्णय लेने के क्षमता एक महत्वपूर्ण कौषल है जो किसी व्यक्ति की सफलता या विफलता को निर्धारत कर सकता है। मानसिक दृढ़ता का हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इसके प्रभाव का पता लगाएगा। मानसिक दृढ़ता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक जोखिम और पुरस्कारों का आकलन करने की क्षमता है।

शोध परिकल्पना :

अध्ययन के क्षेत्र के अनुभव और उपलब्ध ज्ञान के आधार पर, निम्नलिखित परिकल्पनाएँ तैयार की गईं–

1. पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध परिसीमन :

1. प्रस्तुत शोध को अजमेर सम्भाग के खिलाड़ियों तक सीमित रखा गया है।

2. यह अध्ययन 400 कबड्डी खिलाड़ियों तक सीमित हैं जिसमें 200 पुरूष एवं 200 महिला खिलाड़ीं हैं।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण विधि का चयन किया जाएगा। क्योंकि यह विधि वर्तमान परिस्थितियों तथा वस्तुओं के अध्ययन हेतु प्रयोग में ली जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त विधि है।

न्यादर्श चयन

प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के अजमेर सम्भाग के 400 कबड्डी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। शोधकर्त्री ने कबड्डी खिलाड़ियों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है। जिसमें 200 पुरूष एवं 200 महिला कबड्डी खिलाड़ियों के दो समूह बनाये गये है।

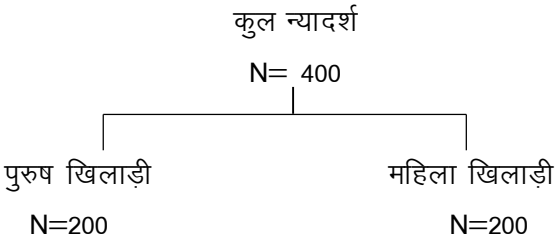

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध में दत्तों के संकलन हेतु निम्नांकित शोध उपकरण का प्रयोग किया गया।

1.मानसिक दृढ़ता प्रश्नावली हेतु – तिवारी द्वारा तैयार प्रश्नावली।

शोध का औचित्य :

भारत में, कबड्डी एक लोकप्रिय खेल है, जो लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा खेला जाता है। चूँकि शोधकर्ता कबड्डी खेल का खिलाड़ी और प्रशिक्षक था। यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में निर्णय क्षमता, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक स्थिरता कारकों की पहचान करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कबड्डी खिलाड़ियों पर बहुत कम शोध किया गया है, जिसने अन्वेषक को अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया।

सांख्यिकीय विश्लेषण :

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शोध में निम्नांकित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाएगा–

1. मध्यमान
2. प्रमाप विचलन
3. टी–परीक्षण

प्राप्त दत्तों का विष्लेशण एवं व्याख्या :

कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता का पता लगाना।

कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र छत्र400) की मानसिक दृढ़ता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली से प्राप्त दत्तों का विश्लेषण करने पर जो परिणाम प्राप्त हुए वह इस प्रकार है :–

सारणी संख्या 1

कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक .ढ़ता

क्र.सं.	क्षेत्र	मध्यमान	मानक विचलन
1	आत्म विश्वास	31.90	1.14
2	धैर्य	44.04	1.47
3	लक्ष्य निर्धारण	33.20	15.61
4	एकाग्रता	21.69	1.30
	कुल क्षेत्रों पर	130.83	15.93

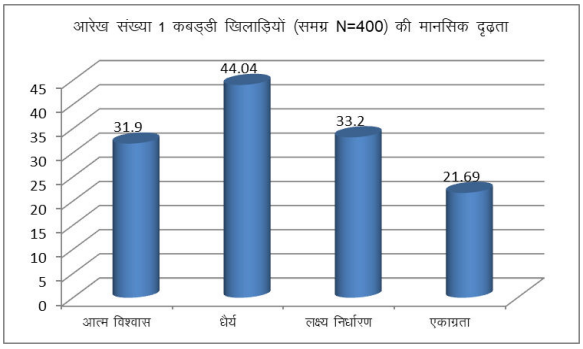

व्याख्या :

उपरोक्त सारणी एवं आरेख संख्या 1 में कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता का पता लगाना के कुल क्षेत्रों का मध्यमान 128.82 प्राप्त हुआ है जबकि मानक विचलन 15.93 प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता मजबूत है। कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता का क्षेत्रवार विष्लेशण इस प्रकार है।

1. क्षेत्र प्रथम–आत्म विश्वास : कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक .ढ़ता के प्रथम क्षेत्र 'आत्म विश्वास' का मध्यमान 31.90 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.14 प्राप्त हुआ। अतः कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता के प्रथम क्षेत्र 'आत्म विश्वास' के साथ खिलाड़ी अपनी टीम के डिफेंस पर पूरा भरोसा करते है। मैच के दौरान मनोबल बनाए रख, खेल पूर्ण आत्म विष्वास के साथ खेलते हैं।

2. क्षेत्र द्वितीय–धैर्य : कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र छत्र400) की मानसिक दृढ़ता के द्वितीय क्षेत्र 'धैर्य' का मध्यमान 42.04 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.47 प्राप्त हुआ। अतः कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता के द्वितीय क्षेत्र 'धैर्य' में खिलाड़ी पहले टीम को शांत रहना और धैर्य रखने, सही पल का इंतजार करने तथा बोनस लाइन पार करके पकड़ा जाना ही धैर्य का परिचय मिलता है।

3. क्षेत्र तृतीय–लक्ष्य निर्धारण : कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता के तृतीय क्षेत्र 'लक्ष्य निर्धारण' का मध्यमान 33.20 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 15.61 प्राप्त हुआ। अतः कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता के तृतीय क्षेत्र 'लक्ष्य निर्धारण' में प्रत्येक रेड में सफलतापूर्वक अंक लाना एकमात्र लक्ष्य है।

4. क्षेत्र चतुर्थ–एकाग्रता : कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता के चतुर्थ क्षेत्र 'एकाग्रता' का मध्यमान 21.69 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.30 प्राप्त हुआ। अतः कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक .ढ़ता के चतुर्थ क्षेत्र 'एकाग्रता' में खेल के प्रति मन भटकने, बोनस लाइन पार करने के लिए खिलाड़ी को एकाग्र होना, एकाग्रता ही जीत–हार का एकमात्र कारण है।

उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि कबड्डी खिलाड़ियों (समग्र N=400) की मानसिक दृढ़ता के सभी क्षेत्र आत्म विश्वास, धैर्य, लक्ष्य निर्धारण तथा एकाग्रता पायी गयी।

पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का पता लगाना।

पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली से प्राप्त दत्तों का विष्लेशण करने पर जो परिणाम प्राप्त हुए वह इस प्रकार है :–

सारणी संख्या 2

पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता

क.सं.	क्षेत्र	मध्यमान	मानक विचलन
1	आत्म विश्वास	31.47	1.27
2	धैर्य	41.51	1.52
3	लक्ष्य निर्धारण	31.98	11.14
4	एकाग्रता	21.59	1.20
	कुल क्षेत्रों पर	126.55	11.71

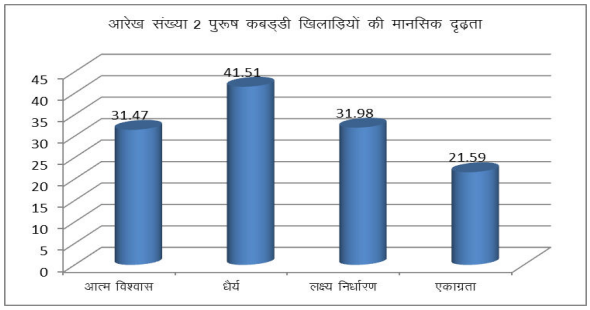

व्याख्या :

उपरोक्त सारणी एवं आरेख संख्या 2 में पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का पता लगाना के कुल क्षेत्रों का मध्यमान 126.55 प्राप्त हुआ है जबकि मानक विचलन 11.71 प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता मजबूत है। पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का क्षेत्रवार विश्लेषण इस प्रकार है।

1. क्षेत्र प्रथम–आत्म विश्वास : पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के प्रथम क्षेत्र 'आत्म विश्वास' का मध्यमान 31.47 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.27 प्राप्त हुआ। अतः पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के प्रथम क्षेत्र 'आत्म विश्वास' के साथ खिलाड़ी अपनी टीम के डिफेंस पर पूरा भरोसा करते है। मैच के दौरान मनोबल बनाए रख, खेल पूर्ण आत्म विश्वास के साथ खेलते हैं।

2. क्षेत्र द्वितीय–धैर्य : पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के द्वितीय क्षेत्र 'धैर्य' का मध्यमान 41.51 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.52 प्राप्त हुआ। अतः पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के द्वितीय क्षेत्र 'धैर्य' में खिलाड़ी पहले टीम को शांत रहना और धैर्य रखने, सही पल का इंतजार करने तथा बोनस लाइन पार करके पकड़ा जाना ही धैर्य का परिचय मिलता है।

3. क्षेत्र तृतीय–लक्ष्य निर्धारण : पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के तृतीय क्षेत्र 'लक्ष्य निर्धारण' का मध्यमान 31.98 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.20 प्राप्त हुआ। अतः पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के तृतीय क्षेत्र 'लक्ष्य निर्धारण' में प्रत्येक रेड में सफलतापूर्वक अंक लाना एकमात्र लक्ष्य है।

4. क्षेत्र चतुर्थ–एकाग्रता : पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के चतुर्थ क्षेत्र 'एकाग्रता' का मध्यमान 21.59 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.20 प्राप्त हुआ। अतः पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के चतुर्थ क्षेत्र 'एकाग्रता' में खेल के प्रति मन भटकने, बोनस लाइन पार करने के लिए खिलाड़ी को एकाग्र होना, एकाग्रता ही जीत–हार का एकमात्र कारण है।

उपरोक्त विष्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि पुरूष कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के सभी क्षेत्र आत्म विश्वास, धैर्य, लक्ष्य निर्धारण तथा एकाग्रता पायी गयी।

महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का पता लगाना :

महिला (N=200) कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता

का पता लगाने के लिए प्रश्नावली से प्राप्त दत्तों का विश्लेषण करने पर जो परिणाम प्राप्त हुए वह इस प्रकार है :–

सारणी संख्या 3

क.सं.	क्षेत्र	मध्यमान	मानक विचलन
1	आत्म विश्वास	29.78	1.66
2	धैर्य	39.84	1.88
3	लक्ष्य निर्धारण	29.81	1.89
4	एकाग्रता	20.35	1.60
	कुल क्षेत्रों पर	119.79	4.82

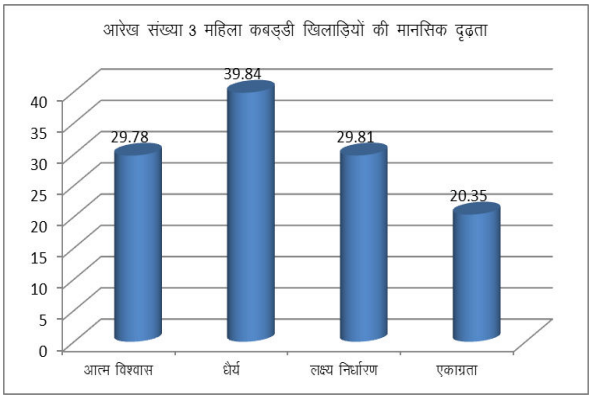

व्याख्या :

उपरोक्त सारणी एवं आरेख संख्या 3 में महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के कुल क्षेत्रों का मध्यमान 126.55 प्राप्त हुआ है जबकि मानक विचलन 11.71 प्राप्त हुआ है। इस पता चलता है कि महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता मजबूत है। महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का क्षेत्रवार विष्लेशण इस प्रकार है।

1. क्षेत्र प्रथम–आत्म विश्वास : महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के प्रथम क्षेत्र 'आत्म विश्वास' का मध्यमान 29.78 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.66 प्राप्त हुआ। अतः महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के प्रथम क्षेत्र 'आत्म विश्वास' के साथ खिलाड़ी अपनी टीम के डिफेंस पर पूरा भरोसा करते है। मैच के दौरान मनोबल बनाए रख, खेल पूर्ण आत्म विष्वास के साथ खेलते हैं।

2. क्षेत्र द्वितीय–धैर्य : महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के द्वितीय क्षेत्र 'धैर्य' का मध्यमान 39.84 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.88 प्राप्त हुआ। अतः महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के द्वितीय क्षेत्र 'धैर्य' में खिलाड़ी पहले टीम को षांत रहना और धैर्य रखने, सही पल का इंतजार करने तथा बोनस लाइन पार करके पकड़ा जाना ही धैर्य का परिचय मिलता है।

3. क्षेत्र तृतीय–लक्ष्य निर्धारण : महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के तृतीय क्षेत्र 'लक्ष्य निर्धारण' का मध्यमान 29.81 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.89 प्राप्त हुआ। अतः महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के तृतीय क्षेत्र 'लक्ष्य निर्धारण' में प्रत्येक रेड में सफलतापूर्वक अंक लाना एकमात्र लक्ष्य है।

4. क्षेत्र चतुर्थ–एकाग्रता : महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक .ढ़ता के चतुर्थ क्षेत्र 'एकाग्रता' का मध्यमान 20.35 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन 1.60 प्राप्त हुआ। अतः महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के चतुर्थ क्षेत्र 'एकाग्रता' में खेल के प्रति मन भटकने, बोनस लाइन पार करने के लिए खिलाड़ी को एकाग्र होना, एकाग्रता ही जीत–हार का एकमात्र कारण है।

उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के सभी क्षेत्र आत्म विश्वास, धैर्य, लक्ष्य निर्धारण तथा एकाग्रता में पूर्णता पायी गयी।

पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का तुलनात्मक अन्तर ज्ञात करना।

पुरूष (N=200) एवं महिला (N=200) कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का पता लगाकर तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रश्नावली से प्राप्त दत्तों का विष्लेशण करने पर जो परिणाम प्राप्त हुए वह इस प्रकार हैः–

सारणी संख्या 3

पुरूश एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक .ढ़ता का तुलनात्मक अन्तर

क्र. सं.	क्षेत्र	मध्यमान		मानक विचलन		टी–मान	.05/.01 स्तर पर सार्थकता
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		
1.	आत्म विश्वास	31.47	29.78	1.27	1.66	22.06	.01 स्तर पर सार्थक
2.	धैर्य	41.51	39.84	1.52	1.88	18.82	.01 स्तर पर सार्थक
3.	लक्ष्य निर्धारण	31.98	29.81	11.14	1.89	5.27	.01 स्तर पर सार्थक
4.	एकाग्रता	21.59	20.35	1.20	1.60	17.00	.01 स्तर पर सार्थक
5.	कुल क्षेत्रों पर	126.55	119.79	11.71	4.82	14.64	.01 स्तर पर सार्थक

स्वतंत्रता के अंश – 398 पर

05 स्तर का टेबलमान–1.96

.01 स्तर का टेबलमान–2.58

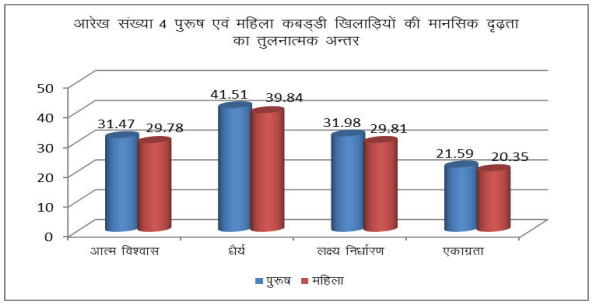

व्याख्या :

उपरोक्त सारणी एवं आरेख संख्या 4 पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का पता लगाने हेतु के कुल क्षेत्रों का पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों का मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमशः 126.55, 119.79 एवं 11.71, 4.82 प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि महिला कबड्डी खिलाड़ियों की अपेक्षा पुरूश कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता अच्छी है। पुरूश एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता का क्षेत्रवार तुलनात्मक विष्लेशण इस प्रकार है।

1. क्षेत्र प्रथम–आत्म विश्वास : पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के प्रथम क्षेत्र 'आत्म विश्वास' का मध्यमान क्रमशः 31.47, 29.78 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन क्रमषः 1.27, 1.66 प्राप्त हुआ। पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के प्रथम क्षेत्र 'आत्म विश्वास' में दोनों के मध्यमानों के बीच 1.17 जितना अंतर प्राप्त हुआ। टी परीक्षण के आधार पर प्राप्त टी मूल्य 22.06 जो .01 और .05 के क्रमशः टी सारणी मूल्य 2.58 एवं 1.96 से अधिक हैं। अतः सार्थक अन्तर पाया गया। यहॉ परिकल्पना संख्या–1 'पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता में सार्थक अन्तर नहीं होता है', अस्वीकार की जाती है।

2. क्षेत्र द्वितीय–धैर्य : पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के द्वितीय क्षेत्र 'धैर्य' का मध्यमान क्रमशः 41.51, 39.84 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन क्रमशः 1.52, 1.88 प्राप्त हुआ। पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के द्वितीय क्षेत्र 'धैर्य' में दोनों के मध्यमानों के बीच 0.57 जितना अंतर प्राप्त हुआ। टी परीक्षण के आधार पर प्राप्त टी मूल्य 7.21 जो .01 और .05 के क्रमशः टी सारणी मूल्य 2.58 एवं 1.96 से अधिक हैं। अतः सार्थक अन्तर पाया गया। यहॉ परिकल्पना संख्या–1 'पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता में सार्थक अन्तर नहीं होता है', अस्वीकार की जाती है।

3. क्षेत्र तृतीय–लक्ष्य निर्धारण : पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के तृतीय क्षेत्र 'लक्ष्य निर्धारण' का मध्यमान क्रमशः 31.98, 29.81 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन क्रमशः 11.14, 1.89 प्राप्त हुआ। पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के तृतीय क्षेत्र 'लक्ष्य निर्धारण' में दोनों के मध्यमानों के बीच 0.99 जितना अंतर प्राप्त हुआ। टी परीक्षण के आधार पर प्राप्त टी मूल्य 5.27 जो .01 और .05 के क्रमशः टी सारणी मूल्य 2.58 एवं 1.96 से अधिक हैं। अतः सार्थक अन्तर पाया गया। यहॉ परिकल्पना संख्या–1 'पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता में सार्थक अन्तर नहीं होता है', अस्वीकार की जाती है।

4. क्षेत्र चतुर्थ–एकाग्रता : पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के चतुर्थ क्षेत्र 'एकाग्रता' का मध्यमान क्रमशः 21.59, 20.35 प्राप्त हुआ। जबकि मानक विचलन क्रमशः 1.20, 1.60 प्राप्त हुआ। पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के चतुर्थ क्षेत्र 'एकाग्रता' में दोनों के मध्यमानों के बीच 1.24 जितना अंतर प्राप्त हुआ। टी परीक्षण के आधार पर प्राप्त टी मूल्य

17.00 जो .01 और .05 के क्रमशः टी सारणी मूल्य 2.58 एवं 1.96 से अधिक हैं। अतः सार्थक अन्तर पाया गया। यहॉ परिकल्पना संख्या–1 'पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता में सार्थक अन्तर नहीं होता है', अस्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के सभी क्षेत्र आत्म विश्वास, धैर्य, लक्ष्य निर्धारण तथा एकाग्रता अच्छी पायी गयी।

कुल क्षेत्रों पर 'पुरूष एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता के कुल क्षेत्रों सम्बन्धी मध्यमानों के बीच 6.56 जितना अंतर प्राप्त हुआ। टी परीक्षण के आधार पर प्राप्त टी मूल्य 14.64 जो .01 और .05 के क्रमशः टी सारणी मूल्य 2.58 एवं 1.96 से अधिक हैं। अतः यहॉ परिकल्पना–1 'पुरूश एवं महिला कबड्डी खिलाड़ियों की मानसिक दृढ़ता में सार्थक अन्तर नहीं होता है' अस्वीकार की जाती है।

संदर्भ सूची :

1 गैरेट, हैनरी, ई., सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

2 गैरेट, हैनरी, ई., ''शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी हिन्दी अनुवाद'' कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना।

3 कौल, लोकेश, शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

4 भण्डारी, रणजीत सिंह, निर्देशन–संदिर्शका, शैक्षिक एवं व्यावसायिक यूनिट मनोवैज्ञानिक आधार प्रभाग–3, एस. आई.ई.आर.टी., उदयपुर।

5 कपिल, एच.के., अनुसंधान विधियॉ, हर प्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन, आगरा।

6 पाठक, पी.डी., शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

7 चौहान, एस.एस., ''एडवान्स एजूकेषनल साइकोलोजी''

8 बेस्ट, जे. डब्ल्यू., रिसर्च इन एज्युकेशन प्रिंटिंग हॉल ऑफ इण्डिया प्रा. लि. नई दिल्ली

9 गणेशन, एन.एस., अनुसंधान प्राविधि सिद्धांत और प्रक्रिया, इलाहाबाद

10 Das, N.G. (2014). Statistical Methods. McGraw hill Education (India) Privet Limited.

11 Kamlesh, M.L. (2015). Methodology of Research in Physical Education and Sports. Sports Publication.

12 Uppal, A. K. (2001). Principles of Sports Training. Friends Publications (India).

13 Adhikari, A. & McNeely. E. (2015). Anthropometric Characteristic, Somatotype and Body Composition of Canadian Female Rowers. American Journal of Sports Science. 3(3) 61-66. doi: 10.11648/j.ajss.20150303.15.

15 Biswas. M., Bauri, R. & Halder, S. (2015). A Study on Personality Profile of Elite Kabaddi Players. Journal Of Humanities And Social Science, 20(10), 08-12. www.iosrjournals.org.

15 Dey, S. K., Khanna, G. L. & Batrat, M. (1994). Morphological and Physiological Studies on Indian National Kabaddi Players. British Journal of Sports Medicine, 27(4). 237-242. DOI: 10.1136/bjsm.27.4.237. Source: PubMed

16 Kumar, P. K & Choudhary, R. (2012). Subject's characteristics as functions of different playing positions in kabaddi. Research Journal of Physical Education and Sports Sciences, 1(1), 11-14. https://www. researchgate. net/publication/275973923.

डॉ. प्रीति राजपुरोहित का चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान

Dr. Deepak Rajpurohit,
Professor,
AICRP on PHET,
Department of Processing and Food Engineering,
CTAE, MPUAT, Udaipur.

।। कर्म कर ऐ मूढ़ मन तू कर्म कर ।।
तन को कर पाषाण तू, और श्वास को ज्वाला बना,
भाग्य के बल पर न जी, तू खुद ही अपना रथ चला।
इस जीवन को दिशा तु दे, एक लक्ष्य को स्थापित तु कर।
कर्म कर, ऐ मूढ़ मन, तू कर्म कर।।

ऋषिकेश चंद्र की इन पंक्तियों को चरितार्थ करती व महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं का निरंतर दिन–प्रतिदिन उपचार करती शक्सियत है डॉ. प्रीति राजपुरोहित।

भरोसा और आशीर्वाद दिखाई नहीं देते, पर यह मिलकर असम्भव को भी सम्भव बना देते हैं। राजस्थान के छोटे से गाँव से विश्व के सबसे बड़े शहरों तक का डॉ. प्रीति राजपुरोहित का सफर इसकी मिसाल है।

जोधपुर के पास छोटे से गाँव खेड़ापा में जन्मी डॉ. प्रीति राजपुरोहित के डॉक्टर बनने का सपना उनके नाना सज्जन सिंह जी राजपुरोहित ने प्रीति जी के जन्म के समय ही संजो लिया था।

सज्जन सिंह जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और अपनी लाड़ली नाती को सफेद एप्रन में देखने का उनका सपना सच में बदलने वाला था।

प्रीति जी के पिताजी श्री मनोहर सिंह जी राजपुरोहित किसान परिवार से थे व 1970 के दशक में पढ़ने हेतु पाली में अपने पैतृक गाँव निम्बाड़ा से बीकानेर आए थे। कम उम्र में शादी और घर की जिम्मेदारियां आने से कम उम्र से ही पढ़ने के साथ साथ कांट्रेक्टर के काम में लग गए। अगर कहा जाए की कड़ी मेहनत व मेहनत का जुनून डॉ. प्रीति जी को विरासत में मिला है तो गलत नहीं होगा।

पिताजी की कड़ी मेहनत ने प्रीति जी को बेहद प्रेरित किया है । पिताजी की हिम्मत ना हारने की प्रवृत्ति व बड़ी से बड़ी मुश्किलों का डट कर मुकाबला करने की सीख ने उनके चरित्र को बखूबी ढाला।

प्रीति जी के एक भाई और एक बहिन हैं। तीनो ही पढ़ने में बेहद उज्जवल। बेहद साधारण परिवार के होते हुए भी बिना ऐशो आराम की जिन्दगी के भी सिर्फ पढ़ाई ही प्रीति जी और उनके भाई बहन का लक्ष्य था।

प्रीति जी सदैव पढाई में अपनी क्लास में अव्वल थी व 10वी व 12वी के बोर्ड एग्जाम में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट

टोपर व राजस्थान प्रदेश मेरिट में प्रथम 10 की श्रेणी में शामिल थी।

पढ़ाई में उनकी लगन से उनके डॉक्टर बनने का उनके नाना का सपना भी जल्द ही पूरा हो गया जब उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा अव्वल अंको से पास की और अजमेर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां भी उन्होंने अपनी अव्वलता जारी रखी और 5 वर्षीया M.B.B.S की पढ़ाई में यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहीं।

उम्मीद कार्य की शुरुआत के लिये, जूनून कार्य करते रहने के लिये व सतत प्रयास कार्य समापन के लिये बेहद जरुरी होते हैं। प्रीति जी की डॉक्टर बनने की उम्मीद उनके नानाजी से आयी, कार्य का जूनून उनके पिताजी से व सतत प्रयास उनके स्वयं के आत्मविश्वास, कार्यशीलता व समर्पण से आया।

इस बीच M.B.B.S फाइनल एग्जाम से पहले उनकी शादी संदीप राजपुरोहित जी से हो गयी। संदीप राजपुरोहित जी जो खुद पेशे से इंजीनियर व देश के प्रतिष्ठित आई.आई.एम अहमदाबाद से डठ। हैं, उनका योगदान प्रीति जी की भविष्य की पढ़ाई में अतुल्य होने वाला था। प्रीति जी ने आगे की सारी पढ़ाई विवाह के बाद करी जो अपने आप में अनूठी मिसाल है।

प्रीति जी की इस पढ़ाई की लगन में विवाह पूर्व उनकी माताजी श्रीमती पुष्पा राजपुरोहित और विवाह उपरांत उनकी सासू जी श्रीमती पुष्पा कँवर पुरोहित का विशेष सहयोग रहा। संस्कारों से जुड़ाव जड़ों का, संग आशीर्वाद हमेशा बड़ो का, इस विचार की उनकी सफलता में मुख्य भूमिका रही।

प्रीति जी डॉक्टर तो बन गयी थी लेकिन उनके नानाजी का उन्हें बड़ा डॉक्टर बनते देखने का सपना अभी भी बाकी था, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत से संपूर्ण भारत में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा में उच्च वरीयता प्राप्त करी व इंदौर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रसूति व स्त्री रोग विभाग में उच्च शिक्षा प्राप्त करी।

3 वर्षीया MS के बाद प्रीति जी ने वहां भी सफलता का परचम लहराया व वहां भी यूनिवर्सिटी टोपर व गोल्ड मेडलिस्ट रही।

लेकिन उनका बड़ा डॉक्टर बनने का सपना अभी भी बाकी था।

MBBS, MS की उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली से DNB परीक्षा उत्तीर्ण करी। प्रीति जी की सर्जरी में विशेष रूचि के कारण उन्होंने दुरबीन सर्जरी में दक्षता के लिए देश के जाने माने ज्ञम्ड अस्पताल, मुंबई में 1 साल की पढ़ाई और दुरबीन सर्जरी की प्रैक्टिस करी।

कहते हैं कोयला तप कर ही हीरा बनता है। डॉ. प्रीति जी ने अभी भी रुकना नहीं सीखा था। उनका लक्ष्य अभी बाकी था। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर क्या देखना, कद आसमान का।

डॉ. प्रीति जी ने 1 साल के लिए एडवांस महिला कैंसर में देश के प्रसिद्ध गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में दाखिला लिया और एडवांस महिला कैंसर में दक्षता हासिल करी।

प्रीति जी को परिवारों में बढ़ रही निरूसंतानता समस्याओं ने एडवांस निरूसंतानता उपचार देने के लिए प्रेरित किया जिसके लिए उन्होंने 1 साल की एडवांस निःसंतानता उपचार, टेस्ट ट्यूब बेबी व IVF पर अहमदाबाद में पढ़ाई करी व दक्षता हासिल करी।

कहते हैं अच्छे कर्म की खुशबू चहुँ दिशाओं में फैलती है। प्रीति जी को देश के बाहर से भी काम के बड़े बड़े ऑफर आने लगे। अमेरिका से प्रीति जी ने निरूसंतानता में एडवांस फेलोशिप करी तो जर्मनी से उन्होंने एडवांस दुरबीन सर्जरी में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करी। जर्मनी एवं अमेरिका से प्रमाणित संभाग की पहली निःसंतानता व स्त्री रोग विशेषज्ञ होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ।

उन्हें कील यूनिवर्सिटी, जर्मनी द्वारा प्रमाण प्रदान किया गया जो कि एडवांस निःसंतानता उपचार का विश्व स्तरीय केंद्र है। इससे पहले अमेरिकन सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, अमेरिका द्वारा भी निःसंतानता उपचार में प्रमाणित

संभाग की पहली निःसंतानता विशेषज्ञ होने का गौरव प्राप्त हुआ।

प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिए विश्व की सबसे बड़ी उपलब्धि रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से डॉ प्रीति जी को MRCOG की उपाधि प्रदान की गयी जिसके बाद अब डॉ प्रीति जी विश्व में कहीं भी अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकती थी।

विश्व के बड़े बड़े सेन्टर्स उनकी सेवाओं के उच्छुक थे पर नियति कुछ और ही थी।

विश्व की सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी डॉ. प्रीति जी के मन में कुछ खाली खाली सा था।

जब भी प्रीति जी अपने गाँव निम्बाड़ा या अपने ननिहाल खेड़ापा जाती या फिर अपने घर बीकानेर आती तो वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को देख कर उनका मन विचलित सा हो जाता। वो सोचती की इतनी शिक्षा का क्या फायदा जब वो अपने गाँव, अपने परिवार, अपने शहर, अपने प्रदेश के लिए ही कुछ न कर पाएं।

डॉ. प्रीति जी ने समझा की इलाज का खर्च परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन रहा था और महिलाओं का उचित इलाज भी नहीं हो पा रहा था। तब डॉ. प्रीति जी ने दृढ़ निश्चय लिया की अपने प्रदेश, अपने शहर में रहकर उच्च स्वास्थ्य सेवाएं कम खर्च में दे कर वो सामाजिक स्वास्थ्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने विदेशों के करोड़ों रुपए के ऑफर्स को ठुकरा कर अपने प्रदेश, अपने शहर बीकानेर में छोटी सी शुरुआत की महिलाओं की एडवांस समस्यों के लिए।

सामाजिक उत्थान की पहल में परिवार की भमिका भी बेहद अहम होती है। जहाँ समाज अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अग्रसर होता है वहीं परिवार को दिया जाने वाला समय भी सामाजिक उत्थान में परिवर्तित हो जाता है।

अक्सर कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वैसे ही हर सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है।

इस निर्णय में उनके पति संदीप राजपुरोहित जी का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। विवाह उपरांत प्रीति जी की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की लम्बी व सफल यात्रा में संदीप जी का अभूतपूर्व योगदान रहा। दुनिया भर के बड़े से बड़े संस्थान को छोड़ कर बीकानेर जैसे छोटे शहर में आने के निर्णय में भी उनका संपूर्ण सहयोग रहा।

परिवार के योगदान व प्रीति जी की दक्षता से अब बीकानेर संभाग व राजस्थान प्रदेश में महिला स्वास्थ्य में क्रांति सी आ गयी थी। प्रीति जी के अथक प्रयासों से महिलाओं के उन्नत व जटिल से जटिल उपचार कम कीमत में हो रहे थे। किसी भी महिला को किसी भी इलाज के लिए अब संभाग व् प्रदेश से बाहर जाने की जरुरत नहीं थी। जो इलाज दिल्ली – मुंबई में लाखों रूपए में होते थे वो बीकानेर में अब कुछ हजार रूपए में होने लगे थे।

महिलाओं में जागरूकता आने में समय लगा। प्रीति जी ने गाँव–गाँव जा कर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए कोरोना काल मे भी डॉ. प्रीति जी ने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बंद नहीं करी।

कोरोना काल में उनकी अभुत्वपूर्व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्हें बीकानेर कोरोना वारियर के सम्मान से सम्मानित भी किया गया। स्वास्थ्य सेवाएं देने के दौरान सभी सावधानियों के बावजूद वो खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गयी।

डॉ. प्रीति जी के 90% तक फेफड़े कोरोना वायरस ने संक्रमित कर दिए। डॉ. प्रीति जी 40 दिन तक बेहद गंभीर अवस्था में ICU एवं ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिन्दगी मौत के बीच लड़ती रही। 5 महीने का गर्भधारण था जिसने स्वास्थ्य समस्याओं को और जटिल बना दिया था।

कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत। प्रीति जी ने हिम्मत नहीं हारी और 40 दिनों के बाद कोरोना को मात दी। कुछ महीनों बाद एक नन्ही गुडिया को जन्म दिया।

कहते हैं, वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जाता,

केवल सीखा जाता है। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, कुछ सीख दे कर ही जाता है। कोरोना संक्रमण का अनुभव भी उन्हें कुछ ऐसी ही सीख दे गया।

कोरोना संक्रमण एवं स्वस्थ होने के बीच, उन 40 दिनों में एक डॉक्टर की नजर से ज्यादा खुद को उन्होंने एक मरीज की नजर से देखा, अस्पतालों में मरीजों एवं उनके प्रियजनों के दर्द को बेहद करीब से महसूस किया। डॉ. प्रीति जी का मरीजों के प्रति समर्पण और सेवा भाव और अधिक बढ़ गया।

मैं ढूंढ़ता तुझे था, कुञ्ज और वन में,
मैं ढूंढता तुझे था, संगीत में भजन में,
पर माधव, तू मुझको मिला मानव सेवा में,
क्यों पहले समझ न पाया, तू रहता प्रभु कहाँ है।

डॉ. प्रीति जी ने समाजसेवी सिद्धांतों पर चलने, जरुरतमंदो की यथा संभव मदद करने व उनके दुख दर्द कम करने के प्रयत्न को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया।

डॉ. प्रीति राजपुरोहित की दक्षता व उनकी सोच "मानव सेवा ही माधव सेवा है" को जन मानस का अप्रतिम स्नेह मिला है। किसी भी चिकित्सक के लिए उनके अथक परिश्रम का इससे बेहतर पुरस्कार नहीं हो सकता।

कहते हैं, जब मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। किसी भी कार्य में सफलता न तो जादुई होती है, न ही रहस्यमय, यह निरंतर प्रयासों का स्वाभाविक परिणाम होता है।

डॉ. प्रीति राजपुरोहित जी की दक्षता और निरंतर प्रयासों के कारण संभाग को कई उपलब्धियां हासिल हुईं। इसी प्रयास में कुछ बेहद जटिल उपचार संभाग एवं प्रदेश में पहली बार किये गए :–

– राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा मायोमेक्टमी ऑपरेशन रू 15 किलो 400 ग्राम रसौली गाँठ का ऑपरेशन
– संभाग का पहला लैप्रोस्कोपिक म्यूसिनस सिस्टेडेनोमा
– संभाग का पहला सर्वाइकल लेयोमायोमा सर्जरी
– राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ा लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टॉमी
– संभाग का पहला गर्भाशय फाइब्रॉएड एम्बोलिजेशन
– संभाग में नयी पहल 'एमनियोसेंटेसिस' – गर्भस्थ शिशु का आनुवंशिक व गुणसूत्र निदान
– संभाग में एंडोमेट्रियोसिस के जटिल दूरबीन उपचार
– संभाग में हार्ट ब्लॉकेज – हार्ट वाल्व स्थापित हाई रिस्क महिलाओं की दूरबीन द्वारा गर्भाशय सर्जरी
– संभाग का पहला यूटरो–वेजाइनल अनास्टोमोसिस
– संभाग का पहला Takayasu Arteritis हाई–रिस्क प्रेगनेंसी केस
– संभाग का पहला लैप्रोस्कोपिक एडेनोमायोमेक्टोमी
– संभाग का पहला लैप्रोस्कोपिक सैक्रो–यूटरोपेक्सी ऑपरेशन
– संभाग का पहला दोहरे गर्भाशय हाई रिस्क प्रेग्नेंसी उपचार
– संभाग का पहला Sjogren's Syndrome हाई–रिस्क प्रेगनेंसी एवं गर्भपात उपचार
– संभाग की पहली ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम रिसेक्शन सर्जरी
– संभाग की पहली हिस्टेरोस्कोपिक सेप्टल रिसेक्शन सर्जरी
– दूरबीन द्वारा संभाग की सबसे बड़ी लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टॉमी
– दूरबीन द्वारा संभाग का सबसे बड़ा गर्भाशय गांठ का ऑपरेशन
– संभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा सर्वाइकल कैंसर के लिए पहली वेरथाइम सर्जरी
– संभाग की पहली लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी
– संभाग में पहली बार कमजोर ग्रीवा के लिए शिरोडकर सर्जरी
– संभाग में सबसे अधिक 92 वर्षीया महिला की यूटेराइन प्रोलैप्स सर्जरी
– संभाग की सबसे बड़ी टी.एल.एच (टोटल लप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टमी)
– संभाग में पहली बार एंडोमेट्रियोसिस के लिए दूरबीन

द्वारा एंडोमेट्रियल सर्जरी

– संभाग की पहली लैप्रोस्कोपिक एडनेक्सल डी–टॉरशन एवं ऊफोरोपेक्सी सर्जरी

चिकित्सक समाज का प्रतिबिंब हैं एवं उनमें सामाजिक स्वास्थ्य की झलक मिलती है। समाज के प्रति दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना एवं सुनिश्चित करना की इलाज के दौरान, मरीज एवं उनके परिवार पर आर्थिक भार कम पढ़ें, चिकित्सक की एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नैतिक जिम्मेदारी है।

इसी विश्वास के साथ डॉ. प्रीति राजपुरोहित निरंतर प्रयासरत हैं व उनके द्वारा कम कीमत में महिलाओं के उन्नत व जटिल से जटिल उपचार किये जा रहे हैं जो अनुशंसनीय व प्रशंसनीय है।

डॉ प्रीति राजपुरोहित जी की सरलता, सहजता, सकारात्मकता व उनकी समाज व देश के लिए समर्पित कार्यशैली सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। डॉ प्रीति राजपुरोहित जी के मिलनसार एवं ओजस्वी व्यक्तित्व से उत्साह का संचार होता है, समाज सेवा समर्पण से सदैव सिद्धांतों पर चलने की एवं मुश्किलों में सभी की मदद के लिए तत्पर रहने की सीख मिलती है। उनका सेवा भावना से परिपूर्ण व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।

प्रीति जी के शब्दों में :

अभी से पाँव के छाले न देखो, इम्तिहान है यहाँ कर्तव्य का,
और दूर फलक जाना है...

कहीं बरसते बादल होंगे,
कहीं धुप कड़कती होगी,
फिर भी किसी के सीने में,
कोई उम्मीद तो धड़कती होगी।
आलस का आँचल छोड़,
परिश्रम से प्यास बुझानी है,
निरंतरता की नींव पर,
लिखनी नयी कहानी है।
फूलों से लगने लगेंगे,
पथ भी ये पथरीले,
हाथों की ये लकीरें हैं,
चल बदल दें धीरे–धीरे।।

राजस्थान के संदर्भ में मोबाइल लाइब्रेरी एप्लिकेशन और संस्थागत भंडारों में डिजिटल साक्षरता की भूमिका: एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण

अनिल चौधरी
रिसर्च स्कोलर
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राज.
ई–मेल
anilchoudharyrsru2024@gmail.com

विजेन्द्र कुमार सेवलिया
रिसर्च स्कोलर
पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राज.
ई–मेल + sewaliyaphd@gmail.com

सारांश :

डिजिटल साक्षरता राजस्थान में सूचना तक पहुंच को बढ़ाने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी एप्लिकेशन और संस्थागत भंडारों (IRs) के उपयोग में एक महत्वपूर्ण सक्षमकर्ता है, जो सामाजिक–आर्थिक विविधता और ग्रामीण–शहरी डिजिटल विभाजन से चिह्नित है। यह शोध पत्र डिजिटल साक्षरता की सैद्धांतिक भूमिका की गहन जांच करता है, जो प्रौद्योगिकी स्वी.ति मॉडल (TAM) और डिजिटल साक्षरता ढांचे पर आधारित है। यह राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NDLI) और शोधगंगा जैसे मंचों के साथ उपयोगकर्ता सहभागिता पर डिजिटल साक्षरता के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन राजस्थान ज्ञान निगम लिमिटेड (RKCL) जैसे पहल पर प्रकाश डालता है और भाषाई बाधाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच, और सामाजिक–सांस्कृतिक चुनौतियों को संबोधित करता है। अनुकूलित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों, बहुभाषी इंटरफेस, और सामुदायिक सहभागिता के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव देकर, यह पत्र राजस्थान में डिजिटल समावेशन और समान ज्ञान प्रसार के लिए योगदान देता है।

परिचय

आधुनिक युग में डिजिटल प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों और इंटरनेट, ने सूचना तक पहुंच के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। मोबाइल लाइब्रेरी एप्लिकेशन और संस्थागत भंडार (IRs) जैसे डिजिटल मंच ज्ञान के प्रसार को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान, जो 68.5 मिलियन की आबादी (भारत की जनगणना, 2011) और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला राज्य है, में ये मंच शिक्षा और शोध को सशक्त बनाने की अपार संभावनाएं रखते हैं। हालांकि, इन मंचों की प्रभावशीलता उपयोगकर्ताओं की डिजिटल साक्षरता पर निर्भर करती है–अर्थात, डिजिटल जानकारी को खोजने, मूल्यांकन करने, और उपयोग करने की उनकी क्षमता (Gilster, 1997)।

राजस्थान का सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य जटिल है, जिसमें शहरी केंद्र जैसे जयपुर और जोधपुर में बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की कमी बनी हुई है। इंटरनेट पहुंच केवल 43.9% है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह और भी कम है (दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI, 2023)। इसके अतिरिक्त, साक्षरता दर (66.1% कुल, 52.1% महिलाय भारत की जनगणना, 2011), भाषाई विविधता (हिंदी, राजस्थानी), और सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएं डिजिटल मंचों के अपनाने में चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। यह शोध पत्र राजस्थान के संदर्भ में डिजिटल साक्षरता की भूमिका की सैद्धांतिक जांच करता है, जो प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल (TAM; Davis, 1989) और डिजिटल साक्षरता ढांचे (Eshet-Alkalai, 2004) पर आधारित है। यह राजस्थान ज्ञान निगम लिमिटेड (RKCL) जैसे पहलों की भूमिका का मूल्यांकन करता है और डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित करता है।

इस पत्र का उद्देश्य निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान

करना है:

1. डिजिटल साक्षरता राजस्थान में मोबाइल लाइब्रेरी एप्लिकेशन और IRs के उपयोग को कैसे प्रभावित करती है?

2. राजस्थान के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ में डिजिटल साक्षरता की प्रमुख चुनौतियां और अवसर क्या हैं?

3. डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीतियां प्रभावी हो सकती हैं?

सैद्धांतिक ढांचे

डिजिटल साक्षरता ढांचा

डिजिटल साक्षरता एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें तकनीकी, संज्ञानात्मक, और सामाजिक–भावनात्मक कौशल शामिल हैं (Eshet-Alkalai, 2004)। ये कौशल निम्नलिखित रूपों में प्रकट होते हैं :

तकनीकी कौशल : स्मार्टफोन, टैबलेट, और डिजिटल इंटरफेस जैसे मोबाइल लाइब्रेरी ऐप्स और IRs के उपयोग में दक्षता।

संज्ञानात्मक कौशल : डिजिटल संसाधनों को खोजने, उनकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने, और जानकारी को संश्लेषित करने की क्षमता।

सामाजिक–भावनात्मक कौशल: डिजिटल मंचों पर नैतिक व्यवहार, जैसे गोपनीयता का सम्मान, कॉपीराइट नियमों का पालन, और ऑनलाइन सहयोग।

राजस्थान में, जहां साक्षरता स्तर और प्रौद्योगिकी जोखिम में व्यापक असमानताएं हैं, यह ढांचा विशेष रूप से प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण उपयोगकर्ता अक्सर बुनियादी तकनीकी कौशलों की कमी के कारण डिजिटल मंचों तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, जबकि शहरी उपयोगकर्ता अधिक उन्नत संज्ञानात्मक और सामाजिक–भावनात्मक कौशलों की आवश्यकता महसूस करते हैं।

प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल (TAM)

प्रौद्योगिकी स्वीकृति मॉडल (TAM) यह प्रस्तावित करता है कि उपयोगकर्ता की प्रौद्योगिकी अपनाने की इच्छा दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है: उपयोग की कथित आसानी और कथित उपयोगिता (क्ंअपेए 1989)। डिजिटल साक्षरता इन कारकों को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करती है :

उपयोग की कथित आसानीरू उपयोगकर्ता–अनुकूल इंटरफेस, जैसे कि बहुभाषी विकल्प और सहज डिजाइन, कम डिजिटल साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए बाधाओं को कम करते हैं।

कथित उपयोगितारू प्रासंगिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सामग्री, जैसे कि हिंदी और राजस्थानी में संसाधन, उपयोगकर्ता सहभागिता को प्रोत्साहित करती है।

राजस्थान में, जहां कई उपयोगकर्ता डिजिटल प्रौद्योगिकियों से अपरिचित हैं, डिजिटल साक्षरता इन धारणाओं को आकार देने में मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, एक उपयोगकर्ता जो ऐप नेविगेशन में प्रशिक्षित है, उसे NDLI जैसे मंच उपयोग में आसान और उपयोगी लग सकते हैं।

तालिका 1: डिजिटल साक्षरता और TAM का एकीकरण

पहल	लक्ष्य समूह	प्रमुख विशेषताएं	प्रभाव
RKCL RS-CIT	सामान्य जनता	बुनियादी कंप्यूटर कौशल] इंटरनेट उपयोग	5,00,000+ प्रशिक्षित
डिजिटल सखी	ग्रामीण महिलाएं	मोबाइल उपयोग] ऑनलाइन लेनदेन	लैंगिक समावेशन
बनस्थली विद्यापीठ	महिलाएं	साइबर नैतिकता] सुरक्षा	10,000 महिलाएं लक्षित
डिजिटल इंडिया	ग्रामीण समुदाय	IT ज्ञान केंद्र] इंटरनेट पहुंच	ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचा

राजस्थान का संदर्भ

राजस्थान का सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच गहरे विभाजन को दर्शाता है। जयपुर और जोधपुर जैसे शहरी केंद्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन पहुंच अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 43.9% इंटरनेट पहुंच और 51% स्मार्टफोन उपयोग (TRAI, 2023) बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करता है। साक्षरता दर भी असमान है, कुल साक्षरता

66.1% और महिला साक्षरता केवल 52.1% (भारत की जनगणना, 2011) है। भाषाई विविधता, जिसमें हिंदी और राजस्थानी प्रमुख हैं, अंग्रेजी–प्रधान डिजिटल मंचों के लिए एक और चुनौती प्रस्तुत करती है।

डिजिटल साक्षरता पहल

राजस्थान में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं :

1. राजस्थान ज्ञान निगम लिमिटेड (RKCL) : RKCL का RS-CIT (Rajasthan State Certificate in Information Technology) पाठ्यक्रम 5,00,000 से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कर चुका है, जो बुनियादी कंप्यूटर और इंटरनेट कौशल प्रदान करता है (eGov Magazine, 2012)। डिजिटल सखी कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को लक्षित करता है, जो डिजिटल उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

2. वनस्थली विद्यापीठ : इसकी CSR पहल 10,000 महिलाओं को साइबर नैतिकता, सुरक्षा, और डिजिटल उपकरण उपयोग पर प्रशिक्षण देती है (Bhawna, 2015)।

3. डिजिटल इंडिया : यह राष्ट्रीय पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और साक्षरता को बढ़ावा देती है, जिसमें 2,000 IT ज्ञान केंद्र शामिल हैं (eGov Magazine, 2012)।

तालिका 2: राजस्थान में डिजिटल साक्षरता पहल

पहल	लक्ष्य समूह	प्रमुख विशेषताएं	प्रभाव
RKCL RS-CIT	सामान्य जनता	बुनियादी कंप्यूटर कौशल] इंटरनेट उपयोग	5,00,000+ प्रशिक्षित
डिजिटल सखी	ग्रामीण महिलाएं	मोबाइल उपयोग] ऑनलाइन लेनदेन	लैंगिक समावेशन
बनस्थली विद्यापीठ	महिलाएं	साइबर नैतिकता] सुरक्षा	10,000 महिलाएं लक्षित
डिजिटल इंडिया	ग्रामीण समुदाय	IT ज्ञान केंद्र] इंटरनेट पहुंच	ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचा

इन प्रयासों के बावजूद, सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंड, जैसे कि लिंग और जाति–आधारित प्रतिबंध, और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित बुनियादी ढांचा डिजिटल साक्षरता के प्रसार को बाधित करते हैं।

मोबाइल लाइब्रेरी एप्लिकेशन में डिजिटल साक्षरता की भूमिका

मोबाइल लाइब्रेरी एप्लिकेशन, जैसे कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NDLI), उपयोगकर्ताओं को ई–बुक्स, जर्नल्स, और मल्टीमीडिया संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। NDLI 35 मिलियन से अधिक संसाधनों को हिंदी और राजस्थानी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध कराता है (राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NDLI 2023)। डिजिटल साक्षरता निम्नलिखित पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है :

1. नेविगेशन और उपयोगिता : तकनीकी कौशल उपयोगकर्ताओं को ऐप डाउनलोड करने, खाता बनाने, और कैटलॉग ब्राउज करने में सक्षम बनाते हैं। ग्रामीण उपयोगकर्ताओं में अक्सर इन कौशलों की कमी होती है, जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

2. सूचना मूल्यांकन : संज्ञानात्मक कौशल उपयोगकर्ताओं को संसाधनों की विश्वसनीयता का आकलन करने में मदद करते हैं, जो गलत सूचना के युग में महत्वपूर्ण है।

3. सांस्कृतिक प्रासंगिकता : सामाजिक–भावनात्मक कौशल स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक सामग्री के साथ सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होता है।

चुनौतियां

– **सीमित जागरूकता** : ग्रामीण क्षेत्रों में कई उपयोगकर्ता NDLI जैसे मंचों से अनभिज्ञ हैं।

– **इंटरफेस जटिलता**: कम साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए अंग्रेजी–प्रधान इंटरफेस नेविगेशन को कठिन बनाते हैं।

– **डिवाइस पहुंच**: स्मार्टफोन स्वामित्व 51% होने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा लागत और कनेक्टिविटी बाधाएं हैं (TRAI, 2023)

अवसर

RKCL जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय भाषा समर्थन और ऐप उपयोग पर ध्यान केंद्रित करके इन

चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। NDLI का बहुभाषी डिजाइन राजस्थान की भाषाई विविधता के साथ संरेखित है, और सामुदायिक कार्यशालाएं जागरूकता बढ़ा सकती हैं।

संस्थागत भंडारों में डिजिटल साक्षरता की भूमिका

संस्थागत भंडार (IRs), जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में शोधगंगा, शैक्षिक सामग्री जैसे थीसिस और शोध पत्रों को संग्रहित करते हैं (Shodhganga, 2023)। डिजिटल साक्षरता निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है :

1. पहुंच और पुनर्प्राप्ति : मेटाडेटा और उन्नत खोज सुविधाओं का उपयोग करने के लिए तकनीकी और संज्ञानात्मक कौशल आवश्यक हैं।

2. योगदान : शोधकर्ताओं को सामग्री जमा करने के लिए मुक्त–पहुंच सिद्धांतों और कॉपीराइट नियमों का ज्ञान होना चाहिए।

3. सहभागिताः छात्रों और शिक्षाविदों को संसाधनों का सटीक मूल्यांकन और उद्धरण करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

चुनौतियां

कम जागरूकताः शिक्षक और छात्रों के बीच प्त्े के लाभों की समझ सीमित है।

तकनीकी विशेषज्ञताः उन्नत खोज और सामग्री जमा करने की प्रक्रियाएं जटिल हो सकती हैं।

संसाधन सीमाएंः कई संस्थानों में IRs को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं।

अवसर

गनाई (2013) के अनुसार, ई–लर्निंग मॉड्यूल और व्यावहारिक प्रशिक्षण IR उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। विश्वविद्यालय डिजिटल साक्षरता कार्यशालाओं को एकी.त कर सकते हैं, और शोधगंगा जैसे मंच हिंदी इंटरफेस को शामिल करके पहुंच बढ़ा सकते हैं।

तालिका 3ः मोबाइल लाइब्रेरी ऐप्स और प्त्े में डिजिटल साक्षरता की भूमिका

पहलू	मोबाइल लाइब्रेरी ऐप्स	संस्थागत भंडार	डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता
पहुंच	ऐप डाउनलोड] कैटलॉग ब्राउज़	मेटाडेटा खोज	तकनीकी कौशल
मूल्यांकन	संसाधन विश्वसनीयता	शोध गुणवत्ता	संज्ञानात्मक कौशल
सहभागिता	स्थानीय सामग्री	उद्धरण] योगदान	सामाजिक-भावनात्मक कौशल

चुनौतियां और अवसर

चुनौतियां

1. डिजिटल विभाजनः ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की कमी डिजिटल मंचों तक पहुंच को सीमित करती है।

2. कम साक्षरता : सामान्य और डिजिटल साक्षरता, विशेष रूप से महिलाओं में, अपनाने को बाधित करती है।

3. भाषाई बाधाएं : अंग्रेजी–प्रधान इंटरफेस हिंदी और राजस्थानी बोलने वालों के लिए बाधा हैं।

4. सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंड : लिंग और जाति–आधारित प्रतिबंध, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी उपयोग को सीमित करते हैं।

अवसर

1. सरकारी पहल : डिजिटल इंडिया और त्ज्ञब्ध के प्ज ज्ञान केंद्र डिजिटल बुनियादी ढांचे और साक्षरता को बढ़ावा देते हैं।

2. मोबाइल पहुंचः 51% स्मार्टफोन उपयोग डिजिटल मंचों के लिए आधार प्रदान करता है (TRAI, 2023)।

3. स्थानीय सामग्री : हिंदी और राजस्थानी में संसाधन उपयोगकर्ता सहभागिता को बढ़ाते हैं।

4. सामुदायिक सहभागिताः सामुदायिक केंद्रों और पुस्तकालयों में कार्यशालाएं जागरूकता और कौशल निर्माण को बढ़ावा देती हैं।

प्रस्तावित रणनीतियां

डिजिटल साक्षरता के प्रभाव को बढ़ाने और डिजिटल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां प्रस्तावित हैं :

1. अनुकूलित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम : ग्रामीण और महिला उपयोगकर्ताओं के लिए सामुदायिक–आधारित प्रशिक्षण, जो मोबाइल ऐप नेविगेशन, IR उपयोग, और

सूचना मूल्यांकन पर केंद्रित हो। ये कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में और लचीले समय पर आयोजित किए जाएं।

2. बहुभाषी इंटरफेस : NDLI और शोधगंगा जैसे मंचों के लिए हिंदी और राजस्थानी इंटरफेस विकसित करें ताकि भाषाई बाधाएं कम हों।

3. सार्वजनिक–निजी साझेदारी : दूरसंचार प्रदाताओं के साथ सहयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डेटा लागत को कम करें।

4. जागरूकता अभियान : स्थानीय रेडियो, टेलीविजन, और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से मोबाइल लाइब्रेरी ऐप्स और IRs के लाभों को बढ़ावा दें।

5. पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशिक्षण : पुस्तकालयाध्यक्षों को डिजिटल मंचों पर उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करें, विशेष रूप से ग्रामीण पुस्तकालयों में।

6. स्कूल और विश्वविद्यालय एकीकरण: डिजिटल साक्षरता को स्कूल पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में अनिवार्य मॉड्यूल के रूप में शामिल करें।

7. मोबाइल लर्निंग वैन : ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल इकाइयां तैनात करें जो डिजिटल उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करें।

तालिका 4: प्रस्तावित रणनीतियां और अपेक्षित परिणाम

रणनीति	लक्ष्य समूह	अपेक्षित परिणाम	कार्यान्वयन समयरेखा
अनुकूलित कार्यक्रम	ग्रामीण] महिलाएं	उपयोगकर्ता सहभागिता में 30% वृद्धि	1-2 वर्ष
बहुभाषी इंटरफेस	सभी उपयोगकर्ता	पहुंच में 40% सुधार	6-12 महीने
साझेदारी	ग्रामीण समुदाय	इंटरनेट पहुंच में 25% वृद्धि	2-3 वर्ष
जागरूकता अभियान	सामान्य जनता	जागरूकता में 50% वृद्धि	6 महीने
पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशिक्षण	पुस्तकालय कर्मचारी	सहायता में 35% सुधार	1 वर्ष

डिजिटल साक्षरता का दीर्घकालिक प्रभाव

डिजिटल साक्षरता का प्रभाव केवल तात्कालिक उपयोग तक सीमित नहीं है। यह राजस्थान के सामाजिक–आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। डिजिटल मंचों तक पहुंच बढ़ाने से :

– **शैक्षिक समानता**: ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी।

–**आर्थिक सशक्तिकरण**: डिजिटल कौशल ऑनलाइन व्यवसाय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगे।

– **सांस्कृतिक संरक्षण**: राजस्थानी भाषा और साहित्य के डिजिटल संग्रह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेंगे।

केस स्टडी : RKCL का प्रभाव

RKCL के RS-CIT कार्यक्रम ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया है। एक अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 60% ने डिजिटल मंचों का उपयोग शुरू किया, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी सेवाएं (eGov Magazine, 2012)। डिजिटल सखी ने 5,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया, जिनमें से कई ने मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग शुरू किया। यह दर्शाता है कि लक्षित प्रशिक्षण डिजिटल समावेशन को कैसे बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष

डिजिटल साक्षरता राजस्थान में मोबाइल लाइब्रेरी एप्लिकेशन और संस्थागत भंडारों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए एक आधारभूत तत्व है। प्रौद्योगिकी स्वी.ति मॉडल और डिजिटल साक्षरता ढांचे जैसे सैद्धांतिक ढांचे उपयोगकर्ता सहभागिता और पहुंच बढ़ाने में इसकी भूमिका को रेखांकित करते हैं। RKCL और डिजिटल इंडिया जैसे पहल महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं, लेकिन ग्रामीण बुनियादी ढांचे, भाषाई बाधाओं, और सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रस्तावित रणनीतियां.जैसे कि अनुकूलित प्रशिक्षण, बहुभाषी इंटरफेस, और सामुदायिक सहभागिता.इन चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दे सकती हैं।

इन प्रयासों के माध्यम से, राजस्थान डिजिटल युग में ज्ञान तक समान पहुंच सुनिश्चित कर सकता है, जिससे शैक्षिक, आर्थिक, और सांस:तिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

संदर्भ

– भावना, जे. (2015). राजस्थान में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी : भारतीय डिजिटल साक्षरता मॉडल के माध्यम से। Academia.edu. https://www. academia.edu/16199249/Partnering_for_Promotion_ of_Digital_Literacy_among_Women _in_Rajasthan_ through_Bhartiya_Model_of_Digital_Literacy

भारत की जनगणना। (2011). राजस्थान जनसंख्या डेटा। भारत सरकार।

डेविस, एफ. डी. (1989). कथित उपयोगिता, कथित उपयोग की आसानी, और सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगकर्ता स्वीकृति। MIS Quarterly, 13(3), 319.340- https://doi.org/10.2307/249008

ईगॉव मैगजीन। (2012, दिसंबर). राजस्थान में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। https://egov.eletsonline.com/2012/12/promoting-digital-literacy-in-rajasthan/

एशेट–अलकलई, वाई. (2004). डिजिटल साक्षरता: डिजिटल युग में जीवित रहने के कौशल के लिए एक वैचारिक <kapkA Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93.106

गनाई, एस. ए. (2013). डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की भूमिका: भारतीय दृष्टिकोण। ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/272506748_Role_of_University_Libraries_in_Promoting_Digital _Literacy_ Indian_ Perspective

गिल्स्टर, पी. (1997). डिजिटल साक्षरता। विली।

मंजरी फाउंडेशन। (2023). डिजिटल साक्षरता। https://www.manjarifoundation.in/digital-literacy

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। (2023). NDLI eksckby ,siA https://project.ndl.gov.in/products/ndli-mobile-app/

शोधगंगा। (2023). राजस्थान विश्वविद्यालय। INFLIBNET https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/12432

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। (2023). दूरसंचार सदस्यता डेटा। भारत सरकार।

आनंदी बाई जोशी का चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान

वैष्णव शशिबाला
शोधार्थी
मौलाना आजाद विश्वविद्यालय,
जोधपुर मो. 722099977
ई–मेलः–kkvaishnaw@gmail.com

भारत में ऐसी कई महिलाएं हुई, जिन्होंने अपने संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प से समाज में नई मिसाल कायम की। ऐसी ही प्रेरणादायक महिला थी आनंदी बाई जोशी। आनंदीबाई जोशी जो भारत की पहली महिला डॉक्टर बनीं और महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई राह खोली। इनका जन्म 31 मार्च 1865 महराष्ट्र के ठाणे में हुआ था। आनंदी बाई का वास्तविक नाम यमुना जोशी था लेकिन विवाह के बाद इनका नाम आनंदी बाई रखा गया। मात्र 9 वर्श की अल्पायु में उनसे 20 वर्ष बड़े गोपालराव के साथ उनका विवाह हुआ, जो महिलाओं की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। 14 वर्ष की आयु में आनंदी बाई के संतान हुई जिसकी मृत्यु मात्र 10 दिन बाद हो गई जिससे उन्हें बहुत आघात लगा। चिकित्सक की देखरेख के अभाव में उन्होंने अपनी संतान को खो दिया और उन्होंने प्रण लिया कि वे डॉक्टर बनकर ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। सन् 1800 के दशक में स्त्री शिक्षा पर ध्यान देना बहुत असामान्य था। समाज यह मानता था कि महिलाओं का स्थान केवल घर तक सीमित है उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ऐसे समय में आनंदी बाई ने विदेश जाने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय की समाज में काफी आलोचना हुई लेकिन वे दृढ़ निश्चयी महिला थी, उन्होंने समाज की परवाह नहीं उनके इस निर्णय में उनके पति गोपालराव जोशी ने उनका भरपूर सहयोग किया। गोपालराव चाहते थे कि आनंदी चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़े और दुनिया में अपनी पहचान बनाकर अन्य महिलाओं के लिए भी उदाहरण बने। जब महिलाओं के प्रति समाज का रूख बहुत कठोर हुआ करता था और पढ़ना लिखना दूर्भर था उस परिस्थिति में आनंदी बाई महाराष्ट्र से अमेरिका गई और 19 साल की उम्र में चिकित्सक की ट्रेनिंग शुरू की। सन् 1886 में उन्होंने एम डी की डिग्री हासिल की। 'आर्यन हिंदुओं में प्रसूति विज्ञान' आनंदी बाई की थीसिस का विशय रहा। जब वे अमेरिका से वापस लौटी तो भारत में उनका भव्य स्वागत किया गया। वे भारत की पहली महिला चिकित्सक बनी। आनंदी बाई ने भारतीय महिलाओं को दिखाया कि शिक्षा और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वे न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, बल्कि उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर महिलाओं के लिए एक नई दिशा बनाई, उनका जीवन महिलाओं के सषक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन गया। उनकी सफलता ने यह साबित किया कि महिलाओं को उचित शिक्षा प्रदान की जाएं तो वे आत्मनिर्भर बन सकती है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं भी पुरूषों के समान अधिकार और सम्मान की हकदार है। आनंदी बाई की प्रेरणा ने कई भारतीय महिलाओं को प्रेरित किया जिनमें कांदमिनी गांगुली, रूख्माबाई राउत शामिल है।

आनंदी बाई की कहानी हर महिला को यह विश्वास दिलाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास से वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। उन्होनें साबित किया कि एक लड़की चाहे कितनीभी चुनौतियों से घिरी हो अपने सपनों को सच कर सकती है। आज की महिलाएं आनंदीबाई से सीख सकती है कि आत्मनिर्भर और मजबूत बना कितना आवश्यक है।

Impact of Holistic Development on Weightlifting Performance of State Level Players

Dr. Bhupendra Singh Chouhan
Dean, Faculty of Physical Education, B.N. University, Udaipur

Rakesh Paliwal
Research Scholar, B.N. University, Udaipur

Abstract

Weightlifting is great athletic sport that requires lot of sincere efforts in a structured manner to develop strength, stamina, endurance, agility and reflexes. Then only the great performances come out. Great players are not prepared overnight; regular efforts are required by the players in systematic manner for improvisation. There is intense competition which at times requires mental stability, focused mindset and disciplined approach. Now working only on the technical aspects of the game, player can't compete at the professional level or even at this state level. Lot of other things also needs to be taken care of for better performance. Holistic development of weightlifters can impact on the performance of weightlifters; this has been studied in detail here. Mental well being, nutritional awareness, social support, sleep practices and emotional ability aspects were researched here to measure the holistic development of players. State level male weightlifting players of Udaipur division of Rajasthan state were purposefully selected for this exploratory research work. It has revealed that there was a positive and significant correlation between holistic development level of weightlifters and their performance. Rise in holistic development give rise to performance of weightlifters and decline in holistic development lead to downfall in performance of weightlifters. Research has confirmed the significance of holistic development for weightlifting players. Currently it is not given due importance so far and things are considered casually and allowed to take place at its natural pace only but with few interventions holistic development can be achieved leading to higher performance.

Keywords: Mental well being, nutritional awareness, social support, performance

Introduction

Sport is now a days very competitive in nature and not just an entertainment. Players know it and put their best efforts to excel in their field but they somehow find it difficult to give consistently high performance. There are several issues which they face either related to their eating habits, physical fitness, emotional up-down or their injury. All these have been considered collectively here to understand the holistic development of the weightlifting players. At the initial stage this makes very crucial role in shaping the player into a great player.

For holistic development of weightlifters as an Olympian, a longitudinal study was conducted on the chosen 29 junior weightlifting athletes. Their demographic profile, family sport participation, anthropometric measures, psychological aspects, sports participation history, practice and training activities done by these athletes have been taken into consideration collectively. It was found that there is significant difference between performance of holistically

developed weightlifters and other weightlifters which were just trained professionally. [Anderson D. N. J., et al. 2022]1

For development and conditioning of athletes, they can be trained in weightlifting with well structured logical progression model. It has to be offered very judiciously under the supervision of qualified trainer to develop strength, endurance, power speed and stamina of athletes else it will not provide the desired results. [Lloyd R.S., et al. 2012]2

Weightlifting based training is offered to the non weightlifters, team sports and athletics players. This is a common practice which is done to increase the strength of players in general. It provides better results than general resistance training or plyometric training. It has to be offered by the trainer considering the anthropometric measures of the specific athlete else there may not be clean snatch or jerk leading to injury to the hips, knees or ankles. [Comfort P., et al. 2023]3 Research was conducted on the highly professional Olympic players and they were offered holistic weightlifting development training. It was observed that their development related to power generation and force production improved though it was not significant improvement but the improvement actually was appreciable considering the fact that it took place even in the most high performing professional athletes. It could be beneficial for others too. [Sadowski, J., et al. 2024]4

Resistance training when associated with the weightlifting was imparted to the adolescent male athletes; it was found that their injury risk has reduced considerably. Their motor skills have also improved that provided more swift jump and sprint. Power, speed, agility and aerobic fitness all improved gradually with the practice of weightlifting along with resistance training. [Pichardo, A. W., 2019]5

It has been observed that weightlifters can really reach to the level of optimum performance with the help of nutritional strategies that include carbohydrate intake for glycogen replenishment and proteins for muscle growth and recovery. Nutrient timing is also crucial. Personalized strategies have to be developed for every single athlete considering his physiology. Sustainable nutritional strategies are necessary for developing the weightlifting performance of players and it can be done only with balanced diet rather than the extreme steps or excessive supplements. [Hwang, D. J., 2024]6

Research Hypotheses

Null Hypothesis (H?): There is no significant impact of holistic development on the weightlifting performance of state-level players.

Alternative Hypothesis (H?): There is a significant impact of holistic development on the weightlifting performance of state-level players.

Research Methodology

With purposive sampling method 40 state-level male weightlifters between 18 to 25 years of age were chosen from Udaipur division. Their holistic development was measured with the help of a questionnaire (Likert Scale) on a composite score out of 100 based on the six sub-areas-

- Physical fitness - Strength, endurance, agility and flexibility of weightlifters were measured to assess their physical fitness.
- Mental well-being - Level of stress, anxiety and motivation were measured to assess the mental well being of weightlifters.
- Nutritional awareness - Hydration, balanced diet and supplement usage were studied to measure nutritional awareness.
- Social support & Environment - Support from family, friends and coaches were measured.
- Sleep and recovery practices - Time & Quality of sleep, rest patterns and recovery techniques measured.
- Emotional stability - Focus, self-confidence,

mood swings and empathy were measured to ascertain emotional stability of players.

Performance was measured by the total of best Snatch and Clean & Jerk lifts by the expert weightlifting coaches.

Data Analysis

Table 1 shows weightlifting players having high holistic score perform high. Pearson Correlation test was done to measure the relationship between Holistic Score and Performance. Since r = 0.72, it suggests a strong positive correlation and $p < 0.05$ indicates impact of holistic development on the weightlifting performance is statistically significant. Thus we reject the null hypothesis. Alternate hypothesis is accepted that there is a significant impact of holistic development on the weightlifting performance of state-level players.

Table 1: Holistic development and weightlifting performance of state-level players

Player	Holistic Score (Total kg)	Performance Score (/100)
1	85	260
2	78	245
3	60	210
4	90	270
5	65	220
6	72	235
7	88	265
8	74	240
9	69	230
10	95	275
11	55	200
12	62	215
13	70	232
14	66	225
15	92	268
16	87	260
17	58	205
18	63	218
19	76	242
20	80	250
21	59	208
22	83	255
23	67	228
24	71	233
25	77	243
26	89	266
27	84	258
28	68	229
29	64	222
30	81	252
31	73	237
32	75	241
33	93	271
34	86	262
35	57	203
36	61	212
37	79	247
38	82	254
39	56	201
40	91	269

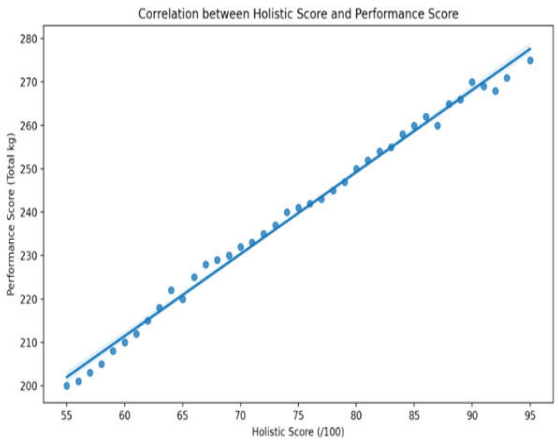

Conclusion and Suggestions

Research has very clearly shown that with increase in holistic development, performance of state level weightlifting players enhances and improves so this clearly indicates the vital importance of holistic development. It need to be addressed with care caution by the sports authorities and coaches.

Holistic training programme must be

imparted to state level weightlifting players comprising nutrition, hygiene, sleep, mental training and emotional intelligence. Workshops should be organized for mindfulness and stress management techniques. Encouraging support systems need to be developed for weightlifting players with the help of peer and parents in order to raise their performance.

References:

1. Anderson, D. N. J., Gottwald, V. M., & Lawrence, G. P. (2022). Capturing the holistic profile of high performance Olympic weightlifting development. Frontiers in Sports and Active Living, 4, 986134.
2. Lloyd, R. S., Oliver, J. L., Meyers, R. W., Moody, J. A., & Stone, M. H. (2012). Long-term athletic development and its application to youth weightlifting. Strength & Conditioning Journal, 34(4), 55-66.
3. Comfort, P., Haff, G. G., Suchomel, T. J., Soriano, M. A., Pierce, K. C., Hornsby, W. G., ... & Stone, M. H. (2023). National Strength and Conditioning Association position statement on weightlifting for sports performance. The Journal of Strength & Conditioning Research, 37(6), 1163-1190.
4. Sadowski, J., Szyszka, P., Makaruk, H., Starzak, M., & Ni?nikowski, T. (2024). The Effects of Holistic, External, and Internal Attentional Focus Instructions on Power and Kinematics of the Hang Power Snatch in Highly Skilled Weightlifters. Journal of Human Kinetics, 91(Spec Issue), 77.
5. Pichardo, A. W. (2019). The Benefits of Resistance Training with and Without Weightlifting for Athletic Performance in Adolescent Males. Auckland University of Technology.
6. Hwang, D. J., & Yang, H. J. (2024). Nutritional Strategies for Enhancing Performance and Training Adaptation in Weightlifters. International Journal of Molecular Sciences, 26(1), 240.

पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाने में विकलांग लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका : एक समीक्षा

मीनाक्षी जैन
(रिसर्च स्कॉलर),
संस्थान : पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग
,राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
ई–मेल : meenakshivjain21@gmail-com

सारांश : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक ऐसी तकनीक है जो पुस्तकालय सेवाओं को समावेशी बनाने और विकलांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गई है। ऐतिहासिक रूप से, पुस्तकालय दृश्य, गतिशीलता और संज्ञानात्मक कठिनाइयों वाले व्यक्तियों के लिए दुर्गम रहे हैं। एआई तकनीक उपयोगकर्ताओं को अपनी शर्तों और अपनी गति से जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देकर इस अंतर को पाट रही है। इस अध्ययन में स्क्रीन रीडर– जॉब्स एक्सेस विद स्पीच (JAWS), नॉन–विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस (NDVA), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) सिस्टम, जैसे ABBYY फाइन रीडर (सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी), AI–सक्षम चौटबॉट, विशेष रूप से "Be My AI" और लाइब्रेरी सेटिंग्स में स्मार्ट वेफाइंडिंग इंस्टॉलेशन जैसे AI टूल का मूल्यांकन किया गया। मोटे तौर पर, ये विकास विभिन्न प्रकार के विकलांगता वाले लोगों के लिए उपस्थिति, पढ़ने, रूपांतरण और बातचीत को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। 2002 से 2025 तक उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण से पता चलता है कि सेवा वितरण और उपयोगकर्ता स्वायत्तता में मौलिक रूप से सुधार हुआ है। एआई अनुप्रयोगों ने दृश्य और संज्ञानात्मक हानि वाले लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया है और संसाधन प्रबंधन दक्षता और समावेशी डिजाइन में काफी सुधार किया है। हालाँकि, डिजिटल असमानता, एल्गोरिथम अन्याय, अपर्याप्त कर्मचारी प्रशिक्षण और उच्च कार्यान्वयन लागत जैसी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

अंत में, पुस्तकालय सेवाओं में एआई के अनुप्रयोग से यह बदलने की क्षमता है कि कैसे पुस्तकालय,सूचना तक पहुंच के लिए अधिक न्यायसंगत और आत्मनिर्भर अवसर प्रदान करके विकलांग उपयोगकर्ताओं की सेवा करते हैं। हालांकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए नैतिक कार्यान्वयन, सार्वभौमिक डिजाइन, हितधारकों के बीच सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए चल रहे वित्त पोषण की आवश्यकता होगी कि डिजिटल नवाचार सभी उपयोगकर्ताओं के जीवन को बढ़ाएं।

कीवर्ड : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइब्रेरी सेवाएं, विकलांगता, सहायक तकनीक, पहुंच, दिव्यांग.

1. परिचय:

सूचना तक पहुँच एक मानव अधिकार है, लेकिन विकलांग लोगों को लंबे समय से पारंपरिक पुस्तकालय सेवाओं तक पहुँचने में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा है (मैथिसन, 2008) । एक गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग करते हुए, इस जांच ने गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस, स्प्रिंगर, डी. ई. एस. आई. डी. ओ. सी. (DESIDOC) जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज सहित प्लेटफार्मों पर पोस्ट किए गए संस्थानों की अकादमिक पत्रिकाओं, नीति संक्षिप्त, केस स्टडी और दस्तावेजों की साहित्य समीक्षा की। इन डेटाबेस का चयन उनके व्यापक कवरेज और शीर्ष स्तर के सहकर्मी–समीक्षा अनुसंधान को अनुक्रमित करने के लिए मानकों के कारण किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पुस्तकालय सेवाएं, सहायक

प्रौद्योगिकी, सुलभता और दिव्यांग जैसे प्रमुख विषयों के अनुसार मुख्य शब्द खोज द्वारा लगभग 252 शोध लेखों की पहचान की गई थी। इनमें से 125 प्रासंगिक अध्ययनों को समीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए समावेश और बहिष्करण मानदंडों को लागू करने के बाद चुना गया है।

पिछले किए गए विभिन्न शोधों में पाया गया कि जेएडब्ल्यूएस(JAWS), एनवीडीए(NVDA), सीइंग एआई(Seeing AI), और कुर्जवेल 1000 (Kurzwell 1000) जैसे एआई एप्लिकेशन दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट को जोर से पढ़कर, नेविगेशन की अनुमति देते हैं, और वास्तविक समय की वस्तु पहचान प्रदान करते हैं (स्टीफन, जी, और इकबल, ए, 2023 बर्गस्टहलर, 2002 अकिनीमी, 2020) रोबोटिक्स और एआई–संचालित इनडोर नेविगेशन सिस्टम गतिशीलता–बाधित उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय सेवाओं (मैडिसेटी, 2024 राघवैया और श्रीकांत, 2023य वांग और लुंड, 2022) तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं, जबकि चौटबॉट, जैसे 'बी माई एआई' ("Be My AI"),उपयोगकर्ता की स्वतंत्रता और पुस्तकालय सेवाओं के साथ बातचीत को बढ़ाते हैं (कुजदेव, नुरगालियेव, और वरोल, 2023य स्टीफन और इकबल, 2023) इन विकासों के बावजूद, समीक्षा एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह की निरंतर चुनौतियों, समावेशी डिजाइन प्रथाओं की अनुपस्थिति, अपर्याप्त कर्मचारी प्रशिक्षण और संसाधन–गरीब वातावरण में डिजिटल विभाजन की चिंताओं की भी पहचान करती है । (ट्रेविन एट अल 2019 नाजिम, 2021 गजभिये, 2024 शाहिदी–हमदानी एट अल, 2024) ।

एआई में दिव्यांगजनों के लिए पुस्तकालय स्थानों को सशक्त बनाने और अधिक समावेशी बनाने की काफी क्षमता है। हालांकि, भविष्य की प्रगति को नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, क्योंकि एआई प्रणाली का दुरुपयोग कमजोर समूहों को और हाशिए में डाल सकता है, इसलिए एआई सिस्टम डिजाइन में सक्रिय रूप से उपयोगकर्ता इनपुट शामिल होना चाहिए, विशेष रूप से दिव्यांगों के पक्ष में, ताकि पहुंच और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, समावेशी नीतियां और विश्वसनीय वित्त पोषण स्थायी पहुंच पहल का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं। ये कदम पहुंच अंतराल को कम कर सकते हैं और दुनिया भर के पुस्तकालयों तक समान डिजिटल पहुंच का समर्थन कर सकते हैं।

2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूल अवधारणाः

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लुगर (2011) द्वारा ''कंप्यूटर विज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है जो बुद्धिमान व्यवहार के स्वचालन से संबंधित है।" यह सैद्धांतिक नींव के साथ बातचीत करने वाले कम्प्यूटेशनल मॉडल पर जोर देता है, पाठकों को वैचारिक ढांचे और उन प्रणालियों को विकसित करने के लिए प्रभावी उपकरण प्रदान करता है जो संज्ञानात्मक समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह पुस्तक तर्क, खोज तकनीक और ज्ञान प्रतिनिधित्व के साथ–साथ संभाव्यता–आधारित, तंत्रिका नेटवर्क–आधारित और हाइब्रिड सीखने के तरीकों जैसी मुख्य संरचनाएं प्रदान करती है।

एआई का उद्देश्य मानव बुद्धि की नकल करना, ज्ञान–आधारित चुनौतियों से निपटना, ऐसी मशीनें बनाना है जो मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्य कर सकें और ऐसी प्रणालियां बना सकें जो स्वतंत्र रूप से सीखती हों। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, एआई के दो सबसेट, समस्याओं को हल करने के लिए शक्तिशाली एल्गोरिदम और बहुस्तरीय तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करते हैं। (घोष और थिरुग्नाम, 2021)।

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट मशीन, विशेष रूप से इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है' (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 2020–2021)।

'एआई में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता है, यह मानव समर्थन की घुसपैठ के बिना प्रदर्शन करने के लिए अव्यक्त बुद्धिमान भूमिकाओं के साथ एक बुद्धिमान

पुस्तकालय के विकास में मदद कर सकता है'' (मैसिस, 2018)।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), कंप्यूटर द्वारा संचालित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की एक शाखा, शिक्षा और सूचना प्रसंस्करण पर प्रभाव डालती है, जिससे वे तेज और अधिक उत्पादक बन जाते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के सीखने और कार्यों को पूरा करने के तरीके को बदल देता है। एआई, जो कंप्यूटर सिस्टम (टेक–टारगेट, 2024) का उपयोग करके मानव विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है, न केवल अपने संचालन के साथ अद्भुत है बल्कि दुनिया को भी लाभ पहुंचाता है। एआई कंप्यूटर विज्ञान का एक प्रमुख उपक्षेत्र है।

जॉन मैकार्थी ने 1956 के डार्टमाउथ सम्मेलन में एआई शब्द गढ़ा, एआई बुद्धिमान मशीनें बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग था जो समझदारी से तर्क करने, सीखने और व्यवहार करने में सक्षम होगा।

एआई इंसानों की तरह भावनाओं और मनोदशाओं को संभाल नहीं सकता है। हालाँकि, जब एआई और मनुष्य एक साथ काम करते हैं, तो वे एक–दूसरे की कमजोरियों की भरपाई कर सकते हैं। यह टीम वर्क जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से फैलाने में मदद करता है। इसलिए, जैसे–जैसे हम जानकारी साझा करने में होशियार होते जाएंगे, हम मनुष्यों और एआई उपकरणों को एक साथ काम करते हुए देखेंगे।

एआई जांच करता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है जैसे कि वे कंप्यूटर हों। यह सब मशीनों को बुद्धिमान बनाने के बारे में है। जॉन मैकार्थी 1956 में इस शब्द के साथ वापस आए थे। स्मार्ट होने का मतलब है कि आप चीजों को सीख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और दुनिया में चीजों को करने के लिए जो आप जानते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। एआई ऐसी मशीनें बनाने का प्रयास करता है जो इंसानों की तरह सोचती और कार्य करती हैं। इन मशीनों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं को सीखने और हल करने में सक्षम होना चाहिए। एआई अध्ययन करता है कि कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके मानव दिमाग कैसे काम करता है। एक अच्छा एआई प्रोग्राम एक व्यक्ति की तरह स्मार्ट होगा या कुछ काम करते समय उससे भी ज्यादा स्मार्ट होगा। एआई अद्वितीय है, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विषयों और कई अन्य लोगों के साथ सीमाओं को साझा करता है। मानवीय रूप से सोचने की अवधारणा में कंप्यूटर सिस्टम शामिल हैं जो निर्णय लेने और उत्कृष्टता के साथ समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं जो सामान्य रूप से मनुष्यों से जुड़े होंगे। इस तरह के अनुप्रयोगों के विकास में यह अवलोकन शामिल है कि मनुष्य समस्याओं को कैसे हल करते हैं और तर्क देते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम समान रूप से समस्याओं को हल करते हैं। मानवीय रूप से कार्य करना उन मशीनों को संदर्भित करता है जो ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा किए जाने पर बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान माने जाने के लिए, एक कंप्यूटर सिस्टम को मनुष्यों की तरह पर्याप्त रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। तर्कसंगत रूप से सोचने में कंप्यूटर का अध्ययन करना शामिल है जो इसे देखना, तर्क करना और कार्य करना संभव बनाता है। तर्कसंगत रूप से कार्य करना उन कार्यों को करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो किसी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। बुद्धिमान एजेंट उन कार्यों को करके बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिनके परिणामस्वरूप लक्ष्य प्राप्ति होती है। ये क्षमताएं प्रासंगिक प्रतीत होती हैं और रोबोटिक्स और चौटबॉट्स में नवाचारों के माध्यम से संदर्भ और अनुशंसाकर्ता सेवाओं का समर्थन करने के लिए पुस्तकालय प्रणालियों में व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई हैं।

इन परिभाषाओं के बावजूद, सामान्य परिप्रेक्ष्य एआई को उन प्रणालियों के अनुसंधान और विकास में स्थापित करता है जो अंततः उनकी बुद्धि में मानव बन जाते हैं – तर्कसंगत रूप से सोचते हैं और मानवीय रूप से कार्य

करते हैं (रसेल और नॉर्विग, 2010 एर्टेल, 2017)।यह कंप्यूटर विज्ञान, गणित, संज्ञानात्मक विज्ञान, दर्शन और मानव व्यवहार के क्षेत्रों में कटौती करता हैय इसलिए, यह प्रौद्योगिकी और मानविकी को पार करने वाली एक बहु–विषयक घटना है। इसलिए एआई को ''कंप्यूटर विज्ञान और आईसीटी की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बुद्धिमान एजेंटों और प्रणालियों को विकसित करता है जो मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की नकल करने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समझ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं और कार्य कर सकते हैं'' (लुगर, 2011 रसेल और नॉर्विग, 2010)।

इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह टेक्नोलॉजी है, जो किसी भी मशीन को बुद्धिमानी से काम करने, सीखने, अपने आप समस्याओं को समझने और सुलझाने की क्षमता में सक्षम बनाता है।

एक एआई मशीन में वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने, अपने सीखने और अनुभवों के आधार पर आवश्यकतानुसार सुधार करने, अपनी जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी करने और स्वयं निर्णय लेने की मानव जैसी क्षमताएं होती है।

2.1 पुस्तकालय सेवाओं में एआई : पुस्तकालयों और सूचना विज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बड़े डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और आभासी वास्तविकताओं (VR) में तेजी से प्रगति से उपजा है। यू एट अल., (2019)। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी), आईओटी, इंटरनेट, छवि और भाषण पहचान और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए) शामिल हैं। ये नए विचार भौतिक स्थानों, सूचना संसाधनों, संगठनों, सेवाओं और प्रबंधन में बुद्धिमत्ता लाते हैं। एआई का लक्ष्य पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों को बेहतर और अधिक आकर्षक सूचना वातावरण प्रदान करना है। एआई सिस्टम कई पुस्तकालय कार्यों में भूमिका निभाते हैं, वे स्मार्ट खरीदारी, स्वचालन, उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत डेटा को इकट्ठा करने और अध्ययन करने में मदद करते हैं, संदर्भ सेवाएं, पुस्तक पढ़ना, शेल्फ–रीडिंग, आभासी वास्तविकता (वीआर) व्यावहारिक रूप से सीखने के लिए निर्माण संग्रह, जानकारी खोजना, और तकनीकी कार्यों में मदद करते हैं (ओमेम और एलेक्स–नमेचा, 2020 डी सिल्वा 1997, शनमुगम 2017, कॉक्स 2022, चेलिया, सूद और शोलफील्ड 2015)। ये सिस्टम स्मार्ट वेयरहाउस नियंत्रण, स्वयं–सेवा पुस्तक प्रबंधन और उधार, रोबोट–सहायता प्राप्त शेल्फ संगठन, स्मार्ट सुरक्षा और सलाह सेवाओं में भी सहायता करते हैं। जबकि कई अध्ययनों ने एलआईएस में एआई और एमएल के उपयोग की जांच की है, दास, आरके और इस्लाम, एमएसयू, (2021) ने साहित्य की समीक्षा की और पाया कि प्रमुख क्षेत्र जहां एआई और एमएल का एलआईएस पर प्रभाव पड़ता हैरू वहां संग्रह का निर्माण और प्रबंधन, ऋण और उपयोगकर्ता सेवाएं, पुस्तकालय प्रसंस्करण, संदर्भ सेवाएं, पुस्तकालय प्रबंधन और पुस्तकालय अनुकूलन हैं। इन क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बेहतर स्वचालित लाइब्रेरी खोज प्रणाली, बेहतर उपयोग ट्रैकिंग, तेज चेकआउट, बढ़ी हुई संरक्षक सेवाएं, सख्त सुरक्षा, इन्वेंट्री स्थान में वृद्धि और स्मार्ट अलमारियां विकसित हुई हैं।

स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणालियों पर एआई का महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन अकादमिक पुस्तकालय अभी इसका उपयोग करना शुरू कर रहे हैं (वांग एंड लुंड, 2022)। विंकलर और किस्जल (2021) ने पाया कि एआई आभासी और खोज सेवाओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इसके बाद संदर्भ सेवाएं, कैटलॉगिंग और संग्रह विकास होता है। एआई खोजों, अनुशंसाओं, वैयक्तिकरण, टेक्स्ट और डेटा माइनिंग और डेटा संग्रह में भी मदद करता है। यह सूचना सेवाओं, विषय पुस्तकालयाध्यक्षों, शिक्षा आभासी ऑनलाइन सेवाओं, आईटी समर्थन और डिजिटलीकरण के लिए उपयोगी है।

2.2 रोबोट और सहायक प्रौद्योगिकियांरू वांग और लुंड (2022) ने यह भी बताया कि एआई और रोबोट

बुद्धिमान सुरक्षा सेवाओं और पुस्तकालय सलाहकार सेवाओं के लिए फायदेमंद होंगे। उन्होंने बर्मिंघम विश्वविद्यालय और सुरक्षा फर्म (G4S) के उदाहरण प्रदान किए, जिसने ''बॉब'' बनाया था, एक रोबोट जो डेस्क की सफाई और आग के दरवाजों (fire&doors) की निकटता की जांच करता था। इसके अलावा, एआई को पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं और संसाधनों को पहचानने के लिए पहचान तकनीक बनाने के लिए भी नियोजित किया जा सकता है। जोन्स (2006) ने अपने लेख में यह भी बताया कि रूम्बा एक छोटा डिस्क के आकार का रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जिसे पहली बार 2002 में iRobot द्वारा पेश किया गया था। उन्हें बिना किसी सहायता के फर्श को साफ करने और घूमने के लिए प्रोग्राम किया गया है। रूम्बा कम शारीरिक श्रम में फर्श पर बाधाओं और मार्गों की पहचान करने के लिए सेंसर का उपयोग करता है। रूम्बा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पुस्तकालयों में अध्ययन क्षेत्र शांतिपूर्ण और धूल रहित हों ताकि स्टाफ सदस्य या उपयोगकर्ता अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

पुस्तकालय सेटिंग्स में रोबोटिक्स के उपयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं की स्वायत्तता और वितरण में वृद्धि की है। रोबोट नेविगेशन, संसाधन खोज और उपयोगकर्ता सर्विसिंग करते हैं। मैडिसेट्टी, बी. (2024) परिष्कृत पथ–नियोजन एल्गोरिदम के साथ रोबोट सहायकों के उदाहरण देता है जो अपने दम पर पुस्तकालय क्षेत्रों के आसपास संरक्षकों का नेतृत्व कर सकते हैं और संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। गतिशीलता हानि वाले व्यक्ति ऐसी तकनीकों से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जो ऐसे समाधान प्रदान करते हैं जो उनकी दैनिक गतिविधियों में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करते हैं।

रोबोटिक्स भौतिक बाधाओं पर विचार करके पुस्तकालय–डिजाइन पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। स्वचालित पुस्तक पुनर्प्राप्ति–और ठंडे बस्ते में डालने पर आधारित पुस्तकालय अत्यधिक सुलभ और कुशल हैं। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (स्पक।त), कंप्यूटर विजन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (ळचै) सिस्टम का उपयोग रोबोट द्वारा घूमने और लोगों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है मैडिसेट्टी बी. (2024)।

राघवैया, पी. और श्रीकांत, के. (2023) ने यह पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया कि क्या रोबोट को भारतीय पुस्तकालय स्कूलों में नियोजित किया जा सकता है। उन्होंने पुस्तकालयों में उपयोग किए जाने वाले रोबोटों के प्रकार और उनके काम को समझने के लिए साहित्य का उल्लेख किया। लेखकों ने नौकरी विस्थापन के बारे में लाइब्रेरियन की गलत धारणा को यह बताते हुए दूर कर दिया कि रोबोट का उपयोग मानव कर्मियों को पूरक करने के लिए किया जाता है, न कि प्रतिस्थापित करने के लिए। अध्ययन में लाइब्रेरियन को रोबोट तकनीक के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया गया है और पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ाने के लिए नए विचारों को अपनाने को बढ़ावा दिया गया है।

3.3 विकलांगता

विकलांगता की विभिन्न परिभाषाएँ हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

"विकलांगता को एक शारीरिक या मानसिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति को नियमित कार्यों को करने के लिए अपने शरीर के साथ काम करने से रोकती है, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से हो।" (टोडारो, एजे, 2005) ।

मरियम वेबस्टरः 'एक शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, या विकासात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति की कुछ कार्यों या कार्यों में संलग्न होने या विशिष्ट दैनिक गतिविधियों और इंटरैक्शन में भाग लेने की क्षमता को बाधित करती है, हस्तक्षेप करती है या सीमित करती है'।

'एक शारीरिक रूप से विकलांग को सामान्य गतिविधियों के प्रदर्शन में सीमित व्यक्ति के रूप में समझाया गया है जो शारीरिक या मानसिक कमी से काफी और

स्थायी रूप से पीड़ित है या जो नियमित रूप से एक आर्थोपेडिक उपकरण या अपनी विकलांगता को कम करने के अन्य साधनों का उपयोग करता है (परगन्नय, एन. बी.1989) ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (1980) ने हानि को 'मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, या शारीरिक संरचना या कार्य की कोई हानि या असामान्यता' के रूप में परिभाषित किया (पृष्ठ 27)। इसी तरह, विकलांगता को 'किसी भी प्रतिबंध या कमी (हानि के परिणामस्वरूप) के रूप में वर्णित किया गया है जिस तरह से या एक इंसान के लिए सामान्य मानी जाने वाली सीमा के भीतर एक गतिविधि करने की क्षमता है' (पृष्ठ 28)। इसके अलावा, विकलांगता को 'किसी दिए गए व्यक्ति के लिए एक नुकसान, जो एक हानि या विकलांगता के परिणामस्वरूप होता है, जो उस व्यक्ति के लिए सामान्य (उम्र, लिंग और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर) की भूमिका को पूरा करने को सीमित या रोकता है' (पृष्ठ 29)।

विकलांगता शिष्टाचार विनम्र शब्दों का उपयोग करके विकलांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान दिखाने की वकालत करता है। विकलांग, अपंग, विकलंगा जैसे आपत्तिजनक या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिएय इसके बदले हमें विशेष रूप से विकलांग, दिव्यांग आदि जैसे मृदुभाषी शब्दों का उपयोग करना चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने दिव्यांग शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया। 'दिव्यांग' शब्द को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सत्ता में आने के बाद लोकप्रिय बनाया गया था और उन्होंने सुझाव दिया कि अभिव्यक्ति का उपयोग अलग–अलग लोगों के लिए किया जाना चाहिए, जिन्हें अन्यथा स्थानीय शब्द में 'विकलांग' कहा जाता है (झरोटिया, ए. 2021)।

विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं हैं, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. शारीरिक विकलांगता : इसमें मल्टीपल स्केलेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक गठिया, सेरेब्रल पाल्सी शामिल हैं।

2. दृश्य विकलांगता: ये कम दृष्टि, अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस के कारण होते हैं। कुछ सामान्य नेत्र रोग मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना डिटैचमेंट, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हैं।

3. सुनने में असमर्थता : बहरे, बहरा–अंधा और सुनने में कठिनाई इस श्रेणी में आती है।

4 मानसिक स्वास्थ्य विकलांगता: ये सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अल्जाइमर, स्ट्रोक, डिमेंशिया आदि के कारण होते हैं।

5. छिपी हुई विकलांगता या गैर–दृश्यमान विकलांगता (एनवीडी): ऐसी विकलांगता हैं जो तुरंत स्पष्ट नहीं होती हैं। छिपी हुई विकलांगता के कुछ उदाहरण सीखने की अक्षमता, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर, क्रोनिक थकान सिंड्रोम, एड्स, कैंसर, उच्च रक्तचाप, ऑटिज्म हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप डिस्लेक्सिया (बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में कठिनाई), डिस्ग्राफिया (अंकगणितीय विकार), और स्मृति विकलांगता (याद रखने में कठिनाई) जैसी विकलांगता होती है। विकलांगता की विभिन्न डिग्री के आधार पर, इसे हल्के, मध्यम, चिह्नित या कुल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

2.4 एआई कार्यान्वयन से पहले चुनौतियाँ : पुस्तकालयों में एआई के उपयोग से पहले, मुद्रित सामग्री दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम थी। लाइब्रेरी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपेक) स्क्रीन–रीडर संगत नहीं थी। पुस्तकालयों के भीतर भौतिक नेविगेशन चुनौतीपूर्ण था। विकलांगता समावेशन में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी विकलांग उपयोगकर्ताओं को और हाशिए पर डाल देती है (चंद्रशेखर और मुल्ला, 2012)।

पुस्तकालयों में दिव्यांगजनों का समर्थन करने वाले एआई उपकरण

पुस्तकालयों में दिव्यांगजनों की पहुंच और उपयोगिता को बढ़ाकर उनकी सहायता करने के लिए कई एआई उपकरण और प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं।

स्क्रीन रीडर, जैसे कि JAWS और NVDA, दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सहायक तकनीकों में से हैं। ये उपकरण ऑन–स्क्रीन सामग्री पढ़ते हैं, जिससे डिजिटल कैटलॉग, ई–पुस्तकें और डेटाबेस तक पहुंच सक्षम होती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) सॉफ्टवेयर, जैसे कि एबीबीवाई फाइनरीडर(ABBY FineReader), मुद्रित सामग्री को डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, जिससे उन्हें स्क्रीन रीडर द्वारा पठनीय या ऑडियो प्रारूपों में परिवर्तनीय बनाया जा सकता है। एआई–संचालित चौटबॉट आवाज– या टेक्स्ट–आधारित इंटरैक्शन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न विकलांगता वाले उपयोगकर्ता पुस्तकालय संसाधनों की खोज कर सकते हैं या मानवीय हस्तक्षेप के बिना सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय स्थानों के भीतर नेविगेशन के लिए, एआई–सक्षम वेफाइंडिंग सिस्टम ऑडियो फीडबैक के साथ स्मार्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से दृष्टिहीन और गतिशीलता–बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक है। जनरेटिव प्री–ट्रेंड ट्रांसफार्मर (GPT)–संचालित सारांश उपकरण जटिल सामग्री को सरल बनाने और संज्ञानात्मक या सीखने की अक्षमता वाले उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एआई–आधारित ब्रेल एम्बॉसर डिजिटल टेक्स्ट को ब्रेल में परिवर्तित करते हैं, जिससे मुद्रित संसाधन नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो जाते हैं। हैप्टिक फीडबैक टूल जो कंपन और स्पर्श संकेतों का उपयोग करते हैं, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पुस्तकालय रिक्त स्थान पर नेविगेट करने या लाइब्रेरी कियोस्क का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करते हैं (कमिंग्स एट अल., 2018य अकिनेमी, 2020)।

3.पुस्तकालय सेवाओं में एआई अनुप्रयोग का विकास (2002–2025)

2002–2009 : स्क्रीन रीडर्स और टॉकिंग बुक्स को प्रारंभिक चरण में जल्दी अपनानारू इस प्रारंभिक चरण के दौरान, पुस्तकालयों ने दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं का समर्थन करने के लिए स्क्रीन रीडर (जैसे, जेएडब्ल्यूएस) और टॉकिंग बुक्स जैसी बुनियादी सहायक तकनीकों को शामिल करना शुरू किया। ये उपकरण पाठ को भाषण में परिवर्तित करके पहुंच अंतर को पाटने में मदद करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता डिजिटल कैटलॉग और दस्तावेजों के साथ बातचीत कर सकते हैं। प्रिंट सामग्री को डिजिटाइज करने और डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAISY)–अनुरूप पुस्तकों जैसे वैकल्पिक प्रारूपों की पेशकश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हालाँकि एआई अभी तक प्रमुख नहीं था, लेकिन इस अवधि ने भविष्य की प्रगति के लिए आधार तैयार किया (चंद्रशेखर और मुल्ला, 2012)।

2010–2015: कैटलॉग सिस्टम में एआई का एकीकरणय बॉर्न–डिजिटल सुलभ सामग्री पर विशेष ध्यानः डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम के विकास के साथ, इस अवधि में लाइब्रेरी कैटलॉग में एआई सुविधाओं का प्रारंभिक एकीकरण देखा गया, जिसमें बुद्धिमान खोज फंक्शन और मेटाडेटा पीढ़ी शामिल हैं। पुस्तकालयों ने बॉर्न –एक्सेस, सामग्री के निर्माण पर जोर देना शुरू कर दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिजिटल सामग्री शुरू से ही सहायक तकनीकों का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई है। ये विकास समावेशी डिजिटल प्रथाओं और सक्रिय पहुंच की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करते हैं (घोष और दास, 2015)।

2016–2020: एआई सहायकों का उदयय समावेशी डिजिटल पुस्तकालयों पर अनुसंधानः इस युग में पुस्तकालयों में एआई–संचालित आभासी सहायकों और चौटबॉट्स का उदय हुआ, जो विकलांग लोगों सहित उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में सहायता प्रदान करते हैं। पुस्तकालयों ने टेक्स्ट–टू–स्पीच रूपांतरण, स्वचालित अनुक्रमण और सुलभ सामग्री वितरण के लिए मशीन लर्निंग का भी पता लगाया है। अनुसंधान ने समावेशी डिजिटल लाइब्रेरी मॉडल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है जो विविध

उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को समायोजित करता है और सूचना पहुंच में समानता में सुधार करता है (टेला एंड सोलंके, 2020)।

2021–2025: एआई का उपयोग करके वैयक्तिकृत पहुंचय एआई–एकीकृत स्मार्ट लाइब्रेरीय ळच्ज् एकीकरणरू हाल के वर्षों में, पुस्तकालयों ने उन्नत एआई तकनीकों को अपनाया है, जिसमें व्यक्तिगत और बुद्धिमान सेवाएं प्रदान करने के लिए जेनरेटिव प्री–ट्रेंड ट्रांसफार्मर (जीपीटी) जैसे प्राकृतिक भाषा मॉडल शामिल हैं। एआई उपकरण अब सामग्री प्रस्तुति को उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के अनुसार अनुकूलित करते हैं और आवाज–नियंत्रित और संदर्भ–जागरूक पुस्तकालय वातावरण को सक्षम करते हैं। ये स्मार्ट लाइब्रेरी सिस्टम वास्तविक समय अनुवाद, ऑडियो नेविगेशन और अनुरूप समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे विकलांग लोगों के लिए पहुंच में काफी वृद्धि होती है (मित्तल और जोशी, 2023)।

पुस्तकालय सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए पहुंच बढ़ाने में एआई के क्रमिक लेकिन महत्वपूर्ण विकास का पता लगाने के लिए 2002 से 2025 तक की समय–सीमा ली गई है। यह अवधि प्रमुख तकनीकी बदलावों को पकड़ती है – स्क्रीन रीडर और टॉकिंग बुक्स जैसे बुनियादी सहायक उपकरणों के प्रारंभिक कार्यान्वयन से लेकर कैटलॉगिंग और मेटाडेटा सिस्टम में एआई के एकीकरण तक और अंततः बुद्धिमान, व्यक्तिगत और समावेशी डिजिटल लाइब्रेरी वातावरण के विकास तक। प्रत्येक चरण दर्शाता है कि कैसे पुस्तकालयों ने दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, बातचीत और समावेशन में सुधार के लिए एआई को उत्तरोत्तर अपनाया है। इन चार अलग–अलग चरणों में अध्ययन की संरचना करके, समयरेखा इस बात का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है कि कैसे पहुंच एक समर्थन सुविधा से एआई द्वारा सशक्त स्मार्ट लाइब्रेरी बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग बनने तक पहुंच गई। यह ऐतिहासिक और तकनीकी दायरा विकलांग उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय सेवाओं को अधिक न्यायसंगत और उत्तरदायी बनाने में आने वाली चुनौतियों और प्राप्त सफलताओं दोनों को स्पष्ट करने में मदद करता है।

4.साहित्य की समीक्षा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुस्तकालय सेवाओं को बदल रहा है क्योंकि यह विकलांग लोगों के लिए पहुंच को अधिक संभव बनाता है। एआई विकलांग लोगों को मौलिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाकर पुस्तकालयों के हर चेहरे को कम खतरे वाले वातावरण में बदलने का काम करता है। यह साहित्य समीक्षा इस बात की जानकारी को संश्लेषित करती है कि कैसे वर्तमान अध्ययन विकलांग व्यक्तियों द्वारा पुस्तकालय तक पहुंच के लिए एआई से समर्थन पर बहस करते हैं, साथ ही इस सेवा को सुविधाजनक बनाने वाले विशिष्ट उपकरण भी हैं। यह समीक्षा इस बात की भी जांच करेगी कि सेवाओं को बढ़ाने में एआई को कैसे लागू किया जाता है, विशेष रूप से दृष्टिबाधित और पुस्तकालयों में विकलांग अन्य लोगों के पक्ष में।

गजभिये सीके (2024) का लेख ष्लाइब्रेरी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का प्रभावष उन तरीकों का गहन विश्लेषण प्रदान करता है जिनसे एआई पुस्तकालय और सूचना विज्ञान (एलआईएस) को बदल रहा है। यह इस बात पर जोर देता है कि मशीन लर्निंग (एमएल), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), और आभासी सहायकों जैसे एआई उपकरणों को पहुंच, मेटाडेटा प्रबंधन, सूचना पुनर्प्राप्ति और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए कैसे एकीकृत किया जा सकता है। अध्ययन दक्षता, अनुकूलन और डिजिटल संरक्षण जैसे लाभों पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, गोपनीयता के मुद्दों, डिजिटल विभाजन और नैतिक दुविधाओं जैसी कमियों को भी संबोधित करता है। यह लाइब्रेरियनों के लिए डिजिटल साक्षरता के महत्व पर जोर देता है और लाइब्रेरी सेटिंग्स में एआई के जिम्मेदार, समावेशी और उपयोगकर्ता–केंद्रित अनुप्रयोग की वकालत करता है।

पहुंच बाधाओं के बारे में, पारंपरिक पुस्तकालयों को इमारतों और सामग्रियों में मुद्दों का सामना करना पड़ता है जो विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए बहुत उत्तरदायी नहीं हैं। एआई–आधारित समाधानों ने अन्यथा इन अंतरालों को पाट दिया है। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित लोगों तक पहुंचने के लिए JAWS, NVDA और Envision Glasses जैसे सॉफ्टवेयर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। ये प्रौद्योगिकियां उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सामग्री का उपयोग करने और पर्यावरण के माध्यम से ऑब्जेक्ट पहचान, पाठ पढ़ने और नेविगेशन जैसी सुविधाओं को रखने की अनुमति देती हैं (स्टीफन, जी., और इकबाल, ए., 2023)।

हुसैन (2023) पुस्तकालय सेवाओं में सुधार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की क्रांतिकारी संभावनाओं पर चर्चा करता है। वह वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज, कैटलॉगिंग, उपयोग कैटलॉगिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरैक्शन के साथ–साथ निगरानी और चोरी का पता लगाने जैसे सुरक्षा कार्यों के रूप में इस तरह के लाइब्रेरी कार्यों को बदलने की एआई की क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह लेख प्रमुख चुनौतियों की भी पहचान करता है, जैसे कि कम फंडिंग, खराब तकनीकी कौशल और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। यह पुस्तकालयों की कैटलॉगिंग और पुस्तकालयों में एआई के सफल समावेश की सुविधा के लिए रणनीतिक निवेश और प्रशिक्षण की मांग करता है। शोध पुस्तकालयों में सेवा वितरण, दक्षता और उपयोगकर्ता संतुष्टि को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए एआई की क्षमता पर प्रकाश डालता है।

कुज्देउओव, नुर्गालियेव और वरोल (2023) एक भाषण–सक्षम सहायक प्रणाली प्रस्तुत करते हैं जो नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों को प्राकृतिक भाषा में ChatGPT के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। स्वचालित पुस्तकालयों, वाक् पहचान (एएसआर), स्वचालित टेक्स्ट–टू–स्पीच (टीटीएस) और टेलीग्राम बॉट का लाभ उठाते हुए, सिस्टम सहज संचार का समर्थन करता है। प्रारंभिक प्रयोग एक सहायक तकनीक के रूप में अपने वादे को दिखाते हैं, जिसमें आगे के शोध को बढ़ावा देने के लिए स्रोत कोड उपलब्ध कराया गया है।

नोमुरा (2023) नए IFLA दिशानिर्देश पेश करता है जो विकलांग लोगों के लिए समावेशी और सुलभ पुस्तकालय सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं। दिशानिर्देश सार्वभौमिक डिजाइन, सहायक प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय योजना में विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांग) की सक्रिय भागीदारी की वकालत करते हैं। पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और यूएनसीआरपीडी के अनुरूप, दस्तावेज पुस्तकालयों का उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए सूचना और सेवाओं तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करना चाहता है।

ट्रेविन एट अल (2019) विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालियों में निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए चुनौतियों और निहितार्थों पर चर्चा करते हैं। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एआई सिस्टम डेटा संग्रह पूर्वाग्रहों, एल्गोरिथम पूर्वाग्रहों और समावेशी परीक्षण की कमी के कारण अनजाने में विकलांग लोगों को बाहर कर देता है। वे संभावित पूर्वाग्रहों का पता लगाने और उन्हें संबोधित करने के लिए एआई विकास प्रक्रिया के दौरान विकलांग लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव करते हैं। लेख पारदर्शिता, जवाबदेही और एआई सिस्टम को अलग–अलग उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के महत्व को भी रेखांकित करता है, जिससे समान पहुंच और परिणाम मिलते हैं।

जॉनसन (2018) की पुस्तक 'लाइब्रेरीज इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' इस बात की पड़ताल करती है कि एआई पुस्तकालयों और व्यापक सूचना वातावरण को कैसे बदल रहा है। वह निर्णय लेने और सूचना खोज, टेक्स्ट–टू–स्पीच खोज और पारदर्शिता, पूर्वाग्रह और गोपनीयता के लिए इसके निहितार्थ को स्वचालित करने की एआई की क्षमता के बारे में लिखते हैं। जॉनसन पुस्तकालयों से ओपन–सोर्स एआई के साथ नेतृत्व करने, सूचना साक्षरता बनाए रखने और बौद्धिक स्वतंत्रता की

रक्षा करने, अधिक एआई–प्रभुत्व वाली दुनिया में निष्पक्ष जानकारी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं।

डोडामणि और गेडम (2017) दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी सुगम्य पुस्तकालय का विश्लेषण करते हैं। वेबसाइट दृष्टिबाधित लोगों के बीच सूचना अंतर को पाटने के लिए क ाप्ि, ब्रेल और ई–टेक्स्ट जैसे सुलभ प्रारूप प्रदान करती है। शोध पहुंच को बढ़ावा देने के लिए उपयोगकर्ता जागरूकता और समावेशी डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये उपकरण सुगम्य पुस्तकालय जैसे डिजिटल पुस्तकालयों द्वारा समर्थित हैं, जो व्यापक सामग्री प्रदान करने के लिए एआई का लाभ उठाते हैं, जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं, जिसमें ब्रेल पुस्तकें, ऑडियोबुक और ऑडियोबुक से लेकर ई–टेक्स्ट (नाजिम, 2021) शामिल हैं।

मैकहेल (2007) विकलांग संरक्षकों की सेवा करने के लिए पुस्तकालयों के लिए सुलभ कई सहायक प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर समाधानों की व्याख्या करता है। लेख स्क्रीन रीडर, आवर्धन सॉफ्टवेयर और ध्वनि पहचान प्रोग्राम जैसे सॉफ्टवेयर की पहचान करता है जो पहुंच बढ़ाने में मदद करते हैं। मैकहेल का कहना है कि दिव्यांगों सहित सभी के लिए जानकारी सुलभ बनाने के लिए इन तकनीकों को पुस्तकालय सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए।
बर्गस्टाहलर (2002) चर्चा करता है कि कैसे शुरुआती सहायक तकनीकों ने विकलांग लोगों के लिए पुस्तकालय सेवाओं तक पहुंच में काफी सुधार करना शुरू कर दिया। वे बताते हैं कि स्क्रीन रीडर और स्पीच सिंथेसाइजर जैसे टूल ने नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सामग्री पढ़ने में मदद की, जबकि वैकल्पिक कीबोर्ड और वॉयस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर ने डिजिटल लाइब्रेरी कैटलॉग को नेविगेट करने में गतिशीलता हानि वाले लोगों का समर्थन किया। कैप्शनिंग और टेप ने दृश्य–श्रव्य संसाधनों को बधिर उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ बना दिया। प्रारंभिक ओसीआर उपकरणों ने मुद्रित पुस्तकों को डिजिटल प्रारूपों में परिवर्तित करने में मदद की, जिसे बाद में जोर से पढ़ा जा सकता था या ब्रेल में परिवर्तित किया जा सकता था। हालाँकि ये प्रौद्योगिकियां अभी भी विकसित हो रही थीं, लेकिन उन्होंने अधिक समावेशी, एआई–संवर्धित पुस्तकालय सेवाओं की नींव रखी। महत्वपूर्ण रूप से, लेख इस बात पर जोर देता है कि पहुंच केवल एक उपकरण के मालिक होने के बारे में नहीं है – यह इस बारे में है कि जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाती है और क्या हर कोई, विकलांगता की परवाह किए बिना, वास्तव में इसका उपयोग कर सकता है।

एआई–आधारित चौट एजेंट लाइब्रेरी सेवाओं के साथ उपयोगकर्ताओं के संचार को आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए, "Be My AI", जो ChatGPT पर आधारित है, उपयोगकर्ताओं को तस्वीरें अपलोड करने की अनुमति देता है ताकि यह कुछ ही समय में विवरण और व्यापक उत्तरों के साथ प्रतिक्रिया दे सके (स्टीफन एंड इकबाल, 2023)। यह,परिणामस्वरूप, इस तरह की जानकारी पुनर्प्राप्ति के लिए दूसरों पर उनकी निर्भरता को कम करता है।

एआई ने विभिन्न विकलांग व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय सामग्री तक पहुंच बाधाओं को तोड़कर पहुंच में क्रांति ला दी है। लिलीव्हाइट और वोलब्रिंग (2020) का कहना है कि अनुकूली तकनीकों और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सहित एआई–संचालित समाधान, विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के अनुरूप हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, टेक्स्ट–टू–स्पीच सॉफ्टवेयर ने लिखित सामग्री को ध्वनि मोड में बदलने की क्षमता के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए द्वार खोल दिया है, जबकि एआई पर आधारित ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) सॉफ्टवेयर स्क्रीन रीडर के लिए टेक्स्ट के डिजिटलीकरण में सुधार करता है (मैडिसेट्टी, बी. 2024, बीडिवाइस, 2024)।

वाल्ड (2021) इंगित करता है कि एआई की वैयक्तिकृत करने की क्षमता पुस्तकालयों को

उपयोगकर्ता–आवश्यकता–आधारित सेवाओं का प्रावधान करने में सक्षम बना सकती है। यह विकलांगता की विविधता के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां ऐसे समाधान विकसित किए जाने चाहिए जो संज्ञानात्मक हानि, गतिशीलता सीमाओं और संवेदी घाटे जैसी विभिन्न कठिनाइयों को संबोधित करते हैं।वाल्ड एआई सिस्टम के बीच इंटरऑपरेबिलिटी के मूल्य को भी इंगित करता है, जो उपयोगकर्ताओं को लाइब्रेरी उपकरणों और प्लेटफार्मों पर अपनी अनुरूप पहुंच सेटिंग्स को लागू करने में सक्षम बना सकता है।

सूचना तक पहुंच बढ़ाने के अलावा, एआई प्रौद्योगिकियां भौतिक पहुंच सीमाओं को पार करती हैं। स्क्रीन रीडर और स्वतंत्र नेविगेशन सहायता गतिशीलता हानि वाले व्यक्तियों को पुस्तकालयों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, एआई–संचालित सहायक उपकरण जैसे स्पर्श–संवेदनशील मार्ग और जूमिंग प्रोग्राम भी प्रभावी विकलांगता आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों में तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं (नाजिम, 2021य शाहिदी–हमेदानी एट अल., 2024)।

इन सफलताओं के बावजूद, चुनौती अभी तक दूर नहीं हुई है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों सहित अधिकांश पुस्तकालयों में एआई के बड़े पैमाने पर उपयोग में आने वाली बाधाओं में अपर्याप्त वित्त, स्टाफ सदस्यों का कमजोर प्रशिक्षण और घटिया बुनियादी ढांचा (नाजिम, 2021) शामिल हैं।

इन बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक निवेश की आवश्यकता होगी, जो समावेशिता के लिए समग्र नीतियों द्वारा वहन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई उपयोग में नैतिक विचार, जैसे डेटा में गोपनीयता के मुद्दे और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, को समान सेवा प्रावधान के लिए गंभीरता से लिया जाना चाहिए (शाहिदी–हमेदानी एट अल., 2024)।

4.1 कार्यान्वयन और नैतिक मुद्दे

एआई और रोबोटिक्स की क्षमता के बावजूद, पुस्तकालय सेवाओं में उनके पूर्ण एकीकरण के लिए अभी भी कई मुद्दों को हल किया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए, लिलीव्हाइट और वोल्बिंग (2020) ध्यान दें कि विकलांग उपयोगकर्ताओं से आमतौर पर एआई सिस्टम की योजना और विनियमन में परामर्श नहीं किया जाता है, इस प्रकार इन तकनीकों को ऐसे लोगों के लिए बेकार और अप्रासंगिक बना दिया जाता है। डेटा गोपनीयता और एआई एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह के साथ नैतिक चिंताएं भी एआई के उपयोग के साथ एक चुनौती पेश करती हैं क्योंकि ये अनजाने में उपयोगकर्ता समूहों को हाशिए पर डाल सकते हैं। वाल्ड (2021)।

इसके अलावा, पुस्तकालयों में एआई टूल अपनाने का खर्च काफी अधिक है। मैडिसेट्टी (2024) के बाद, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में पुस्तकालयों जैसे संसाधन–बाधित वातावरण में रोबोटिक सिस्टम और अन्य सहायक तकनीकों की खरीद और रखरखाव महंगा है। अनुसंधान सहयोग, समावेशी प्रौद्योगिकी नीतियों के लिए अभियान और एआई के माध्यम से नवाचार को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धन का आवंटन इन चुनौतियों के कुछ समाधान हैं। उभरती प्रौद्योगिकियां पुस्तकालयों में एआई के लिए एक उज्ज्वल भविष्य पेश करेंगी। उदाहरण के लिए, एआई–आधारित संग्रह विकास अनुप्रयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर सकते हैं। आवाज पहचान सॉफ्टवेयर, एआई–संचालित पहनने योग्य उपकरण (जैसे, एनविजन ग्लास), और अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकों में पुस्तकालय संसाधनों स्टीफन जी., और इकबाल, ए. (2023) की उपयोगिता और पहुंच को बढ़ाने की क्षमता होगी।

5.अनुसंधान पद्धति

वर्तमान अध्ययन विकलांग व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं में सुधार के लिए आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस (एआई) की क्षमता की जांच करने के लिए एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा के आधार पर एक गुणात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण का उपयोग करता है। अध्ययन का उद्देश्य पुस्तकालय सेटिंग्स के भीतर एआई–आधारित उपकरणों, उनके उपयोगों, चुनौतियों और नैतिक विचारों को मैप करना है।

2002 से 2025 तक के विद्वानों के लेखों, केस स्टडीज, नीति रिपोर्ट और संस्थागत रिपोर्टों पर विचार किया गया। गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट, वेब ऑफ साइंस, स्प्रिंगर, डेसिडोक,जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज और एसएजीई जर्नल्स जैसे स्थापित शैक्षणिक डेटाबेस से स्रोत एकत्र किए गए थे। रिसर्चगेट, पत्रिकाएं और संस्थागत रिपॉजिटरी। चयन के मानदंड पुस्तकालयों में एआई अनुप्रयोगों, विकलांगों के लिए विकलांगता प्रौद्योगिकियों (विशेष रूप से दृष्टिबाधित और गतिशीलता बाधित) और एआई कार्यान्वयन के नैतिक पहलुओं को छूने वाले साहित्य पर केंद्रित थे।

विश्लेषण को सहायक प्रौद्योगिकियों, नैतिक चिंताओं, बुनियादी ढांचे की कमी और समावेशी डिजाइन जैसी व्यापक श्रेणियों के तहत समूह निष्कर्षों पर लागू किया गया था। इस दृष्टिकोण ने विभिन्न अंतर्दृष्टियों और प्रथाओं के अभिसरण की अनुमति दी ताकि पुस्तकालय सेवाओं में एआई और पहुंच के बीच गतिशील संबंधों की एक मजबूत समझ पैदा की जा सके।

6. वैश्विक मामले का अध्ययन

1. भारतीय पहल :

सुगम्य पुस्तकालय–1. भारतीय– विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से डेजी फोरम ऑफ इंडिया द्वारा सुलभ पुस्तकों की एक डिजिटल लाइब्रेरी (डेजी इंडिया, एनडी, पैरा. 2) के सहयोग से लॉन्च की गई। सुगम्य पुस्तकालय, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन पुस्तकालय। इसमें DAISY, EPUB और Braille जैसे प्रारूपों में हजारों शीर्षक हैं और डिजिटल रूपांतरण और उपयोगकर्ता प्रोफाइलिंग को प्रबंधित करने के लिए AI का उपयोग करता है। यह एक सहयोगी मंच है जो प्रिंट विकलांग व्यक्तियों को सुलभ पुस्तकें प्रदान करता है, कुशल कैटलॉगिंग और वितरण के लिए एआई को एकीकृत करता है।

दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय – दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित छात्रों के लिए शैक्षिक सामग्री को सुलभ बनाने के लिए आईआईटी खड़गपुर की एक पहल वास्तविक समय ऑडियो रेंडरिंग और सामग्री टैगिंग के लिए AI का उपयोग करता है।

2 अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ : पहुंच के लिए AI का उपयोग करने वाले विश्व पुस्तकालय।

नॉर्वेजियन लाइब्रेरी ऑफ टॉकिंग बुक्स एंड ब्रेल (एनएलबी) – यह लाइब्रेरी ऑडियोबुक उत्पादन और ब्रेल अनुवाद को स्वचालित करने के लिए एआई का उपयोग करती है। इसे सुलभ सामग्री वितरण में एक वैश्विक नेता माना जाता है ('नॉर्वेजियन लाइब्रेरी ऑफ टॉकिंग बुक्स एंड ब्रेल', 2024, पैरा.3)।

बुकशेयर– पढ़ने में अक्षम लोगों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी, जो ऑडियो, ब्रेल और बड़े प्रिंट प्रारूपों में पुस्तकें प्रदान करती है। एआई स्वचालित ट्रांसक्रिप्शन और बुद्धिमान खोज सुविधाओं का समर्थन करता है (Bookshare-org.2024)

3 विश्वविद्यालय पुस्तकालयरू समावेशी सेवाओं के लिए एआई का उपयोग करना (2002–2025)

अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के कई विश्वविद्यालयों ने इसे अपनाया है :

– समावेशी संदर्भ सेवाओं के लिए एआई चौटबॉट

– अकादमिक जर्नल एक्सेस के लिए एआई–सक्षम

– ओसीआर स्मार्ट पाठक और ई–टेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी टूल

7. निष्कर्ष और चर्चा

पुस्तकालयों में एआई प्रौद्योगिकियों ने पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने में बहुत मदद की है। JAWS, NVDA

और एनविजन ग्लास जैसे सॉफ्टवेयर दृष्टिबाधित लोगों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने और नेविगेट करने की अनुमति देते हैं। एआई–आधारित ओसीआर सॉफ्टवेयर, जैसे कुर्जवील 1000 और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), ग्रंथों को विभिन्न सुलभ प्रारूपों में परिवर्तित करने की अनुमति देता है।

'बी माई एआई' जैसे चौटबॉट उपयोगकर्ताओं की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं, रोबोटिक्स विकलांग उपयोगकर्ताओं को नेविगेशन और स्वचालित पुनर्प्राप्ति प्रणालियों की बुद्धिमत्ता के माध्यम से गतिशीलता का उपयोग करने में मदद करता है। एआई समाधानों के भीतर वैयक्तिकरण सेटिंग्स विभिन्न विकलांगताओं का समर्थन करने वाले विशेष उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करती हैं।

फिर भी, बुनियादी ढांचे में अंतराल, वित्तपोषण और कर्मचारी प्रशिक्षण बना हुआ है, खासकर विकासशील देशों के पुस्तकालयों में। इसके अतिरिक्त, एआई सिस्टम में अक्सर समावेशी डिजाइन सिद्धांतों की कमी होती है, विकास चरणों में उपयोगकर्ता के विचारों को छोड़कर।

8.चुनौतियाँ और नैतिक चिंताएँ

पुस्तकालयों में एआई के व्यापक उपयोग को कई चुनौतियाँ बाधित करती हैं :

डिजिटल डिवाइड : एआई आधारित सेवाएँ इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। ग्रामीण या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, संसाधनों की कमी उपयोगकर्ताओं को लाभ उठाने से वंचित कर सकती है।

प्रशिक्षण और जागरूकता: पुस्तकालय कर्मचारियों के पास अक्सर एआई उपकरणों को प्रभावी ढंग से लागू करने या प्रबंधित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की कमी होती है।

भाषाई विविधता : अधिकांश एआई उपकरणों को अंग्रेजी डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे गैर–अंग्रेजी बोलने वाले क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थानीय भाषा की सामग्री तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है

तकनीकी चुनौतियाँ : विविध विकलांगताओं के लिए एआई डिजाइन में अपर्याप्त इंटरऑपरेबिलिटी और प्रतिबंध।

आर्थिक सीमाएँ : कम आय वाले पुस्तकालयों में एआई उपकरणों और रोबोटिक्स की अत्यधिक कीमतें।

नैतिक चिंताएँ : डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, और एआई सिस्टम डिजाइन और शासन में विकलांग आवाजों का बहिष्कार। इन मांगों को पूरा करने के लिए बहु–हितधारक सहयोग, समावेशी नीति निर्माण और टिकाऊ वित्त पोषण मॉडल की आवश्यकता है।

9.निष्कर्ष और सिफारिशें

निष्कर्ष :

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुस्तकालय सेवाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी बनाने के लिए एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में सामने आया है। स्क्रीन रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, स्पीच–इनेबल्ड सिस्टम और सहायक रोबोट जैसे टूल के संयोजन से, लाइब्रेरी अब दृश्य, गतिशीलता और संज्ञानात्मक अक्षमता वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा जानकारी तक स्वतंत्र पहुंच की सुविधा प्रदान करने में अधिक सक्षम हैं। ये प्रौद्योगिकियां विकलांग लोगों को दूसरों पर निर्भरता के बिना शिक्षा, काम और आजीवन सीखने में स्वायत्त रूप से संलग्न होने के लिए तैयार करती हैं। फिर भी, पहुंच को केवल तकनीकी फोकस के माध्यम से नहीं माना जा सकता है। नैतिक तैनाती, समावेशी डिजाइन और एआई सिस्टम के निर्माण में विकलांग उपयोगकर्ताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक है। विशेषाधिकार प्राप्त संस्थानों में ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय, बुनियादी ढांचे और शिक्षा असमानताओं को पाटने की आवश्यकता है। पुस्तकालयों में वास्तविक पहुंच समानता को बनाए रखने का वादा है, जिसमें एआई का उपयोग न केवल एक उपकरण के रूप में किया जाता है, बल्कि सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसर, स्वायत्तता और डिजिटल गरिमा की खाई को पाटने के साधन के रूप में भी किया जाता है।

संक्षेप में, एआई में विकलांग व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने की काफी संभावनाएं हैं, जो समावेशन और स्वायत्तता सुनिश्चित करने वाली सहायता प्रदान करते हैं। फिर भी, समान पहुंच सुनिश्चित करने में बड़े पैमाने पर उत्थान को प्रोत्साहित करने के लिए नैतिक, वित्तीय और तकनीकी बाधाओं के रूप में बाधाओं को तोड़ना होगा। पुस्तकालयों में अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए एआई सिस्टम के निर्माण और विनियमन में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए भविष्य की पहल की जानी चाहिए।

सिफारिशों :

– अक्षम उपयोगकर्ताओं को एआई सिस्टम के परीक्षण और डिजाइन में शामिल करें।

– समावेशी डिजिटल पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय नीतियां बनाएं।

– सहायक उपकरणों पर पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करें।

– एआई उपकरणों में इंटरऑपरेबिलिटी और नैतिक प्रबंधन सुनिश्चित करें।

– नवीन समाधानों के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक–निजी सहयोग की सुविधा प्रदान करना।

10.संदर्भ :

Akinyemi, A- (2020)- Artificial intelligence and library services for visually impaired users in developing countries- Library Hi Tech,38(4),765&778- http://doi-org/10-1108/LHT&01&2020&0013-

Bookshare.org. (2024)- https://www.bookshare.org

Burgstahler, S- (2002)- Distance learning: Universal design, universal access- AACE Review, 10(1)] 32–61- https://www-learntechlib-org/primary/p/17776/

Chandrashekara, M-, & Mulla] K. R. (2012)- Assistive technologies for visually challenged persons in academic libraries: A study- DESIDOC Journal of Library & Information Technology] 32¼4½] 353–357-

Chelliah] J-] Sood] S-] & Scholfield] S- ¼2015½- Realising the strategic value of RFID in academic libraries: A case study of the University of Technology Sydney- The Australian Library Journal, 64(2)113–127- doi:10-1080/00049670-2015-1013005

Cox, A- (2022)- How artificial intelligence might change academic library work: Applying the competencies literature and the theory of the profession- Journal of the Association of Information Science and Technology- 74 (3),]367&380-https://doi-org/10-1002/asi-24635

Cox, A- (2022)- The ethics of AI for information professionals: eight scenarios- Journal of the Australian Library and Information Association- 71 (3)] 201&214 https://doi-org/10-1080/24750158-2022-2084885-

Cummings, R. E., French, M. E., & Sullivan] P- (2018)- Accessibility of academic libraries for students with disabilities: current trends and future directions- College & Research Libraries, 79(6)] 783–797.

Das, R- K & Islam, M.S.U. (2021)- Application of artificial intelligence and machine learning in libraries: A systematic review libraries- Library Philosophy and Practice- (e&Journal)]17- http://doi-org/10-48550/arXiv2112-04573-

Daisy India- (n.d.)- Sugamya Pustakalaya- Daisy India- Retrieved September 15, 2025, from https://www-daisyindia-org/sugamya&pustakalaya-

De Silva, S- M- (1997)- A review of expert systems in library and information science- Malaysian Journal of Library and Information Science, 2(2)] 57–92- https://mjlis-um-edu-my/index-php/MJLIS/article/view/6633

Department of Information Technology, Malla Reddy College of Engineering & Technology- (2020–2021)- Digital notes on artificial intelligence (B- Tech IV Yr/ I Sem)- Malla Reddy College of Engineering & Technology- Retrieved August 17,, 2025,from http://www-mrec-ac-in

Dodamani, A- M-& Gedam] N] (2017)- Users awareness of sugamya pustakalaya: An online library for the visually challenged in India- Library Progress (International)] 37(2)] 234–241- https://doi-org/10-5958/2320&317X-2017-00023-X

ई–कन्टेंट का प्रभाव: माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की स्व–प्रभावकारिता, उपलब्धि प्रोत्साहन तथा शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव

डॉ. चन्दन सहारण
शिक्षा विभाग, विभागाध्यक्ष
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय,
जयपुर

गरिमा शर्मा
शोधार्थी
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय
जयपुर

सारांश

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। इन तकनीकों में इंटरनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव प्रस्तुत किया है। पहले पारंपरिक शिक्षा पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों पर निर्भर होती थी, जबकि इंटरनेट ने इस निर्भरता को कम कर दिया है। आज विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर नहीं हैं, इंटरनेट के माध्यम से उन्हें प्रचुर मात्रा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो जाती है। अध्ययन सामग्री की इस सरल उपलब्धता के कारण विद्यार्थियों की शिक्षकों पर निर्भरता कम हुई है, जिसका प्रभाव उनकी स्व–प्रभावकारिता, उपलब्धि प्रोत्साहन तथा शैक्षिक उपलब्धि पर भी पड़ रहा है। प्रस्तुत शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य ई–कन्टेंट की प्रभावशीलता का अध्ययन करना है। इस शोध में ई–कन्टेंट के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की स्व–प्रभावकारिता, उपलब्धि प्रोत्साहन और शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव को मापने के लिए प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। ई–कन्टेंट की प्रभावशीलता को टी–टेस्ट के माध्यम से पूर्व–परीक्षण व पश्च–परीक्षण के आंकड़ों के अंतर को निकालकर मापा गया। परिणाम से पता चला कि ई–कन्टेंट के माध्यम से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पारंपरिक विधि से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पाई गई। इसी प्रकार, ई–कन्टेंट का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की स्व–प्रभावकारिता और उपलब्धि प्रोत्साहन भी अधिक पाया गया अतः यह स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की स्व–प्रभावकारिता, उपलब्धि प्रोत्साहन, और शैक्षिक उपलब्धि पर ई–कन्टेंट का महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भविष्य के शिक्षण–अधिगम दृष्टिकोण में ई–कन्टेंट का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं की शैक्षिक क्षमता, प्रेरणा और प्रदर्शन को और अधिक उन्नत कर सकें।

मुख्य शब्द – ई–कन्टेंट, स्व–प्रभावकारिता, उपलब्धि प्रोत्साहन, शैक्षिक उपलब्धि

1. भूमिका

डिजिटल युग ने शिक्षा के परि.श्य को मूल रूप से बदल दिया है, जहाँ ई–कन्टेंट शिक्षण–अधिगम का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है। कोविड–19 महामारी ने इस परिवर्तन को और तेज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दूरस्थ तथा ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक रूप से विस्तार हुआ। इस परिवर्तन ने डिजिटल शिक्षा की संभावनाओं तथा चुनौतियों दोनों को उजागर किया। ई–कन्टेंट में स्लाइड्स, ऑनलाइन क्विज़, वीडियो, पॉडकास्ट, ई–बुक्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिमुलेशन तथा ई–गेम्स जैसे विविध डिजिटल शिक्षण–सामग्री शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं दूरी कम करना, लागत–प्रभावशीलता, उपयोगकर्ता–अनुकूलता, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लचीलापन, तथा भौगोलिक–सामाजिक बाधाओं को तोड़कर विविध शिक्षार्थियों तक पहुँचना।

यह समझना आवश्यक है कि ई–कन्टेंट केवल एक 'टूल' या 'संसाधन' भर नहीं है; यह शिक्षा में परिवर्तन का उत्प्रेरक बन चुका है। महामारी के दौरान ई–लर्निंग के व्यापक प्रसार ने शिक्षा के "ढाँचे और पद्धति" दोनों में बड़ा परिवर्तन किया। यह संकेत करता है कि ई–कन्टेंट अब सिर्फ सामग्री उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं, बल्कि शैक्षणिक संरचना और शिक्षण–शास्त्र को पुनर्गठित करने वाली एक मूलभूत शक्ति बन चुका है। अतः इसके उपयोग और प्रभाव को अधिक समग्र दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है।

छात्रों की शैक्षणिक सफलता केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती; बल्कि स्व–प्रभावकारिता और उपलब्धि प्रेरणा जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों पर भी गहराई से आधारित होती है। उपलब्धि–प्रदर्शन एक जटिल प्रक्रिया है, जिस पर आंतरिक–बाह्य दोनों प्रकार के कारक प्रभाव डालते हैं। शोध इंगित करता है कि स्व–प्रभावकारिता और उपलब्धि प्रेरणा के बीच एक बहुआयामी, चक्रीय और पारस्परिक संबंध होता है – दोनों एक–दूसरे की भविष्यवाणी करते हैं और उच्च शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ावा देते हैं। अक्सर स्व–प्रभावकारिता उपलब्धि प्रेरणा और प्रदर्शन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। इसका अर्थ है कि ई–कन्टेंट यदि किसी एक संरचना (जैसे स्व–प्रभावकारिता) को प्रभावित करता है, तो उसका प्रभाव प्रेरणा तथा फिर प्रदर्शन पर भी पड़ेगा। इसलिए ई–कन्टेंट का प्रभावी डिजाइन केवल ज्ञान हस्तांतरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का निर्माण भी सुनिश्चित करना चाहिए।

यह शोध–पत्र विभिन्न द्वितीयक स्रोतों की सहायता से ई–कन्टेंट का छात्रों की स्व–प्रभावकारिता, उपलब्धि प्रेरणा, और शैक्षणिक उपलब्धि पर प्रभाव का विश्लेषण एवं संश्लेषण प्रस्तुत करता है। आगे के भागों में प्रमुख अवधारणाओं की परिभाषाएँ, अनुभवजन्य साक्ष्य, प्रभावकारी कारक तथा व्यावहारिक निहितार्थों पर चर्चा की गई है।

2. वैचारिक रूपरेखाः प्रमुख अवधारणाएँ

ई–कन्टेंटः विशेषताएँ, प्रकार एवं शैक्षिक उपयोग

ई–कन्टेंट से आशय इंटरनेट आधारित उपकरणों पर उपलब्ध शिक्षण–अधिगम सामग्री से है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं – दूरी कम करना, कम लागत, उपयोगकर्ता–अनुकूलता, व्यक्तिगत गति से सीखने की सुविधा, तथा वैश्विक पहुँच। ई–कन्टेंट के प्रकार . स्लाइड्स, क्विज़, वीडियो, पॉडकास्ट, इंटरैक्टिव वीडियो, चर्चा मंच, ई–बुक्स, सिमुलेशन, और ई–गेम्स आदि।

ई–कन्टेंट अब मात्र सामग्री का डिजिटल रूप नहीं है; यह अनुकूली एवं वैयक्तिकी.त शिक्षण का सक्षम साधन है। यह छात्रों की विविध आवश्यकताओं, पूर्वज्ञान और क्षमताओं के अनुसार सीखने के मार्ग तैयार कर सकता है। इस प्रकार, ई–कन्टेंट पारंपरिक विधियों से आगे बढ़कर उच्च स्तर का व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करता है।

स्व–प्रभावकारिताः बांडूरा का सिद्धांत और शैक्षणिक निहितार्थ

बांडूरा (1977, 1986, 1997) के अनुसार स्व–प्रभावकारिता किसी व्यक्ति का यह विश्वास है कि वह किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। यह डोमेन–विशिष्ट होती है – जैसे गणित में उच्च स्व–प्रभावकारिता लेकिन नाटक में कम। उच्च स्व–प्रभावकारिता प्रयास बढ़ाती है, चुनौतियों का सामना करने की क्षमता मजबूत करती है और बेहतर रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इसे चार स्रोतों से विकसित किया जा सकता है – सफलता के अनुभव, दूसरों को सफल होते देखना, सामाजिक प्रोत्साहन और भावनात्मक–शारीरिक अवस्थाएँ। इसका संकेत है कि ई–कन्टेंट में स्व–प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु डोमेन–विशिष्ट डिज़ाइन आवश्यक है।

उपलब्धि प्रेरणाः सिद्धांत और अधिगम में भूमिका

उपलब्धि प्रेरणा सफलता प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा है। यह सीखने में मुख्य प्रेरक शक्ति है। उच्च

उपलब्धि प्रेरणा उच्च चुनौतीपूर्ण कार्यों को चुनने और बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। उपलब्धि प्रेरणा और स्व–प्रभावकारिता के बीच चक्रीय संबंध है – दोनों एक–दूसरे को बढ़ाते हैं। इसका संकेत है कि ई–कन्टेंट यदि किसी एक को बढ़ाता है, तो दूसरा स्वतः सशक्त होता है।

शैक्षणिक उपलब्धिः परिभाषा और मापन

शैक्षणिक उपलब्धि छात्रों की अपेक्षित शैक्षणिक मानकों को प्राप्त करने की क्षमता है। प्रमुख मानक कक्षा प्रदर्शन, मानकी.त परीक्षाएँ और स्नातक दर। विभिन्न नीतियाँ इनके मापन को प्रभावित करती हैं।

3. अनुभवजन्य साक्ष्यः ई–कन्टेंट का प्रभाव

ई–कन्टेंट और स्व–प्रभावकारिता

अधिकांश अध्ययनों में पाया गया कि ई–मॉड्यूल्स स्व–प्रभावकारिता को बढ़ाते हैं, विशेषकर सहयोगी अधिगम में।

हालाँकि ऑनलाइन/ब्लेंडेड लर्निंग में स्व–प्रभावकारिता और प्रदर्शन के बीच संबंध, पारंपरिक कक्षाओं की तुलना में कमजोर दिखा (जैसे टी=0.19 जबकि फेस–टू–फेस में टी=0.31 या 0.59)। तकनीकी स्व–प्रभावकारिता का प्रदर्शन से संबंध भी अत्यंत कम पाया गया (टी=0.07)।

ई–कन्टेंट और उपलब्धि प्रेरणा

ई–कन्टेंट, विशेषकर मल्टीमीडिया आधारित मॉड्यूल्स, प्रेरणा बढ़ाते हैंपरंतु कुछ अध्ययनों में ऑनलाइन छात्रों में कम आंतरिक–बाह्य प्रेरणा तथा कम रुचि दर्ज की गई, जो प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।

ई–कन्टेंट और शैक्षणिक प्रदर्शन

बहुत से अध्ययनों में ई–कन्टेंट से अकादमिक उपलब्धि में सुधार पाया गया है। लेकिन विरोधाभासी शोध दर्शाते हैं कि सेकेंडरी स्तर पर कनेक्टिविटी, डिवाइस की कमी, इंटरैक्शन की कमी जैसी समस्याओं के कारण प्रदर्शन घट भी सकता है। इसे 'ई–कन्टेंट पैराडॉक्स' कहा जा सकता है – अंतर्निहित क्षमता बहुत अधिक, परंतु वास्तविक परिणाम संदर्भ और संसाधनों पर निर्भर।

4. प्रभाव को संचालित करने वाले कारक

ई–कन्टेंट डिज़ाइन और इंटरएक्टिविटी

उच्च गुणवत्ता, उपयुक्त मल्टीमीडिया, डिज़ाइन, उपयोगिता और सामग्री की सटीकता – सभी सीखने और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। । आधारित व्यक्तिगत अधिगम भी प्रभावी सिद्ध हुआ है।

तकनीकी उपलब्धता, बुनियादी ढाँचा और डिजिटल साक्षरता

कमजोर कनेक्टिविटी, उपकरणों की कमी, डिजिटल विभाजन और कम डिजिटल साक्षरता मुख्य बाधाएँ हैं। LMS साक्षरता प्रेरणा और ऑनलाइन प्रभावशीलता के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।

व्यक्तिगत एवं जनसांख्यिकीय कारक

लिंग, आयु, पारिवारिक संरचना, विषय–वरीयताएँ, सीखने की आदतें – सभी ई–कन्टेंट के प्रभाव को प्रभावित करते हैं।

स्व–नियमन और छात्र संलग्नता

ऑनलाइन सीखना प्रबल आत्म–नियमन, लक्ष्य निर्धारण, आत्म–मूल्यांकन आदि पर निर्भर करता है। कमजोर स्व–नियमन ड्रॉप–आउट दर बढ़ाता है। इंटरैक्टिव ई–कन्टेंट संलग्नता बढ़ाता है।

शिक्षक सहयोग और शिक्षण पद्धतियाँ

– ई–कन्टेंट तभी प्रभावी है जब शिक्षक उसे उपयुक्त रूप से एकीकृत करें।

– मानवीय संवाद, फीडबैक, मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन अभी भी अनिवार्य हैं।

– एआई शिक्षण में सहायक है, लेकिन मानव–संपर्क का विकल्प नहीं।

5. निष्कर्ष और समेकित विश्लेषण

– उपलब्ध साक्ष्य इंगित करते हैं कि ई–कन्टेंट स्व–प्रभावकारिता, उपलब्धि प्रेरणा और शैक्षणिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर जब यह इंटरैक्टिव और सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए।

– लेकिन इसके लाभ सार्वभौमिक नहीं हैं; यह डिज़ाइन की गुणवत्ता, तकनीकी संसाधनों, छात्र विशेषताओं तथा शिक्षक सहयोग जैसे संदर्भात्मक कारकों पर अत्यधिक निर्भर करता है।

– शोध में विरोधाभास भी मिले . कुछ अध्ययनों में उल्लेखनीय सुधार, तो कई में गिरावट। इससे स्पष्ट है कि बड़ी भूमिका कार्यान्वयन की है, न कि केवल ई–कन्टेंट की उपलब्धता की।

– ऑनलाइन संदर्भों में प्रेरणा की भविष्यवाणी शक्ति भी कमजोर पाई गई, जिससे संकेत मिलता है कि स्व–नियमन, तकनीकी दक्षता, तथा बाहरी समर्थन अधिक निर्णायक हो सकते हैं।

अतः भविष्य के शोध एवं नीतियों को इस दिशा में केंद्रित होना चाहिए कि कौन–सी परिस्थितियों, किस प्रकार के छात्रों, और किस प्रकार के ई–कन्टेंट के लिए अधिकतम प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

– बांडूरा, ए. (1977). स्व–प्रभावकारिताः व्यवहार परिवर्तन के लिए एक एकी.त सिद्धांत की ओर। साइकोलॉजिकल रिव्यू, 84(2), 191–215।

– बांडूरा, ए. (1997). स्व–प्रभावकारिताः नियंत्रण के अभ्यास पर आधारित सिद्धांत। डब्ल्यू. एच.. रीमैन।

– बांडूरा, ए. (1986). विचार और क्रिया की सामाजिक नींवः एक सामाजिक–संज्ञानात्मक सिद्धांत। प्रेंटिस–हॉल।

हिन्दी साहित्य में नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि

राजेश कुमार
शोधार्थी,
हिन्दी विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर (राज)
Email : rajeshyadav2234@gmail.com

शोध सारांश – हिंदी आलोचना के इतिहास में नामवर सिंह एक ऐसे आलोचक के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने आलोचना की परंपरागत सीमाओं को तोड़ा और एक नए विमर्श के क्षेत्र में रूपांतरित किया हिंदी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा की आलोचना के बाद नामवर सिंह ने आलोचना को केवल साहित्यिक मूल्यों के विवेचन तक सीमित न रखकर उसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भों से जोड़ा। उनकी आलोचना दृष्टि का मूल स्वर यह था कि साहित्य और समाज के बीच का संवाद निरंतर चलता रहे।

नामवर सिंह का आलोचना दर्शन बहुआयामी एक और मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित होकर साहित्य को वर्गीय संरचनाओ, संघर्ष और ऐतिहासिक द्वन्द्व की कसौटी पर परखते हैं तो दूसरी और वे तुलनात्मक साहित्य भाषा–विज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययन की पद्धतियों को भी आलोचना में स्थान देते हैं उनका मानना था कि किसी रचना को खंडित करने का उपकरण नहीं है। बल्कि उसके भीतर छिपे अर्थ–स्तरों को उद्घाटित करने और नए विमर्शों की संभावनाओं को सामने का माध्यम है । कविता के नए प्रतिमान में उन्होंने कविता की समीक्षा के लिए भावुकतावादी कसौटियों से हटकर नए सामाजिक–ऐतिहासिक प्रतिमान स्थापित किए छायावाद ग्रंथ में उन्होंने छायावाद को केवल "रहस्यवाद" यह "व्यक्तिवाद" मानने की रूढ धारणाओं को तोड़कर उसे हिंदी काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण चरण सिद्ध किया दूसरी परंपरा की खोज छायावाद नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि में संवाद और बहस को विशेष स्थान प्राप्त है। वे मानते थे कि आलोचना में असहमति भी सार्थक होती है, क्योंकि वही नए दृष्टिकोण को जन्म देती हैं यही कारण है, कि उनके आलोचना लेखन में गहन अध्ययन तार्किकता, भाषा कि सहजता और तर्क–संगता का अद्भुत सन्तुलन दिखाई देता है ,आज जब हिंदी आलोचना उत्तर आधुनिकता ,नारीवाद, दलित विमर्श, उपनिवेशोत्तर चिंतन और सांस्तिक अध्ययन की ओर बढ चुकी , तब भी नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि में आलोचना का कार्य यह तय करना नहीं है, कि कोई रचना श्रेष्ठ है या नहीं,बल्कि यह है कि वह अपने समय और समाज से किस प्रकार जुड़ती है और किस प्रकार नए प्रश्न उठाती है।

इस शोध आलेख का उद्धेश्य नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि का गहन विश्लेषण करता है। इसमें इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथो का परीक्षण, उनकी विचार परंपरा के विकास, उनके आलोचना दर्शन के आयामों और हिन्दी आलोचना में उनके योगदान की विवेचना की गई साथ ही उनके पूर्ववर्ती आलोचकों तथा समकालीन आलोचना–विचारधाराओं से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाएगा।

नामवर सिंह हिंदी आलोचना को आधुनिक बौद्धिक विमर्श से जोड़ने वाले ऐसे आलोचनक थे जिन्होने साहित्य को समाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन का उपकरण मानते हुए आलोचना को उनकी नई भूमिका सौपी यह कारण है कि वे "हिंदी आलोचना के सम्राट" कहे जाते है और उनकी आलोचना दृष्टि आज भी शोधार्थियो और पाठकों को

निरंतर प्रेरित करती है।

बीज शब्द – नामवर सिंह, हिन्दी आलोचना, आलोचना दृष्टि, मार्क्सवादी आलोचना, युगीन चेतना, तुलनात्मक साहित्य, परंपरा और आधुनिकता, दूसरी परम्परा, छायावाद, कविता के नये प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, सामजिक यथार्थ, सांस्कृतिक विमर्श आलोचना का अंतर, हिंदी साहित्य परंपरा, संवादात्मक आलोचना, साहित्य और समाज का संबंध।

परिचय – हिन्दी साहित्य के आलोचना विवेचन में नामवर सिंह का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतिष्टित रूप से लिया जाता है वे केवल आलोचक ही नहीं, बल्कि एक विचारक दर्शनिक और साहित्य विमर्श की नई दिशा देने वाले व्यक्ति थे उन्होने हिंदी आलोचना को एक बौद्धिक अनुशासन का रूप प्रदान किया और आलोचना को सहज "साहित्य" की परंपरागत धारा से निकलकर उसे सामाजिक–सांस्कृतिक विर्मश को आधार बनाया आलोचना का इतिहास देखें तो आर्चाय रामचंद्र शुक्ल ने इसे सामाजिक यर्थाथ और इतिहास से जोडा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परम्परा और आधुनिकता के बीच सेतु का कार्य किया रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टि से आलोचना का रूपान्तराण किया लेकिन नामवर सिंह इन सबसे से अलग इस अर्थ में थे उन्होने आलोचना को एक संवाद परंपरा का रूप दिया उनके अनुसार आलोचना का कार्य किसी रचना को "स्वीकार या अस्वीकार" करना नहीं बल्कि उससे संवाद करना है, उसके भीतर किये नए अर्थ स्तरों को उद्घाटित करना और उसे समाज इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझना है।

नामवर सिंह का जन्म जुलाई 1926 को बनारस (वाराणसी) में हुआ शिक्षा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से हुई प्रारम्भिक जीवन से ही उनमें साहित्य और चिंतन के प्रति गहरी रूची दिखाई दी उन्होने अध्यापन, संपादन और लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई उचाईयॉ दी वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रहे उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह भी कि वे आलोचन को केवल साहित्यक रसास्वादन का माध्यम न मानकर उसे वैचारिक मंथन और सामाजिक चेतना का उपरकण समझते थे उनके लिए आलोचना को अर्थ यह था सतत् संवाद बहस और विमर्श हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में नामवर सिंह का आगमन उस समय हुंआ जब हिन्दी साहित्य नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन तेजी से बदल रहा था। औपनिवेशिक चेतना से मुक्त होकर एक नई भारतीय पहचान गढ़ने की प्रक्रिया चल रही थी ऐसे समय में साहित्य और आलोचना दोनो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। नामवर सिंह ने इन चुनौतियों का पहचाना और आलोचना का सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भो से जोड़ते हुए उनका पुननिर्माण किया।

उनका पहला चर्चित ग्रंथ "कविता के नई प्रतिमान" या इससे उन्होने कविता के मूल्यांकन के लिए नएं मानदंड प्रस्तुत किये ये हिन्दी आलोचना के लिए क्रांतिकारी क्षण था क्योंकि इससे पहले कविता के मुल्यांकन में प्रायः छंद, अलंकार और भावुकता पर बल दिया जाता था। नामवर सिंह ने यह स्थापित किया कि कविता को केवल उसकी काव्य–भाषा या सौन्दर्यशास्त्र के आधार पर नही, बल्कि उसके सामाजिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भो में देखा जाना चाहिए। इसी प्रकार उनका ग्रंथ 'छायावाद' आलोचना के क्षेत्र में एक नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। हिंदी आलोचना में लंम्बे समय तक छायावाद को केवल भावुकतावाद और रहस्वाद की संज्ञा दी जाती है। लेकिन नामवर सिंह ने यह सिद्ध किया कि छायावाद हिंदी साहित्य में एक संक्रमण कालीन धारा है। जिसने आधुनिक संवेदनाओं को जन्म दिया उन्होने छायावाद को केवल व्यक्तिवादी आंदोलन न मानकर उसे भारतीय काव्य, परम्परा के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया। नामवर सिंह कि सबसे चर्चित कृति दुसरी परंपरा की खोज 1982 है इस कृति ने हिंदी आलोचना में परंपरा को लेकर चली आ रही धारणाओं की पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने

कहा कि हिंदी साहित्य की मुख्यधारा केवल संस्कृतिकनिष्ठ शास्त्रीय परंपरा उन्होने कहा कि हिंदी साहित्य की मुख्यध ारा केवल सांस्कृतिक शास्त्रीय परंपरा नही है। बल्कि उसकी एक दूसरी धारा भी है जो लोक और बल्कि भक्ति साहित्य से निकलती है। यह "उसकी परंपरा" ही हिंदी साहित्य का वास्तविक आधार है। जिसमें जन–चेतना सामजिक समानता और लोकतांत्रिक भावनाएँ समाहित है इस प्रकार उन्होने पंरपरा और आधुनिकता के द्वंद्ध की नए ढंग से प्रस्तुत किया।

इतिहास ओर आलोचना 1977 में नामवर सिंह ने आलोचना को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मोडते हुए। यह प्रतिपादित किया कि साहित्य का मूल्यांकन उसके युगीन संदर्भो से कहकर नही किया जा सकता। आलोचना को केवल साहित्य' रस की खोज तक सीमित रखना आलोचना का अपमान है। उनका यह दृष्टिकोण आलोचना को अधिक गंभीर और बौद्धिक बनाता है।

नामवर सिंह का आलोचना–दर्शन बहुआयामी था। वे आलोचना को "संवाद" मानते थे। उनके अनुसार आलोचना का उद्धेश्य किसी लेखक या कृति को अस्वीकार करना नही। बल्कि उसके साथ विचार विमर्श करना और नए अर्थ स्तरो की खोज करना है यही कारण है कि उनकी आलोचना शैली में तर्क और उदाहरणों के साथ साथ एक संवादात्मकता दिखाई देती है वे जटिल से जटिल मुद्दो को भी सरल भाषा में प्रस्तुत करने की क्षमता रखते थें आज जब हिंदी आलोचना उत्तर आधुनिकता, नारीवादी, दलित, पर्यावरण चिंतन और वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श की ओर बढ़ रही है। तब भी नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि प्रांसागिक है उनकी दृष्टि हमें यह सिखाती है कि आलोचना किसी विचारधारा की गुलाम नही होनी चाहिए, बल्कि उसे समाज और साहित्य के बीच सतत् संवाद के रूप में काम करना चाहिए। इस प्रकार नामवर सिंह हिंदी आलोचना के ऐसे सम्राट है जिन्होने आलोचना की परंपरा को समुह करते हुए दिशा दी उनमें आलोचना दर्शन ने हिंदी साहित्य को वैश्विक विमर्श से जोड़ा और आलोचना को केवल साहित्य विवेचन न बनाकर उस एक जींवत सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया का रूप दिया।

मूल आलेख :–

नामवर सिंह और हिंदी आलोचना की भूमिका उन्होने आलोचना को "संवाद" के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार आलोचना का उद्देश्य लेखन को नकारना नहीं, बल्कि नए विमर्श को जन्म देता है इसलिए उन्हें "हिंदी का आलोचना सम्राट" कहा जाता है।

प्रमुख कृतिया : कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दुसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, आलोचना का अंतर। योगदान : हिंदी आलोचना में नए विमार्शो को स्थापित करना, विशेषता मार्क्सवादी दृष्टि और परंपरा–आधुनिकता के द्वंद पर गहन चिंतन।

आलोचना दृष्टि के प्रमुख आयाम –

नामवर सिंह की आलोचना में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। वे साहित्य को समाज की वास्तविक परिस्थितियों और वर्ग–चेतना से जोड़कर देखते थें। "साहित्य का मूल्याकन उसकी सामाजिक उपयोगिता और युगीन संघर्षो में उसके योगदान से किया जाना चाहिए।"[1]

युगीन चेतना और समकालीनता– उनका मानना था कि साहित्य अपने समय और समाज से कटकर नही रह सकता। आलोचना को युग की समस्याओं और प्रश्नो से संवाद करना चाहिए। भाषा शिल्प की दृष्टि उन्होने कविता और गद्य दोनो में भाषा और शिल्प की बारीकियों पर गंभीर विचार किया। कविता के नए प्रतिमान में उन्होने भाषा की राशि को नए दृष्टिकोण से समस्या प्रस्तुत की है। तुलनात्मक दृष्टि नामवर सिंह तुलनात्मक आलोचना के भी पक्षधर थे वे भारतीय और पाश्चात्य साहित्य–विचारो क बीच सेतु बनाते थे। परंपरा और आधुनिकता दूसरी परंपरा की खोज में उन्होंने भारतीय परंपरा को पुनः परिभाषित करते हुए यह दिखाया कि आधुनिकता केवल पश्चिम से आयातित अवधारणा नहीं है बल्कि भारतीय साहित्य परंपरा में भी इसके बीज हैं। प्रमुख ग्रन्थो पर विमर्श : कविता के

नए प्रतिमान – इस ग्रंथ में उन्होंने कविता के मूल्यांकन के लिए नए मापदंड सुझाए। यहां वे कहते हैं "कविता के मूल्यांकन के लिए केवल छंद और भावुकता पर्याप्त नहीं है। बल्कि उसके सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ भी देखे जाने चाहिए।"2

"भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है बल्कि सांस्कृतिक चेतना का वाहक है"3

छायावाद इस ग्रंथ में नामवर सिंह ने छायावाद को केवल व्यक्तिगत ना मानकर उसे भारतीय काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण चरण बताया। दूसरी परंपरा की खोज – यह उनकी सबसे चर्चित कृति है इसमें उन्होंने भारतीय साहित्यीक परंपरा को "लोक और भक्ति साहित्य" की धारा से जोड़ते हुए इसे "दूसरी परंपरा" कहा "हिंदी साहित्य का वास्तविक आधार लोक और भक्ति की परंपरा है ना की संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीयता" ।4 इतिहास और आलोचना – यहां वे आलोचना को ऐतिहासिक पर्यवेक्षण से जोड़ते हैं और साहित्यिक .तियों का मूल्यांकन उनके सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में करते हैं। आलोचना का अंतर – "आलोचना का कार्य न केवल यह बताता है कि क्या श्रेष्ठ है बल्कि यह भी बताता है कि क्यों श्रेष्ठ है" ।5 समकालीन आलोचना से तुलना–रामविलास शर्मा की आलोचना जहाँ ऐतिहासिक मौखिक दृष्टिकोण पर केंद्रित थी, वही नामवर सिंह ने उनमें सांस्.तिक विमर्श और तुलनात्मकता जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा की सकारात्मक रूप में देखते थे वही नामवर सिंह ने परंपरा और आधुनिकता की द्वंद्व की आलोचना का आधार बताया। नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि के आयाम आलोचना को संवाद के रूप में देखना नामवर सिंह का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने आलोचना को केवल 'मूल्यांकन' की प्रक्रिया न मानकर उसे 'संवाद' की प्रक्रिया माना है वह कहते हैं। "आलोचना का कार्य किसी रचना की श्रेष्टता अथवा हीनता का निर्णय करना मात्र नहीं है, बल्कि यह समझना है की रचना अपने समय, समाज और संस्.ति से किस प्रकार 'संवाद' करती है।"6

इस दृष्टि से आलोचना अधिक लोकतांत्रिक और जीवंत बन जाती है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण और सामाजिक और सामाजिक सरोंकार नामवर सिंह पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव था। उनका मानना था कि साहित्य को समझने के लिए उसके सामाजिक और आर्थिक संदर्भों को समझना आवश्यक है। इतिहास और आलोचना में उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी साहित्य कृति को उसके ऐतिहासिक संदर्भ और साहित्यिक संघर्षों से काटकर नहीं समझा जा सकता। उदाहरण स्वरूप उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का मूल्यांकन केवल कलात्मक कसौटियों पर नहीं, बल्कि उनके सामाजिक–आर्थिक यथार्थ के आधार पर किया। परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व नामवर सिंह ने परंपरा को नकारा नहीं, बल्कि उसमें आधुनिता की बीज खोजे। "दुसरी परम्परा की खोज में उन्होने यह प्रतिपादित किया कि लोक और भक्ति साहित्य को पराम्परा ही हिन्दी साहित्य की असली नींव है। वे लिखते है– "यदि हम केवल संस्कृत निष्ठ परंपरा को ही अपना मानेगे तो हमारी आलोचना अधूरी रह जायेगी, लोक और भक्ति की परंपरा की आधुनिकता की वास्तविक आपार भूमि है।"7 भाषा और शिल्प पर सजग दृष्टि नामवर सिंह का मानना था कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन नही बल्कि और चेतना का वाहक है। कविता के लिए प्रतिमान में उन्होने कहा कि कविता की बात केवल उसकी भावुकता में नही बल्कि उसकी भाषा संरचना और सामाजिक संदर्भो में निहित है। उन्होने नागार्जुन, त्रिलोचन और मुक्तिबोध की कविताओं का विश्लेषण करते ही दिखाया कि भाषा कैसे सामाजिक चेतना की अभिव्यक्त करती है। तुलनात्मक साहित्य और अंतर्राष्ट्रिय दृष्टि नामवर सिंह तुलनात्मक दृष्टि को आलोचना का महत्वपूर्ण अवरण मानते थे वे भारतीय साहित्य की तुलना पाश्चात्य साहित्य से करते हुऐ लिखा "किसी भी साहित्य को केवल उसकी सीमाओं में बंद करके नहीं समझा जा सकता उसका वास्तविक मूल्य तभी सामने आता है जब उसे विश्व साहित्य से जाना जाए।"8 उनका कथन "विश्व साहित्य से संवाद किये बिना कोई राष्ट्रिय

साहित्य पूर्ण नहीं हो सकता" छायावाद पर पुनर्विचार – छायावाद ग्रंथ में नामवर सिंह ने इस काव्य–आंदोलन की पुनः व्याख्या की उन्होने उसे केवल "आत्मकेन्द्रित" या "रहस्यवादी" आन्दोलन नहीं माना, बल्कि भारतीय आधुनिकता के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा। उनका मत था कि छायावादी कवियों ने हिंदी कविता को आत्म अन्वेषण और आत्म स्वीकृत का नया आयाम दिया। प्रेमचंद और प्रगतिवाद पर दृष्टि नामवर सिंह ने प्रेमचन्द को केवल यथार्थवादी कथाकार न मानकर उन्हे समाजवादी यथार्थ का प्रणेता बताया। वे मानते थे कि प्रेमचंद ने साहित्य को "कला के लिए कला" की संकीर्णता से मुक्त कर "कला समाज के लिए" की परंपरा स्थापित की। प्रगतिवाद को वे आवश्यक मानते थे, किंतु उसकी सीमाओं को भी रेखांकित करते हैं। आलोचना और इतिहास का संबंध नामवर सिंह का मानना है की आलोचना को इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। इतिहास और आलोचना में उन्होंने प्रतिपादित किया की साहित्यिक कृति का मूल्यांकन उसके ऐतिहासिक संदर्भो में ही संभव है। वे लिखते हैः– "इतिहास और आलोचना में थो है, परंतु दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं" दूसरी परंपरा की खोज : लोक भक्ति का महत्व इस ग्रंथ में उन्होंने यह स्थापित किया कि हिंदी साहित्य की असली परंपरा और लोक और भक्ति साहित्य की परंपरा है जिसे "दृष्टि परंपरा" के रूप में पुनः खोजा जाना चाहिए। तुलसीदास कबीर सूरदास और मीरा की रचनाओं को उन्होंने हिंदी साहित्य की जन आधारित परंपरा का मूल बताया। उन्होंने इस परंपरा की आधुनिक संवेदना और लोकतांत्रिक चेतना से जोड़कर प्रस्तुत किया। आलोचना में संवाद और असहमति का स्थान नामवर सिंह बहस और असहमति को आलोचना के लिए आवश्यक मानते थे उनका कहना था "यदि आलोचना में असहमति न हो तो वह नीरस और निष्प्राण हो जाती है। असहमति ही नए विचारों की जननी"।10 समकालीन विमर्श और नामवर सिंह नामवर सिंह ने प्रत्यक्ष रूप से नारीवाद, दलित विमर्श या उत्तर आधुनिकता का विस्तार से नहीं लिखा, परंतु उनकी आलोचना यदि इन विमर्शो के लिए जमीन तैयार करती है उन्होंने साहित्य को वंचित वर्गों और लोक जीवन से जुड़ने की आवश्यकता पर बल दिया, जो आगे चलकर दलित और स्त्री बीच विमर्श के लिए आधार बना। आलोचना की भाषा शैली – नामवर सिंह की आलोचना रस शैली विद्वतापूर्ण होने के साथ–साथ रोचक भी है। वे जटिल ऐतिहासिक बातों को भी सहज और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण स्वरूप कविता के लिए प्रतिमान में उन्होंने आलोचना को केवल "सूक्ष्म विवेचन" न बताकर "विचारों का रोचक संवाद" बना दिया।

निष्कर्ष– नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि ने हिंदी साहित्य को नया आयाम दिया। उन्होंने आलोचना को बौद्धिक विमर्श बनाया। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित किया। आलोचना को समाज, इतिहास और संस्कृति से जोड़ा। तुलनात्मक साहित्य और भाषा विज्ञान के नए दृष्टिकोण को हिंदी आलोचना में शामिल किया। नामवर सिंह ने हिंदी आलोचना को एक ऐसे बौद्धिक मंच के रूप में विकसित किया जहाँ साहित्य केवल सौंदर्य बोध की वस्तु नहीं बल्कि सामाजिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का का दर्पण बनकर सामने आता है। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता, रचना और सामाज साहित्य और राजनीति, आलोचना और विमर्श, इन सबको एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। उनकी आलोचना दृष्टि का सार यह है कि साहित्य की सार्थकता उनके सामाजिक दायित्व और मानवीय संवेदना में निहित है। अतः यह कहा जा सकता है कि नामवर सिंह हिंदी आलोचना के इतिहास में केवल एक आलोचक नहीं बल्कि एक परंपरा–निर्माता और दिशा–निर्देशिक व्यक्तित्व थे उनकी आलोचना दृष्टि में न केवल हिंदी आलोचना को नए आयाम दिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्ग प्रस्तुत किया यही कारण है कि उन्हें हिंदी "आलोचना का सम्राट" कहा जाता है और उनकी आलोचना .ष्टि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके जीवनकल में थी।

संदर्भ :

1. नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना, वाणी प्रकाशन,

1977 पृ.सं.–54
2. नामवर सिंह : कविता के नए प्रतिमान, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1966 पृ.सं. – 112
3. नामवर सिंह : कविता के नए प्रतिमान, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1966 पृ.सं. – 131
4. नामवर सिंह : दूसरी परत्परा कि खोज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1989 पृ.सं.– 89
5. नामवर सिंह : आलोचना का अंतर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995 पृ.सं.– 47
6. नामवर सिंह : आलोचना का अंतर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995 पृ.सं. – 43
7. नामवर सिंह : दूसरी परम्परा की खोज, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1989 पृ.सं. – 112
8. नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना, वाणी प्रकाशन, 1977 पृ.सं. –' 167
9. नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना, वाणी प्रकाशन, 1977 पृ.सं. – 23
10. नामवर सिंह : नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना, वाणी प्रकाशन, 1995 पृ.सं. – 57
11. नामवर सिंह : इतिहास और आलोचना, वाणी प्रकाशन, 1977 पृ.सं. – 69

बी.एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि एवं समायोजन का उनकी शिक्षण प्रभाविता पर प्रभाव

डॉ. पंकज पारीक
प्राचार्य, मंत्रम् शिक्षक प्रशिक्षण
महाविद्यालय उदयपुर (राज)
मो. 8949395026
Email :pankajpareek2244gmail Com

मुकेश कुमार
पी.एच.डी. शोधार्थी, शिक्षा संकाय,
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय,
उदयपुर (राज.) मो. 9664484544
Email : mukeshmeena7083@gmail.com

सार संक्षेप

शिक्षा समाज की वह आधारशिला है जिस पर एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। प्राचीन समय में गुरूकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरू या शिक्षक का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक काल में भावी शिक्षकों को तैयार करने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षक महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। इनमें भावी शिक्षकों को भली–भांति प्रशिक्षित किया जाता है।

बी.एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक–प्रशिक्षकों की अध्यापन कार्य में संतुष्टि तथा उनका समायोजन अति आवश्यक है। कार्य संतुष्टि तथा समायोजन का उनकी शिक्षण प्रभाविता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

अतः शिक्षक–प्रशिक्षकों को उचित वेतन, कार्यभार, नवाचार प्रोत्साहन आदि में संतुलन करके प्रभावशाली शिक्षण कार्य के लिए तत्पर करना चाहिए जिससे समायोजित भावी शिक्षकों का सामाजिक उत्थान में सहयोग स्थापित हो।

प्रस्तावना

मानव जीवन में सामाजिकता का प्रकृति प्रदत्त गुण उसे समूह रचना की ओर प्रेरित करता रहा है इसी समूह रचना से वह समाज का प्रतिनिधित्व भी करता है। साथ ही अपने समूह अस्तित्व के लिए तथा प्रत्येक व्यक्ति के भली भाँति व्यवस्थित होने के लिए कुछ नियमों को स्वीकारता है अर्थात समाजीकरण हेतु मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शो एवं विश्वास को स्वीकार करना आवश्यक होता है और इन सब के आचरण हेतु जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, वह एक मात्र साधन–शिक्षा है। शिक्षा का दायित्व व्यक्ति को उत्तम जीवन शैली के लिये तैयार करने तथा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने से है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का नाम है। शिक्षा पर किया गया निवेश दूरदर्शितापूर्ण एवं भौतिक निवशों से कई गुना फलदाई होता है । किसी भी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना श्रेष्ठ शिक्षा की सुदृढ़ आधार भित्ति पर खड़ी होती है। जहाँ बालकों के व्यक्तित्व विकास के जटिल कार्य को अंजाम दिया जाता है ।

बच्चों का विकास उनकी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है ।

शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य एक ऐसे ज्ञान का विकास करना भी है जिसका व्यावहारिक पक्ष हमारी राष्ट्रीय प्रेरणाओं पर आधारित हो और जिससे हमारे शैक्षिक प्रयास एवं विचारधाराएं सार्थक हो सकें । अतः सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली द्वारा ही, शिक्षा के कार्यकर्ता ऐसे ज्ञान का विकास कर सकते है जो शिक्षा को सार्थक एवं यथार्थ बना सके। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी 10 इन्द्रियों की शक्ति से अवगत होता है औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का सर्वेसर्वा – विद्यालय समाज का एक ऐसा स्थान है जहाँ भावी नागरिकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है जो समाज की दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माँगों की पूर्ति करती है और उसके लिये विशेषज्ञ तैयार करता है । यह व्यक्ति

में ज्ञान एंव कौशल का विकास करता है। शिक्षण कोई सरल कार्य नहीं है । मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है उसकी मानसिक एवं दैहिक आवश्यकताएं एवं विशेषताएं होती हैं जो उसके विकास की दिशा को निर्धारित करती हैं। अध्यापन एक जीवित संवाद है, बेजान मंत्र नहीं है । शिक्षक को अधिगम हेतु निर्देशक का कार्य करना पड़ता है। अधिगम को नियोजित करते हुए समुचित वातावरण बनाना होता है, समस्त संसाधनों का उपयोग कर संस्कृति एवं मूल्यों का सम्प्रेषण करना होता है और छात्रों में अपेक्षित व्यवहार करने हेतु प्रयास करना होता है ।

वर्तमान 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में शिक्षा जहाँ एक ओर विज्ञान एवं तकनीकी प्रणालियों का विकास करती हैं वहीं दूसरी और लुप्त होते मानव मूल्य, संवेदनशीलता एवं समाज में व्याप्त तनाव असहनशीलता, असहिष्णुता का भी निराकरण करती है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छे या कुशल शिक्षण का विचार उसके पूर्व अनुभव, मूल्य अभिवृति तथा समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। शिक्षक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाता हैं तो उसके सम्मुख कुछ उदेश्य व लक्ष्य होते हैं। इन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास वह निरंतर करता रहता हैं जिस सीमा तक वह अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता हैं वह उसकी कुशलता व प्रभावशीलता का परिचायक होता है । इसी संदर्भ में हेनरी एडम्स कहते हैं कि एक शिक्षक का प्रभाव दीर्घकालिक होता है । वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ समाप्त होता है । शिक्षक का शिक्षण पर पड़ने वाला प्रभाव शिक्षक के व्यवहार की प्रकृति पर निर्भर करता है।

शोध के उद्देश्य

1 बी.एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् ग्रामीण एवं शहरी शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि का अध्ययन करना ।
2 बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् ग्रामीण पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि का अध्ययन करना ।
3 बी.एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् शहरी पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि का अध्ययन करना ।
4 बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् ग्रामीण एवं शहरी शिक्षक प्रशिक्षकों के समायोजन का अध्ययन करना ।

शोध परिकल्पना

1 बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् ग्रामीण एवं शहरी शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2 बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् ग्रामीण पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3 बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् शहरी पुरूष एवं महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।
4 बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् ग्रामीण एवं शहरी शिक्षक प्रशिक्षकों के समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

अध्ययन का परिसीमांकन

संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टिगतता से अध्ययन को निम्न बिन्दुओं तक सीमित रखा गया है –
1 प्रस्तुत शोध कार्य को जयपुर संभाग के झुंझुंनू एवं सीकर जिले तक सीमित रखा गया हैं ।
2 प्रस्तुत शोध कार्य में बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक प्रशिक्षकों को ही सम्मिलित किया गया हैं।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया हैं ।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में जयपुर संभाग के झुंझुंनू एवं सीकर जिले के बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक प्रशिक्षकों को अध्ययन की जनसंख्या माना गया हैं।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में जयपुर संभाग के झुंझुंनू एवं सीकर जिले के बी. एड. महाविद्यालयों में

कार्यरत् 240 शिक्षक प्रशिक्षकों को लिया गया हैं।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध में प्रमापीकृत एवं स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया हैं, जो इस प्रकार हैं–

शिक्षक कार्य संतुष्टि मापनी – स्वनिर्मित

शिक्षक समायोजन मापनी – एस. के. मंगल द्वारा निर्मित

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में जयपुर संभाग के झुंझुंनू एवं सीकर जिले के बी. एड. महाविद्यालयों में कार्यरत् 240 शिक्षक प्रशिक्षकों को लिया गया हैं।

4A1.1 अध्ययन समूहों के शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्र कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि पर मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

अध्ययन समूहों के शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्र कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि पर मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी को सारणी संख्या 4A1.1 में दर्शाया गया है.

सारणी संख्या 4A1.1

अध्ययन समूहों के शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्र कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि पर मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि	N	मध्यमान	मानक विचलन	श्रेणी
ग्रामीण	120	23.88	6.489	औसत
शहरी	120	31.58	7.280	औसत
पुरूष	120	23.93	7.166	औसत
महिला	120	31.53	6.682	औसत
ग्रामीण पुरुष	60	19.17	3.222	खराब
ग्रामीण महिला	60	28.58	5.428	औसत
शहरी पुरूष	60	28.70	6.855	औसत
शहरी महिला	60	34.47	6.557	अच्छा

सारणी संख्या 4A1.1 से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि के क्षेत्र में विभिन्न अध्ययन समूहों के शिक्षकों के मध्यमान एवं श्रेणी में उल्लेखनीय भिन्नताएँ विद्यमान हैं। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 23.88 है जो कि 'औसत' श्रेणी में आता है, जबकि शहरी शिक्षकों का मध्यमान 31.58 पाया गया है, जो 'औसत' श्रेणी में ही होने के बावजूद ग्रामीण शिक्षकों से अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। लिंग के आधार पर देखा जाए तो पुरुष शिक्षकों का मध्यमान 23.93 है जो 'औसत' श्रेणी में आता है, जबकि महिला शिक्षकों का मध्यमान 31.53 है जो कि पुरुषों की अपेक्षा अधिक है तथा 'औसत' श्रेणी को प्रदर्शित करता है। उपसमूहों में ग्रामीण पुरुषों का मध्यमान 19.17 पाया गया है, जो 'खराब' श्रेणी को इंगित करता है, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पुरुष शिक्षक अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व से संतुष्ट नहीं हैं। इसके विपरीत ग्रामीण महिलाओं का मध्यमान 28.58 है जो 'औसत' श्रेणी में आता है। शहरी पुरुषों का मध्यमान 28.70 है, जो 'औसत' श्रेणी को प्रदर्शित करता है, जबकि शहरी महिलाओं का मध्यमान 34.47 पाया गया है, जो 'अच्छा' श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि के क्षेत्र में सर्वाधिक संतुष्टि शहरी महिला शिक्षकों में पाई गई, जबकि न्यूनतम संतुष्टि ग्रामीण पुरुष शिक्षकों में परिलक्षित हुई।

4A1.2 कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्र कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि पर अध्ययन समूहों की तुलना

कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्र कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि पर अध्ययन समूहों की तुलना को सारणी संख्या 4A1.2 में दर्शाया गया है.

सारणी संख्या 4A1.2

कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्र कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि पर अध्ययन समूहों की तुलना

कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि	N	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान अन्तर	't' मान	'p' मान
ग्रामीण	120	23.88	6.489	7.708	8.658	0.000
शहरी	120	31.58	7.280			
पुरूष	120	23.93	7.166	7.592	8.487	0.000
महिला	120	31.53	6.682			
ग्रामीण पुरुष	60	19.17	3.222	9.417	11.555	0.000
ग्रामीण महिला	60	28.58	5.428			
शहरी पुरूष	60	28.70	6.855	5.767	4.709	0.000
शहरी महिला	60	34.47	6.557			
ग्रामीण पुरुष	60	19.17	3.222	9.533	9.749	0.000
शहरी पुरूष	60	28.70	6.855			
ग्रामीण महिला	60	28.58	5.428	5.883	5.353	0.000
शहरी महिला	60	34.47	6.557			

सारणी के अनुसार ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 23.88 तथा शहरी शिक्षकों का मध्यमान 31.58 पाया गया। दोनों

समूहों के बीच मध्यमान–अंतर 7.708, ज मान 8.658 तथा p मान 0.000 प्राप्त हुआ, जो सांख्यिकीय दृष्टि से अत्यधिक सार्थक है। यह दर्शाता है कि शहरी शिक्षकों की कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि ग्रामीण शिक्षकों की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक है। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में बेहतर संसाधन, सुविधाएँ, कार्य की पारदर्शिता तथा पदोन्नति के अवसर हो सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को सीमित संसाधन और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पुरुष शिक्षकों का मध्यमान 23.93 तथा महिला शिक्षकों का मध्यमान 31.53 पाया गया। दोनों के बीच मध्यमान–अंतर 7.592, ज मान 8.487 तथा p मान 0.000 रहा। यह अंतर भी अत्यधिक सार्थक है और यह स्पष्ट करता है कि महिला शिक्षकों की संतुष्टि का स्तर पुरुषों की अपेक्षा काफी अधिक है। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि महिला शिक्षक कार्य में अधिक उत्तरदायित्व–बोध, धैर्य एवं अनुकूलनशीलता रखती हैं, जिससे उन्हें कार्य वातावरण में संतोष मिलता है, जबकि पुरुष शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक तनाव व उत्तरदायित्व का दबाव महसूस होता है। ग्रामीण पुरुषों का मध्यमान 19.17 और ग्रामीण महिलाओं का मध्यमान 28.58 पाया गया। इनके बीच मध्यमान–अंतर 9.417, t मान 11.555 तथा p मान 0.000 प्राप्त हुआ। यह अत्यधिक सार्थक अंतर दर्शाता है कि ग्रामीण महिला शिक्षकों की कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि ग्रामीण पुरुषों से कहीं अधिक है। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण पुरुष शिक्षक अपने कार्यस्थल की चुनौतियों, सीमित सुविधाओं और सामाजिक–आर्थिक दबाव से अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि ग्रामीण महिलाएँ अपने कार्य को सेवा भाव और संतोषजनक दृष्टिकोण से करती हैं।

शहरी पुरुषों का मध्यमान 28.70 और शहरी महिलाओं का मध्यमान 34.47 रहा। दोनों के बीच मध्यमान–अंतर 5.767, ज मान 4.709 तथा च मान 0.000 प्राप्त हुआ। यह परिणाम भी सार्थक है और यह बताता है कि शहरी महिला शिक्षकों की संतुष्टि शहरी पुरुषों से अधिक है। इसका कारण यह हो सकता है कि शहरी महिला शिक्षकों को बेहतर कार्य वातावरण, सहयोगात्मक माहौल तथा लिंग–समानता के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी कार्य संतुष्टि अधिक होती है, जबकि शहरी पुरुष शिक्षकों को प्रतिस्पर्धा और दायित्व का दबाव अधिक महसूस हो सकता है। ग्रामीण पुरुषों का मध्यमान 19.17 और शहरी पुरुषों का मध्यमान 28.70 रहा। इनके बीच मध्यमान–अंतर 9.533, t मान 9.749 तथा p मान 0.000 पाया गया। यह अंतर दर्शाता है कि शहरी पुरुषों की कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि ग्रामीण पुरुषों से बहुत अधिक है। यह अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से भी सार्थक है। इसका मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध शिक्षण संसाधन, आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग और बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति हो सकती है, जबकि ग्रामीण पुरुषों को संसाधनों की कमी और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण महिलाओं का मध्यमान 28.58 और शहरी महिलाओं का मध्यमान 34.47 पाया गया। इनके बीच मध्यमान–अंतर 5.883, t मान 5.353 तथा p मान 0.000 प्राप्त हुआ। यह भी सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक अंतर है, जो यह संकेत देता है कि शहरी महिला शिक्षिकाओं की संतुष्टि ग्रामीण महिला शिक्षिकाओं से अधिक है। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में कार्य की सुगमता, संसाधनों की उपलब्धता, सामाजिक सम्मान एवं अवसरों की विविधता हो सकता है, जबकि ग्रामीण महिला शिक्षिकाओं को संसाधन और सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है।

4A2 शिक्षक कार्य सन्तुष्टि का द्वितीय क्षेत्र वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि

4A2.1 अध्ययन समूहों के शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के द्वितीय क्षेत्र वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि पर मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

अध्ययन समूहों के शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के द्वितीय क्षेत्र वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि पर मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी को सारणी संख्या 4A2.1में दर्शाया गया है.

सारणी संख्या 4A2.1

अध्ययन समूहों के शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के द्वितीय क्षेत्र वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि पर मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि	N	मध्यमान	मानक विचलन	श्रेणी
ग्रामीण	120	24.18	6.303	औसत
शहरी	120	31.68	7.130	औसत
पुरूष	120	24.80	7.579	औसत
महिला	120	31.06	6.466	औसत
ग्रामीण पुरुष	60	19.98	3.771	खराब
ग्रामीण महिला	60	28.37	5.493	औसत
शहरी पुरूष	60	29.62	7.379	औसत
शहरी महिला	60	33.75	6.278	अच्छा

सारणी संख्या 4A2.1 के आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि के क्षेत्र में अध्ययन समूहों के शिक्षकों के मध्यमान एवं श्रेणी में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 24.18 है, जो औसत श्रेणी में आता है, जबकि शहरी शिक्षकों का मध्यमान 31.68 है, जो भी औसत श्रेणी में है, परन्तु ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। लिंग के आधार पर देखें तो पुरुष शिक्षकों का मध्यमान 24.80 है, जो ष्औसतष् श्रेणी में आता है, जबकि महिला शिक्षकों का मध्यमान 31.06 है, जो पुरुषों की अपेक्षा अधिक है और औसत श्रेणी में शामिल है। उपसमूहों में ग्रामीण पुरुषों का मध्यमान 19.98 है, जो खराब श्रेणी को दर्शाता है, अर्थात् ग्रामीण पुरुष शिक्षक अपने वेतन एवं प्रोत्साहन से अपेक्षाकृत कम संतुष्ट हैं। इसके विपरीत ग्रामीण महिलाओं का मध्यमान 28.37 है, जो औसत श्रेणी में आता है। शहरी पुरुषों का मध्यमान 29.62 है, जो औसत श्रेणी को प्रदर्शित करता है, जबकि शहरी महिलाओं का मध्यमान 33.75 है, जो अच्छा श्रेणी में आता है। इस प्रकार, वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि के क्षेत्र में सर्वाधिक संतुष्टि शहरी महिला शिक्षकों में पाई गई, जबकि न्यूनतम संतुष्टि ग्रामीण पुरुष शिक्षकों में देखी गई।

4A2.2 कार्य सन्तुष्टि के द्वितीय क्षेत्र वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि पर अध्ययन समूहों की तुलना कार्य सन्तुष्टि के द्वितीय क्षेत्र वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि पर अध्ययन समूहों की तुलना को सारणी संख्या 4A2.2 में दर्शाया गया है.

सारणी संख्या 4A2.2

कार्य सन्तुष्टि के द्वितीय क्षेत्र वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि पर अध्ययन समूहों की तुलना

वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि	N	मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान अन्तर	't' मान	'p' मान
ग्रामीण	120	24.18	6.303	7.508	8.643	0.000
शहरी	120	31.68	7.130			
पुरूष	120	24.80	7.579	6.258	6.882	0.000
महिला	120	31.06	6.466			
ग्रामीण पुरुष	60	19.98	3.771	8.383	9.747	0.000
ग्रामीण महिला	60	28.37	5.493			
शहरी पुरुष	60	29.62	7.379	4.133	3.305	0.001
शहरी महिला	60	33.75	6.278			
ग्रामीण पुरुष	60	19.98	3.771	9.633	9.005	0.000
शहरी पुरुष	60	29.62	7.379			
ग्रामीण महिला	60	28.37	5.493	5.383	4.999	0.000
शहरी महिला	60	33.75	6.278			

सारणी संख्या 4A2.2 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 24.18 तथा शहरी शिक्षकों का मध्यमान 31. 68 है। दोनों समूहों के बीच मध्यमान–अंतर 7.508, t मान 8.643 तथा p मान 0.000 प्राप्त हुआ, जो सांख्यिकीय दृष्टि से अत्यधिक सार्थक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरी शिक्षकों की वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में अधिक है। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में बेहतर वेतन संरचना की पारदर्शिता, अतिरिक्त प्रोत्साहन अवसर तथा सुविधाओं की उपलब्धता हो सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को अक्सर संसाधनों और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ कम मिलता है।

पुरुष शिक्षकों का मध्यमान 24.80 और महिला शिक्षकों का मध्यमान 31.06 पाया गया। इन दोनों के बीच मध्यमान–अंतर 6.258, t मान 6.882 तथा p मान 0.000 प्राप्त हुआ, जो सार्थक है। यह दर्शाता है कि महिला शिक्षकों की वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि पुरुष शिक्षकों से अधिक है। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि महिलाएँ वेतन और प्रोत्साहन को कार्य–संतोष का प्रमुख साधन मानती हैं, जबकि पुरुषों की अपेक्षाएँ अधिक विविध

होती हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को समान अवसर और कार्य–सुरक्षा का अनुभव भी अधिक संतोष प्रदान कर सकता है।

ग्रामीण पुरुष शिक्षकों का मध्यमान 19.98 तथा ग्रामीण महिला शिक्षकों का मध्यमान 28.37 रहा। इनके बीच मध्यमान–अंतर 8.383, t मान 9.747 और p मान 0.000 प्राप्त हुआ, जो अत्यधिक सार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण महिला शिक्षकों की वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि ग्रामीण पुरुष शिक्षकों से कहीं अधिक है। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण पुरुष शिक्षक अधिक अपेक्षाएँ रखते हैं और संसाधनों की कमी से असंतुष्ट रहते हैं, जबकि ग्रामीण महिला शिक्षिकाएँ तुलनात्मक रूप से उपलब्ध अवसरों को संतोषजनक मान लेती हैं।

शहरी पुरुषों का मध्यमान 29.62 तथा शहरी महिलाओं का मध्यमान 33.75 पाया गया। दोनों के बीच मध्यमान–अंतर 4.133, t मान 3.305 तथा p मान 0.001 प्राप्त हुआ, जो सार्थक अंतर है। यह दर्शाता है कि शहरी महिला शिक्षकों की वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि शहरी पुरुषों से अधिक है। इसका कारण यह हो सकता है कि शहरी महिलाएँ प्रोत्साहन योजनाओं व सहायक सुविधाओं का अधिक लाभ उठाती हैं, जबकि शहरी पुरुष इन्हीं व्यवस्थाओं को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त नहीं मान पाते।

ग्रामीण पुरुषों का मध्यमान 19.98 और शहरी पुरुषों का मध्यमान 29.62 पाया गया। इनके बीच मध्यमान–अंतर 9.633, t मान 9.005 तथा p मान 0.000 प्राप्त हुआ। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक सार्थक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहरी पुरुष शिक्षकों को ग्रामीण पुरुषों की अपेक्षा वेतन एवं प्रोत्साहन के अधिक अवसर मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में वेतन का समय पर भुगतान, भत्ते और अतिरिक्त प्रोत्साहन योजनाएँ अधिक प्रभावी होती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक ढाँचा और सीमित संसाधन शिक्षकों की संतुष्टि को प्रभावित करते हैं।

ग्रामीण महिला शिक्षकों का मध्यमान 28.37 और शहरी महिला शिक्षकों का मध्यमान 33.75 पाया गया। इनके बीच मध्यमान–अंतर 5.383, t मान 4.999 तथा p मान 0.000 प्राप्त हुआ, जो सार्थक अंतर को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शहरी महिला शिक्षिकाओं की वेतन एवं प्रोत्साहन संतुष्टि ग्रामीण महिला शिक्षिकाओं की अपेक्षा अधिक है। संभावित कारण यह हो सकता है कि शहरी महिला शिक्षकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, भत्तों तथा सुविधाओं का लाभ अधिक सहज रूप से उपलब्ध होता है, जबकि ग्रामीण महिला शिक्षिकाओं को संसाधनों और प्रशासनिक सहयोग की कमी के कारण कम अवसर प्राप्त होते हैं।

निष्कर्ष

आंकड़ों के विश्लेषण का आधार पर निम्नाकित निष्कर्ष प्राप्त हुए :

अध्ययन समूहों के शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्र कार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि पर मध्यमान के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष

– ग्रामीण शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्रकार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि में संतुष्टि स्तर औसत श्रेणी में पाया गया।

– शहरी शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्रकार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि में संतुष्टि स्तर औसत श्रेणी में देखा गया।

– पुरुष शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्रकार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि में संतुष्टि स्तर औसत श्रेणी में पाया गया।

– महिला शिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि के प्रथम क्षेत्रकार्य एवं उत्तरदायित्व संतुष्टि में संतुष्टि स्तर औसत श्रेणी में देखा गया।

शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि और समायोजन उनकी शिक्षण प्रभाविता को सीधे प्रभावित करते हैं। बी. एड. महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षकों का पेशेवर और मानसिक संतुलन केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए

ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि छात्रों की सीखने की गुणवत्ता और पूरे शैक्षणिक वातावरण की प्रभावशीलता के लिए भी आवश्यक है। शोध के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षकों के समायोजन और संतुष्टि में सुधार करने से उनके शिक्षण कौशल, कक्षा प्रबंधन, नवाचार, छात्रकेंद्रित शिक्षण और पेशेवर निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप, महाविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता, छात्र उपलब्धियाँ और समग्र शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित बिंदु शोध के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि, समायोजन और प्रभावी शिक्षण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक निहितार्थ प्रस्तुत करते हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुधार : शोध से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक प्रशिक्षकों की कार्य सन्तुष्टि और समायोजन उनकी शिक्षण प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। अतः बी.एड. महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नवीन शिक्षण तकनीक, कक्षा प्रबंधन, समय प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित किया जाना चाहिए। नियमित प्रशिक्षण से शिक्षक न केवल शैक्षणिक कौशल बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमता भी सुधार सकते हैं। व्यावहारिक शिक्षण कौशल का विकासरू शोध निष्कर्ष बताते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रभावी शिक्षण, संवाद कौशल, मूल्यांकन तकनीक और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल करनी चाहिए। इससे वे छात्रकेंद्रित शिक्षण, सक्रिय कक्षा प्रबंधन और प्रभावी मूल्यांकन प्रदान कर सकते हैं। कार्यशालाएँ और सेमिनार इस दृष्टि से शिक्षक की व्यावहारिक कौशल वृद्धि में सहायक हैं।

सकारात्मक कार्य परिवेश का निर्माण : शोध दर्शाता है कि शिक्षक की संतुष्टि और समायोजन में कार्य परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। महाविद्यालयों को सहयोगात्मक, सम्मानजनक और तनावमुक्त वातावरण बनाना चाहिए। यह शिक्षक को स्वतंत्र निर्णय लेने, नवाचार अपनाने और अधिक प्रेरित होकर कार्य करने में मदद करता है।

संदर्भ सूची

1. अस्थाना, विपिन. (2009). मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन. वाराणसीरू विजय प्रकाशन.
2. अग्रवाल, जे.सी. (2010) शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्भिक आधार आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन
3. अग्रवाल, के. पी. (1979) कार्य संतुष्टि एवं मानसिक स्वास्थ. इंडियन एजूकेशन रिव्यूरू 14रू 1 पेज 22– 29.
4. ओड, एल. के. (2004) शिक्षा की दार्शनिक एंव सामाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी.
5. भट्टाचार्य, जी.सी. (2000). अध्यापक शिक्षा. आगरा रू विनोद पुस्तक मन्दिर.
6. बिहारी लाल, रमन (1996–97) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत, उत्तरप्रदेश
7. वर्मा, माधव (2022). जिला बिजनौर के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के कार्यक्षेत्र में समायोजन की स्थिति का अध्ययन | International journal of research and analytical reviews, 9(1), 1-9.
8. चौहान, कुलदीप और सिंह, हरिशंकर (2021). बी. एड. एवं बी. पी. एड. छात्रों के शैक्षिक व सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन । International journal of applied research, 7(1), 121–124.
9. कुमारी, प्रियंका (2021). शेखावाटी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयी अध्यापकों के समायोजन का अध्ययन। | Scholarly research journal for interdisciplinary studies, 8 (64), 14852– 14862.

माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया पर प्रभाव

डॉ. पंकज पारीक
प्राचार्य, मंत्रम् शिक्षक प्रशिक्षण
महाविद्यालय उदयपुर (राज)
मो. 8949395026
Email :pankajpareek2244gmail Com

योगेश बनिया
पी.एच.डी. शोधार्थी, शिक्षा संकाय,
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय,
उदयपुर (राज.) मो. 8955074206
Email : yogeshbaniya637@gmail.com

सार–संक्षेप : शिक्षा विद्यार्थी की वह आधारशिला है, जिस पर उसकी मानसिक स्वास्थ्य एवं आकांक्षाओं का उचित समावेश होता है, इन मानसिक स्वास्थ्य एवं आकांक्षाओं को वह उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया से प्राप्त करने का सफल प्रयास करता है। उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया विद्यार्थियों को चुनौतियों, कठिनाइयों, प्रश्नों या दुविधाओं का सामना करने में सक्षम बनाती है। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया पर प्रभाव जानने के लिए ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर उसके पक्ष को जानना अतिआवश्यक प्रतीत होता है। जिससे शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तनों का समावेश करती है, जो नवीन कौशल, ज्ञान, अभिवृति, मूल्य, क्षमताओं व अन्य वांछित व्यवहारों के अर्जन के रूप में प्राप्त होते हैं। यही सकारात्मक परिवर्तन विद्यार्थी को समाज के अनुरूप बनाते हैं।

शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज के विकास की धुरी होती है । विद्यालय शिक्षा से उच्च शिक्षा तक यह व्यवस्था जैसी होगी समाज में ज्ञान, नैतिकता तथा चरित्र का प्रवाह भी उसी तरह परिलक्षित होगा । शिक्षा सीखने और सिखाने की औपचारिक–अनौपचारिक व्यवस्था है। वस्तुतः शिक्षा एक व्यापक एवं बहुआयामी अर्थ वाला शब्द है और सीखने की प्रक्रिया ही इसका मूलाधार है । शिक्षा व्यक्ति के विकास का मूल साधन है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा की सहायता से व्यक्ति में ज्ञान, कला–कौशल एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है जिसके द्वारा उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है । मानव में सीखने की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु पर्यन्त अनवरत चलती रहती है। उदाहरण स्वरूप – शिशु अपनी माँ तथा पालन–पोषण करने वाले अन्य व्यक्तियों के उन व्यवहारों, जिन्हें वह स्वयं देखता–सुनता है, से बहुत कुछ सीखता है। शिक्षा स्वतः परिचालित वह सहज प्रक्रिया है जो केवल औपचारिकताओं से भरे विद्यालय में ही घटित नहीं होती बल्कि इस प्रक्रिया में बालक, परिवार, आस–पड़ोस, समाज सभी का योगदान रहता है । बालक यदि विद्यालय से समयबद्धता, नियमितता, नेतृत्व, अनुशासन, विशिष्ट ज्ञान, कौशलों एवं दक्षताओं को औपचारिक रूप से ग्रहण करता है तो वहीं घर, परिवार, पड़ोस व समाज से वह खान–पान, रहनदृसहन, सद्विचार, दृष्टिकोण व आदतों को अनौपचारिक रूप से भी सीखता है। जिसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव उसके विद्यालयी अधिगम, उपलब्धि एवं व्यक्तित्व पर पड़ता है ।

शिक्षा विद्यार्थी के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तनों का समावेश करती है जो नवीन कौशल, ज्ञान, अभिवृत्ति, मूल्य, क्षमताओं व अन्य वांछित व्यवहारों के अर्जन के रूप में प्राप्त होते हैं। यही सकारात्मक परिवर्तन विद्यार्थी को समाज के अनुरूप बनाते हैं।

भारत में सरलता से इस बात को पहचाना जा सकता है कि किस प्रकार 80 के दशक के पश्चात् शिक्षा ने आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य किया है। जिसके कारण भारतीय सरकार ने विशेष रूप से उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षा को प्राथमिकता

व महत्व दिया। माध्यमिक स्तर किसी भी राष्ट्र की शैक्षिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तर होता है। इस स्तर को उपभोक्ता व उत्पादक का दर्जा दिया गया है, जो राष्ट्र का भविष्य निर्मित करता है ।

भारत में पिछले कुछ वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों में संख्यात्मक विस्तार हुआ है, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उम्र लगभग 16–18 साल की होती है। माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थी युवावस्था की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं, यह अवस्था आकर्षण, तनावपूर्ण व तूफानी कही जाती है, जिसमें विद्यार्थी अनेक शारीरिक, सांवेगिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से गुजरता है। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी जहाँ एक तरफ उच्च स्तरीय विशिष्ट ज्ञान, कौशल व मूल्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका पूर्व अधिगम अधिक सार्थक व स्पष्ट होने लगता है। वैसे तो शिक्षा के सभी स्तर महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तु माध्यमिक स्तर ऐसी अवस्था होती है जो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की रीढ़ होती है। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें ज्ञात होता है कि किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है जिससे उनका समाज में एक अच्छा स्थान हो तथा वे सुनियोजित ढंग से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें ।

प्राचीन काल में शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने का साधन समझा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं रह गया है। वर्तमान समय में विश्व असीम प्रतिद्वंदिता के दौर से गुजर रहा हैय ऐसे में सभी देश एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगे हुये है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया का होना बहुत आवश्यक है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो शैक्षिक सुधार को प्रदर्शित करती है । विद्यार्थियों के लिए 21वीं सदी में नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया एक मुख्य तत्व है ।

उद्देश्य

1. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर का अध्ययन करना ।
2. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना ।
3. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया का अध्ययन करना ।
4. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर और उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया में साहचर्य का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

1. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर औसत पाया जाता है ।
2. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का स्तर औसत पाया जाता है।
3. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया का स्तर औसत पाया जाता है।
4. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर और उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया में साहचर्य नहीं पाया जाता है।
5. शोध में प्रयुक्त शोध विधि –
6. प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया हैं।
7. शोध जनसंख्या :– प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को अध्ययन की जनसंख्या माना जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट (2020–21) के अनुसार अजमेर जिले में माध्यमिक स्तर के कुल 99728 विद्यार्थी हैं।
8. शोध में प्रयुक्त न्यादर्श :– प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के माध्यमिक स्तर के 400 विद्यार्थियों का न्यादर्श के रूप में चयन सरल यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया हैं। न्यादर्श का चयन मोर्गन तालिका को आधार मानकर किया गया है ।
9. 4A1 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के उच्च स्तरीय चिंतन का अध्ययन
10. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालय

में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के उच्च स्तरीय चिंतन के मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी को सारणी संख्या 4A1 में प्रदर्शित किया गया है.

11. सारणी संख्या 4A1

12. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के उच्च स्तरीय चिंतन के मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

		उच्च स्तरीय चिंतन						
		ज्ञान	समझ	अनुप्रयोग	विश्लेषण	संश्लेषण	मूल्यांकन	कुल क्षेत्र
सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी (n=200)	मध्यमान	35.52	35.59	24.13	23.99	23.95	35.93	179.09
	S.D.	7.89	7.82	5.35	5.43	5.03	8.02	35.90
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
निजी विद्यालय के विद्यार्थी (n=200)	मध्यमान	60.30	60.33	40.71	40.54	40.55	60.73	303.14
	S.D.	8.83	7.96	5.71	5.78	5.62	8.68	36.91
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी (n=200)	मध्यमान	43.91	44.01	30.20	29.87	29.80	44.70	222.48
	S.D.	14.88	14.84	10.07	10.07	9.85	15.02	72.82
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी (n=200)	मध्यमान	51.91	51.91	34.64	34.66	34.70	51.96	259.75
	S.D.	13.97	13.44	9.39	9.37	9.29	14.03	66.21
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
कुल छात्र (n=200)	मध्यमान	47.32	47.41	32.32	32.10	32.04	48.04	239.22
	S.D.	15.40	15.14	9.96	10.18	9.97	15.25	73.22
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
कुल छात्राएं (n=200)	मध्यमान	48.50	48.51	32.52	32.43	32.46	48.61	243.02
	S.D.	14.51	14.23	10.01	9.84	9.78	14.70	70.82
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत

सारणी संख्या 4A1 से ज्ञात होता है कि सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी (n=200) का उच्च स्तरीय चिंतन का कुल मध्यमान 179.09 है, जो 'औसत श्रेणी' में आता है। सभी उप–क्षेत्रों (ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन) के अंक भी औसत स्तर पर हैं। यह संकेत करता है कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन का विकास तो है, किन्तु यह विशेष रूप से उच्च नहीं है। निजी विद्यालय के विद्यार्थियों (n=200) का कुल मध्यमान 303.14 है, जो सरकारी विद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक है तथा 'औसत श्रेणी' में ही आता है। उप–क्षेत्रों के अंक भी अधिक हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन की क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों (n=200) का कुल मध्यमान 222.48 है, जो शहरी विद्यार्थियों की तुलना में कम है। सभी आयाम औसत श्रेणी में रहते हुए अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर हैं। इससे ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उच्च स्तरीय चिंतन औसत है परंतु शहरी विद्यार्थियों से कमजोर है। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों (n=200) का कुल मध्यमान 259.75 है, जो ग्रामीण विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक है। यह भी ष्औसत श्रेणीष् में आता है, परंतु यहाँ यह स्पष्ट होता है कि शहरी विद्यार्थियों का उच्च स्तरीय चिंतन ग्रामीण विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर है। लिंगानुसार देखा जाए तो कुल छात्र (n=200) का मध्यमान 239.22 तथा कुल छात्राओं (n=200) का मध्यमान 243.02 है। दोनों ही औसत श्रेणी में आते हैं, किन्तु छात्राओं का उच्च स्तरीय चिंतन छात्रों की अपेक्षा थोड़ा अधिक है।

4A2 अध्ययन समूहों के उच्च स्तरीय चिंतन का अध्ययन अध्ययन समूहों के उच्च स्तरीय चिंतन के मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी को सारणी संख्या 4A1 में प्रदर्शित किया गया है.

सारणी संख्या 4A2

अध्ययन समूहों के के उच्च स्तरीय चिंतन के मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

		उच्च स्तरीय चिंतन						
		ज्ञान	समझ	अनुप्रयोग	विश्लेषण	संश्लेषण	मूल्यांकन	कुल क्षेत्र
ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के छात्र (n =50)	मध्यमान	30.92	31.10	22.10	21.52	21.44	32.12	159.20
	S.D.	9.28	9.12	6.43	6.48	5.73	9.53	40.83
	श्रेणी	कम	कम	कम	कम	कम	कम	औसत
ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की छात्राएं (n =50)	मध्यमान	31.54	31.60	21.14	21.14	21.10	31.68	158.20
	S.D.	कम	7.61	5.39	5.39	5.06	7.91	35.55
	श्रेणी	औसत	कम	कम	कम	कम	कम	औसत
शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के छात्र (n =50)	मध्यमान	39.06	39.06	26.50	26.34	26.32	39.44	196.72
	S.D.	3.29	3.33	3.01	2.78	2.36	3.87	13.38
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की छात्राएं (n =50)	मध्यमान	40.56	40.58	26.76	26.94	26.94	40.46	202.24
	S.D.	4.68	4.67	3.25	3.44	3.01	5.09	20.29
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालय के छात्र(n =50)	मध्यमान	55.94	56.02	38.66	38.28	38.12	57.26	284.28
	S.D.	9.12	9.09	5.22	5.62	5.43	8.45	40.45
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालय की छात्राएं (n =50)	मध्यमान	57.24	57.32	38.88	38.54	38.54	57.72	288.24
	S.D.	3.84	3.95	3.66	3.36	2.99	4.76	18.80
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालय के छात्र(n =50)	मध्यमान	63.34	63.44	42.00	42.26	42.28	63.34	316.66
	S.D.	10.07	8.56	6.91	6.88	6.58	10.37	41.50
	श्रेणी	अधिक	अधिक	औसत	औसत	अधिक	अधिक	अधिक
शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालय की छात्राएं (n =50)	मध्यमान	64.66	64.54	43.28	43.08	43.24	64.58	323.38
	S.D.	7.69	5.47	5.30	5.16	5.11	7.80	25.00
	श्रेणी	अधिक	अधिक	अधिक	अधिक	अधिक	अधिक	अधिक

सारणी संख्या 4A2 के परिणामों का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विभिन्न अध्ययन समूहों के छात्रों एवं छात्राओं के उच्च स्तरीय चिंतन (ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन तथा कुल क्षेत्र) में उल्लेखनीय भिन्नताएँ पाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के छात्र औसतन सभी उपक्षेत्रों में कम स्तर पर पाए गए। इनके ज्ञान (30.92), समझ (31.10), अनुप्रयोग (22.10), विश्लेषण (21.52), संश्लेषण (21.44) और मूल्यांकन (32. 12) के औसत अंक कम स्तर के रहे और कुल क्षेत्र (159. 20) भी औसत स्तर पर रहा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी विद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन भी समान रूप से कमजोर रहा। यद्यपि इनके ज्ञान (31.54) का स्तर औसत पाया गया, परंतु अन्य सभी उपक्षेत्रों में अंक कम श्रेणी में रहे और कुल क्षेत्र (158.20) औसत स्तर पर रहा। शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं सभी उपक्षेत्रों (ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन) में औसत स्तर पर पाए गए। छात्रों के लिए कुल क्षेत्र का औसत 196.72 और छात्राओं के लिए 202.24 रहा, जो ग्रामीण सरकारी विद्यालय के छात्रों की तुलना में अधिक है। इससे स्पष्ट है कि शहरी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी उच्च स्तरीय चिंतन में ग्रामीण सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों से आगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं सभी उपक्षेत्रों तथा कुल क्षेत्र में औसत स्तर पर पाए गए। छात्रों के लिए कुल क्षेत्र का मध्यमान 284.28 तथा छात्राओं के लिए 288.24 रहा। यह दर्शाता है कि ग्रामीण निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता ग्रामीण सरकारी और शहरी सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अधिक है। शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं का प्रदर्शन सर्वाधिक रहा। छात्रों के लिए ज्ञान (63.34), समझ (63.44), अनुप्रयोग (42.00), विश्लेषण (42.26), संश्लेषण (42.28), मूल्यांकन (63.34) सभी अधिक श्रेणी में रहे, केवल अनुप्रयोग और विश्लेषण औसत रहे। कुल क्षेत्र (316.66) अधिक स्तर पर रहा। इसी प्रकार छात्राओं ने भी सभी उपक्षेत्रों और कुल क्षेत्र (323.38) में अधिक श्रेणी प्राप्त की। यह स्पष्ट संकेत करता है कि शहरी निजी विद्यालयों के छात्र–छात्राएं उच्च स्तरीय चिंतन में सबसे आगे हैं।

4B मानसिक स्वास्थ्य

4B1 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी को सारणी संख्या 4B1 में प्रदर्शित किया गया है.

सारणी संख्या 4B1

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

		मानसिक स्वास्थ्य						
		सांवेगिक स्थिरता	समग्र समायोजन	स्वायत्तता	सुरक्षा असुरक्षा	आत्म–प्रत्यय	बुद्धि	कुल क्षेत्र
सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी (n=200)	मध्यमान	8.06	20.52	7.73	7.85	8.07	13.48	65.70
	S.D.	1.93	3.14	1.53	1.63	1.67	4.60	7.34
	श्रेणी	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम
निजी विद्यालय के विद्यार्थी (n=200)	मध्यमान	11.48	30.97	11.90	11.74	11.78	23.63	101.48
	S.D.	2.43	5.60	1.83	2.19	1.96	4.68	15.25
	श्रेणी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी (n=200)	मध्यमान	9.14	23.72	9.13	9.09	9.19	17.29	77.56
	S.D.	2.29	5.45	2.28	2.14	2.15	7.12	17.48
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी (n=200)	मध्यमान	10.39	27.77	10.50	10.50	10.65	19.82	89.62
	S.D.	3.08	7.63	2.87	3.08	2.80	6.39	23.48
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
कुल छात्र (n=200)	मध्यमान	9.74	25.37	9.81	9.80	9.91	18.40	83.02
	S.D.	2.86	7.36	2.77	2.83	2.73	7.14	22.56
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
कुल छात्राएं (n=200)	मध्यमान	9.79	26.12	9.82	9.79	9.94	18.71	84.16
	S.D.	2.70	6.45	2.59	2.66	2.47	6.61	20.50
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत

सारणी संख्या 4B1 के परिणामों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों (सांवेगिक स्थिरता, समग्र समायोजन, स्वायत्तता, सुरक्षा–असुरक्षा, आत्म–प्रत्यय, बुद्धि तथा कुल क्षेत्र) में अध्ययन समूहों के बीच उल्लेखनीय भिन्नताएँ देखी गईं। सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी (n=200) : इन विद्यार्थियों के सभी आयामों का मध्यमान (सांवेगिक स्थिरता 8.06,

समग्र समायोजन 20.52, स्वायत्तता 7.73, सुरक्षा–असुरक्षा 7.85, आत्म–प्रत्यय 8.07, बुद्धि 13.48, कुल क्षेत्र 65.70) कम श्रेणी में पाया गया। यह संकेत करता है कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य निम्न स्तर का है। निजी विद्यालय के विद्यार्थी (n=200): निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सभी आयामों में (सांवेगिक स्थिरता 11.48, समग्र समायोजन 30.97, स्वायत्तता 11.90, सुरक्षा–असुरक्षा 11.74, आत्म–प्रत्यय 11.78, बुद्धि 23.63, कुल क्षेत्र 101.48) उच्च श्रेणी प्राप्त की। इसका अर्थ है कि निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य उच्च स्तर का है और यह सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों से कहीं अधिक सशक्त है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी (n=200): ग्रामीण विद्यार्थियों का मध यमान (कुल क्षेत्र 77.56) और सभी आयाम (सांवेगिक स्थिरता 9.14, समग्र समायोजन 23.72, स्वायत्तता 9.13, सुरक्षा–असुरक्षा 9.09, आत्म–प्रत्यय 9.19, बुद्धि 17.29) औसत श्रेणी में पाए गए। यह दर्शाता है कि ग्रामीण विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य न तो बहुत निम्न है और न ही बहुत उच्च, बल्कि मध्यम स्थिति में है। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी (n=200): शहरी विद्यार्थियों के सभी आयाम (सांवेगिक स्थिरता 10.39, समग्र समायोजन 27.77, स्वायत्तता 10.50, सुरक्षा–असुरक्षा 10.50, आत्म–प्रत्यय 10.65, बुद्धि 19.82, कुल क्षेत्र 89.62) भी औसत श्रेणी में पाए गए। यद्यपि ये ग्रामीण विद्यार्थियों से कुछ बेहतर हैं, फिर भी निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों जितने उच्च नहीं हैं। कुल छात्र (n=200) : कुल छात्रों के लिए मध्यमान (कुल क्षेत्र 83.02) एवं सभी आयाम औसत स्तर पर रहे। कुल छात्राएं (n=200): कुल छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य भी छात्रों की तरह औसत स्तर पर रहा (कुल क्षेत्र 84.16)। छात्राओं के औसत अंक छात्रों की तुलना में थोड़ा अधिक हैं, परंतु दोनों ही समूह औसत श्रेणी में आते हैं।

4B2 अध्ययन समूहों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन

अध्ययन समूहों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी को सारणी संख्या 4B1 में प्रदर्शित किया गया है.

सारणी संख्या 4B2

अध्ययन समूहों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमान, मानक विचलन एवं श्रेणी

		मानसिक स्वास्थ्य						
		सांवेगिक स्थिरता	समग्र समायोजन	स्वायत्तता	सुरक्षा असुरक्षा	आत्म–प्रत्यय	बुद्धि	कुल क्षेत्र
ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के छात्र (n =50)	मध्यमान	7.78	18.88	7.36	7.74	7.70	12.24	61.70
	S.D.	2.05	4.10	1.76	2.11	1.76	5.07	9.06
	श्रेणी	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम
ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की छात्राएं (n =50)	मध्यमान	8.02	20.42	7.28	7.60	7.66	11.72	62.70
	S.D.	1.62	2.68	1.31	1.29	1.69	4.77	6.38
	श्रेणी	कम	कम	कम	कम	कम	कम	कम
शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के छात्र (n =50)	मध्यमान	8.22	21.06	8.18	8.18	8.38	14.20	68.22
	S.D.	1.83	2.10	1.56	1.70	1.64	4.01	3.20
	श्रेणी	औसत	कम	कम	औसत	औसत	कम	कम
शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय की छात्राएं (n =50)	मध्यमान	8.20	21.72	8.10	7.88	8.52	15.74	70.16
	S.D.	2.18	2.68	1.23	1.27	1.43	3.30	5.78
	श्रेणी	औसत	औसत	कम	कम	औसत	औसत	कम
ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालय के छात्र (n =50)	मध्यमान	10.56	27.74	10.92	10.52	10.70	21.94	92.38
	S.D.	2.06	4.48	1.40	1.68	1.58	5.04	11.18
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत
ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालय की छात्राएं (n =50)	मध्यमान	10.20	27.84	10.94	10.50	10.72	23.24	93.44
	S.D.	1.97	2.77	1.00	1.22	0.99	4.01	5.47
	श्रेणी	औसत	औसत	औसत	औसत	औसत	उच्च	औसत
शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालय के छात्र(n =50)	मध्यमान	12.40	33.80	12.76	12.76	12.84	25.20	109.76
	S.D.	2.70	6.23	2.19	2.41	2.29	4.82	18.55
	श्रेणी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च
शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालय की छात्राएं (n =50)	मध्यमान	12.74	34.48	12.96	13.18	12.86	24.12	110.34
	S.D.	1.90	4.43	1.43	1.76	1.48	4.28	12.05
	श्रेणी	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च	उच्च

सारणी संख्या 4B2 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के छात्र और छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य सभी उपक्षेत्रों (सांवेगिक स्थिरता, समग्र समायोजन, स्वायत्तता, सुरक्षा–असुरक्षा, आत्म–प्रत्यय, बुद्धि एवं कुल क्षेत्र) में अपेक्षाकृत कम श्रेणी में पाया गया। छात्रों का कुल मानसिक स्वास्थ्य का मध्यमान 61.70 तथा छात्राओं का 62.70 रहा, जो दोनों ही कम श्रेणी में आते हैं। शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय के छात्र का कुल मध्यमान 68.22 रहा, जो कम श्रेणी में है, किन्तु उपक्षेत्रों में सांवेगिक स्थिरता (8.22), सुरक्षा–असुरक्षा (8.18) तथा आत्म–प्रत्यय (8.38) औसत श्रेणी में पाए गए। शहरी क्षेत्र की सरकारी विद्यालय की छात्राओं का कुल मध्यमान 70.16 रहा, जो कम श्रेणी का सूचक है, परन्तु उपक्षेत्रों में सांवेगिक स्थिरता (8.20), समग्र समायोजन (21.72) एवं आत्म–प्रत्यय (8.52) औसत श्रेणी में रहे, तथा बुद्धि (15.74) औसत श्रेणी में पाई गई। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालय

के छात्र एवं छात्राएं अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहे। छात्रों का कुल मध्यमान 92.38 और छात्राओं का 93.44 पाया गया, जो दोनों ही औसत श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर सभी उपक्षेत्र औसत श्रेणी में रहे, सिवाय छात्राओं की बुद्धि (23.24) के, जो उच्च श्रेणी में पाई गई।सबसे सशक्त स्थिति शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालय के छात्र और छात्राओं की रही। छात्रों का कुल मध्यमान 109.76 तथा छात्राओं का 110.34 रहा, जो दोनों ही उच्च श्रेणी में आते हैं। इनके सभी उपक्षेत्र (सांवेगिक स्थिरता, समग्र समायोजन, स्वायत्तता, सुरक्षा–असुरक्षा, आत्म–प्रत्यय और बुद्धि) उच्च श्रेणी में रहे।

5.1 निष्कर्ष

5.1.1 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के उच्च स्तरीय चिंतन के मध्यमान के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष

– सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी का उच्च स्तरीय चिंतन औसत श्रेणी में है। सभी उपक्षेत्र (ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन) भी औसत स्तर पर रहे, जो इंगित करता है कि इन विद्यालयों के विद्यार्थियों में चिंतन क्षमता का विकास तो है परंतु बहुत उच्च स्तर पर नहीं है।

– निजी विद्यालयों के विद्यार्थी का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से बेहतर रहा। यद्यपि श्रेणी औसत ही रही, परंतु सरकारी विद्यालयों की तुलना में इनकी चिंतन क्षमता अधिक विकसित पाई गई।

– ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी विद्यार्थियों की तुलना में कमजोर रहे। यद्यपि सभी आयाम औसत श्रेणी में रहे, फिर भी उनका स्तर अपेक्षाकृत निम्न पाया गया।

– शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी ग्रामीण विद्यार्थियों से आगे रहे। यह भी औसत स्तर पर रहा लेकिन तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

5.4 शैक्षिक एवं प्रशासनिक निहितार्थ (Educational and Administrative Implications)

प्रस्तुत शोध हेतु शैक्षिक एवं प्रशासनिक निहितार्थ निम्नलिखित है :

– पाठ्यचर्या में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का समावेश : शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को केवल रटने या स्मृति–आधारित परीक्षाओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक लेखन और तार्किक निर्णय लेने जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट–आधारित अधिगम, शोधपरक कार्य और नवाचारों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। इससे विद्यार्थी मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होंगे, तनाव का सामना बेहतर कर पाएँगे और उनके मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ आकांक्षा स्तर में भी वृद्धि होगी।

– मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना : विद्यालयों में School Mental Health Programs प्रारम्भ किए जाएँ, जिनमें नियमित परामर्श (Counseling), तनाव–प्रबंधन कार्यशालाएँ, माइंडफुलनेस एवं योगाभ्यास अनिवार्य किए जाएँ। विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर और मनोवैज्ञानिक सहयोग दिया जाए। इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों को भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेंगे, जो उनके उच्च स्तरीय चिंतन और आकांक्षा स्तर को संतुलित और उन्नत बनाएगा।

– आकांक्षा स्तर को बढ़ाने हेतु करियर मार्गदर्शन : विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों, रोल मॉडल्स, करियर काउंसलिंग तथा प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचय कराया जाए। शैक्षणिक प्रशासन को चाहिए कि वे विद्यालयों में करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ स्थापित करें, जिससे विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं और रुचियों के अनुरूप करियर चुनने में सहायता मिल सके। सही मार्गदर्शन से उनके भीतर उच्च और यथार्थपरक आकांक्षाएँ विकसित होंगी और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अस्थाना, विपिन. (2009). मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन. वाराणसीः विजय प्रकाशन.

2. अग्रवाल, जे.सी. (2010). शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्भिक आधार, आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन

3. ओड, एल. के. (2004). शिक्षा की दार्शनिक एंव सामाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि. जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी.

4. बिहारी लाल, रमन (1996–97). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत. उत्तरप्रदेश

5. बेस्ट, जॉन डब्ल्यू. (1963). रिसर्च इन एजूकेशन, नई दिल्ली रू प्रेन्टाइस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.

6. भट्नागर, डॉ,ए.बी. (2006). भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास. मेरठः सूर्या पब्लिकेशन

7. बेस्ट, जॉन डब्ल्यू. (1958). रिसर्च इन एजूकेशन. प्रेक्टिस हॉल (इंक) यू एस ए रू ऐंगिल बुक क्लिफस.

8. भार्गव, महेश. (2006). आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन. कचहरी घाट आगराः पुस्तक प्रकाशन.

9. अग्रवाल, एन., सत्तार, ए. एवं जैन, एम. (2019). पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक रूचि एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन. इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवान्सेज इन सोशल साइन्सेज, 8(4), 173–180.

10. आहूजा, अमित (2016). शैक्षिक आकांक्षा और शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच आत्म–प्रभावकारिता के अध्ययन पर एक शोध किया। Educational Quest: an international journal of education and applied social sciences, 7(3), 275–283.

11. ऑटमा, एन., सिंगप्रा, के., परिचौत, ओ. एवं टॉनकोय, पी. (2021). फैक्टर्स एसोसिएटिड विद् सैल्फ–इस्टीम, रेलिजेन्स, मैन्टल हैल्थ एण्ड साइक्लॉजिकल सैल्फ केयर अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स इन नॉर्दन थाईलैण्ड. जर्नल ऑफ मल्टी– डिसीप्लीनरी हैल्थकेयर, 14, 1213–1221

12. एडम्स (2011). मैरीलैंड के एक हाई स्कूल में उच्च क्रम की सोच को उलझाकर गणित में समस्या समाधान कौशल पर एक अध्ययन | Masters Research Project, St. Mary's College of Maryland.

Emotional Intelligence of Secondary School Teachers

Dr. Sunita Murdia
Supervisor
Associate Professor,
L.M.T.T. College
Dabok (Udaipur)

M/s Khushbu Kanwar Rathod
Researcher
Assistant Professor
L.M.T.T. College, Dabok

Summary

The ability to express and control our own emotions is very important, but so is our ability to understand, interpret and respond to the emotions of others. Psychologists refer to this ability as emotional intelligence and some experts even suggest that it can be more important than I.Q.

So the researcher have tried to find out the emotional intelligent of Govt and Private Secondary schools and Male, Female teachers. For this he administered the emotional intelligence scale on 400 secondary school teachers. Main findings of the research was there is no significance difference regarding to the "self regulation" of male and female teachers and there is significance difference regarding the area "empathy" of male and female teachers. Female Teachers have more empathy than male similarly there is no significant difference in all areas intra-awareness, self regulation, motivation, empathy and social skill.

1. Objectives of the study :

The following were the objectives of the study:-

1. To compare the emotional intelligence of secondary school teachers, teaching in Govt and Private schools.
2. To compare the job satisfaction of male and female secondary school teachers.

2. Hypothesis of the study :-

(i) There is no significant difference between emotional intelligence of male and female teachers of secondary schools.

(ii) There is no significant difference between the emotional intelligence of secondary school teachers teaching in Govt. and Private Schools

3. Methodology

(a) Sampling : From each Govt and Private schools 5 male and 5 female teachers have been selected randomly from 40 secondary schools as shown as under

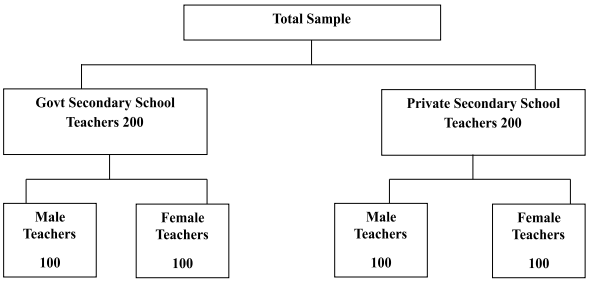

(b) Method : The present research is going to study the "Emotional Intelligence" of secondary school teachers. The survey method is suitable approach for the desired data collection, Hence it has been employed in this study.

(c) Tools used in the study : Tools is a device for describing and qualifying data in research. here are varieties of tools available for the research. In this study the following tools were used :

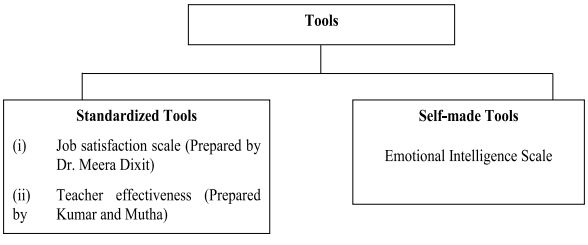

4. Data collection and analysis

Self made emotional intelligence scale has been administered. Scale has been administered to 400 secondary school teachers of Govt and Private schools. Male (100), Female (100) and Govt teachers (200) and Private teachers (200) were the data collected. After area wise scoring of EI scale, researcher applying statistical techniques (Mean, SD and t-value) and presented in the following tables.

Objective no. 1 : To Compare the Emotional Intelligence of Secondary School Teachers Teaching in Government and Private Schools

Table no. 1

Analysis of Comparison of the Emotional Intelligence of Secondary School Teachers Teaching in Government and Private Schools

S. No.	Areas of Emotional Intelligence	Types of schools	Mean	S.D.	t. value	Significant on 0.01/0.05 level
1.	Intra-awareness	Govt. (N=100)	21.73	4.60591	1.4285	Insignificant
		Private (N=100)	23.22	3.49863		
2.	Self-regulation	Govt. (N=100)	19.92	1.91338	0.5220	Insignificant
		Private (N=100)	20.20	2.26843		
3.	Motivation	Govt. (N=100)	22.97	1.69712	1.1800	Insignificant
		Private (N=100)	23.35	1.85787		
4.	Empathy	Govt. (N=100)	26.33	1.88362	0.6008	Insignificant
		Private (N=100)	26.13	1.76084		
5.	Social skills	Govt. (N=100)	25.06	2.5833	0.6485	Insignificant
		Private (N=100)	25.37	2.48362		
Total Emotional Intelligence		Govt.	116.01	7.83	0.1662	Insignificant
		Private	118.27	7.54		

Table value at 0.05 level= 1.97

Table value at 0.01 level= 2.60

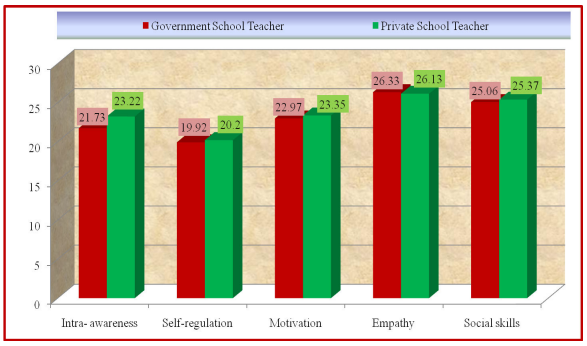

Graph No. 4.4

Analysis of Comparison of the Emotional Intelligence of Secondary School Teachers Teaching in Government and Private Schools

6. Interpretation

Following result are drawn from the above table :

1. Intra-awareness: The obtained mean and standard deviation of Government and Private secondary school teachers in 'intra- awareness' area are 21.73, 4.60591 and 23.22, 3.49863. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 1.4285 which is lesser than the table value 1.97 at 0.05 level of significance (df=198). So it is evident that there is no significant difference regarding 'intra-awareness' area between Govt. and Private secondary school teachers. Both the groups (Govt. and private), Secondary Schools teachers have same level of 'intra-awareness'.

2. Self-regulation: The obtained mean and standard deviation of Govt. and Private schools in 'self-regulation' area are 19.92, 1.91338 and 20.20, 2.26843 . The t-value calculated for significant difference between mean scores is 0.5220 which is lesser than the table value 1.97 at 0.05 level of significance (df=198). So, it is evident from this value that there is no significant difference regarding 'self-regulation' area between Government and Private school secondary school teachers.

3. Motivation : The mean and standard deviation obtained of Government and Private school on

'motivation' area are 22.97, 1.69712 and 23.35, 1.85787. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 1.1800 which is lesser than the table value 1.97 at 0.05 level of significance (df=198) .So it is evident from this value that there is no significant difference regarding 'motivation' between Government and Private school secondary school teachers.

4. Empathy : The mean and standard deviation obtained of Government and Private school on 'empathy' area are 26.33, 1.88362 and 26.13,1.76084 . The t-value calculated for significant difference between mean score is 0.6008 which is lesser than the table value 1.97 at 0.05 level of significant (df=198). So it is evident from this value that there is no significant difference regarding 'empathy' between Government and Private secondary school teachers.

5. Social skills : The obtained mean and standard deviation of Government and Private school in 'social skills' area are 25.06, 2.5833 and 25.37, 2.48362. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 0.6485 which is lesser than the table value 1.97 at 0.05 level of significance (df=198). So it is evident form this value that there is no significant difference regarding 'social skills' between Government and Private school secondary school teachers.

- The mean and standard deviation obtained of Government and Private school on 'total emotional intelligence' area is 116.01, 7.83 and 118.27, 7.54. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 0.1662 which is lesser than the table value (df=198) at 0.05 level of significance. So it is evident from this value that there is no significant difference regarding 'total emotional intelligence' between Government and Private secondary school teachers. So, it reveals that the secondary school teachers of both the school are equally emotionally intelligent.

Hypothesis Testing :

Hence, the hypothesis no. 1 that there is no significant difference between the emotional intelligence of secondary school teachers teaching in Government and Private schools is accepted.

7. Objective no. 1 : To Compare the Emotional Intelligence of Male and Female Secondary School Teachers.

Table no. 2

Analysis of Comparison of the Emotional Intelligence of Male and Female Secondary School Teachers

S. No.	Areas of Emotional Intelligence	Gender	Mean	S.D.	t. value	Significant on 0.01/0.05 level
1.	Intra- awareness	Male (N=100)	22.72	4.16	0.0885	Insignificant
		Female (N=100)	22.45	4.09		
2.	Self-regulation	Male (N=100)	21.18	2.10	6.6133	Significant at 0.01 level
		Female (N=100)	19.02	1.43		
3.	Motivation	Male (N=100)	23.20	1.79	0.2557	Insignificant
		Female (N=100)	23.12	1.79		
4.	Empathy	Male (N=100)	25.90	1.71	2.0344	Significant at 0.05 level
		Private (N=100)	26.57	1.87		
5.	Social skills	Male (N=100)	24.80	3.02	1.8232	Insignificant
		Female (N=100)	25.63	1.85		
Total Emotional Intelligence		Male	122.2	7.76	3.0799	Significant
		Female	119.1	6.41		

df=198

Table value at 0.05 level = 1.97

Table value at 0.01 level = 2.60

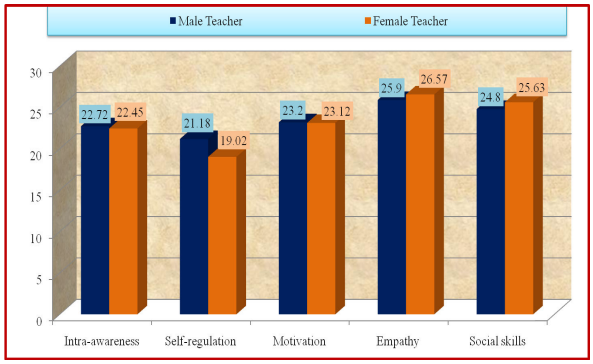

Graph No. 4.5

Analysis of Comparison of the Emotional Intelligence of Male and Female Secondary School Teachers

Interpretation

Following results are drawn from the above table:

1. Intra-awareness : The obtained mean and standard deviation of male (N=100) and female (N=100) secondary school teachers in 'intra-awareness' area is 22.72, 4.16 and 22.45, 4.09. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 0.0885 which is lesser than the table value 1.97 at 0.05 level (df=198) of significance. So it is evident from this value that there is significant difference regarding 'intra-awareness' area between male and female secondary school teachers. The mean value for the male teachers is higher than the female teachers. It reveals that male teachers have more intra-awareness than female teachers. They have ability to understand their emotions and their effects on others. They have an accurate sense of their strengths and weaknesses, which give them a realistic self-confidence.

2. Self-regulation : The obtained mean and standard deviation of male and female secondary school teachers in 'self-regulation' area is 21.18, 2.10 and 19.02, 1.43 . The t-value calculated for significant difference between mean scores is 6.6133 which is greater than the table value 2.60 at 0.01 level instead of 0.05 level (df=198) of significance. So it is evident that there is significant difference regarding 'self-regulation' area between male and female secondary school teachers. As the male teachers' mean score is higher than the female, It reveals that male teachers use to apply new ideas in their working style in comparison to female teachers. Male teachers use to adjust more with the people of opposite thinking than the female teachers. It means that male teachers have more capability to manage their impulsive behavior than female teachers.

3. Motivation : The obtained mean and standard deviation of male and female secondary school teachers in 'motivation' area are 23.20, 1.79 and 23.12, 1.79. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 0.2557 which is lesser than the table value 1.97 (df=198) at 0.05 level of significance. So, it is evident that there is no significant difference between male and female secondary school teachers regarding level of 'motivation'. As the mean score of male teachers' is more than female teachers, the male teachers are highly motivated . They view difficult situations as challenges and they postpone impulses until they have achieved their long term target.

4. Empathy : The mean and standard deviation of male and female teachers in 'empathy' area are 25.90, 1.71 and 26.57, 1.87. The t-value calculated for significant difference between mean score is 2.0344 which is greater than the table value 1.97 (df=198) at 0.05 level of significant. So, it is evident from this value that there is significant difference between male and female secondary school teachers regarding level of 'empathy'. As the value of mean score of male secondary school teachers is higher than the female teachers. It is evident that male secondary school teachers are more empathetic as compared to female teachers.

5. Social skills : The mean and standard deviation of male and female secondary school teachers in 'social skills' area are 24.80, 3.02 and 25.63, 1.85. The t-value calculated for significant difference between mean scores is 1.8232 which is lesser than the table value 1.97 (df=198) at 0.05 level of significance. So, it is evident form this value that there is no significant difference regarding 'social skills' area between male and female secondary school teachers.

- The mean and standard deviation of male and female teachers in 'total emotional intelligence' area

are 122.20, 7.76 and 119.10, 6.41. The t- value calculated for significant difference between mean scores is 3.0799 which is greater than the table value 2.60 (df=198) at 0.01 level of significance. So, it is evident from this value that there is significant difference regarding 'total emotional intelligence' area between male and female secondary school teachers. It shows that male secondary school teachers are more emotional intelligent than the female secondary school teachers as their mean value is greater than the female teachers.

Hypothesis Testing

Hence the hypothesis no. 2 that there is no significant difference between the emotional intelligence of male and female secondary school teachers is rejected.

References

1. Anari, Naderi, Nahid (2012), "Teachers, Emotional intelligence and job satisfaction and organizational commitment" Journal of work place and learning, Vol 24(4) P.P. 256-259

2. Bar on, R (1986) Emotional and Social intelligence, Handbook of Emotional Intelligence, San Francisco, Jossy Bos.

3. Best J.W. (1963), "Research in Education", New Delhi, Patience Hall of India, Pvt, Ltd

4. Buch, M.B. (1984), A survey of Research in Education, Baroda, M.S. University

5. Goleman D (1995), "Emotional intelligence" Newyork, Bantam Books.

Webliography

1. Education at : www.unicef.org/lifeskills

2. www.psychologia.org

3. www.lib.umd.edu

4. www.dissertation.com

मध्यकालीन उत्तर भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ : सामाजिक संरचना एवं धार्मिक समन्वय के विकास में ऐतिहासिक भूमिका

डॉ. पवन कुमार रांकावत
(शोध निर्देशक)
इतिहास विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ (राज.)

पूजा
(शोधार्थी)
इतिहास विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ (राज.)

सार :

मध्यकालीन उत्तर भारत में क्षेत्रीय शक्तियों ने केवल राजनीतिक शासन तक सीमित न रहकर समाज और धर्म के क्षेत्र में भी गहरा एवं दूरगामी प्रभाव डाला। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने की स्थिति में इन क्षेत्रीय शासकों ने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने, धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संरक्षण में सामाजिक संस्थाएँ, ग्राम संगठन, जातीय ढाँचे और धार्मिक केंद्र सक्रिय रहे, जिससे समाज में संतुलन और निरंतरता बनी रही।

भक्ति और सूफ़ी आंदोलनों को प्राप्त संरक्षण के कारण सामाजिक समानता, नैतिक मूल्यों और मानवीय दृष्टिकोण का व्यापक प्रसार हुआ। जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर व्याप्त भेदभाव को चुनौती मिली तथा समाज में आपसी सौहार्द और सह–अस्तित्व की भावना सुदृढ़ हुई। धार्मिक संस्थाएँ केवल पूजा के केंद्र न रहकर सामाजिक सेवा, शिक्षा और लोककल्याण के माध्यम बनीं। इस प्रकार, मध्यकालीन उत्तर भारत की क्षेत्रीय शक्तियों का सामाजिक एवं धार्मिक योगदान भारतीय समाज की बहुलतावादी, सहिष्णु और समन्वयात्मक परंपरा को विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

मुख्य शब्द : क्षेत्रीय शक्तियाँ, सामाजिक संरचना, धार्मिक सहिष्णुता, भक्ति आंदोलन, सूफ़ी परंपरा, सामाजिक समन्वय, नैतिक मूल्य, धार्मिक संस्थाएँ, बहुलतावादी संस्कृति

प्रस्तावना :

मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन प्रायः केंद्रीय साम्राज्यों जैसे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य के इर्द–गिर्द केंद्रित रहा है। परिणामस्वरूप उत्तर भारत की क्षेत्रीय शक्तियों के सामाजिक और धार्मिक योगदान को अपेक्षित महत्व नहीं मिल सका। जबकि वास्तविकता यह है कि मध्यकाल में जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती थी तब क्षेत्रीय शासकों ने समाज को संगठित रखने और धार्मिक जीवन को संतुलित बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शासकों का प्रभाव केवल शासन तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने सामाजिक संरचना, धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक मूल्यों और सांस्तिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया।

मध्यकालीन उत्तर भारत में जौनपुर, बंगाल, मालवा, मेवाड़, कश्मीर, कन्नौज तथा अवध जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने स्थानीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ अपनाईं। इनके प्रयासों से समाज में स्थिरता, धार्मिक सह–अस्तित्व और सांस्कृतिक समन्वय का विकास हुआ। प्रस्तुत शोध आलेख में इन्हीं क्षेत्रीय षक्तियों के सामाजिक एवं धार्मिक योगदान का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है।

मध्यकालीन सामाजिक संरचना और क्षेत्रीय शक्तियाँ:

मध्यकालीन उत्तर भारत का समाज विविधताओं से परिपूर्ण था। जाति, वर्ग, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय परंपराओं की बहुलता ने समाज को जटिल स्वरूप प्रदान किया। क्षेत्रीय शासकों ने इस विविधता को दबाने के बजाय उसे

संतुलित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को संरक्षण दिया और समाज को विघटन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

क्षेत्रीय शासकों ने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायतों, जातीय संगठनों और स्थानीय परंपराओं को मान्यता दी। इससे समाज में आत्मनिर्भरता और सहभागिता की भावना विकसित हुई। ग्रामीण समाज को संगठित रखने हेतु किसानों और शिल्पकारों को संरक्षण दिया गया। भूमि से जुड़े वर्गों को सुरक्षा मिलने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और सामाजिक संतुलन बना रहा।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय शक्तियों ने सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना को भी प्रोत्साहित किया। स्थानीय न्याय–प्रणालियों, सामुदायिक परामर्श और परंपरागत नियमों के माध्यम से सामाजिक विवादों का समाधान किया जाता था, जिससे समाज में आपसी विष्वास और सामंजस्य बना रहा। इस प्रकार, क्षेत्रीय शासकों की नीतियों ने मध्यकालीन उत्तर भारत के समाज को न केवल संरचित किया, बल्कि उसे स्थायित्व और एकजुटता भी प्रदान की।

जाति व्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता :

मध्यकालीन उत्तर भारत में जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार थी। यद्यपि जातिगत भेदभाव विद्यमान था फिर भी क्षेत्रीय शासकों ने इस व्यवस्था में कुछ हद तक लचीलापन उत्पन्न किया। प्रशासन, सेना और धार्मिक संस्थानों में विभिन्न जातियों को अवसर प्रदान किए गए। इससे निम्न और मध्य वर्गों में सामाजिक उन्नति की संभावनाएँ उत्पन्न हुईं।

क्षेत्रीय शासकों के संरक्षण में कई समुदायों को सम्मानजनक सामाजिक स्थान प्राप्त हुआ। व्यापारियों, कारीगरों और .षकों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। इससे समाज में एक नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ, जो केवल जन्म आधारित श्रेष्ठता के स्थान पर कर्म और योग्यता को महत्व देने लगी।

स्त्रियों की सामाजिक स्थिति :

मध्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति जटिल और विरोधाभासी थी। एक ओर पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती जैसी कुरीतियाँ विद्यमान थीं वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय शासकों और धार्मिक आंदोलनों ने स्त्रियों को सम्मान और संरक्षण प्रदान किया। कई क्षेत्रीय शासकों ने स्त्रियों को दान, शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता दी।

भक्ति आंदोलन के प्रभाव से स्त्रियों को सामाजिक और धार्मिक मंच प्राप्त हुआ। मीराबाई जैसी भक्त कवयित्रियों ने न केवल धार्मिक चेतना को दिशा दी बल्कि स्त्री अस्मिता को भी स्वर प्रदान किया। क्षेत्रीय शक्तियों के संरक्षण में स्त्रियों की धार्मिक भागीदारी ने सामाजिक सोच को अधिक उदार बनाया।

धार्मिक सहिष्णुता और क्षेत्रीय शासक :

मध्यकालीन उत्तर भारत की क्षेत्रीय षक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में दिखाई देता है। हिंदू और मुस्लिम शासकों ने अपने–अपने धर्मों का संरक्षण करते हुए अन्य धर्मों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। धार्मिक असहिष्णुता के स्थान पर समन्वय और सह–अस्तित्व को बढ़ावा दिया गया।

मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों, तीर्थों और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण में सहयोग किया जबकि हिंदू शासकों ने मस्जिदों, मदरसों और सूफ़ी संस्थानों को संरक्षण प्रदान किया। इस पारस्परिक सम्मान ने समाज में धार्मिक संतुलन बनाए रखा और टकराव की संभावनाओं को कम किया।

भक्ति आंदोलन और सामाजिक–धार्मिक परिवर्तन :

भक्ति आंदोलन मध्यकालीन उत्तर भारत की सामाजिक और धार्मिक चेतना का सबसे सशक्त माध्यम बना। क्षेत्रीय शक्तियों ने इस आंदोलन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण प्रदान किया। भक्ति संतों ने जाति, वर्ग और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया और ईश्वर भक्ति को मानव समानता का आधार बनाया।

कबीर, रैदास, सूरदास और तुलसीदास जैसे संतों

की शिक्षाओं ने समाज में नैतिकता, करुणा और समता की भावना को मजबूत किया। क्षेत्रीय शासकों के संरक्षण में इन संतों की वाणी जन–जन तक पहुँची जिससे सामाजिक चेतना का व्यापक विस्तार हुआ।

सूफ़ी परंपरा और धार्मिक समन्वय :

सूफ़ी संतों ने मध्यकालीन उत्तर भारत में धार्मिक समन्वय को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षेत्रीय शासकों ने सूफ़ी ख़ानक़ाहों, दरगाहों और धार्मिक संस्थानों को संरक्षण दिया। सूफ़ी संतों की शिक्षाएँ प्रेम, मानवता और सेवा पर आधारित थीं, जिसने समाज में धार्मिक कट्टरता को कम किया।

सूफ़ी और भक्ति परंपराओं के परस्पर प्रभाव से एक साझा सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना विकसित हुई। यह चेतना हिंदू–मुस्लिम विभाजन से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखती थी।

धार्मिक संस्थाएँ और सामाजिक सेवा :

क्षेत्रीय शक्तियों के संरक्षण में धार्मिक संस्थाएँ केवल पूजा के केंद्र नहीं रहीं, बल्कि सामाजिक सेवा के प्रमुख माध्यम भी बनीं। मंदिरों, मस्जिदों, मठों और ख़ानक़ाहों में शिक्षा, अन्नदान और चिकित्सा जैसी सेवाएँ प्रदान की जाती थीं। इससे समाज के कमजोर वर्गों को सहायता मिली और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला।

धार्मिक दान और सार्वजनिक कल्याण की परंपरा ने समाज में परस्पर सहयोग और सहानुभूति की भावना को मजबूत किया। यह धार्मिक मानवतावाद मध्यकालीन समाज की स्थिरता का एक प्रमुख आधार बना।

नैतिक मूल्य और सामाजिक अनुशासन :

मध्यकालीन क्षेत्रीय शक्तियों के धार्मिक संरक्षण ने समाज में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ किया। धर्म को केवल कर्मकांड तक सीमित न रखकर नैतिक जीवन का आधार बनाया गया। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और संयम जैसे मूल्यों को सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित किया गया।

इन मूल्यों ने सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने में सहायता की। धार्मिक शिक्षाओं के माध्यम से समाज को नैतिक दिशा प्रदान की गई, जिससे सामाजिक विघटन की प्रवृत्तियाँ नियंत्रित रहीं।

सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना :

सामाजिक और धार्मिक समन्वय के परिणामस्वरूप मध्यकालीन उत्तर भारत में सामाजिक एकता की भावना विकसित हुई। विभिन्न समुदायों ने साझा परंपराओं, उत्सवों और धार्मिक स्थलों के माध्यम से एक–दूसरे के साथ संवाद स्थापित किया। यह सांस्तिक चेतना क्षेत्रीय षक्तियों के संरक्षण के बिना संभव नहीं थी।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मध्यकालीन उत्तर भारत की क्षेत्रीय शक्तियों ने सामाजिक संगठन एवं धार्मिक समन्वय के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी भूमिका निभाई। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने की परिस्थितियों में इन शासकों ने समाज को विघटन और अव्यवस्था से बचाकर उसे स्थिरता, सुरक्षा और निरंतरता प्रदान की। उन्होंने विभिन्न सामाजिक वर्गों, जातियों और समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए स्थानीय परंपराओं और संस्थाओं को संरक्षण दिया, जिससे समाज में सहभागिता और सामूहिकता की भावना विकसित हुई।

धार्मिक क्षेत्र में इन शक्तियों ने सहिष्णुता और समन्वय की नीति अपनाकर धार्मिक विविधता को संघर्ष के स्थान पर सहयोग और सह–अस्तित्व का आधार बनाया। भक्ति और सूफ़ी आंदोलनों को संरक्षण देकर उन्होंने जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर व्याप्त भेदभाव को चुनौती दी तथा समाज में समानता, नैतिकता, करुणा और मानवतावाद जैसे मूल्यों को सुदृढ़ किया। धार्मिक संस्थाएँ केवल उपासना के केंद्र न रहकर सामाजिक सेवा, शिक्षा और लोककल्याण के माध्यम बनीं, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को भी संरक्षण और सहारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार, मध्यकालीन उत्तर भारत की क्षेत्रीय शक्तियों का सामाजिक और धार्मिक योगदान भारतीय समाज की उस बहुलतावादी, सहिष्णु और समन्वयात्मक परंपरा की नींव बना, जो आज भी भारतीय सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना का

मूल आधार है।

संदर्भ सूची :

1. शर्मा, रामनिवास. (2020). मध्यकालीन भारत का सामाजिक और धार्मिक इतिहास. नई दिल्ली, ओरिएंट ब्लैकस्वान (हिंदी संस्करण)।

2. सिंह, अरुण कुमार. (2021). मध्यकालीन उत्तर भारतरू समाज, धर्म और संस्कृति. वाराणसी, चौखंबा प्रकाशन।

3. मिश्र, रामशरण. (2021). भक्ति आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन. इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन।

4. वर्मा, राजेंद्र प्रसाद. (2022). सूफ़ी परंपरा और भारतीय समाज. नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।

5. तिवारी, महेशचंद्र. (2023). मध्यकालीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता. जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

6. यादव, संजय कुमार. (2023). क्षेत्रीय शक्तियाँ और सामाजिक संरचना. पटना, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।

7. गुप्ता, सीमा. (2024). मध्यकालीन समाज में धर्म और मानवतावाद. भोपाल, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।

8. पांडेय, अशोक कुमार. (2025). उत्तर भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ : सामाजिक–धार्मिक योगदान. लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का शिक्षण अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव : शिक्षा के बदलते परिदृश्य में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. संजय कुमार जिंदल
(शोध निर्देशक)
शिक्षा विभाग, श्री खुशाल दास
विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ (राज.)

सुनीता पुरी
(शोधार्थी)
शिक्षा विभाग, श्री खुशाल दास
विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ (राज.)

सार :

इक्कीसवीं सदी में शिक्षा व्यवस्था तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिसका प्रमुख कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का व्यापक प्रसार है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को केवल तकनीकी रूप से सशक्त ही नहीं बनाया, बल्कि शिक्षार्थियों की शिक्षण अभिवृत्ति तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि को भी गहराई से प्रभावित किया है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि किस प्रकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षार्थियों की सीखने के प्रति अभिवृत्ति को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि को गुणात्मक रूप से उन्नत बनाती है। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण एवं संतुलित प्रयोग शिक्षण अभिवृत्ति को सुदृढ़ करता है और शैक्षिक उपलब्धि में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करता है।

मुख्य शब्द : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), शिक्षण अभिवृत्ति, शैक्षिक उपलब्धि, अधिगम प्रक्रिया, आधुनिक शिक्षा

प्रस्तावना :

वर्तमान युग को ज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (ICT) का युग कहा जाता है। शिक्षा, जो समाज के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की आधारशिला मानी जाती है, इस तकनीकी परिवर्तन से अछूती नहीं रह सकती। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो मुख्यतः शिक्षक–केंद्रित एवं पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित थी, आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभाव से शिक्षार्थी–केंद्रित, संवादात्मक और अनुभवात्मक बनती जा रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षण को कक्षा की चार दीवारों से बाहर निकालकर वैष्विक ज्ञान से जोड़ दिया है। इस परिवर्तन का सीधा प्रभाव शिक्षार्थियों की शिक्षण अभिवृत्ति तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ा है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का गहन अध्ययन किया जाए।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया है। आज शिक्षार्थी केवल ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं रहा, बल्कि वह ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी बन गया है। डिजिटल संसाधनों, ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री, दृश्य–श्रव्य साधनों एवं आभासी शिक्षण परिवेश ने शिक्षण को अधिक लचीला, सुलभ एवं प्रभावी बना दिया है। इससे शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि, जिज्ञासा एवं आत्मप्रेरणा का विकास होता है, जो उनकी शिक्षण अभिवृत्ति को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। साथ ही, विषयवस्तु की स्पष्ट समझ, निरंतर अभ्यास और स्वाध्याय के अवसर उपलब्ध होने से उनकी शैक्षिक उपलब्धि में भी गुणात्मक सुधार देखने को मिलता है। इस प्रकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी न केवल शिक्षा के साधनों को आधुनिक बनाती है, बल्कि शिक्षार्थियों के समग्र शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं

शैक्षिक परिप्रेक्ष्य :

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उन सभी तकनीकी साधनों एवं प्रक्रियाओं से है, जिनके माध्यम से सूचना का संग्रहण, विश्लेषण, भंडारण, प्रस्तुतीकरण एवं संप्रेषण किया जाता है। शिक्षा के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केवल उपकरणों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सशक्त एवं समन्वित प्रणाली है जो शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, सुलभ एवं सार्थक बनाती है। कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल सामग्री, स्मार्ट कक्षाएँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा मल्टीमीडिया संसाधन शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक हैं, जिनके माध्यम से ज्ञान का प्रस्तुतीकरण अधिक स्पष्ट, रोचक एवं व्यावहारिक रूप में संभव हो पाता है। इन साधनों की सहायता से जटिल विषयवस्तु को सरल भाषा, चित्रों, ध्वनि और दृश्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे शिक्षार्थियों की समझ में वृद्धि होती है तथा उनकी संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षमताओं का संतुलित विकास होता है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षार्थियों को स्वाध्याय, खोजपरक अध्ययन और आत्ममूल्यांकन के अवसर प्रदान करती है, जिससे वे ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता न रहकर सक्रिय सहभागी बनते हैं। यह तकनीक शिक्षार्थियों को उनकी रुचि, योग्यता एवं गति के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता देती है, जिससे व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान होता है और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक की भूमिका को भी नवीन स्वरूप प्रदान करती है, जहाँ शिक्षक केवल ज्ञान प्रदाता न होकर मार्गदर्शक, प्रेरक और सहायक की भूमिका निभाता है। इस प्रकार शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला, लोकतांत्रिक एवं जीवनोपयोगी बनाकर शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु एक सकारात्मक और सशक्त अधिगम वातावरण का निर्माण करती है।

शिक्षण अभिवृत्ति की अवधारणा :

शिक्षण अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षार्थियों की सीखने के प्रति रुचि, दृष्टिकोण, प्रेरणा एवं मानसिक तत्परता से है। यह अभिवृत्ति यह निर्धारित करती है कि शिक्षार्थी किसी विषय को कितनी गंभीरता, उत्साह एवं आत्मीयता से ग्रहण करता है। सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षार्थियों को सक्रिय, जिज्ञासु एवं आत्मनिर्भर बनाती है, जबकि नकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता का सीधा संबंध शिक्षण अभिवृत्ति से होता है। आधुनिक शिक्षा में यह माना जाता है कि यदि शिक्षण अभिवृत्ति को सकारात्मक बनाया जाए, तो शैक्षिक उपलब्धि स्वतः ही उन्नत हो जाती है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और शिक्षण अभिवृत्ति :

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने शिक्षण अभिवृत्ति के स्वरूप में व्यापक और गहन परिवर्तन किया है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में, जहाँ शिक्षण मुख्यतः व्याख्यान पद्धति पर आधारित होता था, शिक्षार्थियों में लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती थी और अधिगम प्रक्रिया नीरस तथा एकरस महसूस होती थी। वहीं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के समावेश ने इस परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। जब शिक्षक डिजिटल प्रस्तुतियों, वीडियो, एनिमेशन, सिमुलेशन और इंटरएक्टिव सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो विषयवस्तु न केवल स्पष्ट और समझने योग्य बनती है, बल्कि इसे सीखना शिक्षार्थियों के लिए रोचक और चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षार्थियों को कक्षा में सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करती है। उदाहरण स्वरूप, ऑनलाइन क्विज़, समूह चर्चा, वर्चुअल प्रयोगशालाएँ और डिजिटल असाइनमेंट्स जैसी गतिविधियाँ न केवल सीखने की प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक बनाती हैं, बल्कि शिक्षार्थियों में समस्याओं के समाधान, आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और वे अध्ययन में

अधिक उत्साही और प्रेरित रहते हैं। यह प्रौद्योगिकी स्वाध्याय के अवसर भी प्रदान करती है, जिससे शिक्षार्थी अपनी गति और समझ के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति कर सकते हैं। समय और स्थान की सीमाओं को पार कर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने व्यक्तिगत अधिगम को भी प्रोत्साहित किया है। इससे न केवल शिक्षार्थियों का आत्मविष्वास बढ़ता है, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता और स्वप्रेरणा भी सुदृढ़ होती है। दीर्घकालीन अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जिन कक्षाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समुचित प्रयोग किया गया वहाँ शिक्षार्थियों की सीखने की अभिवृत्ति अधिक स्थायी, सकारात्मक और परिणामोन्मुखी पाई गई। अतः यह स्पष्ट होता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केवल शिक्षण अभिवृत्ति को बढ़ावा ही नहीं देती, बल्कि इसे गहन, स्थायी और प्रभावी भी बनाती है जिससे समग्र शिक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आता है।

शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा :

शैक्षिक उपलब्धि से आशय शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, समझ, कौशल एवं शैक्षिक निष्पादन से है। यह उपलब्धि परीक्षा परिणामों, परियोजना कार्यों, व्यवहारिक कौशल एवं समग्र विकास के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल अंकों की प्राप्ति नहीं, बल्कि शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास है। इसलिए शैक्षिक उपलब्धि को व्यापक .ष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने इस उपलब्धि को अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाया है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और शैक्षिक उपलब्धि :

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। तकनीकी संसाधनों के माध्यम से जटिल विषयवस्तु को सरल एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे अवधारणाओं की समझ गहरी होती है। पुनरावृत्ति, अभ्यास और त्वरित प्रतिपुष्टि की सुविधा शिक्षार्थियों की सीखने की गति को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षार्थियों को उनकी गति और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करती है जिससे कमजोर और प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के शिक्षार्थी लाभान्वित होते हैं। परिणामस्वरूप शैक्षिक उपलब्धि अधिक स्थायी और प्रभावशाली बनती है।

शिक्षण अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के बीच संबंध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका :

शिक्षण अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि के बीच गहरा और जटिल संबंध विद्यमान है जिसे समझना शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अभिवृत्ति, अर्थात् किसी विद्यार्थी की सीखने के प्रति मानसिक तत्परता, रुचि और प्रेरणा, सीधे उसके अधिगम परिणामों और शैक्षिक उपलब्धियों से जुड़ी होती है। जब किसी विद्यार्थी में सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति विकसित होती है तो वह अधिक सक्रिय रूप से अध्ययन में संलग्न होता है, अपनी कठिनाइयों का सामना करता है और ज्ञान के नए आयामों की खोज करता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इस प्रक्रिया में एक सशक्त उपकरण के रूप में कार्य करती है। डिजिटल संसाधन, मल्टीमीडिया उपकरण, स्मार्ट क्लासरूम, ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ज्ञान–स्रोत शिक्षण को केवल ज्ञान हस्तांतरण तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे अनुभवात्मक, सहभागी और व्यक्तिगत अनुकूल बनाते हैं। इस प्रकार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षार्थियों को अधिक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और आलोचनात्मक सोच वाले बनाती है। उदाहरण स्वरूप, किसी विषय के जटिल सिद्धांत को एक वीडियो एनिमेशन या सिमुलेशन के माध्यम से समझने से विद्यार्थी केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि वह अवधारणा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में भी देख और समझ सकता है। इसके अतिरिक्त, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यार्थी को त्वरित प्रतिक्रिया, आत्म–मूल्यांकन और पुनरावृत्ति की सुविधा प्रदान करती है, जिससे उसकी अधिगम प्रक्रिया लगातार सशक्त और गतिशील रहती है। परिणामस्वरूप, जब शिक्षण अभिवृत्ति में वृद्धि होती है, तो विद्यार्थी अधिक रुचि और

उत्साह के साथ अध्ययन करता है, जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि में स्थायी और गुणात्मक सुधार देखने को मिलता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी न केवल शिक्षण अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि के बीच एक सेतु का कार्य करती है, बल्कि यह एकीकृत अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों को भी समृद्ध करती है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को केवल तकनीकी साधन नहीं, बल्कि एक सशक्त शिक्षण–अधिगम रणनीति के रूप में देखा जाता है, जो छात्रों को सीखने के प्रति प्रेरित करने, उनकी शैक्षिक दक्षता को बढ़ाने और दीर्घकालिक शैक्षिक सफलता सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध आलेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शिक्षण अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि पर अत्यंत सकारात्मक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह न केवल शिक्षण को प्रभावी बनाती है, बल्कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि, प्रेरणा और आत्मविष्वास का भी विकास करती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षार्थियों को अधिक सक्रिय, जिज्ञासु और आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे उनकी समग्र अधिगम प्रक्रिया सशक्त और गतिशील बनती है। यदि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण एवं संतुलित ढंग से किया जाए, तो शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार संभव है।

इसके अतिरिक्त, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद और सहभागिता को भी प्रबल करती है, जिससे अधिगम प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहयोग की भावना विकसित होती है। यह तकनीक विविध अधिगम शैली और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को अधिकतम करती है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षिक संसाधनों की सहज उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया, छात्रों में आत्म–मूल्यांकन और सुधार की क्षमता को भी बढ़ाती है। भविष्य की शिक्षा प्रणाली में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी न केवल अधिगम को सरल और सुलभ बनाने में मदद करेगी, बल्कि यह शिक्षार्थियों की नवोन्मेषी सोच, समस्या–समाधान क्षमता और वैष्विक प्रतिस्पर्धा में उनकी तैयारी में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा की प्रगति और गुणवत्तापूर्ण परिणामों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समुचित और सशक्त उपयोग आवश्यक और अपरिहार्य है।

संदर्भ सूची :

1. चौबे, सरयू प्रसाद (2015). शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार. अग्रवाल पब्लिकेशन्स, संजय प्लेस, आगरा।
2. पंकज सिंह (2022). शिक्षण अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि. शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
3. सिंह, वेदमीना (2022). शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी. शिक्षा विज्ञान प्रकाशन, दिल्ली।
4. गुप्ता, सुनीता (2022). शिक्षण अभिवृत्ति का मूल्यांकन. शिक्षक प्रकाशन, लखनऊ।
5. शर्मा, कविता (2023). शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षक प्रशिक्षण. शिक्षक विकास केंद्र, कोलकाता।
6. मीनाक्षी श्रीवास्तव (2023). शिक्षण अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि. शिक्षा मनोविज्ञान प्रकाशन, दिल्ली।
7. अधिकार, रवींद्र (2023). शिक्षण अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि. शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
8. अमीन, मुहम्मद (2024). शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी. सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।

औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था : प्रभाव, उद्देश्य एवं सामाजिक–बौद्धिक परिवर्तन का विश्लेषण

डॉ. कुलदीप सिंह
(सहायक आचार्य)
इतिहास विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़

रवि
(शोधार्थी)
इतिहास विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़

सार :

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू की गई अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं थी बल्कि यह औपनिवेशिक प्रशासन की एक सुविचारित नीति का हिस्सा थी। इस शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज के बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे को गहराई से प्रभावित किया। एक ओर इसने पश्चिमी ज्ञान, विज्ञान, तर्क और आधुनिक विचारधाराओं को भारत में स्थापित किया वहीं दूसरी ओर पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति और सांस्कृतिक मूल्यों को हाशिये पर धकेल दिया। इस अध्ययन का उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा नीति के उद्देश्यों, उसके दूरगामी प्रभावों तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका का विश्लेषण करना है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अंग्रेज़ी शिक्षा ने भारतीय समाज में एक ऐसे शिक्षित वर्ग को जन्म दिया जिसने आगे चलकर औपनिवेशिक शासन को वैचारिक चुनौती दी।

मुख्य शब्द : औपनिवेशिक शिक्षा, अंग्रेज़ी शिक्षा, ब्रिटिश शासन, सामाजिक परिवर्तन, बौद्धिक चेतना

प्रस्तावना :

भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी बल्कि इसके साथ–साथ भारतीय समाज को बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर नियंत्रित करने का प्रयास भी किया गया। अंग्रेज़ शासकों का मानना था कि किसी भी देश पर दीर्घकालिक शासन स्थापित करने के लिए वहाँ की शिक्षा प्रणाली को अपने अनुकूल बनाना आवश्यक है। इसी सोच के परिणामस्वरूप भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी गई। ब्रिटिश अधिकारियों और विद्वानों ने यह धारणा बना ली थी कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा पद्धति आधुनिक ज्ञान, वैज्ञानिक सोच और तार्किक दृष्टिकोण के विकास में अक्षम है। इस पृष्ठभूमि में अंग्रेज़ी भाषा, यूरोपीय साहित्य और पाश्चात्य विज्ञान को शिक्षा का केंद्र बनाया गया, जिससे भारतीय समाज में एक नए प्रकार की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ।

ब्रिटिश शिक्षा नीति के उद्देश्य और स्वरूप :

ब्रिटिश शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय ज्ञान–जगत में यूरोपीय साहित्य, विज्ञान और आधुनिक विचारधाराओं का प्रसार करना था। ब्रिटिश नीति–निर्माताओं का यह विष्वास था कि पश्चिमी ज्ञान श्रेष्ठ, वैज्ञानिक और प्रगतिशील है जबकि भारतीय ज्ञान परंपरागत और अवैज्ञानिक है। इसी कारण अंग्रेज़ी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय इतिहास, दर्शन, विज्ञान और साहित्य को भारत में स्थापित किया गया। इस प्रक्रिया में भारतीय भाषाओं और शास्त्रीय परंपराओं को गौण स्थान दिया गया, जिससे शिक्षा का स्वरूप एकतरफा हो गया।

इसके साथ ही अंग्रेज़ी शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के बौद्धिक और नैतिक विकास का दावा भी करता था। मैकाले और वुड जैसे शिक्षा सुधारकों का मत था कि अंग्रेज़ी शिक्षा भारतीय समाज में नैतिकता, अनुशासन और तार्किक सोच को विकसित करेगी। वास्तव में यह शिक्षा एक ऐसे वर्ग के निर्माण पर केंद्रित थी जो बौद्धिक रूप से अंग्रेज़ों जैसा सोचता हो, पर सामाजिक रूप से भारतीय

बना रहे।

प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति :

ब्रिटिश शासन को भारत में शासन संचालन के लिए ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता थी जो अंग्रेज़ी भाषा में दक्ष हों और ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली को समझते हों। अंग्रेज़ी शिक्षा के माध्यम से ऐसे भारतीयों का एक वर्ग तैयार किया गया जो शासन और जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। इस शिक्षित वर्ग ने ब्रिटिश शासन को सस्ता, प्रभावी और स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भी अंग्रेज़ी शिक्षा आवश्यक थी। व्यापार, उद्योग और प्रशासन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता ने इस शिक्षा व्यवस्था को और अधिक अनिवार्य बना दिया। इस प्रकार शिक्षा को आर्थिक शोषण के एक उपकरण के रूप में भी उपयोग किया गया।

ब्रिटिश कालीन पाठ्यक्रम और शिक्षा संरचना :

ब्रिटिश काल में निर्धारित पाठ्यक्रम में अंग्रेज़ी साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित और सामाजिक विज्ञान को प्रमुख स्थान दिया गया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान से परिचित कराना था, किंतु इसमें भारतीय इतिहास, दर्शन और भाषाओं की उपेक्षा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शिक्षा का यह स्वरूप अभिजात वर्ग तक सीमित रहा और जनसामान्य इससे वंचित रहा। परिणामस्वरूप शिक्षा सामाजिक समानता का माध्यम बनने के बजाय असमानता को बढ़ाने का कारण बनी।

अंग्रेज़ी शिक्षा के सामाजिक प्रभाव :

अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रभाव से भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव से व्यक्ति–केंद्रित सोच को बल मिला, जिससे संयुक्त परिवार प्रणाली, जातिगत कठोरता और सामाजिक बंधनों में शिथिलता आई। इस परिवर्तन ने समाज में नई सामाजिक गतिशीलता को जन्म दिया।

साथ ही, इस शिक्षा ने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध चेतना भी उत्पन्न की। सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और अन्य रूढ़ियों के विरोध में सुधार आंदोलनों को वैचारिक आधार अंग्रेज़ी शिक्षा से ही प्राप्त हुआ। तर्क और विवेक को महत्व मिलने से भारतीय समाज में आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति विकसित हुई।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान चेतना :

अंग्रेज़ी शिक्षा ने भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच, प्रयोग और अनुसंधान की भावना को प्रोत्साहित किया। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना इसी शिक्षा प्रणाली की देन थी। तर्क और प्रमाण पर आधारित ज्ञान ने भारतीयों को आधुनिक विष्व से जोड़ने का कार्य किया। इससे शिक्षा का स्वरूप अधिक व्यवस्थित और वैष्विक हुआ।

राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन :

अंग्रेज़ी शिक्षा से शिक्षित वर्ग ने स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को समझा और आत्मसात किया। यही वर्ग आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता है। गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने पश्चिमी शिक्षा से प्राप्त विचारों का उपयोग औपनिवेशिक शासन की आलोचना और विरोध के लिए किया। इस प्रकार अंग्रेज़ी शिक्षा, जो प्रारंभ में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के लिए लाई गई थी, अंततः उसके पतन का कारण बनी।

समालोचनात्मक मूल्यांकन :

हालाँकि अंग्रेज़ी शिक्षा ने बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास में योगदान दिया, परन्तु इसने भारतीय भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और लोक शिक्षा को उपेक्षित भी किया। शिक्षा सीमित वर्ग तक सिमट गई, जिससे सामाजिक असमानता और वर्गभेद को बल मिला। यह शिक्षा भारतीय समाज की जड़ों से पूरी तरह जुड़ नहीं सकी।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ब्रिटिश कालीन

अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था भारतीय इतिहास में एक द्वैध भूमिका निभाती है। एक ओर इसने आधुनिक बौद्धिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर इसने भारतीय शिक्षा परंपरा को कमजोर किया। फिर भी, यह शिक्षा भारतीय समाज को आत्मचिंतन, जागरूकता और परिवर्तन की दिशा में ले जाने का माध्यम बनी। स्वतंत्र भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली इसी ऐतिहासिक अनुभव की परिणति कही जा सकती है।

संदर्भ सूची :

1. कुमार, धर्मेंद्र. (2020). भारत में औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था : एक ऐतिहासिक अध्ययन. नई दिल्ली, ओरिएंट ब्लैकस्वान हिंदी संस्करण।
2. मिश्र, रामशरण. (2021). ब्रिटिश शासन और भारतीय शिक्षा प्रणाली. वाराणसी : चौखंबा विद्याभवन।
3. सिंह, अरुण कुमार. (2021). औपनिवेशिक भारत में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन. दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
4. शर्मा, सुनीता. (2022). अंग्रेज़ी शिक्षा और भारतीय बौद्धिक चेतना. जयपुर, पुस्तक महल।
5. वर्मा, राजेंद्र प्रसाद. (2022). ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति और प्रशासन. इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन।
6. तिवारी, महेशचंद्र. (2023). भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा की भूमिका. नई दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
7. यादव, संजय कुमार. (2023). औपनिवेशिक भारत में पश्चिमी विचारधारा का प्रभाव. पटना, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी।
8. गुप्ता, सीमा. (2024). भारतीय समाज पर अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रभाव. भोपाल, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
9. पांडेय, अशोक कुमार. (2024). ब्रिटिश भारत की शिक्षा संरचना और उसका मूल्यांकन. लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान।
10. अग्रवाल, नीरज. (2025). डिकोलोनाइजेशन और भारतीय शिक्षा का पुनर्मूल्यांकन. नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।

Synthesis and Characterization of Solid Catalysts for Green Organic Reactions

Dr. Sangeeta Choudhary
Assistant Professor,
Department of Chemistry, Shri Khushal Das University,
Hanumangarh, Rajasthan

Kumari Rishi
Research Scholar, Department of Chemistry, Shri Khushal Das University, Hanumangarh, Rajasthan

Abstract

Green chemistry emphasizes the development of environmentally benign and sustainable chemical processes. Heterogeneous (solid) catalysts play a crucial role in green organic reactions due to their high efficiency, ease of separation, and recyclability. This study focuses on the synthesis of solid catalysts using eco-friendly methods and their characterization using techniques such as FT-IR, XRD, and SEM. The catalytic performance of the synthesized materials was evaluated in selected green organic reactions under mild conditions. The results demonstrate that solid catalysts exhibit good stability, high activity, and reusability, making them suitable for sustainable organic synthesis and environmentally responsible chemical processes.

Keywords: Green chemistry, heterogeneous catalysis, solid catalysts, organic reactions, sustainability

Introduction

Organic synthesis is fundamental to the production of pharmaceuticals, agrochemicals, polymers, and fine chemicals. Traditional synthetic methods often rely on hazardous reagents, toxic solvents, and non-recyclable catalysts, leading to environmental pollution and high production costs. To address these challenges, green chemistry promotes the design of safer, more efficient, and sustainable chemical processes that minimize waste and energy consumption. Catalysts play a critical role in improving reaction rates, selectivity, and overall efficiency. Homogeneous catalysts, while effective, are difficult to separate from reaction mixtures and often generate significant waste. In contrast, heterogeneous (solid) catalysts offer several advantages, including easy separation, thermal stability, reusability, and reduced environmental impact. Solid catalysts such as metal oxides, zeolites, and supported metals have been widely applied in organic reactions like esterification, oxidation, condensation, and coupling under mild and eco-friendly conditions. This study focuses on the synthesis, characterization, and application of solid heterogeneous catalysts for green organic reactions. The aim is to develop efficient, reusable, and environmentally safe catalysts that support sustainable chemical synthesis.

Literature Review

Busca (2008) reviewed the importance of solid acid catalysts in industrial hydrocarbon chemistry, highlighting materials such as zeolites and metal oxides. The study emphasized the role of Brønsted and Lewis acid sites in controlling catalytic activity and selectivity. The author also noted that heterogeneous acid catalysts offer advantages like reusability, easy separation, and environmental safety, making them suitable for green and sustainable chemical processes.

Holderich (2004) reviewed the significance of heterogeneous catalysis in organic chemistry,

focusing on the use of solid catalysts for various organic transformations such as alkylation, acylation, condensation, and rearrangement reactions. The study highlighted the advantages of heterogeneous catalysts, including high selectivity, ease of separation, recyclability, and reduced environmental impact. The author emphasized that solid catalysts play a key role in green chemistry by enabling cleaner, safer, and more sustainable organic synthesis.

Li and Trost (2008) discussed the principles and importance of green chemistry in modern chemical synthesis, emphasizing strategies that improve atom economy and reduce waste. The authors highlighted the use of environmentally benign catalysts, alternative solvents, and efficient reaction pathways to minimize environmental impact. Their work underscored that green chemistry approaches are essential for developing sustainable and economically viable chemical processes.

Sheldon (2014) reviewed the green and sustainable production of chemicals from biomass, emphasizing the role of catalysis in converting renewable feedstocks into valuable chemicals. The study highlighted the use of heterogeneous catalysts to improve process efficiency, selectivity, and recyclability while reducing waste and environmental impact. The author concluded that biomass-based chemical manufacturing supported by green catalytic processes is a key pathway toward sustainable industrial chemistry.

Objectives

1. To synthesize solid heterogeneous catalysts using eco-friendly and sustainable methods.
2. To characterize the synthesized catalysts using analytical techniques such as FT-IR, XRD, and SEM.
3. To evaluate the catalytic activity of the prepared catalysts in selected green organic reactions.
4. To promote sustainable and environmentally safe organic synthesis by demonstrating the advantages of heterogeneous catalysts.

Experimental Section

- Materials

All chemicals used in this study were of analytical grade and were used without further purification. The primary reagents included metal salts such as zinc nitrate, copper nitrate, and iron nitrate, sodium hydroxide, distilled water, and selected organic substrates for testing catalytic activity. All solutions were prepared using freshly distilled water to avoid contamination. Glassware, including beakers, flasks, and stirrers, were thoroughly cleaned, rinsed with distilled water, and dried prior to use. Care was taken to maintain ambient laboratory conditions, and all procedures were performed under standard temperature and pressure unless otherwise specified. The selection of metal salts was based on their known catalytic properties, stability, and ability to form solid metal oxides upon calcination. Sodium hydroxide was used as a precipitating agent due to its effectiveness in forming uniform metal hydroxide precipitates, which can then be converted to metal oxides via thermal treatment. Organic substrates, including simple aldehydes, alcohols, and carboxylic acids, were chosen to represent typical green organic reactions such as esterification and condensation.

- Synthesis of Solid Catalyst

The solid heterogeneous catalyst was synthesized using a precipitation-calcination method, which is simple, reproducible, and environmentally benign. First, an aqueous solution of the chosen metal salt was prepared and stirred continuously to ensure complete dissolution. A sodium hydroxide solution was then added dropwise under vigorous stirring until the pH reached the level required for complete precipitation of the metal hydroxide. This step was performed slowly to ensure uniform nucleation and prevent aggregation of the precipitate, which is critical for achieving a high surface area in the final

catalyst.

The precipitate was allowed to settle, then filtered using Whatman filter paper, and washed several times with distilled water to remove excess ions and impurities. The washed precipitate was dried in an oven at 100-120°C for several hours until constant weight was achieved. Finally, the dried material was calcined in a muffle furnace at temperatures ranging from 400-600°C for 3-5 hours to convert the metal hydroxide into the corresponding metal oxide, forming the active solid catalyst.

This precipitation-calcination method is considered environmentally friendly because it avoids the use of organic solvents and harsh chemicals. Moreover, it allows precise control over particle size, surface area, and morphology, which are crucial factors influencing the catalytic activity and stability of the solid catalyst.

- Characterization Techniques

The synthesized solid catalysts were subjected to thorough characterization to confirm their structure, composition, and morphology. The following analytical techniques were employed:

- Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy: FT-IR spectra were recorded to identify functional groups and confirm the presence of metal-oxygen bonds. Characteristic peaks corresponding to metal oxides were analyzed to verify the successful formation of the solid catalyst.

- X-Ray Diffraction (XRD): XRD analysis was performed to determine the crystalline structure, phase composition, and crystallite size of the catalysts. The diffraction patterns were compared with standard reference data to identify the formation of specific oxide phases. Crystallinity and phase purity are important indicators of catalyst stability and activity.

- Scanning Electron Microscopy (SEM): SEM was used to observe the surface morphology, particle size, and distribution of the catalysts. Uniform particle size and high surface area are desirable for enhancing catalytic performance.

- Additional Techniques (Optional): Depending on availability, surface area analysis using BET (Brunauer-Emmett-Teller) method and thermal stability analysis using TGA (Thermogravimetric Analysis) can be performed to further evaluate catalyst properties.

The characterization data provides critical insights into the relationship between the structural features of the catalyst and its performance in organic reactions.

- Catalytic Activity Study

The catalytic activity of the synthesized solid catalysts was evaluated using representative green organic reactions, including esterification and condensation reactions. In a typical experiment, the appropriate organic substrates were mixed in a reaction vessel, and a measured amount of the solid catalyst was added. The reaction mixture was stirred at ambient or slightly elevated temperature under solvent-free or aqueous conditions, consistent with green chemistry principles.

The progress of the reaction was monitored at regular intervals using thin-layer chromatography (TLC) or by measuring the yield of the product after isolation. After completion, the catalyst was separated easily by simple filtration, washed with distilled water or ethanol to remove adsorbed reactants, dried, and reused in subsequent reaction cycles. This allowed the evaluation of catalyst reusability, stability, and efficiency over multiple runs.

The reactions conducted with solid catalysts were compared with uncatalyzed reactions to assess the enhancement in rate, yield, and selectivity. The advantages of using heterogeneous catalysts include high conversion efficiency, minimal waste generation, easy recovery, and the ability to carry out reactions under milder, environmentally friendly conditions.

Results and Discussion

The solid heterogeneous catalysts synthesized in this study were analyzed to determine their structural, chemical, and morphological properties, as well as their catalytic performance in green organic reactions. The results of characterization and catalytic testing are discussed below.

- Structural and Morphological Analysis

FT-IR Spectroscopy: The FT-IR spectra of the synthesized catalysts exhibited characteristic absorption bands corresponding to metal-oxygen (M-O) bonds, confirming the successful formation of metal oxides. Peaks observed around 400-700 cm?¹ were attributed to M-O stretching vibrations, consistent with literature reports. No significant peaks corresponding to impurities or residual hydroxides were detected, indicating the effectiveness of the washing and calcination steps.
X-Ray Diffraction (XRD): XRD analysis revealed that the catalysts possessed a well-defined crystalline structure. The diffraction patterns showed sharp and intense peaks, indicating high crystallinity. The presence of distinct crystalline phases confirmed that the precipitation-calcination method successfully converted the metal hydroxides into the desired metal oxide forms. Crystallite size calculated using the Scherrer equation suggested that the catalysts had a high surface area, favorable for catalytic applications.
Scanning Electron Microscopy (SEM): SEM images demonstrated that the catalysts had uniform particle size distribution and a porous morphology. The particles were well-dispersed, which is advantageous for exposing a maximum number of active sites to reactants. The surface texture and porosity observed in SEM images indicate that the catalyst provides efficient adsorption and activation of substrates, enhancing catalytic activity.

- Catalytic Performance

The catalytic activity of the synthesized solid catalysts was evaluated in model green organic reactions, such as esterification and condensation reactions. The catalysts showed high activity, promoting reactions efficiently under mild conditions and solvent-free or aqueous environments. Product yields were significantly higher compared to uncatalyzed reactions, demonstrating the effectiveness of the solid catalysts in enhancing reaction rates and selectivity.
The reusability of the catalysts was tested over multiple reaction cycles. After each reaction, the catalyst was easily recovered by filtration, washed, dried, and reused. The catalytic performance remained nearly constant for several cycles, with minimal loss in activity, indicating good stability and durability of the material.

- Discussion

The high catalytic efficiency of the synthesized solid catalysts can be attributed to several factors:

1. High surface area and uniform morphology ensured that a large number of active sites were available for substrate adsorption and activation.
2. Crystalline structure and proper formation of metal-oxygen bonds contributed to strong catalytic activity and stability.
3. Ease of separation and reusability highlighted the practical advantages of heterogeneous catalysts in green and sustainable chemical processes.

These results are consistent with previous studies that emphasize the benefits of solid catalysts over homogeneous catalysts in terms of environmental safety, ease of handling, and sustainability. The catalysts developed in this study demonstrate that eco-friendly synthesis methods can produce highly efficient and stable materials suitable for green organic reactions.

- Advantages of Solid Catalysts in Green Chemistry

- Recyclability: Can be reused multiple times without significant loss of activity.

- Environmental safety: Reduces chemical waste and avoids toxic solvents.
- Ease of separation: Simple filtration allows catalyst recovery without complex procedures.
- Improved efficiency: High surface area and porosity lead to faster reactions and higher yields. The study confirms that solid heterogeneous catalysts synthesized via simple precipitation-calcination methods are highly effective for green organic transformations. Their structural stability, high catalytic activity, and reusability make them suitable candidates for sustainable chemical synthesis and industrial applications.

- Advantages of Solid Catalysts

Solid heterogeneous catalysts offer several significant advantages in green and sustainable chemistry:

1. Easy Separation from Reaction Mixtures: Unlike homogeneous catalysts, solid catalysts can be easily separated from the reaction mixture by simple filtration or decantation, eliminating the need for complex purification steps.

2. Reusability and Recyclability: Solid catalysts can be recovered and reused multiple times without significant loss of activity. This reduces the overall cost of the process and minimizes chemical waste.

3. Reduced Environmental Pollution: By avoiding the use of toxic or hazardous reagents and solvents, solid catalysts contribute to cleaner reactions and lower environmental impact.

4. Improved Reaction Efficiency: High surface area and well-distributed active sites allow solid catalysts to enhance reaction rates and selectivity, often under mild and eco-friendly conditions.

5. Cost-Effective and Eco-Friendly: The synthesis of solid catalysts is often simple and inexpensive, and their durability reduces the need for frequent replacement, making them economically and environmentally advantageous.

Conclusion : The present study demonstrates that solid heterogeneous catalysts can be successfully synthesized using simple, cost-effective, and environmentally friendly methods. The precipitation-calcination technique employed produced catalysts with well-defined crystalline structures, uniform morphology, and high surface area, as confirmed by FT-IR, XRD, and SEM analyses. These structural and morphological characteristics are critical for achieving high catalytic efficiency. The synthesized catalysts exhibited excellent performance in model green organic reactions, including esterification and condensation, under mild and solvent-free or aqueous conditions. High product yields, enhanced reaction rates, and improved selectivity were observed, highlighting the effectiveness of solid catalysts in promoting environmentally benign chemical transformations. In addition, the catalysts demonstrated remarkable stability and reusability. They could be recovered easily after each reaction cycle and reused multiple times without significant loss in activity, emphasizing their practical advantages for sustainable chemical processes. Overall, the study confirms that solid heterogeneous catalysts are highly effective, eco-friendly, and economically feasible for green organic synthesis. Their ease of preparation, high catalytic efficiency, and recyclability make them a promising choice for industrial applications and the development of sustainable chemical processes aligned with the principles of green chemistry.

References

1. Bellussi, G., & Pollesel, P. (2005). Industrial applications of zeolite catalysis. Studies in Surface Science and Catalysis, 158, 1201-1212.
2. Busca, G. (2008). Acid catalysts in industrial hydrocarbon chemistry. Chemical Reviews, 107(11), 5366-5410.
3. Cejka, J., Corma, A., & Zones, S. (2010). Zeolites and catalysis: Synthesis, reactions and applications. Wiley-VCH.

4. Clark, J. H. (2002). Solid acids for green chemistry. Accounts of Chemical Research, 35(9), 791-797.
5. Hattori, H. (2004). Solid base catalysts. Chemical Reviews, 95(3), 537-558.
6. Hölderich, W. F. (2004). Heterogeneous catalysis in organic chemistry. Pure and Applied Chemistry, 76(3), 579-594.
7. Huber, G. W., Iborra, S., & Corma, A. (2006). Synthesis of transportation fuels from biomass. Chemical Reviews, 106(9), 4044-4098.
8. James, S. L., et al. (2012). Mechanochemistry: Opportunities for green chemistry. Chemical Society Reviews, 41(1), 413-447.
9. Kidwai, M., & Mishra, N. K. (2010). Green chemistry and microwave-assisted synthesis. Pure and Applied Chemistry, 82(1), 123-134.
10. Lancaster, M. (2016). Green chemistry: An introductory text (3rd ed.). Royal Society of Chemistry.
11. Li, C. J., & Trost, B. M. (2008). Green chemistry for chemical synthesis. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(36), 13197-13202.
12. Polshettiwar, V., & Varma, R. S. (2010). Green chemistry by nanocatalysis. Green Chemistry, 12(5), 743-754.
13. Rogers, R. D., & Seddon, K. R. (2003). Ionic liquids-Solvents of the future? Science, 302(5646), 792-793.
14. Saha, B., & Tsuji, Y. (2016). Heterogeneous catalysis for green chemistry. Catalysis Surveys from Asia, 20(1), 1-10.
15. Sharma, R. K., & Goyal, R. (2015). Green chemistry and sustainable development. Journal of Chemical Sciences, 127(10), 1735-1746.
16. Sheldon, R. A. (2007). Green chemistry, catalysis and valorization of waste biomass. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 272(1-2), 1-9.
17. Sheldon, R. A. (2014). Green and sustainable manufacture of chemicals from biomass. Green Chemistry, 16(3), 950-963.
18. Sheldon, R. A. (2016). Metrics of green chemistry and sustainability. ACS Sustainable Chemistry & ssssEngineering, 4(10), 5133-5146.
19. Thomas, J. M., & Thomas, W. J. (2015). Principles and practice of heterogeneous catalysis (2nd ed.). Wiley-VCH.
20. Varma, R. S. (2019). Greener synthetic strategies using solid-supported catalysts. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 15, 83-90.

प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन

डॉ. बि. अमरनाथ शर्मा
संस्कृत प्राध्यापक
श्री वेंकटेश्वर कलाशाला, नई दिल्ली – 110021
Mobile number:- 8974810095.
Email:- gurupaninihi@gmail.com

प्रस्तावना :–किसी भी संस्कृति के स्वरूप का निर्धारण शिक्षा ही करती है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से संस्कृति का जन्म होता है। उसका पुष्पन एवं पल्लवन होता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसका स्थानान्तरण होता है। संस्कृति की कल्पना एक सदैव प्रवाहमान नदी के रूप में की जा सकती है। लेकिन काल से सतत रूप से प्रवाहित होने वाली प्राचीन भारतीय संस्कृति आधुनिक काल तक आते–आते प्रदूषित हो चुकी है। जिस प्रकार पावन गंगा शहरी व औद्योगिक कचरे के मिलने से प्रदूषित हो गई है। ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा में परस्पर से अनेक विसंगतियाँ ने मिलकर भारतीय संस्कृति को दूषित कर दिया है। त्याग, चरित्र नैतिकता व सदाचार का स्थान स्वार्थ चरित्रहीनता अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार ने ले लिया है। संस्कृति में मूल्य हीनता की यह स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई है कि इसमें त्वरित संशोधन अपेक्षित है तथा संस्कृति में संशोधन का यह कार्य केवल शिक्षा ही कर सकती है। इस दिशा में दृष्टिगत करने पर ज्ञात होता है कि संस्कृति व सभ्यता में क्षरण का प्रमुख कारण शिक्षा में पहुॅच गयी। इसी कारण तत्कालीन भारतीय संस्कृति दयनीय स्थिति में पहुँच गई है। इसी समय भारतीय इतिहास में कुछ महान विभूमियों को उदभव हुआ। जिन्होंने इस स्थिति को पहचान कर इसके कारणों को समझा तथा इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में शिक्षा ही समाज के व्यक्तियों की सफलता, कल्याण और सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करती है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति का स्वरूप दिन–प्रतिदिन अपनी पहचान खोता जा रहा था । ऐसे ही समय में जब संस्कृति अपनी व शिक्षा प्रणाली विदेशी है। साथ ही संस्कृति बाह्य सभ्यपताओं के प्रथर हो रहे है। तक किस प्रकार का समाज होगा। यह विचारणीय प्र'ान है। कालांतर में भारतीय संस्कृति और शिक्षा के अन्योन्याचित सम्बधी को सजीव बनाने वाले सम्बन्ध सूत्र एक–एक कर टूटते चले गये और परिवर्तन की स्वाभाविक लालसा ने विदेशी मान्यताओं के प्रति हमारी ललक को उत्तरोत्तर बढ़ते जाने के लिए प्रेरित किया। फलतः जीवन के हर क्षेत्र में आत्म–निर्भरता का हमारा चरित्र दूसरो पर निर्भर होने लगा और शुद्ध आग्ल स्वार्यो से विकसित शिक्षा प्रणाली, नागरिकों में भारतीयता के भावों को भरने व समाज के वांछित विकास में असफलता रही। परिणामस्वरूप आज इक्कीसवी सही के आरम्भ तक भी भारतीय संविधान में निरूपित परिकल्पनाओं का व्यावहारिकरण नहीं हो पाया है। जैसे समानता धर्म–निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, भारतीयता का विकास, समाजवादी लोकतांत्रिकता आदि। इनसे उत्पक समस्याओं को ही चुनौती बानकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को नवीन रूप देने का प्रयास 1986 की शिक्षा नीति में किया गया है।

सम्पूर्ण सामाजिक जीवन में नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा एक समर्थ साधन है। यही वह कुंजी है जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मार्ग निवसंतक होता है। स्वामी विवेकानन्द, महर्षि दयानन्द सरस्वती जैसे अनेक विचारकों ने शिक्षा दर्शन को एक नया आयाम दिए है। इन विचारों की चुनौति केवल शिक्षा की संरचना के प्रति ही नहीं वरन मनुष्य के मन, जीवन के स्वरूप तथा विशिष्टता के प्रति भी है। इन

विचारकों ने ही जीवन की वस्तु स्थिति समझने की प्रति अन्तर्दृष्टि देने का प्रयास किया जो एक नई सम्मयता तथा समाज का सृजन कर सकती है।

पर्यावरण शब्द का अर्थ एवं परिभाषा– पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि + आवरण जिसका अर्थ है जो हमें चारों ओर से ढांके हुए है या आवृत किये हुए है। यह पर्यावरण है। Environment शब्द लेटिन भाषा के Environ से बना है । जिसका अर्थ है। Around अर्थात जो वस्तुएँ हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यह पर्यावरण से अन्तर्गत आती हैं।

आधुनिक पर्यावरणविदों ने पर्यावरण को इस प्रकार से परिभाषित किया है। पर्यावरण में वही सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं सांस्कृतिक कारक आते हैं। जो किसी भी तरह से जन्तुओं के जीवन को प्रभावित करते हैं।"

पर्यावरण में यह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। जो मनुष्य की जीवन पर्यन्त कार्य प्रणाली तथा जीवनशैली को प्रभावित करता है। मनुष्य के चारों ओर के सभी पक्षों को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। वह स्वतंत्र नहीं वरन यह अपनी एक महत्वपूर्ण एवं उच्च स्थिति रखता है। मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण की परिभाषा इस प्रकार दी है। बोरोन के अनुसार– एक व्यक्ति के पर्यावरण में यह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसे जन्म से मृत्यु पर्यन्त तक प्रभावित करता है।"

नेव ,नास्टबी के अनुसार –व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है।"

वुडवर्थ के शब्दों में –पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करता है।"

हॉलैण्ड तथा डगलस के अनुसार– जीवन जगत के प्राणियों के विकास परिपस्वता प्रकृति व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रमाणित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों परिस्थितियों तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है।"
फिटिंग (जर्मन) – पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है।"

इस प्रकार शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का सर्वांगीण अर्थात मन वृद्धि और आत्मा का विकार है।

अध्ययन की आवश्यकता व महत्व–आज के संदर्भ

यदि हम देखें जैसे मानव जाति ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति की है उसी अनुपात में मानव जाति आध्यात्म से दूर होती गई है। सृष्टि के भक्ति भाव में हारम होता गया है परन्तु यह भक्तिभाव ही है जो व्यक्ति के ज्ञान और विज्ञान के स्वार्थमय क्षेत्र से निकालकर सम्पूर्ण मानव जाति के हित में सोचने व कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसके कारण मनुष्य में पर्यावरण चेतना जाग्रत होती है।

निष्कर्ष –मानव समाज किस समय कौन–सी समस्या से ग्रस्त होता है और उसके निदान के लिए समाज के सदस्यों की भूमिका एवं सहभागिता एवं शासकीय प्रयासों की तुलना में अधिक उस समाज के सांस्कृतिक मूल्य अधिक प्रभावी होते हैं। इस सन्दर्भ में भारतीय संस्कृति के आधार पुरातन ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण के साथ विश्लेषण अव्यंत लाभप्रद हो सकता है।

अतः भारतीय प्राचीन संस्कृति में निहित पर्यावरण शिक्षा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तथा समाज में पर्यावरण प्रेम का उद्भव भी संभव होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

शर्मा वी. ,ल. – पर्यावरण शिक्षा, कविता प्रकाशन (2006)
तुलसीदास के काव्य में नैतिक मूल्य – चरनदास शर्मा, भारतीय ग्रंथ निकेतन नई दिल्ली।
– विद्यानिवास मिश्र – रामायण का काव्यमर्त प्रभात अध्ययन,प्रकाशन आसफ अली रोड, नई दिल्ली (2001)
– वाल्मीकि रामायण – गीत प्रेस, गोरखपुर।
– श्रीवास्तव एम. पी. (1998) – प्राचीन अधभुत भारत की संस्कृति, श्री सरस्वती प्रकाशन, इलाहाबाद।
– सानू के. सी. (1992) – "पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यय व प्रत्यक्षीकरण का समालोचनात्मक अध्ययन।"
– देश पाण्डे वी. एम. (1994) – राधा कृष्णन के शैक्षिक विचारों का योगदान।

'जुना खेड़ा' उत्खनन नाडोल (पाली)

मनोहर लाल / राजा राम
सहायक आचार्य, इतिहास
सज्जन इंटरनेशनल कॉलोनी, पाली
मो. 7410835434
ई–मेलः–lalmanohar820@gmail.com

पाली / नाडोल जिले के नाडोल के जूना खेड़ा में पुरातत्व विभाग की टीम इस सभ्यता के रहन–सहन व गहराई का आंकलन लगाने में जुटी हुई है। ऐतिहासिक जूना खेड़ा की खुदाई कार्य को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दिल्ली की ओर से स्वीकृति मिलने पर करीब एक वर्ष बाद जूना खेड़ा नाडोल मे उत्खनन कार्य शुरू हुआ।

समय–समय पर खुदाई में माता की मूर्ति आदि साक्ष्य मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह प्राचीन काल से ही साधना का केंद्र रहा था। इस ऐतिहासिक स्थल के पास में पवित्र भारमल नदी बहती थी। इससे भी यह कहा जा सकता है कि नाडोल एक भव्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। इसके अलावा इसकी खुदाई में पहले भी मिट्टी की दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली थी। खाने–पीने के बर्तन और मकानों की ईट पत्थर इत्यादि के अवशेष मिले थे।

पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ प्रारूपकार रजनीकांत वर्मा ने बताया कि जूना खेड़ा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जहां पर उत्खनन अधीक्षक डॉ. विनीत गोधल के निर्देशन में वर्टिकल पद्धति से उत्खनन किया जा रहा है। यहां पर विभाग की टीम में सुनील सांखला प्रारूप कार, जगदीश चंद्ररूल पोटरी कर्मचारी, गुलशन कुमार फोटोग्राफर, मानाराम सीरवी, रतनसिंह बेड़ा स्मारक परिचारक उत्खनन में कार्यरत हैं।

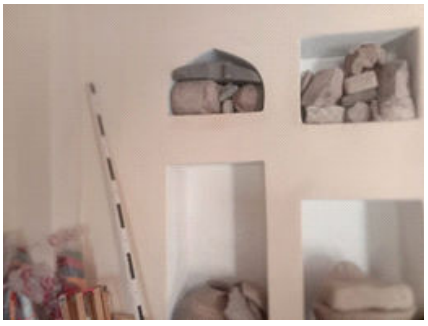

उत्खनन के लिए 22 मजदूर का समूह है, जो छोटी खेती, करणी, लोहे के ब्रश, फावड़ी आदि आधुनिक औजारों से ऐतिहासिक स्थल की समानांतर होरिजेंटल पद्धति से विभिन्न तरह के निर्माण व पाषाण के दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बचाते हुए इसके कालक्रम की खोज कर रहे हैं।

भवन

नाडोल के उत्खनन में भवन निर्माण के अवशेष मिले है एवं भवन का निर्माण नीव खोदकर किया जाता था नीव में पत्थरों का उपयोग किया जाता था तथा पक्की ईटो का प्रयोग किया गया था।

उत्खनन में विभिन्न आकार–प्रकार के मृद्यात्र यथा कुल्हड़, इकनी, सिकार, टाटीदार बर्तन, विशालकाय मटके आदि मिले हैं। धातुओं के आभूषण बनाने के मिट्टी के सांचं भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही तांबे और जगने के आभूषण टुकड़े, सिक्के आदि मिले हैं। स्वर्णकार को एक कार्यशाला तथा इस पेशे से जुड़े कुछ उपकरण जैसे सोना गलाने का सांचे आदि भी मिले हैं। यहां लोहे की छेनी का मिलना लोहार की संकेत करता है। कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में सूर्य का प्रतीक उकेरा हुआ है। कुछ सिक्कों पर पर तराशी देवी–देवताओं की कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई।

मिट्टी के बर्तन

मिट्टी के बर्तन का हिंदी में अर्थ 'मिट्टी के बर्तन' होता है। इन्हें 'कुम्हारी' या 'मृदाभाण्ड' भी कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने और आग में पके हुए बर्तन होते हैं, जिनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे खाना पकाना, भंडारण और सजावट।

21 वी सदी की शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में''

डॉ. रीमा कुमारी
सहायक अध्यापिका
उच्च माध्यमिक विद्यालय,मझौली खेतल,
मुजफ्फरपुर, बिहार
मेल– rimamfp1234@gmail-com

सार–

शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यवहार में काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिमार्जन कर उनके भीतर अच्छे विचारों का निर्माण करती है तथा जीवन के मार्ग को प्रशस्त करती है । बेहतर समाज के निर्माण में सुशिक्षित नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । मानव के विकास की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान ही है । 'ज्ञान' शब्द देखने में जितना छोटा है अपने आप में उतनी ही व्यापकता लिए हुए है । यह जीवन–पर्यंत चलता है । आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्‌भुत शक्ति है। यह ज्ञान ही है जो मनुष्य को अन्य जीव–जन्तुओं से श्रेष्ठ बनाता है । भारत की शिक्षा परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध परंपराओं में से एक रही है। वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, खगोल, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत, कला योग, व्याकरण और शिल्प जैसी विषयवस्तु में निपुणता भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली की पहचान थी। ये परंपराएँ न केवल ज्ञान का स्रोत रही हैं, बल्कि नैतिक मूल्यों, जीवन–दर्शन और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा भी देती हैं। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इसकी साक्षी हैं। समय के साथ, औपनिवेशिक प्रभाव और वैश्वीकरण के कारण भारतीय शिक्षा प्रणाली ने अपनी मौलिकता खो दी। इसी परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक नई आशा लेकर आई है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत है।

यह शोध पत्र समकालीन शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान परंपरा के स्थान, उसकी प्रासंगिकता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसके समावेश का विश्लेषण करता है।

कीवर्ड–

समकालीन शिक्षा प्रणाली, भारतीय ज्ञान परंपरा, एन. ई. पी. 2020

प्रस्तावना

भारतीय सभ्यता का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसकी शिक्षा प्रणाली मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को छूने वाली रही है। प्राचीन भारत में शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं थी, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास (शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक) का आधार थी। इसी कारण भारत की प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्था देश में ही नहीं वरन समूचे विश्व में भी प्रसिद्ध थी । चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ–साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य पर आधारित शिक्षा प्रणाली की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी । चीन, जापान, तिब्बत तथा लंका आदि देशों से यहां शिक्षार्थी ज्ञानार्जन हेतु आते थे । विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ आचार्यों के कारण नालन्दा, तक्षशिला एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व में सुविख्यात थे । प्राचीन भारतीय शिक्षा अपने उद्देश्यों एवं व्यावहारिकता के कारण संसार में अनूठी थी । लेकिन औपनिवेशिक काल में थोपे गए शिक्षा मॉडल ने इस परंपरा को काफी हद तक विस्मृत कर दिया। किन्तु यह संतोषजनक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस ओर ध्यान दिया है और महत्वपूर्ण सुधारों की ओर कदम बढ़ाया है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए शिक्षा के माध्यम से छात्रों को भारतीय जड़ों से

जोड़ना है। यह नीति भारतीय संस्कृति, भाषा, और दर्शन को समकालीन शिक्षा में पुनः स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

भारतीय ज्ञान परंपरा –

भारत के पास बौद्धिक अनुसंधान एवं मूल ग्रंथों के धरोहर की एक अत्यंत समृद्ध परंपरा रही है जो कि सदियों पुरानी है । भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है । ऋग्वेद के समय से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देती थी । भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा प्रणाली, ज्ञान, परंपरा और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थी। भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, उज्जैन, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र थे तथा यहां कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञानार्जन के लिए आते थे । प्राचीन काल से ही हमारा भारत उच्च मानवीय मूल्यों एवं विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है । भारत की ऐसी संस्कृति रही है कि भारत ने दुनिया को अलग–अलग देश या भूभाग के रूप में माना ही नहीं है ।

अयं निजः परो वेति,गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम्घ्।।

महाउपनिषद के इस सिद्धांत के आधार पर समस्त दुनिया को एक परिवार के रूप में मान्यता देने वाला एकमात्र देश भारत है ।

भारतीय ज्ञान परम्परा, शिक्षा के माध्यम से छात्र को अज्ञानता रूपी अंधकार से दूर करते हुए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है तथा भारत को मूल्य आधारित शिक्षा का केंद्र बना कर भारतीय जनमानस में विश्व बंधुत्व के भाव का विकास कर, राम राज्य का सपना साकार करने का प्रयास करती है । भारत की ज्ञान परंपरा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को इस अर्थ में गढा कि संसार के अन्य सभी ज्ञान इसके सामने फीके रह गये । अपनी समृद्ध ज्ञान परम्परा के कारण ही भारत अनेको विदेशी आक्रंताओं के आक्रमण व लूटपाट के तंत्र के सागर को पार करते हुए अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं मूल्यों को अक्षय बनाये रखने में सफल रहा है । भारत की ज्ञान परंपरा एवं मूल्य यहाँ के कण–कण में विद्यमान है । भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व पर बल देते हुए हिंदू धर्म के पवित्रतम ग्रंथ श्रीमद्भाभागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि – "न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते(4/48)" अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है । भारतीय ज्ञान परम्परा शिक्षा के माध्यम से छात्रों में ज्ञान के मूल्य को स्थापित कर उन्हें स्वयं को संयमित रखने और पाश्विक प्रवृत्तियों से दूर रहने की प्रेरणा देती है । इसी में ज्ञान की सार्थकता है । विश्व में सर्वप्रथम मानव मूल्य से आप्लावित ज्ञान की किरण भारत से प्रस्फुटित हुई एवं यह युगों–युगों तक भारत को ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करता रहेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुआयामी, समावेशी और सार्वकालिक रही है यह केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित न होकर जीवन के हर क्षेत्र को समाहित करती है। इसके कुछ प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं–

वेद और उपनिषद – ये ज्ञान, दर्शन, और आध्यात्मिकता का स्रोत है। जीवन का उद्देश्य और आत्मा–परमात्मा का संबंध बताने वाले ग्रंथ हैं। ''सत्यं वद, धर्मं चर'' जैसे उपदेश मूल्यों पर आधारित शिक्षा का उदाहरण हैं।

गणित और विज्ञानदृ आर्यभट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि विद्वानों का इसके विकास मे महत्वपूर्ण योगदान है। आर्यभट और ब्रह्मगुप्त जैसे वैज्ञानिकों ने दशमलव प्रणाली, शून्य, बीजगणित और खगोल विज्ञान में अमूल्य योगदान दिया।

आयुर्वेद और चिकित्सा प्रणाली – चरक द्वारा रचित चरक संहिता और सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा शास्त्र की अद्भुत धरोहरें हैं।

योग और ध्यान– योग के माध्यम से शारीरिक व मानसिक संतुलन की शिक्षा दी जाती रही है। पतंजलि के योगसूत्र आज भी विश्वभर में लोकप्रिय हैं।

कला, संगीत और नाट्यशास्त्र – भरत मुनि का 'नाट्यशास्त्र' नृत्य, संगीत और रंगमंच का गहनतम अध

ययन है।

दर्शन शास्त्र – न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे तत्त्वदर्शनों का विकास।

नैतिक शिक्षा – नीति, धर्म, और समाज के प्रति उत्तरदायित्व।

भारतीय परंपरा गुरु व शिष्य के ऐक्य का मार्ग भी सूझाता है– सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।। शांतिः शांतिः शांतिः ।।(कृष्ण यजुर्वेद तैतरिय उपनिषद 2.2.2) अर्थात गुरु और शिष्य दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों को साथ–साथ विद्या का फल प्राप्त हो, सामर्थ्य प्राप्त हो, हम तेजस्वी बने और हम परस्पर द्वेष ना करें मिल कर आगे बढ़ें। धर्म भारत की परंपरा का जो मूल आधार है। तेतरिया आरण्यक में कहा गया है "धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा" अर्थात धर्म संपूर्ण जगत का आधार है। भारतीय परंपरा में जीवन का लक्ष्य धर्म को मूल मानते हुए पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि है। इसलिए महर्षि कणाद अभ्युदय और निरूश्रेयस के साधन को ही धर्म कहते हैं– "यतो अभ्युदयनिरूश्रेय स सिद्धिरू स धमर्रू" अर्थात जिस माध्यम से अभ्युदय अर्थात भौतिक दृष्टि से तथा निरूश्रेयस अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से सभी प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है उसे धर्म कहते हैं। वैदिक काल में विद्या अध्यन के केंद्र गुरुकुल थे, जहां गुरु को सर्वोपरि मानकर 'महेश्वर' का दर्जा देकर पूजा की जाती थी । गुरु– शिष्य में पिता और पुत्र का संबंध होता था । गुरु अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करके उसके सर्वांगीण विकास को अपना परम उद्देश्य समझते थे । गुरु अपने अंदर विद्यमान समस्त परा व अपरा विद्या को शिष्य को प्रदान करते थे तथा शिष्य भी अपने गुरु को सर्वस्व मानकर उनके द्वारा दी हुई शिक्षा को तत्परता और तल्लीनता से ग्रहण करते थे । वैदिक काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था । इस प्रकार आध्यात्मिकता भारतीय ज्ञान परम्परा का केन्द्रीय तत्व रहा है । प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होता था प्राचीन वैदिक काल के गुरुकुलों में मूल्य आधारित शिक्षा पर विशेष जोर बल दिया जाता था, वहाँ वेदों का अध्ययन कराया जाता था, सत्य, दान, तप, यज्ञ छात्रों को दैनिक जीवन में अपनाना होता था । भारतीय ज्ञान परंपरा मातृदेवो भव, पित्रदेवों भव, अतिथि देवो भव की सीख देती है एवं वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता, कर्म योग आदि को अपनाने पर बल देती है जिससे मनुष्य समाज का एक उत्कृष्ट नागरिक बन उच्च जीवन शैली को प्राप्त कर सके और अपने समाज को उत्तम बनाने में भूमिका निभा सके । भारतीय मूल्यों में परोपकार व करुणा का सदैव उच्च स्थान रहा है, आज भी इन्हीं मूल्यों पर चलकर वास्तविक शांति एवं प्रसन्नता प्राप्त किया जा सकता है । आधुनिक शिक्षाविदों ने भी मूल्य आधारित शिक्षा को अपनाने पर बल दिया है । स्वामी विवेकानंद, गांधी, अरविंद आदि सभी विद्वान भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनाने पर ही बल देते हैं । रविंद्र नाथ टैगोंर एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके, श्री अरविंदो भी मूल्य आधारित शिक्षा पर बल देते हैं, उनके अनुसार– जबसे जीवन मूल्य, शिक्षा से दूर हो गया है तब से देशवासी ध र्मभ्रष्ट हो गए हैं । आज के आधुनिक दौर में भारतीय ज्ञान प्रणाली लुप्त होती जा रही है । शिक्षा केवल व्यवसायपरक, अर्थपरक होकर छात्रों को गला–काट प्रतिस्पर्धा के पीछे भागने पर मजबूर कर रही है । भारतीय ज्ञान परंपरा में मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से आध्यात्मिकता एवं सत्यम–शिवम–सुंदरम की अनुभूति करा कर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सामाजिकता, भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का संरक्षण एवं ज्ञानवान बनाने पर बल देना, सत्य का आचरण सिखाना, शांतिपूर्ण वातावरण, सुख एवं समन्वय स्थापित करना, विद्या, बुद्धि एवं विवेक का सामान्य ज्ञान व कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करना था । सही मायने में भारतीय ज्ञान परंपरा द्वारा शासित शिक्षा नीति अपने आप में पूर्ण है, जो मनुष्य को इस लोक से परलोक तक की यात्रा को सुगमता से पूर्ण करने के योग्य बनाती है । मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है । इन मूल्यों से युक्त होकर व्यक्ति विश्व बंधुत्व, सर्वे भवंतू सुखिनरू, वसुधैव कुटुंबकम का व्रत लेकर जीवन पथ पर धर्म एवं सत्य के साथ आगे बढ़ता है । यही हमारे

ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है जिसके बल पर आज भी भारत अपने गौरवशाली परम्परा से पूरे संसार में जगमगा रहा है । अतः स्पष्ट है कि–

– भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसे समृद्ध, बहुआयामी एवं प्रगतिशील संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मानवीय मूल्यों की प्राथमिकता है । इसमें विभिन्न धर्मों का समावेश है, जो सत्य, अहिंसा, न्याय, परोपकार और सदाचार जैसे मूल तत्वों की गंगोत्री प्रदान करते हैं । ये धर्म अपनी प्रकृति और तत्व की दृष्टि से प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति की उपज प्रतीत होते हैं । भारतीय संस्कृति में एकता का सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यहाँ धार्मिक और भाषाई विविधता के बावजूद सभी में एकता देखी जाती है । भारतीय संस्कृति में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संस्कारों का विकास करना है । यह न केवल बौद्धिक ज्ञान का विस्तार करता है, बल्कि अध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को भी ऊंचा उठाने हेतु प्रयत्नशील रहती है । इन मूल्यों का उद्देश्य मानव के आचरण, चरित्र और शील की विवेचना करना है, जो उसके सम्पूर्ण जीवन दर्शन और व्यवहार शैली को परिभाषित करता है । इस प्रकार, भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शक भी है ।

– संस्कार और मूल्य, चरित्र निर्माण की मौलिक आधारशिला हैं, और चरित्र ही जीवन की वास्तविक कुंजी है । ये मूल्य हमारे निर्णय लेने को मार्गदर्शित करते है । विद्यालय एवं शिक्षकों की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि उनके आचरण और व्यवहार का बालकों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हैं । जिससे उनका व्यक्तित्व और चरित्र विकसित होता है । इस प्रकार, विद्यालय और शिक्षकों का संस्कार और मूल्यों के निर्माण में केंद्रीय स्थान है ।

– भारतीय परंपरा में शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण था, जो बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है । इसमें गुरु–शिष्य का संबंध आत्मिक रूप से जुड़ा था, छात्रों का कर्तव्य गुरु के आदर्शों का अनुकरण करना था । इस प्रणाली में धर्म, दर्शन, वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान था, जिससे विद्यार्थियों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना विकसित होती थी ।

– भारत विश्व गुरु अपनी ज्ञान की समृद्धि और शिक्षा प्रणाली के कारण थी । यहाँ शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास और नैतिक उत्थान था, जिससे मनुष्यता का निर्माण होता था । प्राचीन भारत में गुरु–शिष्य का संबंध पिता–पुत्र जैसा था, गुरु उच्च आदर्शों और आचरण वाले थे, उनके जीवन में त्याग और समर्पण की भावना थी। उनका लक्ष्य शिष्यों में मानवता, आध्यात्मिकता और नैतिकता जैसे गुणों का विकास करना था ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का गहरा संबंध मानवता, नैतिकता और चरित्र निर्माण से है यह न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि आज भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर अपने समाज को बेहतर बना सकते है ।

औपनिवेशिक प्रभाव और समकालीन शिक्षा प्रणाली

समकालीन शिक्षा प्रणाली का ध्यान आर्थिक सम्पन्नता पर है, भौतिक सुख और विलासिता ने शिक्षा के वास्तविक लक्ष्यों से ध्यान भटका दिया है । आज शिक्षा में वेद और पुराणों के तत्वों का अभाव है, जबकि विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव बढ़ गया है, जिससे शिक्षा महज जीविकोपार्जन का साधन बनकर रह गई है । फलतः हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे है । ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले की नीति के तहत जो औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली स्थापित हुई, उसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कर्मियों का निर्माण था। यह प्रणाली भारतीय संदर्भ, संस्कृति और भाषाओं की उपेक्षा करती थी। इस नीति ने भारतीय शिक्षा के मूल स्वरूप को ही नकार दिया। इसके कारण भारतीय शिक्षा मे अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता मिली और रटंत प्रणाली हावी हो गई, व्यावहारिक ज्ञान का अभाव हो गया, नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा लगभग समाप्त हो गई, पश्चिमी चिंतन पर विशेष बल दिया जाने लगा, भारतीय भाषाओं व दर्शन की उपेक्षा हुई। समकालीन शिक्षा प्रणाली भी उसी उपनिवेशी ढांचे का ही एक परिवर्तित रूप है जिसमें भारतीयता गौण हो गई है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण केवल नौकरी केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया जा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार स्तंभों में समन्वय न बनाते

हुए केवल अर्थ व काम पर ही ध्यान दिया जा रहा है जिससे कहीं न कहीं हमारे भारत की पहचान और मूल्यों का धीरे–धीरे ह्रास होता जा रहा है । परिणामस्वरूप भारतीय युवाओं का अपनी संस्कृति और ज्ञान परंपरा से संबंध धीरे–धीरे कम होता जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ समन्वित करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य है कि छात्र केवल 'कर्मचारी' न बनें, बल्कि एक संपूर्ण मानव बनें – जो आत्मनिर्भर, नैतिक और वैश्विक दृष्टिकोण से युक्त हो। इस हेतु नीति मे छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़कर उनका सांस्कृतिक पुनरुत्थान, समग्र शिक्षा पद्धति के माध्यम से उनमे रचनात्मकता का विकास, स्थानीय ज्ञान का संरक्षण, पारंपरिक शिल्प, लोक ज्ञान, और कृषि प्रणाली में नवाचार, समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण, छात्रों में भारतीय मूल्यों और संस्कृति के प्रति सम्मान जागृत कर उनमे आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करने तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। चूकि आज आधुनिकता की अंधी–दौड़ में मूल्यरहित शिक्षा प्रणाली के कारण युवाओं में आत्महत्या, लूटपाट, नशा इत्यादि की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । इस दौर में भारतीयों का अपने ज्ञान परंपरा और मूल्यों को भूलते जाना एक सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है । आज की शिक्षा व्यवस्था में छात्र एक विद्यार्थी न बनकर प्रशिक्षणार्थी बनकर रह गया है, वह ज्ञानार्जन नहीं वरन जीवन यापन एवं अर्थचरी विद्या हेतु प्रशिक्षण मात्र प्राप्त कर रहा है । परिणामस्वरूप पाश्चात्य जगत की चकाचौंध भरी जिंदगी, युवाओं के लिए आकर्षक बनती जा रही है । वह अपने गौरव को भूलते जा रहे हैं, उनकी जीवनशैली बिल्कुल ही बदल चुकी है । वे व्यवसायिक शिक्षा में पढ़कर खोखले ज्ञान को हासिल करते जा रहे हैं और वास्तविक जीवन के मर्म से दूर होते जा रहे हैं । मनुष्य के चरित्र का निर्माण गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, शैशवावस्था अनुकरण की अवस्था होती है, फिर किशोरावस्था अत्यंत संवेदनशील अवस्था होता है जिसमे बालक का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक व भावनात्मक विकास सबसे अधिक होता है, यही वह अवस्था है जब बालक के भीतर मूल्यों का स्थायी समावेश हो सकता है । इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा से इस अवस्था के बालको को परिचित कराना अत्यंत ही आवश्यक प्रतीत होता है यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मूल्यों का समावेशन इस प्रकार से किया जाए कि छात्र को वर्तमान आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में स्वच्छता की ओर ले जाया जा सके और उसे बिना सोच–समझ वाला रेस का घोड़ा बनने से बचाया जा सके । मूल्य आधारित शिक्षा ही छात्र को संवेदनशील व चौतन्य मानव बना सकती है। अतः यह अति आवश्यक प्रतीत होता है कि भारतीय जनमानस में मूल्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय एवं पवित्र ज्ञान रूपी धारा से छात्रों को अवगत कराया जाए एवं असीम, अद्वितीय और अनंत ज्ञान धारा को छात्रों के मन मस्तिष्क में आरोपित करके उन्हें पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण करने से रोका जाय जिससे कि वे अपनी जड़ों को फिर से प्राप्त कर सकें । इस हेतु छात्रों के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश करके उन्हें धैर्यवान, संयमी, परोपकारी, सदाचारी, मानवतावादी, आत्मचिंतन करने वाला बनाया जाय जिससे कि वे अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें, वे आधुनिकता की चकाचौंध के दलदल से बाहर निकल कर अपने ज्ञान परंपरा की विशिष्टता को समझ सकें और भारत भूमि को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में सिरमौर बनाएं एवं सर्वे भवंतू सुखिनः की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त्र कर पुनः अपनी जड़ो से जुड़ सके । इस आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परम्परा को समृद्ध करने के उद्देश्य से यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि–प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञान केन्द्रित भारतीय मूल्यों से विकसित, गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना है । यह भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगी। इस नीति में परिकल्पित किया गया है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि, छात्रों में मौलिक दायित्व

और संवैधानिक मूल्यों के विकास के साथ ही देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में योग्य नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करेगी । इस रूप में NEP 2020 एक क्रांतिकारी पहल है जिसका लक्ष्य न केवल ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि चरित्र निर्माण, रचनात्मकता, और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ–साथ भारतीयता को बनाए रखना है। नीति मे भारतीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता तथा भारतीय लिपियों (संस्कृत, पालि, प्राकृत, तमिल जैसी प्राचीन भाषाओं) के संरक्षण को बढ़ावा देने, शिक्षा मे भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश तथा भारतीय संस्कृति और विरासत की समझ को प्रोत्साहन, शिक्षा में नैतिकता, आध्यात्मिकता, योग और ध्यान का समावेश, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन, National Research Foundation (NRF) की स्थापना, पारंपरिक ज्ञान पर आधारित शोध को बढ़ावा देने के साथ ही आदर्श गुरु–शिष्य परंपरा पुनः स्थापित करने की बात की गयी है। स्पष्ट है कि शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परम्परा का सम्पोषित विकास कर सम्बल प्रदान करते हुए भारत केन्द्रित तथा समाज पोषित होकर भारत को परम वैभव राष्ट्र तथा जगतगुरु बनाने में महती भूमिका का निर्वहन करेगी ।

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसा प्रयास है जो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ता है। इससे न केवल छात्र अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ेंगे, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने में भी सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष –

भारतीय ज्ञान परंपरा केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। शिक्षण प्रक्रिया मे इसका समावेश केवल एक शैक्षणिक सुधार ही नहीं, बल्कि भारत के आत्मिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का माध्यम है। समकालीन शिक्षा प्रणाली में इसके समावेश से न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बल्कि यह भारत को पुनः षविश्वगुरुष बनने की दिशा में अग्रसर करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो भारत की आत्मा को शिक्षा के माध्यम से पुनः जागृत करने और शिक्षा प्रणाली को भारतीय मूल्यों, भाषाओं और दर्शन से समृद्ध करने का प्रयास है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो यह भारत को न केवल शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाएगा बल्कि भारतीय युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सांस्कृतिक नेतृत्व प्रदान करने में भी सहायक होगा।

ग्रंथ सूची–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार – https://www-education-gov-in
2. गोखले, बालगंगाधर (2015). भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास, प्रकाशनरू नेशनल बुक ट्रस्ट।
3. शर्मा, रामधारी सिंह (2010). प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास, दिल्ली विश्वविद्यालय।
4. IGNOU Study Material – Indian Knowledge Systems, BA Philosophy Course.
5. Vedic Heritage Portal – https://www.vedicheritage.gov.in
6. Ministry of AYUSH – भारत में आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान, https://www.ayush.gov.in
7. UNESCO Report on Indigenous Knowledge Systems, 2018.
8. नीतिशास्त्र और योग दर्शन पर आधारित ग्रंथ : पतंजलि योगसूत्र, भगवद्गीता (अध्याय 2, श्लोक 47)
9. प्रो.,शर्मा सरोज, भारतीय ज्ञान परंपरा : विविध आयाम (2023) NIOS शिप्रा पब्लिकेशन पड़पड़गंज, दिल्ली
10. National Curriculum Framework (NCF) 2023 Draft, NCERT
11. Radhakrishnan, Dr, S, (1949)- The Philosophy of the Upanishads, Oxford University Press
12. कृष्ण यजुर्वेद तैतिरिय उपनिषद
13. वृहदारण्यक उपनिषद्
14. महाउपनिषद

''शिक्षण–अभ्यास के दौरान बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण व्यवहार का अध्ययन''

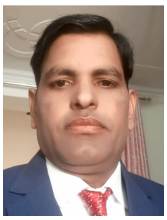

डॉ. सुरजमल शर्मा
शोध निर्देशक
शिक्षा विभाग
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रियंका शर्मा
पी–एच.डी. (शोधार्थी)
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर

शोध आलेख सार –

शिक्षण व्यवहार एक सामाजिक अन्तःक्रिया है। शिक्षक और छात्रों के पारस्परिक अन्तःक्रिया को शिक्षण कहते हैं। शिक्षक तथा छात्र, छात्र एवं छात्र के मध्य शाब्दिक सम्प्रेषण के निरीक्षण तथा अंकन विधि को ही कक्षा अन्तः क्रिया विश्लेषण या शिक्षण व्यवहार कहते हैं।

शिक्षण व्यवहार कक्षा में होने वाली क्रमबद्ध घटनाओं के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि है। इस विधि की सहायता से कक्षा की सभी क्रियायें तथा व्यवहारों को निरीक्षण से अंकित किया जाता है। इस प्रविधि के द्वारा कक्षा के शाब्दिक सम्प्रेषण को गुणात्मक व परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधि शिक्षक प्रभाव का मापन करती है क्योंकि यह धारणा है कि कक्षा में शिक्षक का अधिकांश प्रभाव उसके शाब्दिक कथनों से सम्बन्धित होता है। शिक्षक एवं छात्रों की शाब्दिक अन्तः प्रक्रिया कक्षा के सामाजिक तथा संवेगात्मक वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होती है।

मूल शब्द – शिक्षण अभ्यास एवं शिक्षण व्यवहार।

प्रस्तावना –

बी.एड. प्रशिक्षणार्थी जिनको विद्यालयों में शिक्षण कार्य के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे अपने ऊपर कक्षा में जाने पर पड़ने वाले मानसिक दवाब को हटा सके को बिल्कुल नजर अंदाज सा करते नजर आते हैं। वे इस प्रकार के प्रशिक्षण को गम्भीरता से नहीं लेते हैं, जिसके चलते उनका अभ्यास एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाता है ये ही प्रशिक्षाणार्थी जब आगे चलकर शिक्षक बनकर शिक्षण का कार्य करने लगते है तो उनके सामने अनेक कठिनाइयां आने लगती है। जिनका वे कोई समाधान नहीं कर पाते है। इसी प्रकार से न तो वे छात्रों की समस्याओं तथा जिज्ञासाओं का कोई समाधान कर पाते हैं और न ही उनका कोई प्रभाव रहता है। इनके शिक्षण व्यवहार में भी कमी दिखाई देती है।

(1) इस अध्ययन से बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण–अभ्यास के दौरान उनकी प्रभावशीलता का वास्तविक ज्ञान हो सकेगा।

(2) इस अध्ययन से बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का शिक्षण–अभ्यास के दौरान उनके शिक्षण व्यवहार का ज्ञान हो सकेगा।

(3) इस अध्ययन से बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान उनके शिक्षण व्यवहार को लेकर जो कमी है उनका पता किया जायेगा तथा उनको कैसे दूर किया जाये यह भी बताया जायेगा।

(4) इस अध्ययन से बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण–अभ्यास में आने वाले कमियों को ध्यान में रखकर आगे की योजनाओं को इस प्रकार से बनाने के सुझाव दिये जायेंगे जिनसे उनके शिक्षण को ओर प्रभावी बनाया जा सके।

(5) इस अध्ययन से बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण व्यवहार को सकारात्मक एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले बिन्दुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जायेगी।

निष्कर्षतः इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाना है कि शिक्षण एक भरण पोषण आजीविका नहीं है, बल्कि समाज के प्रति दायित्वों से भरी वृत्ति है। समाज के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी शिक्षकों की है, अतः

उनके सन्दर्भ में कोई भी घोषणा महत्त्वहीन हो ही नहीं सकती क्योंकि इसका सम्बन्ध शिक्षा एवं शिक्षकों से है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था व शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों के स्तर से उपर नहीं उठ सकती।

अध्ययन का महत्व :–

शिक्षक की कर्मस्थली विद्यालय और उसके कार्य का प्रारम्भ कक्षा–कक्ष से होता है। समय चुनौतियॉ देता है और उन्हे स्वीकार करने वाला शिक्षक ही आज कक्षा में खड़ा रह पाता है। ज्ञान के विस्फोट के सामने पारस्परिक प्रणालियों में अटका शिक्षक बालकों को कभी अच्छा नागरिक नहीं बना सकता। नवाचारों को अपनाकर ही वह अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकता है। आज आवश्यकता के नवाचार के द्वारा शिक्षा, शिक्षण एवं शिक्षक में नवीनता के द्वारा उसे गत्यात्मकता प्रदान करने की है। इसी बात का समर्थन करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में लिखा हैः ''अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक है, उसके व्यक्तिगत गुण उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति वह जो विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निःसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे है।''

सक्षम और कार्यकुशल अध्यापकों के अभाव में सभी अच्छी पाठ्य चर्चायें, उपकरण व्यवहारतः बेकार होकर रह जाते हैं। अध्यापक का महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षार्थी की सहायता करना, उसकी वैयक्तिक शैली में नई कुशलताओं का समावेश करना तथा हमेशा विकास की समग्र दृष्टि अपनाने में सहायता करना है। यह तभी सम्भव है जब अध्यापक भी स्वयं अधिकाधिक सक्षमता और कार्यकुशलता पाने का प्रयास करता रहे। शिक्षक का प्रभावी शिक्षण छात्रों के अधिगम को प्रभावित करता है जो कि छात्रों के व्यवहार से परिलक्षित होता है तथा व्यवहार छात्रों के व्यक्तित्व का सूचक है।

अध्ययन का औचित्य :–

शिक्षक सामाजिक अभियन्ता है, समाज का नेतृत्वकर्ता है अतः उसको प्रशिक्षित करने के लिए प्रदान की जाने वाली अध्यापकीय शिक्षा का महत्व असंदिग्ध है। किसी राष्ट्र की प्रगति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। अध्यापक शिक्षा का अर्थ भावी अध्यापकों (बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों) के सर्वांगिण विकास से है यह प्रशिक्षणार्थियों के लिए उनकी प्रज्ञा में सुधार तथा उनकी तकनीकी क्षमताओं का विकास करती है। अतः शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षणार्थियों के लिए ही श्रेष्ठ व्यावसायिक, शैक्षिक कार्यक्रमों को आरम्भ किया गया है।

वर्तमान समय में राजस्थान में हर वर्ष लगभग हजारों माध्यमिक प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित होकर निकलते है। इन शिक्षण शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले अधिकतर शिक्षकों में शिक्षा और शिक्षण के प्रति अन्तर्दृष्टि विकसित हो रही है या नहीं शिक्षण कौशलों का कितना विकास हुआ है? शिक्षण कार्य में कितनी रूचि है? प्रशिक्षण के दौरान शिक्षण–अभ्यास एवं सूक्ष्म–शिक्षण का उनकी प्रभावशीलता एवं शिक्षण व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है? शोध में शिक्षणाभ्यास के दौरान प्रशिक्षणार्थियों में कक्षा–कक्ष व्यवहार उसमें निहित आत्मविश्वास से शिक्षण प्रभावशीलता पता लगाये बिना, हम अच्छे प्रशिक्षणार्थियों को आम अध्यापक से कैसे अलग करेंगे? शोधकर्त्री ने अपने शोध का विषय ''शिक्षण–अभ्यास के दौरान बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण व्यवहार का अध्ययन'' को बनाया है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार को ज्ञात करना।

अध्ययन की परिकल्पना :–

1 ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2 महिला व पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण–व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिसीमन :–

1. प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान राज्य के चूरू जिले को सम्मिलित किया गया है।

2. अध्ययन के लिये चूरू जिले में संचालित बी.एड. महाविद्यालयों के कुल 800 प्रशिक्षणार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

3. शोध अध्ययन में चूरू जिले के 20 बी.एड. महाविद्यालयों के 400 शहरी (200 छात्र + 200 छात्राएँ) एवं 400 ग्रामीण (200 छात्र + 200 छात्राएँ) प्रशिक्षणार्थियों को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

शोधविधि :–

प्रस्तुत शोध में उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्री द्वारा दत्त संकलन हेतु सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण :–

स्वनिर्मित शिक्षण व्यवहार मापनी :–

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण व्यवहार मापनी को आधार माना गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात मान की गणना की गई है।

समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण :–

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्त्री ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है –

सारणी संख्या – T.IV.1

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना

प्रशिक्षणार्थियों का क्षेत्र	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रांतिक अनुपात (C.R)	सार्थकता के स्तर	
					.05 स्तर	.01 स्तर
ग्रामीण क्षेत्र	400	157.84	14.33	2.50	सार्थक अन्तर हैं।	सार्थक अन्तर नहीं हैं।
पहरी क्षेत्र	400	154.94	18.89			

(df=N1+N2 -2=400+400-2=798)

उपर्युक्त तालिका में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार के प्राप्तांकों से प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान 798(df) स्वतन्त्रता के अंश पर 0ण्05 स्तर के सार्थकता मान से अधिक है, परन्तु 0.01 सार्थकता स्तर के मान से कम है। अतः यहाँ 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है, लेकिन 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है अतः 0.05 स्तर पर निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा 0.01 स्तर पर स्वीकृत की गई।

आरेख संख्या – 1

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार के प्राप्तांकों के मध्यमानों का दण्डारेखीय प्रदर्शन

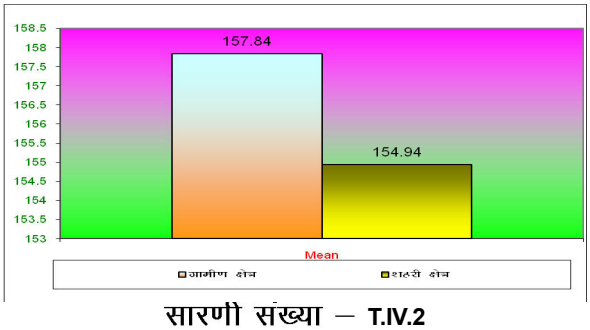

सारणी संख्या – T.IV.2

महिला व पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण–व्यवहार के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना

प्रशिक्षणार्थियों का लिंग	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रांतिक अनुपात (C.R)	सार्थकता के स्तर	
					.05 स्तर	.01 स्तर
पुरूष	400	158.09	13.88	2.95	सार्थक अन्तर हैं।	सार्थक अन्तर हैं।
महिला	400	154.68	18.49			

(df=N1+N2-2=400+400-2=798)

उपर्युक्त तालिका में महिला एवं पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार के प्राप्तांकों के मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात मान दर्शाये गये हैं जिनमें महिला एवं पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार के सम्पूर्ण आयामों के योग में गणना द्वारा प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान 798(df) स्वतन्त्रता के अंश पर 0ण्01 सार्थकता स्तर के मान से अधिक है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गयी है।

आरेख संख्या – 2

महिला व पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार के प्राप्तांकों के मध्यमानों का दण्डारेखीय प्रदर्शन

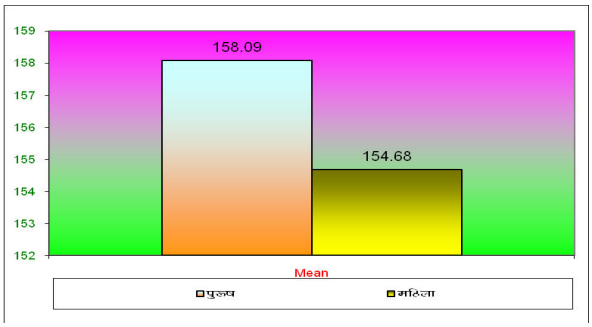

निष्कर्ष निरूपण –

1. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार में 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है, लेकिन 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है अतः 0.05 स्तर पर निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत तथा 0.01 स्तर पर स्वीकृत की गई।

2. महिला एवं पुरूष बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का शिक्षण–अभ्यास के दौरान शिक्षण व्यवहार के सम्पूर्ण आयामों के योग में गणना द्वारा प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान 798 (df) स्वतन्त्रता के अंश पर 0.01 सार्थकता स्तर के मान से अधिक है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गयी है।

हिन्दी संदर्भ साहित्य

1. अरोड़ा, श्रीमती रीता (2005) : ''शिक्षण एवं अधिगम के मनो सामाजिक आधार'' शिक्षा प्रकाशन जयपुर, पृष्ठ संख्या. 326–327

2. कपिल, एच के. (1979) : अनुसंधान विधियाँ'' द्वितीय संस्करण हरिप्रसाद भार्गव हाऊस आगरा, पृष्ठ संख्या–23

3. कोठारी, सी.आर. (2008) : ''अनुसंधान विधिशास्त्र विधियाँ और तकनीकी'' न्यूरोज इन्टरनेशनल लिमिटेड पब्लिकेशन कारपोरेशन, आगरा पृष्ठ संख्या–2

4. जायसवाल, सीताराम (1994) : 'शिक्षा मनोविज्ञान' आर्य बुक डिपो मंदिर करोल बाग नई दिल्ली पेज 221

5. ढोढियाल, एस. पाठक (1990) : ''शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर पृष्ठ संख्या–51

6. पाठक,पी.डी. (2007) : ''शिक्षा मनोविज्ञान'' विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, पृ.सं. 245, 552,450

7. भटनागर, आर.पी.(1973): ''शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व'' द्वितीय संस्करण विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृष्ठ संख्या–107

8. भटनागर, सुरेश, (1996):''शैक्षिक प्रबन्ध और शिक्षा की समस्याएं'', सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ, पृ. स. 440.

संग्रह विकास की दृष्टि से राजकीय एवं निजी महाविद्यालयी पुस्तकालयों की स्थिति एवं दशा

डॉ. योगेन्द्र सिंह
शोध निर्देशक
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय,
हनुमानगढ़

सुनील महर्षि
पी–एच.डी. (शोधार्थी)
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय,
हनुमानगढ़

शोध आलेख सार –

यह निर्विवाद सत्य है, कि महाविद्यालय पुस्तकालय भी विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भांति महाविद्यालय की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र होता है। लायल के अनुसार महाविद्यालय पुस्तकालय का कार्य संदर्भ सेवा द्वारा शैक्षणिक कार्यों में सहायता प्रदान करना उनके विकास में योगदान देना तथा शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के उद्देष्य से विभागीय सदस्यों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना एवं छात्रों को उपयोगी तथा अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिये प्रेरित करना है। अमेरिका के महाविद्यालय तथा शोध पुस्तकालयों के संघ द्वारा महाविद्यालय के लिये निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महाविद्यालय पुस्तकालय का कार्य विद्यार्थियों में सत्साहित्य के अध्ययन तथा शोध के प्रति इस प्रकार रूचि जागृत करना है जो जीवन भर बनी रहे। इसके अतिरिक्त उन्हें शैक्षणिक समुदायों के लिये सिद्धांत तथा व्यवहार में बौद्धिक सामग्री के प्रमुख केन्द्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

मूल शब्द – संग्रह विकास एवं महाविद्यालय।

भूमिका –

विश्वविद्यालयों के बाद उच्च–शिक्षा का दूसरा स्तर महाविद्यालयों से प्रारंभ होता है। महाविद्यालयों की पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर से भिन्न प्रकार की होती है। पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यग्रन्थों को कक्षाओं में पढ़ाया जाता है और विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने की दृष्टि से ही पढ़ते हैं। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालय जबकि उच्च शिक्षा में अधिगम व कौशल वृद्धि को अधिक व शिक्षण को कम महत्व दिया जाना चाहिए विद्यार्थीगण कक्षा–शिक्षण के अतिरिक्त भी कुछ पढ़े, सीखें, अध्ययन करें और सिर्फ कक्षा–अध्ययन पर ही निर्भर न रहें। इस हेतु महाविद्यालय पुस्तकालयों में पाठ्यग्रन्थों के अलावा विभिन्न विषयों के सहयोगी ग्रन्थ भी संग्रहित की जाती है। महाविद्यालयीन शिक्षा में पुस्तकालय एक ऐसी प्रयोगशाला का कार्य करता है जहॉ वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद भी ग्रन्थ प्रयोग की आवश्यकता पड़ जाती है। अतः यह मानना चाहिए कि महाविद्यालय की अनेक गतिविधियों, साहित्यक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शोधपरक व ज्ञान प्राप्ति संबंधी के केन्द्र बनकर पुस्तकालयों को ऐसे कार्य सम्पादित प्रयोगशालाओं में जैसे –

1. अनुत्तरित प्रश्न, समस्या अथवा संदर्भ का समाधान, कक्षा में न मिलना।
2. अध्ययन, अधिगम एवं जिज्ञासु वृत्ति का खेल।
3. प्रयोग में सफलता न मिलने पर सन्दर्भ–ग्रन्थों, प्रतिवेदनों, शोध निर्णयों का अवलोकन।

तीनों परिस्थितियों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से प्राप्त करना, शोध–प्रबंध, लेखन में शोध–किस्म की सामग्री व बौद्धिक कार्यक्रमों हेतु सम्बधित विषय का साहित्य पुस्तकालय से लेकर पढ़ना विद्वान लायल का मत है कि महाविद्यालय पुस्तकालय का कार्य संदर्भ–सेवा द्वारा शैक्षणिक कार्यों में सहायता प्रदान करना, उनके विकास में योगदान देना तथा शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से विभागीय सदस्यों को पुस्तकालय–सेवा उपलब्ध

कराना एवं विद्यार्थियों को उपयोगी तथा अधिक ग्रन्थ पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इस तरह महाविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय के अन्य सभी विषय विभागों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को शैक्षणिक–अवसरों में विभिन्न तरह की सेवाएं देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए विश्वविद्यालय के बाद महाविद्यालय पुस्तकालयों की महत्व को उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

सभ्यता के आदि से ही मानव को ज्ञान एवं विद्या से प्रेम रहा है। पाश्चात्य पंडितों के मतानुसार पूर्व में मानव अपनी भावनाओं को चित्रों एवं रेखाओं से दर्शाता था जिन पर वह लिखता था – पत्थर, भोजपत्र एवं ताड़पत्र इत्यादि ही उसकी पुस्तकें होती थी। सन् 1850 ई. में लेयार्ड को ''निनेभा'' (Nineveh) की खुदाई के समय चित्रों से सुशोभित पत्थरों का संग्रहालय मिला। विद्वानों के अनुसार यह असीरिया के षासक असुरबानी पाल का पुस्तकालय था। माना जाता है कि, भूमध्य सागर के उत्तरी प्रदेशों में पहले लिपि का अविष्कार हुआ तथा सबसे पहले लिखने की भाशा चालडियन है।

यूनान देश में बड़े–बड़े पुस्तकालय थे। इस देश के प्रथम पुस्तकालय का संस्थापक 'पिसिस्ट्रेट्स' था प्लेटो अरस्तुत तथा यूक्लिड इत्यादि के निजी पुस्तकालय थे। रोम देश का राजा 'अगस्टस' सार्वजनिक पुस्तकालय का जन्मदाता कहलाता है। रोम के धर्माचार्यों ने भी अच्छे पुस्तकालय खोले तथा उधार पुस्तके लोगों को दी जाने लगी।

भारत में जहाँ वेद एवं उपनिशदों इत्यादि ग्रंथों की रचना हुई जो विद्या, सभ्यता तथा संस्कृति का प्राचीनतम केन्द्र रहा है। तब पुस्तकालयों का अभाव नहीं था। जगप्रसिद्ध विश्वविद्यालय – नालन्दा, विक्रमशीला, तक्षशीला, ओदन्तपुर के पुस्तकालयों की पुस्तके मंदिर तथा मठों की पुस्तके वर्गीकृत रूप से रखी हुई पायी जाती है। प्राचीन समय में छापाखाना न होने के कारण यह अवश्य ही था कि राजा, महाराजा एवं धनी लोग ही पुस्तकों की प्रतिलिपि पर्याप्त धन के द्वारा तैयार करवाते हैं, किन्तु उनका उपयोग वे स्वयं ही करते थे। किसी भी देश में पुस्तकालय आंदोलन की सफलता निम्न पांच बिंदुओं पर निर्भर करती है –

1. पुस्तकालय–आंदोलन के प्रवर्तकों की तत्परता तथा कार्यशैली।
2. आंदोलन के प्रति सरकार की सदस्यता।
3. देश के धनी–मानी तथा उदार सज्जनों की दान–वृति।
4. विधान सभा के सदस्यो ंतथा उच्चपदस्थ कर्मचारियों की शुभेच्छा तथा सहयोग की भावना।
5. शिक्षित–वर्ग की मनोवृति।

मानव के सर्वांगीण विकास के लिये पुस्तकालय द्वारा ज्ञान एवं सूचना प्रदान करना बहुत आवश्यक है। पुस्तकालय का कार्य ज्ञान एवं सूचनाओं को एकत्रित करना, उन्हें सुरक्षित रखना, तकनीकी विधि के द्वारा संगठित करना तथा ज्ञान के प्रसार के लिये पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना। सूचना एवं संचार के तकनीकी विकास के कारण ही सूचना आधारित समाज बनता जा रहा है। किसी भी समाज का मुख्य पहलू आर्थिक सम्पन्नता है, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आर्थिक क्रिया का लाभ किसी क्षेत्र के तकनीकी ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है तथा तकनीकी विकास तभी संभव हो पायेगा, जब समाज की ही कोई एक संस्था शोध महत्वपूर्ण सूचना आवश्यक रूप से प्रदान करें। अतः महाविद्यालयीन पुस्तकालयों का विशेषकर शिक्षा के विकास एवं शोध के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है।

पुस्तकालय महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र होता है। महाविद्यालय में प्रायः विद्यार्थी 16 से 18 वर्ष की आयु में प्रवेश लेते हैं इस अवधि में उनमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिवर्तन होता है, इसलिए इस समय उन्हें सही एवं उपयुक्त मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः इनका सही मानसिक संतुलन बनाये रखने के लिये महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य, संदर्भ सेवा द्वारा शैक्षणिक कार्यों में सहायता प्रदान करना, उनके मानसिक विकास में योगदान देना तथा शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से विभागीय सदस्यों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध करना एवं छात्रों को उपयोगी

तथा अधिक से अधिक पुस्तकें अध्ययन के लिये वितरित करना, जिससे उनमें साहित्य के प्रति रूचि एवं षोध के प्रति जिज्ञासा जागृत हो, जो जीवन–पर्यन्त बनी रहे।

मानव के सर्वांगीण विकास के लिये पुस्तकालय द्वारा ज्ञान एवं सूचना प्रदान करना बहुत आवश्यक है। पुस्तकालय का कार्य ज्ञान एवं सूचनाओं को एकत्रित करना, उन्हें सुरक्षित रखना, इनको तकनीकी विधि द्वारा संगठित करना तथा इन ज्ञान के भण्डारों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। सूचना एवं संचार के तकनीकी विकास के कारण ही सूचना आधारित समाज बनता जा रहा है। किसी भी समाज का मुख्य पहलू आर्थिक सम्पन्नता है, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आर्थिक क्रिया का लाभ किसी क्षेत्र के तकनीकि ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है तथा तकनीकी विकास तभी संभव हो पायेगा, जबकि समाज की ही कोई एक संस्था शोध संबन्धी एवं कई प्रकार की आवश्यक सूचना प्रदान करे। अतः पुस्तकालयों का विशेषकर शिक्षा, विकास एवं शोध के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है।

एक कहावत है "Man does not live by bread alone" अर्थात मनुष्य केवल रोटी के लिये ही नहीं जीता है। मानव में आध्यात्मिक सांस्कृतिक, सौन्दर्य एवं आदर्शों को पाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को उच्च शिखर की ओर ले जाना चाहता है। उसे अपने आराम के क्षणों में भी स्वच्छ मनोरंजन की आवश्यकता होती है। जब तक ये सुविधायें उसे प्राप्त नहीं होगी उसका ध्यान स्वतः ही तोड़–फोड़ एवं बुराइयों की ओर चला जाता है हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि हर मनुष्य एक सुसंस्कृत एवं समृद्ध जीवन व्यतीत करे जो मूल्यभूत मूल्यों पर आधारित हो। समाज की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराये इन्हीं सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु समाज में शैक्षणिक संस्थाओं को बनाया है। जैसे – विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शोध एवं सांस्कृतिक संस्थायें, संगीत एवं कला तथा व्यापारिक संस्थायें इत्यादि कुछ सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। लेकिन जहॉ अन्य संस्थायें एक अथवा दो उद्देश्यों की पूर्ति कर पाती है, वहॉ सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के अनेकों महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। विद्यालय के विद्यार्थियों का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। जो किसी भी अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ तथा कुछ पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है जो कि ज्ञान प्राप्त कराती है, मानव की सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाती है तथा मानव के भीतर एक शक्ति उत्पन्न करती है कि वह सही तथा गलत का पता लगाकर उचित निर्णय लेने में सक्षम हो। इसके अलावा सार्वजनिक पुस्तकालय स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करते है। अतः समाज द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं में से पुस्तकालय ही सबसे शक्तिशाली संस्था सिद्ध हुई है जो मानव की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

विदेशों के साथ ही भारत में भी पुस्तकालयों का भविष्य पुस्तकालय सेवा के स्वरूप पर निर्भर करता है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। अतः उन्हें समाज की आवश्यकताओं व उसकी मांग के अनुसार ही अपनी योजनाओं, सेवाओं तथा अन्य सामग्री को समयानुसार बदलना पड़ेगा।

भारतीय पुस्तकालय संघ के अनुभवों से लाभ उठाकर, भारतीय पुस्तकालय संघ का पुनर्गठन कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य अपेक्षित है। आशा है कि शासन, समाज तथा पुस्तकालय कर्मचारी इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे व भारत में पुस्तकालयों का भविष्य उज्जवल करने का बेहतर प्रयास करेंगे।

महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में जो संदर्भ – सेवा छात्रों को दी जानी चाहियें, वह न केवल पुस्तकालय की समस्या है, बल्कि यह महाविद्यालय की भी समस्या है। महाविद्यालय का भी यह कर्तव्य है कि छात्रों को पुस्तकालय का पूर्ण उपयोग करने में उन्हें सन्दर्भ–सेवा सुलभ करें। यह तभी संभव हो सकता है, जब अध्यापक मण्डल अपना सहयोग पुस्तकालय एवं पुस्तकालय–कर्मियों को प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हों। छात्रों को सफल मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु दोनों का सहयोग अति आवश्यक है।

छात्रों को तथ्यात्मक एवं पृष्ठिभूमियुक्त सूचना साधनों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। पुस्तकालयों की आवश्यकता का अनुभव किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में शिक्षण–पद्धति को पुस्तकालयोन्मुखी बनाया जाये जिसमें छात्रों को पुस्तकालय का उपयोग कर स्वयं अनेक प्रकार के कार्यों को पूरा करने का दायित्व सौंपा जाये। सप्ताह में कुछ घण्टे पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए छात्र एवं अध्यापक दोनों पुस्तकालय में उपस्थित हों और उन्हें सामग्रियों से अवगत कराया जाये। ऐसा करने से सन्दर्भ सेवा की माँग स्वयं उत्पन्न होगी।

छात्रों के अतिरिक्त संन्दर्भ–सेवा अध्यापको को भी सुलभ करने की बड़ी आवष्यकता है, जिससे उनके कक्षा–व्याख्यान एवं अध्यापन सुदृढ़ता प्राप्त हो सके। इसके लिए विषयोन्मुख तथा पृष्ठभूमियुक्त सामग्रियों उद्धरणों तथा अन्य दृष्टान्तों की निष्चित करने वाली कृतियों तथा स्त्रोतों वांगमय सूचियों आदि से सम्बन्धित उपकरणों का विवरण अध्यापकों को सुलभ किया जाना चाहिए। भारत में महाविद्यालयी पुस्तकालयों में सन्दर्भ–सेवा का प्रायः अभाव है। इसका मुख्य कारण पुस्तकालयों में अनेक प्रकार के अभाव है। छात्रों के लिए निर्देश एवं प्रशिक्षण की बड़ी आवष्यकता है। लेकिन ऐसा वातावरण अभी तक उत्पन्न नहीं किया जा सका है।

पुस्तकालयाध्यक्ष को केवल पाठ्य–पुस्तकें ही नहीं बल्कि निम्न प्रकार की अन्य पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे – संस्कृति से सम्बधित, अच्छी आदतों से सम्बंधित, खेल से सम्बंधित, प्रचलित वैज्ञानिक आविष्कार, प्रेरणादायक जीवनियॉ, सर्वश्रेष्ठ आधुनिक साहित्य।

महाविद्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आये विद्यार्थी जो सहमें हुए से रहते हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष की उनको अलग समूह में बुलाकर पुस्तकालय सूची तथा संदर्भ सेवा से संबंधित जानकारी देना चाहिए, जिससे वे पुस्तकालय का उपयुक्त उपयोग कर सकें। पुस्तकालय में गाईड तथा बड़े–बड़े चार्टों को उपयुक्त स्थान पर लगाना चाहिये।

विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के समान ही महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। पुस्तकालयाध्यक्ष केवल एक तकनीशियन नहीं है, बल्कि वह एक पथ–प्रदर्शन एवं मित्र भी हैं

महाविद्यालय में छात्रों की संख्या के कारण कक्षाएं अपेक्षाकृत रूप से बड़ी होती है, तथा छात्र–छात्राओं में प्राध्यापक व्यक्तिगत रूचि नहीं ले पाते अतएव उन्हें अपने अध्ययन के लिये स्वशिक्षा पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में संदर्भ साहित्य का उपयोग करने एवं पूरक अध्ययन के लिये महाविद्यालय के सभी छात्रों को पुस्तकालय पर विलम्बत रहना पड़ता है। अतएव किसी महाविद्यालय में पुस्तकालय की महत्ता स्वयं सिद्ध है। व्याख्यान रटकर अथवा पाठ्य पुस्तकों और कुंजियों के आधार पर परीक्षा उत्तीर्ण करने का उद्देश्य शिक्षा के वास्तविक लक्ष्य के विपरीत हैं।

सारांश –

विष्वविद्यालय पुस्तकालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालयों के कार्यों की समानता होते हुए भी दोनों में उतना ही अंतर है, जितना कि विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रमुख उद्देष्य शोध की प्रवृत्ति विकसित करना तथा शोध के लिये आवश्यक साधन जुटाना तथा महाविद्यालय पुस्तकालय का प्रमुख कार्य शैक्षणिक कार्य को पूर्णतः प्रदान करना।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिंह, आर.सी. (1990) : पुस्तकालय प्रशासन : सिद्धांत एवं व्यवहार, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 86.
2. कालभोर, गोपीनाथ (1997) : भारतीय शिक्षा प्रणाली और ग्रंथालय, पृष्ठ 7–9.
3. कालभोर, गोपीनाथ (1997) : भारतीय शिक्षा प्रणाली और ग्रंथालय, पृष्ठ 1–2.
4. कालभोर, गोपीनाथ(1997) : भारतीय शिक्षा प्रणाली और ग्रंथालय, पृष्ठ 75, 136, 133–134, 141–142,
5. कालभोर, गोपीनाथ (1997) : भारतीय शिक्षा प्रणाली और ग्रंथालय, पृष्ठ, 59–60.
6. नवभारत मंगलवार 6.11.2013, पृष्ठ 3.

''राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (RS-CIT) की विद्यालयों में अनुप्रयोग के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन''

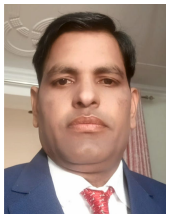

डॉ. सुरजमल शर्मा
शोध निर्देशक
शिक्षा विभाग
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय,
जयपुर

मुक्ता शर्मा
पी–एच.डी. (शोधार्थी)
महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर

शोध आलेख सार –

किसी समय शिक्षा का तात्पर्य बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से था। वहीं आज के इस युग में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं। बालकेन्द्रित शिक्षा तथा शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रयोग इसी के परिणाम है। वर्तमान समय में शिक्षा केवल बालक के स्मृति स्तर का विकास का ही नही बल्कि बालक के सर्वांगींण विकास का उच्चतर उद्देश्य रखती है जिसमें बालक के शारीरिक, चारित्रिक, बौद्धिक, नैतिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के समुचित विकास पर बल दिया जाता है।

मूल शब्द – अभिवृत्ति एवं अनुप्रयोग।

प्रस्तावना –

RS-CIT एक राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक प्रमाणित आईटी कोर्स जिसका उद्देश्य छात्रों, पेशेवरों और गृहिणियों को बेसिक कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करना है। इस कोर्स को कंप्यूटर के फंडामेंटल और प्रैक्टिकल कार्य दोनों को कवर करने के लिए संरचित किया गया है, जो इसे सभी उम्र के लोगों के लिए इजी और फायदेमंद बनाता है।

आर.एस.सी.आई.टी. पाठ्यक्रम (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम ही एकमात्र विकल्प है! आरएससीआईटी पाठ्यक्रम एक संपूर्ण कंप्यूटर शिक्षा है जो लोगों को महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्षमताओं और ज्ञान से लैस करने के लिए बनाई गई है।

RKCL का RS-CIT कोर्स आईटी साक्षरता का राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है, जिसके अंतर्गत कम दर पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवा कर डिजिटल क्षेत्र में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है। RKCL का RS-CIT कोर्स विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक योग्यताओं मे शामिल है।

राजस्थान सरकार ने डिजिटल साक्षरता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक उल्लेखनीय परियोजना, RSCIT फ्री कोर्स फॉर फीमेल 2024 शुरू की है । इस कोर्स से पूरे राज्य की महिलाएं मुत बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। आरएससीआईटी पूर्ण रूप राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र राजस्थान ज्ञान निगम लिमिटेड (आरकेसीएल) द्वारा राजस्थान, भारत राज्य में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इस प्रकार कम्प्यूटर की बहुउपयोगिता व बढ़ते हुए क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आर.एस.सी.आई.टी. की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

अध्ययन का महत्व :–

शिक्षकों की बहुमुखी प्रतिभा उनकी योग्यता, क्षमता, रूचियों और ज्ञान के आधार पर बनती है। आने वाले समय की क्या आवश्यकताएं होगी? बच्चे उनका समाना कैसे कर सकेंगे? उनके लिये इस समय क्या चीजें उपलब्ध करवानी आवश्यक है तथा कैसे उपलब्ध हो सकेंगे? इन बातों के बारे में शिक्षक को लगातार जागरूक रहना पड़ता है। इन्हीं को ध्यान में रखकर शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यदि शिक्षक को आर.एस.सी.आई.टी. का ज्ञान है तो वह विद्यालयों में पढ़ने

वाले छात्र–छात्राओं को इस संबंध में जागरूक कर सकता है तथा इसकी महती आवश्यकता के बारे में अधिक अच्छे ढंग से स्पष्ट कर सकता है।

आरएस–सीआईटी लोगों को महत्वपूर्ण आभासी साक्षरता क्षमताओं से लैस करता है, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी की संभावनाओं की एक विशाल विविधता के लिए अधिक आकर्षक आवेदक बन जाते हैं।

आरएस–सीआईटी से प्राप्त ज्ञान के साथ, लोग कुशलतापूर्वक ऑनलाइन सरकारी पोर्टलों पर नेविगेट कर सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें फाइलों के लिए आवेदन करना, रिकॉर्ड तक पहुंच और भुगतान करना शामिल है।

आरएस–सीआईटी लोगों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आत्मविश्वास और कौशल प्रदान करके व्यक्तिगत सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

जो लोग पहले से ही काम पर रखे गए हैं, उनके लिए आरएस–सीआईटी प्रमाणीकरण उनके समकालीन निगम के अंदर कैरियर विकास की संभावनाओं को जन्म दे सकता है या नए पेशे के रास्ते खोल सकता है जिसके लिए डिजिटल साक्षरता क्षमताओं की आवश्यकता होती है।

आरएस–सीआईटी स्नातक डिजिटल विपणन, ई–कॉमर्स, इंटरनेट विकास, आदि जैसे क्षेत्रों में उद्यमशीलता के अवसर तलाश सकते हैं, तथा अपने स्वयं के समूह शुरू करने के लिए अपनी नई डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं।

आरएस–सीआईटी रिकॉर्ड निर्माण के क्षेत्र में निरंतर सीखने और कौशल विकास के लिए आधार तैयार करता है, तथा व्यक्तियों को उन्नत प्रमाणपत्र और प्रकाशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। डिजिटल साक्षरता क्षमताओं को प्रस्तुत करके, आरएस–सीआईटी आभासी समावेशन को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी पृष्ठभूमि के लोगों के पास प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की समान पहुंच और प्रतिभा हो।

इस प्रकार आर.एस.सी.आई.टी. के द्वारा किसी भी काम को बहुत तेज गति से करना जो और जितना काम बताया जाए वह और उतना ही काम करना, हर काम को पूरी तरह सही करना, अपनी और से कोई भूल या गलती न करना, अपना काम बिना रूके बिना मद्द के करते रहना, आंकड़ो के भण्डार को कम जगह में संग्रह करके रखना, आवश्यकता पड़ने पर सरलता से उपलब्ध करवाना आदि सम्भव है।

अध्ययन का औचित्य :–

अनुसंधानकर्त्री ने वर्तमान में आर.एस.सी.आई.टी. के औचित्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है–

1. शिक्षार्थियों के लिये –

अ. शिक्षार्थियों का आर.एस.सी.आई.टी. के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा।

ब. आर.एस.सी.आई.टी. के विभिन्न पहलुओं को सरलता से जान सकेंगे।

ग. शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो सकेगा।

2. शिक्षकों के लिये –

अ. शिक्षकों में आर.एस.सी.आई.टी. के महत्व से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

ब. आर.एस.सी.आई.टी. के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा।

स. शिक्षकों में लिंग संबंधी अन्तर को नजरअंदाज करने की भावना का उदय होगा।

द. आर.एस.सी.आई.टी. के प्रति ग्रामीण व शहरी का भेदभाव दूर करने के कारणों की जानकारी होगी।

3. शिक्षा नीति निर्धारकों के लिये –

अ. आर.एस.सी.आई.टी. के प्रसार में सहायता प्राप्त होगी।

ब. प्रसारित किये गये संसाधनों के उपयोग की सुनिश्चितता होगी।

स. विभिन्न प्रकार की योजनाओं में आर.एस.सी.आई.टी. की सहायता ले सकेंगे।

अनुसंधानकर्त्री की नजर में यह कार्य एक नवाचार शैक्षिक लक्ष्य पर विद्यालयोपयोगी, समाजोपयोगी एवं अध्यापकों के लिए फलदायी होगा, जिससे हम राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (RS-CIT) की विद्यालयों में अनुप्रयोग के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति को जान सकेंगे। किसी भी अध्ययन की सार्थकता उसकी आवश्यकता के स्वरूप एवं उपयोगात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है। साथ ही इस संदर्भ में यह देखा जाता है कि अध्ययन समाज को क्या नई दिशा देने वाला है। उपर्युक्त मानक रूपी दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में RS-CIT के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापकों के अभिमत का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना :–

1. ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में RS-CIT के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापकों के अभिमत में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिसीमन :–

1. शोध में राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले को सम्मिलित किया गया है।
2. शोधार्थी द्वारा उदयपुर जिले के 50 सरकारी व 50 निजी कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

शोधविधि :–

प्रस्तुत शोध में उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्री द्वारा दत्त संकलन हेतु सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण :–

अभिवृत्ति मापनी :–

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री द्वारा RS-CIT के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापकों के अभिमत के मापन के लिए स्वनिर्मित मापनी को आधार माना गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान, प्रमाणिक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात मान की गणना की गई है।

समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण :–

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्त्री ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है –

सारणी संख्या – T.IV.1

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में RS-CIT के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापकों के अभिमत के फलांको के सम्बन्ध में मध्यमान अन्तर की सार्थकता

अध्यापक	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रांतिक अनुपात मान (C.R.Value)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
ग्रामीण	50	28.91	7.85	1.30	सार्थक अन्तर नहीं हैं।	
शहरी	50	30.42	6.28			

(df=N1+N2 -2=50+50-2=98)

विश्लेषण :–

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से कम है। इस आधार पर परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है। अर्थात् ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में RS-CIT के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापकों के अभिमत में सार्थक अंतर नहीं है।

आरेख संख्या – 1

ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में RS-CIT के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापकों के अभिमत के प्राप्तांकों के मध्यमानों का दण्डारेखीय प्रदर्शन

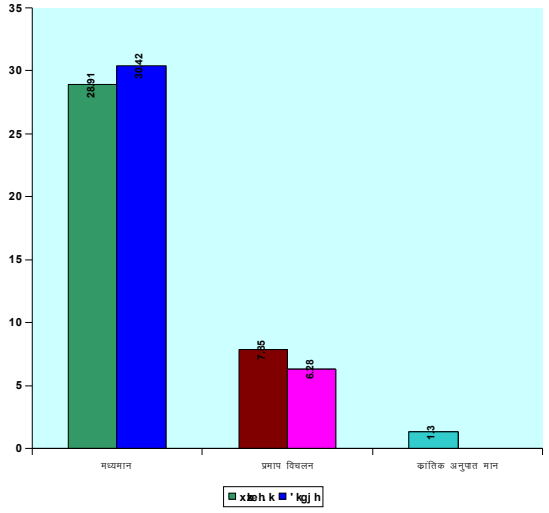

निष्कर्ष निरूपण –

1. सरकारी एवं निजी अध्यापकों की RSCIT के प्रति अभिवृत्ति में 0.05 एवं 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर है अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गई।

हिन्दी संदर्भ साहित्य

1. अरोड़ा, श्रीमती रीता (2005) : ''शिक्षण एवं अधिगम के मनो सामाजिक आधार'' शिक्षा प्रकाशन जयपुर, पृष्ठ संख्या. 326–327

2. कपिल, एच के. (1979) : अनुसंधान विधियाँ'' द्वितीय संस्करण हरिप्रसाद भार्गव हाऊस आगरा, पृष्ठ संख्या–23

3. कोठारी, सी.आर. (2008) :''अनुसंधान विधिशास्त्र विधियाँ और तकनीकी'' न्यूरोज इन्टरनेशनल लिमिटेड पब्लिकेशन कारपोरेशन, आगरा पृष्ठ संख्या–2

4. जायसवाल, सीताराम (1994) : 'शिक्षा मनोविज्ञान' आर्य बुक डिपो मंदिर करोल बाग नई दिल्ली पेज 221

5. ढोढियाल, एस. पाठक (1990) : ''शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर पृष्ठ संख्या–51

6. पाठक,पी.डी. (2007) : ''शिक्षा मनोविज्ञान'' विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, पृ.सं. 245, 552,450

7. भटनागर, आर.पी.(1973): ''शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व'' द्वितीय संस्करण विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृष्ठ संख्या–107

8. भटनागर, सुरेश, (1996) : ''शैक्षिक प्रबन्ध और शिक्षा की समस्याएं'', सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ, पृ. स. 440.

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव का योगदान

डॉ. कैप्टन
(सी.बी.लाल)
छैल बिहारीलाल श्रवास्तव
ग्वालियर

डॉ. मिथिलेश कुमारी श्रीवास्तव
सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी
(आर ई एस) माध्यमिक शिक्षा विभाग,
बीकानेर, राजस्थान
संयोजक शिक्षक शिक्षा अजमेर
राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास
चित्तौड़ प्रान्त राजस्थान

आप को यह जानकर बहुत सुखद, आनन्द, और गर्व अनुभव होगा जब आप यह जानेगें कि डाक्टर मनोरमा श्रीवास्तव अपने जीवन के 93 वंसत पार कर आज भी 94 वर्ष की आयु में गुजरात के गवर्नमेंट हास्पिटल चला, वापी नगर गुजरात में विशिष्ट रूप से (D.G. O.) गायनिक एण्ड ओबेस्ट्रिक विभाग में (H.O.D) हैड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर पदासीन हैं। यह हास्पिटल मैडीकल कॉलेज गुजरात सरकार से सम्बद्ध है ।

अतः वे गायनिक एण्ड ओबेस्ट्रिक विभाग की रेग्युलर क्लासेस का अध्ययन अध्यापन कार्य भी कुशलतापूर्वक कराती हैं। वे अपने इस विषय की वर्कशॉप, सेमीनार आदि अनेकानेक गतिविधियो का संचालन भी करती हैं ।

उनके लम्बे गहन चिकित्सकीय अनुभव , विलक्षण योग्यता , उत्साह व सामर्थ्य के चलते , गुजरात सरकार ने विशिष्ट सेवाओं के अंतर्गत उनकी सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय किया और इन्होने भी अपने नवें दशक की आयु में भी इसे स्वीकार कर यह सिद्ध किया कि उम्र केवल एक गिनती व संख्या मात्र है , यदि आप में जज्बा है , साहस है , हिम्मत है, आत्म विश्वास है तो ,(93 वर्ष की)उम्र भी कोई मायने नहीं रखती , मायने रखता है आपका हौसला जिससे आज भी वे निर्बाधरूप से हास्पिटल व मैडीकल कॉलेज वापी चला गुजरात में सेवायें दे रही हैं। उनके इस जज्बे और इनकी समर्पित कर्मठ व्यक्तित्व उत्साहित जीवन हिम्मत व जीवन्तता को सलाम है ।

आईये इस मुकाम पर पहुंची डॉक्टर मनोरमा श्रीवास्तव के जीवन वृत्त को जानें।

प्रारंभिक जीवन

मनोरमा जी का 'जन्म 18 अगस्त 1934 को स्वातंत्र्य पूर्व आगरा(यू पी) के पास के एक छोटे गांव एतमादपुर में हुआ था, इनकी माताश्री श्रीमती चम्पादेवी एवं पिता श्री प्रद्युम्न कुमार श्रीवास्तव संयुक्त परिवार में रहा करते थे । इनके दादा जी वहीं की कचहरी मे वकालत करते थे। इनके चाचा भी वकील थे, लेकिन इनके पिता जी इंग्लिश और ज्योलोजी में एम ए कर शिक्षा विभाग मे कार्यरत थे।

मनोरमा जी अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी का गांव में सही से इलाज सुविधा न मिल पाने के कारण देहांत हो चुका था। पिता दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे किन्तु संयुक्त परिवार के बहुत–बहुत दबाव से उन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा, लेकिन वे मन मे ठान चुके थे कि वे अपनी संतान को डॉक्टर जरूर बनाएंगे।

मनोरमा जी अपने भाई बहन में दूसरे नंबर पर थीं , एक बहन बड़ी एक बहन छोटी, और फिर सबसे छोटा एक भाई । उस जमाने में सब गांवों में अस्पताल, गर्ल्स स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि डाक संचार सुविधा भी सही से उपलब्ध नहीं थी ।

गांव का परिवार वो भी संयुक्त परिवार जहाँ दादा दादी ,ताऊ ताई मां पिता, चाचा चाची और उनके सब बच्चे एकसाथ ही रहते थे।

सुसंपन्न ,सुसंस्कारी , सनातनी, धार्मिक, सामाजिक रीति–रिवाज में परम्परावादी , या कहिये कि रूढ़िवादी, परिवार, नब्बे साल पुराना जमाना , वातावरण कैसा रहा होगा। परिवार में घर में सब छोटों को अपने से बड़े सब लोगो के सुबह शाम दोंनो वक्त चरण छूकर आशीष लेना अनिवार्य था , इसमें भूल–चूक होने पर सजा मिलती थी , फिर समझाया भी जाता था । घर मे रोज सुबह शाम आरती भजन–कीर्तन का नियम था। ढोलक, तबला बाजा, हारमोनियम , साधन घर में उपलब्ध थे और प्राय घर के सभी लोग इन्हें बजाना जानते और एक दूसरे सीखते थे।

डॉक्टर मनोरमा जी को बचपन मे सब 'शार्ट नेम मनु' कह कर बुलाते थे । 'मनु जी' बताती हैं कि हमने भी सब बजाना सीखा था। पर जब पढ़ाई की बात आई तो समस्या यह थी कि लड़कियों के तो कोई स्कूल गांव गांव मे होते ही नहीं थे , और लड़कों के स्कूल में लड़कियों को भेजने की कल्पना ही दुष्कर थी थोड़े–बहुत घर मे सीख – साख लो । फिर संयुक्त परिवार में दादा जी का कठोर अनुशासन,, वे लड़को के स्कूल में भेजने बिल्कुल खिलाफ ।

लेकिन हमारी दादी उस जमाने में भी शिक्षित थीं और लड़को के स्कूल में बच्ची को भेजने के बर खिलाफ नहीं थीं,, और पिता जी ने तो मन में पक्का ठान ही रखा था कि बेटी को डॉक्टर जरूर बनाना है । इन्हीं दिनों पिताजी एतमादपुर से गुना आ गये ।

मां पिताजी और दादी के सहयोग से बहिनों के संग बहुत हिदायतों के साथ ,मनोरमा जी का भी में गुना मे लड़कों के स्कूल मे दाखिला हो गया । जब परीक्षा हुई तो लड़को के स्कूल में भी तृतीय कक्षा में मनु प्रथम आईं ,खूब ईनाम मिले। पढ़ाई में प्रथम आने सब बहुत खुश थे । इसी समय पिताजी का फिर कुछ समय बाद गुना से भिण्ड और भिण्ड से ग्वालियर तबादला हो गया , तब ग्वालियर सैटल हो गए।

इस बीच सबकी पढ़ाई कहीं मिडिल स्कूल से चौथी पांचवीं की , कहीं हाईस्कूल से छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं की पढ़ाई चलती रही। मनोरमा जी प्रथम आते हुए अच्छे अंकों के साथ, विभिन्न गतिविधियों डिबेट, म्यूजिक, अन्य खेल कूद, कैरम, आदि मे खूब पारितोषिक भी प्राप्त करती रहीं। इनके इनाम जीतने से भी घर के सब लोग बहुत खुश रहते थे।

ग्वालियर आने पर 11 वीं क्लास में फिर सब्जेक्ट चयन की समस्या हुई, क्योंकि यहाँ भी लड़कियों के स्कूल में साईंस बायो विषय नहीं था, अन्य दोंनो बहिनों की साईंस मे विशेष रूचि नहीं थी।

शिक्षण , प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवा –

ग्वालियर मे लड़कियों के स्कूल में तो नहीं पर लड़कों के स्कूल में बायो साईंस विषय उपलब्ध था, लेकिन वह स्कूल घर से बहुत– बहुत दूर था । पैदल जाया ही नहीं जा सकता था। सब लड़के और दो चार लड़कियाँ भी सब सायकिल से स्कूल जाते थे।

दादा जी अभी भी दूर के स्कूल में लड़की को भेजने के सख्त खिलाफ खड़े थे । पहले तो मनु छोटी थी , चलो हो गया , अब लड़की भी बड़ी हो गई है । इतनी बड़ी लड़की को लड़कों के स्कूल में कैसे भेजेंगें ?? दूसरी दिक्कत स्कूल भी इतना दूर ??,

लेकिन पिताजी ने बहुत हिम्मत दिखाई, मनोरमा जी को साईंस बायो में रूचि थी पिताजी के मन में भी बेटी को डॉक्टर बनाने का संकल्प व सपना था तो उन्होनें मनोरमा जी को लड़कों के स्कूल में भर्ती भी कराया, बायो साईंस विषय भी दिलाया , सायकिल भी दिलाई और चलाना भी सिखवाया । मनोरमा जी

के ईनामों और अच्छे अंकों के सहारे से पिताजी की दाल गल गई।11वीं एवम 12 वीं क्लास में भी मनोरमा जी ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए ।

अब पी एम टी की बारी थी, किन्तु कॉम्पिटिशन की किताबें बहुत महंगी थी ,,, कहाँ से लाते, तो लाईब्रेरी का सहारा लेकर खूब मेहनत से पढ़ाई की, परीक्षा दी।

कुछ समय बाद जब कॉम्पिटिशन का रिजल्ट आया , खबर मिली कि फर्स्ट दस की मैरिट में ही मनोरमा जी का नंबर आ गया है , और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चयन हो गया है।

ग्वालियर के ही मैडीकल कॉलेज मे मनोरमा जी का एडमिशन हो गया पढ़ाई शुरू हो गई, तभी दादा जी को पता लगा कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने में मनु को कॉलेज में मुर्दों पर डिसेक्शन करने पड़ते हैं तो फिर आफत,,,, रोज कॉलेज से शाम को वापस घर आने पर नहाना जरूरी कर दिया गया , बिना नहाये कुछ नहीं । सुबह नहा धोकर जाओ फिर शाम को नहा कर ही कुछ कर पाओ , थोड़े–बहुत दिन सब चलता रहा ,, लेकिन जब मनु बीमार हो गईं , तब यह क्रम रूका।

धीरे धीरे समय के साथ सभी कठिन परिस्थिति, बहुत परिश्रम और लाइब्रेरी की सहायता से एम बी बी एस डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हुई। मनोरमा जी के प्रेक्टिकल सर्जरी में बहुत अच्छे नंबर आये तो एम एस भी साथ ही करने का मन बना ।

तब फिर एम एस की कॉम्पिटिशन तैयारी की बारी फिर पूरे मन और

लगन के साथ खूब तैयारी की,

एम एस हेतु चयन भी हो गया,

एम एस रेग्युलर क्लासेस के साथ अब कुछ–कुछ चिकित्सकीय कार्य भी चलता रहा , एम एस की फाइनल की लिखित परीक्षा व प्रेक्टिकल परीक्षाएं आयोजित होना शेष था ।

बड़ी बहन का विवाह हो ही चुका था

मनोरमा जी भी 25 वें वर्ष मे चल रही थीं तो घर मे इनके शादी–विवाह की चर्चा और दौड़भाग पूरे जोर शोर से चालू हो गई परिवार जल्द–से–जल्द अपनी यह जिम्मेदारी पूर्ण करना चाहता था।

50/60 वर्ष पूर्व बहुत ज्यादा देखा – देखी, मीटिंग– वीटिंग,डेटिंग– वेटिंग , का जमाना तो था नहीं, सहज सरल स्वभाव से अच्छा लड़का व खानदान घर परिवार देख कर शादी–विवाह तय कर दिए जाते थे।

डॉक्टर मनोरमा जी का विवाह भी उनकी एम एस फाइनल की परीक्षा सम्पन्न होने से पहिले ही आगरा के , आर्मी सर्विसेज के हैंडसम डॉक्टर लाल (आर्मी में डॉक्टर छैलबिहारीलाल श्रीवास्तव को शार्ट निक नेम डॉक्टर लाल के नाम से बुलाया करते थे सो) डॉक्टर कैप्टन लाल साथ तय कर दिया गया।

एम एस फाइनल परीक्षा की तिथि

28 अप्रैल घोषित हुई और उधर 15 दिन बाद 11 मई विवाह समारोह की तिथि तय हो गई । अब फिर धर्म संकट शादी–विवाह की तैयारी पर,रीति–रिवाजों पर, ध्यान केंद्रित करें कि एम एस फाइनल की परीक्षा पर, खैर तैयारियाँ अपनी जगह चलती रहीं लेकिन मनोरमा जी ने फोकस अपनी लिखित और प्रेक्टिकल परीक्षा पर ही रखा।

परिणाम घोषित होने पर वे एम एस परीक्षार्थियों मे सर्वोतम प्रदर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रहीं। चौन की सांस के साथ 15 दिवस बाद विवाह समारोह भी ग्वालियर में बहुत ही शानदार और धूमधाम पूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ।

पारिवारिक जीवन संघर्ष

आर्मी डॉक्टर कैप्टन साहब बहुत खुले दिल और सात्विक विचार वाले अति सज्जन सरल सहज शांत आत्मीय दयालु हँसमुख स्वभाव के थे , वे एक तरह से देव तुल्य इन्सान थे । उनके साथ मनोरमा जी ने देश विदेश में अपने चिकित्सकीय अध्ययन लेखन पत्रों के पेपर रीडिंग की कई वर्कशॉप व सेमीनार्स में भाग लिया।

तभी विवाह के कुछ समय बाद दाहोद (गुजरात) के रेल्वे सरकारी हास्पिटल में डॉ. मनोरमा जी को पोस्टिंग मिल गया ,जौईन किया, कुछ समय दाहोद ही रहीं कि ग्वालियर के मैडीकल कॉलेज ने उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद का ऑफर भेजा तो वापस अपने शहर लौटना हितकर लगा , तो वे ग्वालियर लौट कर असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के पद पर पदासीन हुईं।

डॉक्टर कैप्टन सा भी शार्ट कमीशन पूर्ण करने पर ग्वालियर के ही एक अस्पताल में अच्छा जाब ऑफर मिल गया था, तब ग्वालियर सैटल हो गये । अब तक इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो चुकी थी ।1961 में ग्वालियर में सैट हुये ही थे , कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध शुरू हो गया , और डॉक्टर कैप्टन लाल ,(डॉक्टर सी बी लाल, छैलबिहारीलाल श्रीवास्तव. जिनको आर्मी वाले निक नेम डॉ लाल के नाम से बुलाते थे) इनको नेसेसरी सर्विसेज में वापस आर्मी सेवा हेतु बुला लिया गया'।

डॉक्टर साहब युद्ध हेतु तो गये ही , सरकारी आह्वान पर मनोरमा जी और कैप्टन डॉक्टर सा ,दोनों ने अपनी एक एक माह की सैलरी भी देश सेवार्थ डोनेट की। युद्ध खत्म होने के कुछ समय बाद डॉक्टर सा वापस ग्वालियर आए , राहत मिली।

दो तीन साल का समय थोड़े–बहुत अच्छे से निकला , इस समय तक इन को (बड़ा बेटा अमिताभ, एक बेटी उर्वशी, व छोटे बेटे मोहित) तीन संतान की प्राप्ति हो चुकी थी, गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ी ही थी, कि 1965 में फिर भारत – पाकिस्तान की लड़ाई चालू हो गई, इमर्जेंसी सेवाओं में डॉक्टर सा को फिर आर्मी चीफ ने बुला लिया, और इस बार उनको फ्रंट फील्ड की ऐंबुलेंस सेवा में लगाया गया फ्रंट फील्ड पर घायल सैनिकों के उपचार में भेजी गई ऐंबुलेंस भी , युद्ध में फायरिंग की चपेट मे आ गई, स्वयं डॉक्टर सा को , सिर में भी चोट लगी, थोड़े–बहुत अन्य चोटें भी आईं'।

लेकिन घर पर कोई समाचार देने की ना सुविधा थी ना इजाजत।

इधर शहरों में रात होते ही ब्लैक आऊट हो जाया करता था, छोटे तीन बच्चो के साथ मनोरमा जी जीवन संघर्ष में लगीं थी , भगवान का ही भरोसा था, चिकित्सकीय कार्य के साथ –साथ, पूजन , भजन, रामायण आदि पढ़कर कुशलता से कैप्टन डॉक्टर साहब के आने की राह देखती रहती थीं ।

तेरह चौदह दिन बाद काफी पहिले लिखा डॉक्टर साहब का एक पत्र मिला, (फोन या मोबाइल तो उन दिनों हर जगह उपलब्ध थे ही नहीं)।पत्र से पता लगा कि भारतीय सेना के साथ ये लोग पाकिस्तान में रावलपिंडी तक पहुंच गए हैं।

लड़ाई लगभग 23 दिनों तक चली। लड़ाई खत्म होने के बाद भी कैप्टन डॉक्टर साहब घर नहीं लौटे , रेडियों पर खबरे बताई जाती थीं , कितना सही , कितना गलत, कुछ समझ नहीं आता था, बहुत चिंतित रहतीं , फिर पता लगा कि अभी छुट्टियाँ आदि सब बंद ही हैं ,जिनको दी गईं हैं , वे भी आधी ही, दी गई हैं।

डेढ़ दो माह बाद डॉक्टर सा वापस आये वे अपने साथ नमूने के तौर पर पाकिस्तान के टिकट करेंसी, आदि चीजें बच्चो को दिखाने को लाये भी थे।

विवाह के बाद प्रारंभिक वर्ष इस तरह संघर्ष में गुजरे , समझ आया कि , आर्मी सेवा एकबार जोईन करने के बाद सहज ही छोड़ नहीं सकते , फिर 4 साल बाद पूर्ण सेवानिवृत्त हो आर्मी सर्विसेज से मुक्त हुए ।

सामाजिक सेवा सारोकार –

अब इधर तीनों बच्चे भी , बायोसाईंस ले कर, कॉम्पिटिशन से डॉक्टरी हेतु मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में ही पढ़ने लगे थे।

तब सोचा कि अब अपना ही एक हास्पिटल शुरू कर लिया जाए, तब दौलतगंज ग्वालियर में 'श्रीवास्तव नर्सिग होम' के नाम से अपना हास्पिटल शुभारंभ किया।

नर्सिग होम बहुत–बहुत अच्छे से चला ,

क्योंकि नीचे मंजिल में हास्पिटल –प्रसूति गृह , जांच , ऑपरेशन थियेटर, दवा , आदि की व्यवस्था और ऊपर की मंजिल में डॉक्टर परिवार का निवास। चौबीसों घंटे डॉक्टरी और मेडिकल सेवा सुविधा उपलब्ध रहती थी।

मनोरमा जी और डॉक्टर साहब की उदारतावादिता और मेहनत से हास्पिटल पूर्ण प्रगति पर था, अनेक जटिल ऑपरेशनस् सफल हुए, अनेक प्रसूताओं ने अपनी होनहार संताने प्राप्त की, हास्पिटल ने बहुत बहुत अच्छी ख्याति अर्जित की।

इन्हीं दिनों नर्सिग होम में एक विशिष्ट घटना हो गई आसपास के किसी गांव से एक दम्पति अपनी गर्भवती पत्नी को नर्सिग होम हास्पिटल में भर्ती कराया फिर बालक के जन्म के बाद पत्नी को लेकर अपने नवजात शिशु को डॉक्टर मनोरमा जी को दिखाया और शिशु को हास्पिटल में एक नर्स के पास , नर्स को अभी आते हैं ये कहकर शिशु को छोड़कर , नर्सिग होम से चले गये , लेकिन फिर लौट कर आये ही नहीं । लिखाये गए पते पर खोज खबर ली गई, तब पता वगैरह सब गलत निकला , शिशु नर्सिग होम में ही था तो अन्य कानूनी आवश्यक कार्रवाई जो भी की जानी चाहिए थी की गईं , पर कोई परिणाम नहीं निकला।

माता पिता को खो चुका भोला अनाथ बालक नर्सिगहोम में नर्सों , मनोरमा जी ,डॉक्टर सा. व इनके बच्चों सबके दुलार प्यार के साथ बड़ा होने लगा था, धीरे धीरे समय के साथ सबका उसमें मोह बध्ध गया था, तीनों बच्चे भी उसे खूब खिलाते थे ,अब क्या किया जाए ??? अनाथालय आदि भेजने को मन नहीं माना, तो फिर उस बालक को मनोरमा जी ने विधिवत लिखा पढी के साथ अपनी चौथी संतान के रूप में 'सिद्धार्थ श्रीवास्तव' नाम देकर अडौप्ट कर लिया (गोद ही ले लिया)। नीचे नर्सिग होम की जगह अब उसका कमरा भी ऊपर निवास में तय हो गया। अपने बच्चों से भी अधिक लाड़–प्यार सके साथ वह भी बड़ा हुआ स्कूल कॉलेज सब , प्रतिभाशाली बना , पढ़ लिख कर, दिल्ली के आकाश कोचिंग इन्सीटयूट में उच्च पद पर पदस्थापित हुआ।

इसी बीच घर में बच्चों के शादी–विवाह विवाह आदि का क्रम भी चलता –चला, बड़े बेटे डॉक्टर अमिताभ का विवाह, भोपाल की डॉक्टर रूचि श्रीवास्तव के साथ, छोटे बेटे डॉक्टर मोहित का विवाह इलाहाबाद डॉक्टर बेटी अनुपमा के साथ, और स्वयं की डॉक्टर बेटी उर्वशी का विवाह पूना के डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के साथ सम्पन्न हुआ । डॉक्टर उर्वशी के ससुराल में (पति डॉक्टर संजय श्रीवास्तव) के परिवार में भी पूना में इनके माता पिता, बहन– बहनोई सब ही डॉक्टर थे।

डॉक्टर कैप्टन सा और मनोरमा जी ने सम्पूर्ण परिवार को ही देश की चिकित्सकीय सेवा मे संलग्न कर दिया ।

इन सब उपलब्धियों के साथ मनोरमा जी और डॉक्टर साहब ने ग्वालियर में सामाजिक सेवायें भी खूब की । मनोरमा जी ने अपने श्वसुर (डॉक्टर सा के पिता)श्री जगनप्रसाद श्रीवास्तव जी के नाम से रनिंग शील्ड दी , मेडिकल लाईब्रेरी में जरूरी मंहगी पुस्तकें , बहुत सी आवश्यक पठन–पाठन सामग्री डोनेट कीं।

ग्वालियर के 'कुष्ठ आश्रम में कुछ कक्षों का निर्माण' भी कराया दवा व उपयुक्त साधन सुविधा जनक सामग्री सादगीपूर्ण ढंग से भेंट की।

हास्पिटल में गरीब वर्ग की निशुल्क चौकअप , चिकित्सकीय सेवा , दवा कम्बल ,भोजन वितरण आदि कार्य अनाम रूप से किये।

सब कुछ कुशल मंगल से चल रहा था ।

कि अचानक एक अप्रत्याशित हादसे में कैप्टन डॉक्टर साहब का देव लोक गमन हो गया' ।

अचानक हुई इस दुःख भरी घटना से उबरने में कुछ समय तो लगा किन्तु डॉक्टर मनोरमा जी ने हार नहीं मानी , हार मानना बचपन से सीखा ही न था ।

हास्पिटल के काम को पुनः व्यवस्थित किया, लोगों को रोगमुक्त करने ,राहत देने – दिलाने से अधिक

समय का सदुपयोग और क्या हो सकता था।

डॉक्टर कैप्टन साहब की स्मृति में सभी मरीजों के सप्ताह में दो दिन निशुल्क चिकित्सकीय व्यस्था की वृद्ध कल्याण हेतु पूर्ण निशुल्क चौकअप रखे, निशुल्क कैंसर चिकित्सकीय शिविर आयोजन कराये।

मेडिकल कॉलेज में 5 कम्प्यूटर दिलाए और उन्हीं दिनों उड़ीसा में आए तूफान में पीड़ित परिवारों की सहायतार्थ 21 हजार रूपए दमन भिजवाए।

डॉक्टर साहब की वार्षिर्क तिथि दिवस पर कई विद्यालयों में यूनीफॉर्म स्वेटर, पठन–पाठन सामग्री, टेबलटेनिस – टेबल, व्हीलचेयर कुछ, विकलांग साईकिलें अंध विद्यालय में तबला, बाजा, हारमोनियम आदि आवश्यकतानुसार अनाम रूप से भेंट भिजवाईं।

विशिष्ट चिकित्सकीय सेवा

इन दिनों में डॉक्टर मनोरमा जी ने अपने चिकित्सकीय अध्ययन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक लेखन का कार्य भी किया ।

एक पुस्तक उन्होने अपने गायनिक सर्जरी अनुभव के आधार पर चिकित्सा क्षेत्र हेतु लिखी प्रकाशित हुई।

'My 50 yrs experience in Obstetrics and Gynecology'

एक दूसरी पुस्तक हिन्दी में अपने चिकित्सकीय सेवा उपचार कार्य के समय समय विभिन्न प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितिजन्य अनुभव हुई घटनाक्रम पर कथाओं के रूप लिखी, जो प्रकाशित भी हुई नाम था 'अंधेरों के उजाले' इन्ही दिनों इनके बड़े पुत्र डॉक्टर अमिताभ व उनकी पत्नी, पुत्रवधू डॉक्टर रूचि श्रीवास्तव अपना एक अलग हास्पिटल 'पूना में श्रद्धा साईं हास्पिटल' के रूप में स्थापित कर चुके थे।अतः वे पूना शिफ्ट हो गए।

छोटे पुत्र डॉक्टर मोहित व पुत्र वधू डॉक्टर अनुपमा वापी गुजरात में शिफ्ट हो चुके थे।

बिटिया डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव अपने पति डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के साथ अपने ससुराल के पूना के 'कृष्णा हास्पिटल' को संभाल रहीं हैं ।

चौथी संतान सिद्धार्थ श्रीवास्तव जिन्हें (गोद ले लिया था) इन्ही के हास्पिटल में जन्में थे और अन्ततः डॉक्टर कैप्टन साहब व मनोरमा जी व परिवार के अन्य सब बच्चों का भी बालक के साथ इतना मोह और अपनत्व प्रेम विश्वास बढ गया था कि फिर उस बालक को स्वयं ही डॉक्टर कैप्टन लाल साहब और डॉक्टर मनोरमा जी ने अपनी चौथी संतान की तरह विधिवत गोद ले लिया, तब उसका नामकरण सिद्घार्थ श्रीवास्तव रखा गया था, डॉक्टर मनोरमा जी ने उसे अपने सबसे प्रिय छोटे बेटे के रूप में लालन पालन किया था। बड़े होकर सिद्धार्थ श्रीवास्तव दिल्ली में आकाश कोचिंग इन्सीटयूट दिल्ली में उच्च पद पर पदस्थापित हो गये थे। उनकी लैक्चरार पत्नी गीतांजलि अपने पुत्र के साथ वे दिल्ली सैटल हैं। कोरोना काल में फिर एक गहन आघात मनोरमा जी को लगा , उनके पुत्र सिद्धार्थ श्रीवास्तव अपने साथियों को कोरोना से बचाते बचाते खुद कोरोना की चपेट में आ गए और जीवन से हाथ धो बैठे। बहुत अधिक ममता लुटाकर पाल पोस कर बड़े किये सिद्धार्थ श्रीवास्तव का इस प्रकार अचानक चले जाना भी बहुत गंभीर चोट थी, क्योंकि सबसे छोटे पुत्र के कारण सिद्धार्थ से प्रेम और ममत्व कुछ अधिक ही था लेकिन समय और संकट से उबरना तो होता ही है,यह नियति नियम है।

थोड़े–बहुत समय तो डाक्टर मनोरमा जी ने ग्वालियर के अपने श्रीवास्तव नर्सिग होम हास्पिटल को अकेले व्यवस्थित चलाया था , लेकिन फिर 2012 में ग्वालियर में अकेले रह जाने के कारण बच्चो के आग्रह से वे पुत्र डॉक्टर मोहित के साथ 2012 में वापी गुजरात आ गईं थीं ।

वापी गुजरात में शिफ्ट होने के बाद अब वे फ्री थीं ।

गुजरात में वे वापी के एक साईंबाबा मंदिर दर्शन करने जाती थीं पर लोगों को तकलीफ में देख उनके अंदर के डॉक्टर ने करवट ली, उन्होंनें मंदिर के

पुजारी को बताया कि वे एक डॉक्टर है और अगर यहाँ पर कोने में एक कुर्सी टेबल की व्यवस्था पुजारी जी करवा दें तो वे यहाँ आने वाले भक्तो को चिकित्सकीय सेवा दे सकतीं हैं।आश्वस्त होने पर दूसरे दिन ही पुजारी जी ने सहर्ष व्यवस्था उपलब्ध करा दी , पहिले दिन ही 37 लोगों ने चौकअप कराये , मालूम हुआ कि वे सब भिखारी वर्ग के है जो साईं बाबा मंदिर में भोजन प्रसादी पाने आते हैं तो उनके लिए फिर दवा व्यवस्था भी डॉक्टर मनोरमा जी ने उपलब्ध कराई।

डॉक्टर मनोरमा जी को यह सब करके बहुत सुख– सुकून अनुभव हुआ। उन्होंने गुरुवार का दिन इस कार्य क्रम के लिए निश्चित किया । इसकी जानकारी जब कुछ मिशनरीज स्कूलों वालों को लगी तो मिशन वालों ने भी उनसे सेवा कार्य हेतु सम्पर्क किया ,उसे भी डॉक्टर मनोरमा जी ने स्वीकार कर लिया । कुछ समय बाद वापी के लायंस क्लब वाले लोगों ने डॉक्टर मनोरमा जी को एप्रोच किया। इन लोगों ने भी समय समय पर आयोजित उनके कार्यो मे सहयोग हेतु डॉक्टर मनोरमा को सहयोग हेतु आमंत्रित किया और मनोरमा जी ने उनका भी भरपूर सहयोग किया ।

डॉक्टर मनोरमा जी कहती हैं इन सब गतिविधियों में उनका समय भी बहुत अच्छे से गुजर जाता है बहुत सुकून भी मिलता है इतने वर्षो का अनुभव और ज्ञान विज्ञान ध्यान में रहता है , शारीरिक डलनैस नहीं होती शरीर और मन प्रसन्न रहता है।

डॉक्टर मनोरमा जी के इन सब कार्यो की ख्याति वापी से गुजरात सरकार तक पहुंची तब 2018 में सरकारी हॉस्पिटल चला नगर वापी गुजरात जिस से मैडीकल कॉलेज भी सम्बद्ध है।

सरकार ने विशिष्ट सेवाओं में उनसे सरकारी हास्पिटल में रिक्त पड़े और आवश्यक अध्ययन अध्यापन कार्य के लिए एच ओ डी के रूप में गायनिक एण्ड ओबेस्ट्रिक विभाग में अध्यापन कार्य के लिए सम्पर्क कर निवेदन किया।

डॉक्टर मनोरमा जी बहुत पहिले भी मेडिकल कॉलेज ग्वालियर मे प्रोफेसर रह ही चुकी थीं, और हास्पिटल में गायनिक सर्जरी विशेषज्ञ भी हैं, कठिन सर्जरी भी खूब करने का अनुभव भी है। अतःडॉक्टर मनोरमां जी ने गुजरात सरकार के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया ।

अतः अब डॉक्टर मनोरमा जी (Gynechic & Obstetrics Department) डिपार्टमेंट के (H.O.D) के पद पर 2019 से सरकारी हास्पिटल चला नगर वापी गुजरात का कार्य संभाला और तब से वे अब तक वे 93 वर्ष की आयु में भी निरन्तर सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज चला वापी गुजरात अध्ययन अध्यापन कार्य में अभी संलग्न है।

प्रभु कृपानिधान की कृपा से ऐसे ही उत्साही , जीवट वाले संकल्प, हिम्मती, साहसी समर्पित , कर्मठ लोग हमारे देश की आन बान शान हैं और भी महत्वपूर्ण बात कि वे देश की महिलाओ की, आधी आबादी की, मां ! और मातृत्व की विशिष्ट चिकित्सकीय सेवा की भी प्रतिनिधि हैं।

राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त जी की पंक्तियाँ सत्य सिद्ध हैं।

'जितने कष्ट कष्टों में है'
'जिनका जीवन सुमन खिला'
'गौरव गंध उन्हें उतना ही'
'अत्र –तत्र – सर्वत्र मिला'

ईश्वर ! उन्हें सदैव जीवन्त प्रसन्नचित्त आनन्दित ऊर्जावान बनाए रखे। अपने संघर्ष–संग्राम भरे जीवन में भी डॉक्टर मनोरमा श्रीवास्तव ने चिकित्सा सेवा क्षेत्र मे जो योगदान किया है वह अतुलनीय सराहनीय अविस्मरणीय और अनुकरणीय है।

ग्लॉबल होती संस्कृति में जीवन मूल्यों का द्वंद्व

डॉ. ललित श्रीमाली
सहायक आचार्य,
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय), उदयपुर (राज.)
मो. 9461594159 ईमेल :
drlalitkumarshrimali@gmail.com

इक्कीसवीं सदी में भूमंडलीकरण के कारण एक नई किस्म का अजीबोगरीब यथार्थ हमारे सामने आ रहा है, जिसमें अपसंस्कृति का प्लावन, परिवार का विखण्डन, मध्यवर्ग का बढ़ता वर्चस्व, राज्य का जन से विलगन, सामाजिक–सांप्रदायिक सौहार्द का बिखराव जैसी परिघटनाओं को गिनाया जा सकता है। इक्कीसवीं सदी में तकनीक का प्रयोग बढ़ जाने से साहित्य का स्वरूप ही बदल गया है। इस सदी के मुद्दों को रचनात्मक अभिव्यक्ति देने का हिंदी उपन्यासों ने भी प्रयास किया है। उपन्यास को आधुनिक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी में प्रेमचंद जैसे महान उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने उपन्यास की विश्वस्तरीय ऊँचाई दी है। उपन्यास ऐसी विधा है, जिसमें यथार्थ हर हाल में रहता ही है। वर्तमान समय में भूमंडलीकरण के कारण दुनिया गोल से चपटी हो गई है। आज दुनिया के एक कोने में खड़ा व्यक्ति दूसरे कोने में खड़े व्यक्ति को देख सकता है। उससे बात कर सकता है। संस्कृति का रूप स्थानीय न रहकर वैश्विक हो गया है। पूर्व व पश्चिम की संस्कृति का मिलन होने से एक नई किस्म की संस्कृति पैदा हुई है जिसे कुछ लोग अपसंस्कृति, तो कुछ लोग सांस्कृतिक संक्रमण कह रहे हैं। भूमंडलीकरण से भारतीय संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया है। सूचना तकनीक के विकास के कारण आज हम राज्य व देश की सीमा को लांघ कर विश्व–ग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारे सामने अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। हमारा व्यवहार, सोचने, समझने और देखने के तरीके बदल गए हैं।

भूमंडलीकरण के कारण आज हम पश्चिम की संस्कृति के ज्यादा निकट पहुँच गए हैं। एक समय था जब मध्यवर्ग आर्थिक समूह से ज्यादा सांस्कृतिक समूह था और अपनी ऐतिहासिकता के साथ जीता था। क्षेत्र विशेष के लोगों की एक अलग पहचान होती थी। मुनष्य जहाँ पर जन्म लेता था। उसी स्थान पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता था। आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। रोजगार के नए–नए अवसर पैदा हो गए हैं। युवा पीढ़ी में आजीविकावाद ने जन्म ले लिया है। वर्तमान पीढ़ी बहुत जल्दी–जल्दी शहर बदल लेती है। शहर बदलते ही उनकी संस्कृति बदल जाती है। सोच बदल जाती है। पहनावा बदल जाता है। खान–पान बदल जाता है।

ममता कालिया के उपन्यास 'दौड़' के नायक पवन की तरह कितने ही पवन अपनी स्टैला के साथ माता–पिता की मर्यादाओं और परम्परागत संस्कृति की ध ाज्जियाँ उड़ाते हुए न जाने कौनसी मृगतृष्णा में भागे जा रहे हैं। पवन एम.बी.ए. करने के बाद अहमदाबाद में था तब उसने वहाँ कम्प्यूटर इंजिनीयर स्टैला से अपनी सगाई करके इलाहाबाद में रहने वाले अपने माता–पिता को सूचित किया कि उसने लड़की पसंद कर ली है और अगले महीने यानी जुलाई में शादी कर लेंगे। पांडे परिवार पवन की खबर पर हतबुद्धि रह गया। पवन की माँ अहमदाबाद जाकर पवन से मिलने का निश्चय करती है और वहाँ पहुँचकर जब स्टैला को देखती है तो पवन से कहती है ''पुन्नु यह सिलबिल–सी लड़की तुझे कहाँ से मिल गई?''

पवन ने कहा, ''तुम्हें तो हर लड़की सिलबिल नजर आती है। इसका लाखों का कारोबार है।''

''पर दो कौड़ी की है। यह तो बिल्कुल तुम्हारे

लायक नही।''

''यही बात तुम्हारे बारे में दादी माँ ने पापा से कही थी। क्या उन्होंने दादी की बात मानी थी बताइए।''

रेखा का सर्वांग संताप से जल उठा। उसका अपना बेटा, अभी कल की इस छोकरी की तुलना अपनी माँ से कर रहा है। और उन सब जानकारियों का दुरुपयोग कर रहा है जो घर का लड़का होने के नाते उसके पास है।

''मैने तो ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो शादी के पहले ही पति के घर में रहने लगे।''

''तुमने देखा क्या है माँ? इलाहाबाद से निकलोगी तो देखोगी न। यहाँ गुजरात, सौराष्ट्र में शादी तय होने के बाद लड़की महीने भर ससुराल में रहती है। लड़का–लड़की एक दूसरे के तौर तरीके समझने के बाद शादी करते हैं।''

''पर यहाँ ससुराल कहाँ हैं?''

''माँ स्टैला अपना कारोबार छोड़कर तुम्हारे कस्बे में तो जाने से रही। उसका एक–एक दिन कीमती है।''

रेखा भड़क गई, ''अभी तो यह भी तय नहीं है कि हम इस रिश्ते के पक्ष में हैं या नहीं। हमारी राय का तुम्हारे लिए कोई अर्थ है या नहीं।''

''बिल्कुल है तभी तो तुम्हे खबर की, नहीं तो अब तक हमने स्वामी जी के आश्रम में जाकर शादी कर ली होती।'' ''बिल्कुल गलत बात कर रहे हो पुन्नू यही सब सुनाने के लिए बुलाया है मुझे।''

''अपने आप आई हो। बिना खबर दिये। तुम्हारे इरादे भी संदिग्ध थे। तुम्हे मेरा टाइम टेबल पूछ लेना चाहिए था। मान लो मैं बाहर होता।''

रेखा को रोना आ गया। पवन पर अप्रिय यथार्थ का दौरा पड़ा था जिसके अंतर्गत उसने अपनी शिकायतों के शर–शूल से उसे लथपथ कर दिया।1

आज की समस्या यह है कि नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच मुख्यतः मध्यवर्गीय परिवारों में संघर्ष मचा हुआ है। दुनिया में चारों तरफ आज एक ही तरह की संस्कृति है जिसे हम भूमंडलीय संस्कृति कह सकते हैं। यह खुदगर्जी, मुनाफे व निर्ममता की संस्कृति है। आज की संस्कृति ऐसी संस्कृति हो गई है जिसमें नई पीढ़ी ने संबंधों के मूल्य और अर्थ को बदला ही नहीं बल्कि नष्ट कर दिया है। वरिष्ठ कथाकार रवीन्द्र कालिया का उपन्यास 'ए.बी.सी.डी.' पूर्व व पश्चिम की संस्कृतियों के बीच हो रहे संक्रमण और द्वंद्व को पूरी शिद्दत के साथ उभार कर हमारे सामने रखता है इसमें पश्चिम में रह रहे प्रवासी भारतीयों के सांस्कृतिक संकट को बताया गया है। भारत से जाने वाले लोग अपने साथ भारतीय संस्कार और संस्कृति लेकर जाते हैं, जबकि पश्चिम में उन्हें एक अलग ही संस्कृति व परिवेश मिलता है। मनोज कुमार पाण्डेय इसके लेप पर लिखते हैं– ''भारतीयों की दृष्टि में पश्चिम की संस्कृति अपसंस्कृति है तो पश्चिम की दृष्टि में भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई और असभ्य। ए.बी.सी.डी. इन्हीं दो विपरित सांस्कृतिक छोरों के द्वंद्व की एक सघन झलक पेश करता है।''2 पश्चिम में जाने वाला प्रत्येक भारतीय अपने अंदर अपनी रूढ़ियाँ, संस्कार और अपनी धार्मिक चेतना बचाकर रखना चाहता है। लेकिन इनके सामने संकट तब पैदा होता है जब इनके बच्चे बड़े होते है जो कि वहाँ की संस्कृति में पले–बढ़े हैं। उनके खून में भारत किन्तु परिवेश में पश्चिम है। इस तरह के प्रत्येक परिवार में सांस्कृतिक द्वंद्व का जन्म होता है। जिसे हम पीढ़ियों के बीच का द्वंद्व न कहकर भिन्न संस्कृतियों या जीवन मूल्यों का द्वंद्व कह सकते हैं। उपन्यास में पंजाब का रहने वाला हरदयाल और उसकी पत्नी शील कनाड़ा में रहते हुए भी भारत से जुड़े हुए हैं। तो दूसरी ओर अमेरिकी संस्कृति में पली–बढ़ी उनकी बेटियाँ, शीनी और नेहा है, ये भारतीय संस्कृति के बारे में संशयग्रस्त हैं और इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। हरदयाल व शील का हमेशा शीनी और नेहा से झगड़ा होता था क्योंकि शील डेट पर जाने का मतलब निकालती थी कि गोरे के साथ मुँह काला करने जाना है। नेहा के लिए यह बात कुछ भी मतलब नहीं रखती क्योंकि उसके स्कूल की सहेलियाँ आये दिन किसी–न–किसी के साथ डेट पर जाती रहती थीं। नेहा सोचती है कि औसत हिन्दुस्तानी अभिभावक का मानना है कि लड़का व लड़की एकान्त पाते ही सेक्स करने लगेंगे।

नेहा व शीनी उनके माता–पिता के बारे में यह मानने को तैयार नहीं होती है कि शादी से पहले मम्मी (शील) और डैडी (हरदयाल) ने एक दूसरे से विधिवत बातचीत तक न की थी। शादी की तस्वीर देखकर शीनी कहती, ''ऐसा लगता है कि दो बाल ब्रह्मचारियों की जोर जबरदस्ती से शादी करके तस्वीर खींच ली गई है। मम्मी ने सिर ऐसे ढाँप रखा है जैसे बहुत बर्फ गिर रही हो और डैडी को तो देखो, कैसी गोल टोपी पहन रखी है। लगता है खास तौर पर शादी के लिए खरीदी थी।''3 शीनी की माँ जब बैंक में नौकरी करने वाली अपूर्वा का उदाहरण शीनी के सामने देती और कहती है कि वह पैंतीस की हो गई और कभी डेट पर नहीं गई। शीनी अपूर्वा को हिन्दुस्तान जाकर साध्वी बनने की सलाह दे देती है। अपूर्वा के जाने के बाद शील ने शीनी को डॉटा तो शीनी ने अत्यंत बदतमीजी से जवाब दिया– ''माँ सिर्फ दिन रात सलवार पर पहरा देने वाली लड़कियाँ ही पवित्र नहीं होती।''4 शील कहती है कि माँ–बाप दुश्मन नहीं होते हैं। शीनी कहती हैं– ''यहाँ आकर दुश्मन भी हो जाते हैं। कुलभूषण जी ने अपनी बिटिया को कितने अनुशासन में रखा हुआ था, बेचारी अवसादग्रस्त होकर छत के कुंडे से झूल गई। उसकी माँ बडे गर्व से अफसोस में आये लोगों को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रही थी कि वह कुंआरी थी।''

''फाँसी पर झूल गई, मगर अपनी इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया।'' शील ने कहा, ''यों ही दुनिया में सीना तान कर नहीं खड़ा भारत।''5 इस तरह शीनी व शील में रोजाना बहस होती थी शील परेशान होकर कहती, ''तुम्हारे जैसी संतान भगवान किसी को न दे।'' जो माँ बाप की दुश्मन हो जाए। मैं तो अपने को कोसती रहती हूँ कि ऋषियों मुनियों की पवित्र धरती छोड़कर यहाँ क्यों चली आयी। पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, जिसका दंड भोग रही हूँ।''6 शीनी उसकी माँ को राष्ट्रविरोधी तक करार दे देती है, वह कहती है यहाँ की नागरिक होकर तुम्हारी लायल्टी दूसरे देश के साथ है। मैं तो यहाँ पैदा हुई थी और यही की जीवन शैली अपनाऊँगी। शील कहती है कि जीवन शैली अपनाने से तुम्हें किसने रोका है। मैं तो कहती हूँ कि नारी सुलभ गुणों को याद रखो। नारी का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है। शील है। कोमलता है। कन्याओं का तो कौमार्य भी है। माँ का रटा–रटाया भाषण सुनकर शीनी भड़क गई, ''तुम लोगों की सारी नैतिकता चड्डी तक सीमित है।'' शीनी एक दिन माँ से भीड़ जाती है और पूछती हैं– ''चड्डी के भीतर क्या हीरे जवाहरात रखे हैं?''

''हमारी संस्कृति में तो यह हीरे जवाहरात से भी ज्यादा मूल्यवान है। हीरा खो जाए तो दुबारा खरीदा जा सकता है, मगर इसे नहीं। यह स्त्री का ऐसा आभूषण है, जो खो जाने पर दुबारा हासिल नहीं किया जा सकता।

''माँ, मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तानी लोग अपनी बेटियों के यौन जीवन के प्रति इतना क्रूर क्यों हो जाते हैं। अपनी बेटी की उम्र तक छह बच्चे पैदा करने वाले माँ–बाप भी बेटी को दिमागी तौर पर चेस्टिटी बेल्ट पहनाते रहते हैं।'' ''यह कौनसी बेल्ट होती है। मेरे साथ ज्यादा अंग्रेजी न जाड़ा करो।''

''गुप्तांग पर ताला लगाने वाली पेटी।''7

माँ व बेटी के वार्त्तालाप के इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो गया कि शील व शीनी में पीढ़ियों का अन्तर न होकर संस्कृतियों का अन्तर है। क्योंकि शील के अन्दर कनाड़ा में बसने के बावजूद के बावजूद भी भारतीय संस्कार हैं लेकिन शीनी का जन्म ही कनाड़ा में हुआ है, उसने भारतीय परिवेश के बारे में सुना है देखा नहीं है। अतः दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहता है और यह द्वंद्व पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का द्वंद्व है।

शीनी की छोटी बहन नेहा अपनी सहेली एस्टैला से पूछती है कि क्या वह कभी डेट पर गई है तो उसने सादगी के साथ बताया कि वह हर वीकएंड को डेट पर जाती है और उसके घरवाले इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। बाद में नेहा उससे कहती है कि बुरा नहीं मानो तो तुमसे एक निजी सवाल पूछना चाहती हूँ। एस्टैला ने हामी भरी तो नेहा ने कहा, ''क्या तुम अभी तक पवित्र हो?''

''बड़ा बेहूदा सवाल है। पवित्र से तुम्हारा क्या अभिप्राय है?''

''आई मीन कि क्या तुम वर्जिन हो?''

एस्टैला ने बहुत जोर से ठहाका लगाया, ''मैं तो साल भर से गर्भनिरोधक पिल्स पर हूँ। अच्छा तो अब तुम बताओ कि क्या तुम अभी तक वर्जिन हो?''

नेहा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लजाते हुए बोली, ''और क्या?''

''मुझे तो वर्जेनिटी एक बोझ लगने लगी थी। मैं जल्द से जल्द उससे छुटकारा पा लेना चाहती थी ताकि समान्य जीवन जी सकूँ। सच तो यह है कि मैं इससे आब्सैस्ड नहीं रहना चाहती थी।''

''तो तुमने क्या किया?'' नेहा ने उत्सुकतावश पूछा।

''मुक्ति पा ली। और क्या?''

''कैसा था तुम्हारा अनुभव?''

''बहुत खराब। अनाड़ीपन की भोंडी मिसाल। चार पाँच सेकेण्ड में ही वारे न्यारे हो गये। आई फाउंड इट लैस इराटिक दैन ए गाइनिकॉलजिकल एग्जाम।''

एस्टैला की बात सुनकर नेहा बहुत निराश हुई। एस्टैला ने नेहा को भींचते हुए कहा, ''निराश न हो मेरी जान। यही से स्वर्ग के आनंद द्वार भी खुलते हैं। मेरे लिए तो प्रत्येक वीकएंड एक नयी एक्स्टेसी, एक नया हर्षोन्माद लेकर आता है। तुम अभी बच्ची हो, ये बातें तुम्हारी समझ में न आयेंगी। मैंने सुना है ज्यादातर हिन्दुस्तानी लड़कियाँ उसी तरह वर्जेनिटी को चिपकाये घूमती हैं, जैसे– बंदरिया मरे हुए बच्चे को।''8

नेहा एस्टैला से नाराज हो जाती है और कहती है कि हमारे यहाँ हर काम के लिए उम्र तय है। नेहा और एस्टैला की सोच में भी अन्तर है क्योंकि नेहा हिन्दुस्तानी परिवार से है व एस्टैला कनाड़ाई परिवार से। नेहा व शीनी के मित्र घर आते तो एक दूसरे को छूकर बाते करते या कभी शिष्टाचारवश चुंबन भी ले लेते तो शील का पारा चढ़ जाता था। वह देखती अंग्रेजों को यह छूनेछूआने की और चूमाचाटी करनी की कितनी बुरी आदत है। इन्हें जरा भी तमीज नहीं है कि औरतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उपन्यास के एक अन्य पात्र स्वामी अपूर्वानंद जिनका कनाड़ा में बस रहे भारतीयों में सम्मान है वे भी अपने प्रवचन के माध्यम से सांस्कृतिक संक्रमण की ओर संकेत करते हैं। वे कहते है, ''संसार में कलयुग पश्चिम के रास्ते ही आया है। आप लोग इस देश में रहे हुए कभी हीनता की भावना से ग्रस्त मत होइए। कभी यह मत भूलिए कि आप उस महान देश से आये हैं। जिसकी संस्कृति यहाँ की संस्कृति से प्राचीन ही नहीं अति उत्तम रही है। मैं देख रहा हूँ, यहाँ संस्कृति का नहीं अपसंस्कृति का ही विस्तार हो रहा है।..... शादी विवाह के मामले में सतर्क रहिए। ये लोग यौनगत नैतिकता में विश्वास नहीं करते, इसलिए इनके यहाँ तलाक आम है। हमारे यहाँ विवाह को जन्म जन्मांतर का पावन रिश्ता माना जाता है।''9

हरदयाल की बड़ी बेटी शीनी जब तलाक लेने पर उतारू हो जाती है तो हरदयाल भारत में अपने रिश्तेदारों के माध्यम से ज्योतिष की शरण लेता है व शीनी का दाम्पत्य जीवन व्यवस्थित रहे इसके उपाय पूछता है तो ज्योतिष उसे काले कौव्वे और काली गाय को गुड की रोटी खिलने की सलाह देता है। हरदयाल काली गाय व काले कौव्वे की तलाश में मौत के मुँह में चला जाता है। वहाँ से किसी तरह बच निकलने के बाद सोचता है कि कनाड़ा में रहना है तो अपना रवैया बदलना होगा। आस्था व विश्वास बदलने होंगे। वरना बेमौत मारे जाएँगे। शील व नेहा को बताती है कि हरदयाल कह रहे हैं कि हमें बदलना होगा तो नेहा कहती है कि ''हमारे पड़ौस में कैथरीन रहती है पति को मरे तीन साल हो चुके हैं। अभी पिछले महीने उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। कौन ऐसा उपनगर होगा, जहाँ कुंआरी माताएँ न हो। हम लोग अपने नैतिक मूल्य इस समाज पर कैसे थोप सकते हैं। माँ तुम यकीन न करोगी, यहाँ स्कूल के बाथरूम्स में कंडोम रखे रहते है।''

''प्रचार के लिए रखे रहते होंगे।''

''नहीं माँ, इस्तेमाल के लिए, एड्स से बचाव के लिए।'' हरदयाल सोचता है कि हम लोग पंजाब छोड़कर यहाँ आ गए। अब भी कुएँ के मेंढक की तरह पड़े रहे तो

पागल हो जाएँगे। यहाँ के तौर तरीके रास नहीं आते। हम लोग न वहाँ के रहे न यहाँ के। जब शीनी और निक का तलाक होता है तो अदालत पंद्रह–पंद्रह दिन बच्चों को माता व पिता के साथ रहने का फैसला सुनाते हैं। ये छोटे बच्चे भी कनाड़ा व हिंदुस्तान की संस्कृति का अंतर समझते हैं, बिल्लू नानीजी से बोलता है कि ''यह कहाँ तक सही है कि हिंदुस्तानियों को एक ही स्पर्श प्रिय है और वह है चरण स्पर्श।''10 हैरी जो बिल्लू का भाई है वह कमरे में कूदता हुआ प्रवेश करता है और कहता है– ''नानी नानी, हम डैडी की गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहे हैं।''11 सुनकर शील के हाथ काँप जाते हैं और चाय बाहर फैल जाती है।

रवीन्द्र कालिया ने इस उपन्यास में दोनों संस्कृतियों और जीवन मूल्य के द्वंद्व को पूरी शिद्दत के साथ उभारा है। पंकज बिष्ट का तीसरा उपन्यास 'पंखवाली नाव' भूमंडलीकरण के इस दौर में पश्चिमी जगत् के समाज के सोचने व जीवन जीने के पैटर्न को भारतीय समाज की देहरी तक खींच लाया है। उपन्यास का कथानक कदम–कदम पर हमारी नैतिक मान्यताओं और मूल्य बोध पर चोट करता है। उपन्यास का नायक एक कमर्शियल आर्टिस्ट है और सम्पूर्ण उपन्यास नायक की समलैंगिक प्रवृति के इर्द–गिर्द ही घटनाओं का ताना–बाना बुनता है। योजना रावत लिखती हैं– ''उपन्यासकार ने अनुपम के माध्यम से समलैंगिक प्रवृति से संचालित अथवा असामान्य यौन व्यवहार अथवा प्रवृत्ति से ग्रस्त मनुष्य की मानसिकता, उसके द्वंद्वों, सामाजिक व पारिवारिक टकराहटों के साथ समाज में उसके 'मिसफिट' होने के यथार्थ की भयावहता को प्रकट किया है। यौनिकता से संबंधित नैतिकता–अनैतिकता से जुड़े अनेक जटिल प्रश्न भी 'पंखवाली नाव' में बड़े सहज ढंग से उठाए गए हैं।''12 लेखक ने नायक को आत्मविश्वासी, बुद्धिमान स्वाभिमानी दिखाया किन्तु समलैंगिक प्रवृत्ति के कारण उसका व्यवहार असहज हो जाता है कि उसके आस–पास उपस्थित लोग सहज महसूस नहीं करते। इससे नायक की सामाजिक रूप से अस्वीकृति रेखांकित होती है। लेकिन नायक इन स्थितियों से घबराता नहीं है। ये नायक का साहस है। इन स्थितियों को वह अपना व्यक्तिगत मामला मानता है। यह उपन्यास उत्तर आधुनिक तेवर वाले समाज का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। विवाह जैसी सामाजिक संस्था, प्रजनन और शिशु पालन, नैतिकता तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों के विरोध में खड़ा नजर आता है। यह हमारी सभ्यता व संस्कृति के अनुकूल नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज इस तरह के मूल्यों व संस्कृति को स्वीकृति नहीं देता है। उपन्यास ने समलैंगिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में स्त्री–पुरुष संबंधों की भूमिका के सामाजिक पक्ष को भी व्याख्यायित किया है। स्त्री–पुरूष संबंध प्राकृतिक यौनेच्छा से भी बढ़कर हैं, वैवाहिक परिणति के माध्यम से यह संबंध मानवीय सभ्यता एवम् संस्कृति के विकास में सहायक है। यौनिकता एक व्यक्तिगत चुनाव तथा प्राकृतिक जरूरत होते हुए भी समाज सापेक्ष है, क्योंकि यह मानवीय संबंधों व नैतिक अवधारणाओं को प्रभावित करती है और नैतिकता–अनैतिकता के मानदण्ड मनुष्य का व्यक्तिगत चुनाव नहीं होते अपितु मान्यताओं का विषय होते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से समाज द्वारा नियत मानदंडों का पालन करके ही मनुष्य स्वास्थ मानवीय संबंधों का निर्वाह तथा नैतिकता का पालन कर सकता है। अनुपम यौनिकता से जुड़े सामाजिक पक्ष को अनदेखा करता है। योजना रावत लिखती हैं– ''विभिन्न संदर्भों के प्रयोग, बारह अध्यायों के उपशीर्षकों तथा अमरीकी अपभाषा के नमूनों के साथ मिलकर यह उपन्यास संस्कृति के भारतीय पैटर्न को तोड़ता है तथापि उपन्यासकार पश्चिमी जगत् में स्वीकार्य समलैंगिकता की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को केंद्रीय फोकस देने तथा इसे प्रतिपाद्य के केन्द्र में रखकर भी इसे स्वीकृति नहीं देता। असामान्य यौन–संबंधों के उन अंधेरे कोनों का उद्घाटन भी किया गया है, जो मनुष्य को केवल भटकाव, तनाव, अकेलेपन, कुंठा व बिखराव की ओर उन्मुख करते है। इन सब से घिरा अनुपम एक दुखद अंत का शिकार होता है।''13

काशीनाथ सिंह का उपन्यास 'रेहन पर रग्घू' हमें यह बताता है कि परिवार और समाज आपसी संबंधों और मूल्यों के संदर्भ में कितने दरक चुके हैं। उत्तर आधुनिक

जीवन शैली आज तेजाबीय अम्ल साबित हो रही है। दादा–दादी, ताऊ–ताई, काका–काकी और अब बच्चे भी परिवार की सीमा से बाहर हो चुके हैं। काशीनाथ सिंह उपन्यास के नायक रघुनाथ व जग्गन की वार्त्तालाप के माध्यम से बताते हैं– ''देखों जग्गन, 'परायों' में अपने मिल जाते हैं लेकिन 'अपनों' में अपने नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि अपने नहीं थे, थे लेकिन तब जब समाज था, परिवार थे, रिश्ते नाते थे, जब भावना थी। भावना यह थी कि यह भाई है, यह भतीजा है, भतीजी है, यह कक्का है, यह काकी है, यह बुआ है, भाभी है। भावना में कमी होती थी तो उसे पूरी कर देती थी, लोक लाज कि यह या ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? धुरी भावना थी, गणित नहीं, लेन देन नहीं।''14 यहाँ ऐसा नहीं है कि रघुनाथ की उम्र के साथ सिर्फ संबंधों अथवा लोकलाज में फर्क आया है, जीने के रोजगार और मूल्यों में बदलाव आया है। सोच और व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। नई जीवन शैली की चुनौतियों के कारण फर्क आया है। पारंपरिक व्यवसायों के संदर्भ में नई पीढ़ी के नजरिये में फर्क आया है। रघुनाथ की सफल व शान्त जिन्दगी चल रही थी, उसमें एकाएक परिवर्तन जब आता है कि उनके बडे बेटे संजय की शादी रघुनाथ कॉलेज मैनेजर की बेटी से करवाना चाहते हैं। लेकिन संजय के सपने दूसरे ही थे। वह अपने पिताजी को दूर रिश्ते के लिए मना कर देता है, वह प्रोफेसर सक्सेना की इकलौती लड़की सोनल से शादी के लिए प्रोफेसर सक्सेना से हामी भर देता है। उधर सक्सेना को ऐसे जहीन सॉटवेयर इंजीनियर युवक की ही जरूरत है जो एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के तीन साल के कंट्रैक्ट पर कैलिफोर्निया जा सके और यह अर्हता संजय पूरी करता था। जब गाँव जाने से पहले सक्सेना सर से विदा लेने संजय उनके घर जाता है तो सक्सेना सर सोनल से शादी का प्रस्ताव रखते हैं। अतः संजय चिंतित होता है। उसकी आँखों में पापा मम्मी के चेहरे घूम रहे थे। सक्सेना सर उसे समझाते है, ''संजू, हर चीज का समय होता है। अब यही देखो, मेरे साले प्रो. अस्थाना को बनारस में ऐसे ही वक्त पर कुलपति क्यों होना था जब सोनल थीसिस जमा कर रही थी।..... तो तुम्हारे पापा और उनकी परेशानियाँ समझ सकता हूँ। बताते रहे हो उनके बारे में। अभी तक बहन अविवाहित है, परेशान हैं उसकी शादी को लेकर। छोटा भाई है तुम्हारा, पिछले तीन चार साल से 'कैट' 'मैट' दे रहा है, लोक सेवा आयोग के टेस्ट दे रहा है और किसी में में नहीं आ रहा हैं– उसकी परेशानी। बाई द वे, मेरी सलाह है कि वह फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ कर बैठे इससे पहले किसी मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट में एडमीशन करा दो। ऐसे नहीं, तो डोनेशन देकर। अरे! कितना लेगा– डेढ़ लाख? दो लाख और क्या? तुमने बताया था कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन भी लेते रहे हैं, रेहन भी रखे हैं खेत। इन सारी परेशानियों से निपटने के लिए कितने की जरूरत होगी उन्हें? उनसे बतिया कर तो देखो। क्या चाहते हैं वे? कितना चाहते हैं? देखो, बारात, धूमधाम, बाजा गाजा– ये सब फालतू की चीजें हैं। कोई जरूरत नहीं इस दिखावें और तमाशे की। शादी के लिए कोर्ट है और दोस्त मित्रों के लिए रिसेप्शन। यह मैं कर ही दूँगा, फिर?..... वैसे एक बात बता दूँ, जिस कम्पनी में और जिस कन्ट्रैक्ट पर अमरीका जाना है, उससे तीन साल में कोई भी इतना कमा लेगा कि अगर उसका बाप चाहे तो गाँव का गाँव खरीद ले समझे।''

''सवाल यह नहीं है सर, पिताजी लोक लाज, जाँत पाँत में विश्वास करने वाले जरा पुराने खयालों के आदमी हैं।''

सक्सेना गम्भीर हो गए..... देखो संजू। 'ला ऑफ ग्रेविटेशन' का नियम केवल पेड़ों और फलों पर ही नहीं लागू होता, मनुष्यों और संबंधों पर भी लागू होता है। हर बेटे बेटी के माँ बाप पृथ्वी है। बेटा ऊपर जाना चाहता है– और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, माँ बाप अपने आकर्षण से उसे नीचे खींचते हैं। आकर्षण संस्कार का भी हो सकता है और प्यार का भी, माया मोह का भी। मंशा गिराने की नहीं होती, मगर गिरा देते हैं। अगर मैंने अपने पिता की सुनी होती तो हेतमपुर में पटवारी रह गया होता। तो यह है। मुझे जो कहना था, कह चुका। तुम्हे जो ठीक लगे, करो।''15 आखिरकार संजय व सोनल की कोर्ट

मेरिज हो जाती है। प्रीतिभोज में रघुनाथ को भी बुलाया लेकिन गए नहीं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह न किसी से बता सकते थे न बिना बताए रह सकते थे। इनका छोटा बेटा शादी में गया और लौटा तब एक ब्रीफकेस लिए था जिसे सक्सेना ने रघुनाथ के लिए भिजवाया था। रघुनाथ जब ब्रीफकेश खोलते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। संजय के प्रति सारी नाराजगी दूर हो जाती है। रुपयों की इतनी गड्डियाँ एक साथ पहली बार देखीं। जब वो गिनने बैठते हैं तो उन्हें राशि पाँच–लाख की जगह चार लाख साठ हजार ही मिलती है। उनकी स्थिति देख पत्नी पूछती है–

''क्या बात है?''

''पाँच लाख में कम है चालीस हजार।'' किसी ने संदूक तो नहीं खोला था?

''ताली तो तुम्हारे पास थी, खोलेगा कौन?''

''कोई और तो नहीं आया था घर में?''

''तुम्हीं और राजू आए गए, और तो कोई नहीं।''

थोडी देर बाद जाने क्या सोच कर वे उठे और राजू को जगा कर ले आए। राजू आँखें मलते हुए आया।

''ब्रीफकेस किसने दिया था तुम्हें?'' संजू ने कि सक्सेना ने?

''क्यों, क्या बात है?''

''बताओ तो। कम है पाँच लाख में?''

राजू हँसा– ''मंगनी की बछिया के दाँत नहीं गिनते। संतोष कीजिए, जितना मिल गया मुत का समझिए।''

वे एकटक राजू को देखते रहे– ''तुमने तो कुछ इधर–उधर नहीं किया।''

''मैं जानता था यही शक करेंगे आप। स्वभाव से ही शक्की हैं।''

''चुप्प।'' शीला ने झिड़का'' यही तमीज है बाप से बात करने की।''

''समझ गया। इसी ने चुराया है, बताया नहीं।''

''पहले ही समझ जाना चाहिए था। चोर कभी बताता है है कि चोरी उसी ने की हैं?'' राजू बोला।

रघुनाथ ने आश्चर्य से देखा उसकी ओर– ''क्या हो गया है इस लौंडे को? इसका भाई कम्प्यूटर इंजीनियर। उसने कभी इस तरह की बातें नहीं की अपने बाप से?''

''बातें नहीं कीं, इसीलिए तो चुपके से शादी कर ली और बाप को खबर तक नहीं दी।''

झनझना उठे क्रोध से रघुनाथ।..... ''देखों माँ। मैं साल डेढ़ साल से कहता रहा हूँ इनसे कि मोटर बाइक ले दो। घराने के सभी लड़कों के पास है।, एक मेरे ही पास नहीं है।..... संजू ने मुझसे पूछा– तुम्हें भी कुछ चाहिए? जब हम वहाँ से आने लगे तब। मैंने कहा– ''हाँ, मोटरबाइक। उसने मुझे रुपए थमा दिए। उसने ब्रीफकेस में से दिया या कहाँ से दिया मुझे नहीं पता।''

''सरासर झूठ। यह जानता है कि संजय अब नहीं आने वाला। हम नहीं पूछ पाएँगे उससे।'' रघुनाथ को यह झूठ बर्दाश्त न हुआ।

शीला खड़ी–खड़ी ढबरी की मद्धिम रोशनी में सुबक रही थी। वह अपने बेटे के इस रूप से अनजान थी।''16 इस पूरे प्रसंग से यह पता चलता है कि रघुनाथ संजय के विवाह के मुखर विरोध के बावजूद, संजय के ससुर द्वारा भेजे गए पाँच लाख रुपये क्यों कबूल कर लेते हैं? यहाँ हमें यह लगता है कि संजय की महत्त्वाकांक्षाएँ और उनकी दमित आकांक्षाएँ क्या दोनों एक दूसरे के अंतर्लीन होती क्षुद्रताएँ नहीं? फिर क्यों रघुनाथ अपने को नई पीढ़ी से श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। यहाँ संजय–ध्वनंजय के नैतिक–भावात्मक विघटन के लिए वे भी कहीं न कहीं जिम्मेदार जरूर है। रोहिणी अग्रवाल लिखती हैं– ''बड़े बेटे संजय से कुपित हैं क्योंकि उसने बिना उनसे पूछे सोनल से शादी की। दूसरे, यह शादी सोनल के लिए नहीं की, अमरीका जाने के लिए की, कि उसने संबंध नहीं जिया, कैरियर बनाया। बेशक क्रोध और अपमान से तिमिलाते रघुनाथ यहाँ इस बिंदु पर अपने भीतर नहीं झाँकते लेकिन क्या वे नहीं जानते कि उनके क्रोध और अपमान का मूल कारण संजय द्वारा उनकी योजनाओं/कैलकुलेशंस को ध्वस्त कर देना है? रघुनाथ सिंह ने अपने कॉलेज मैनेजर की बेटी से संजय को ब्याहने का निश्चय कर 'बरच्छा' में मिलने वाले दस लाख रुपये से बेटी को 'ठिकाने' लगाने

की योजना बनाई थी। रघुनाथ की सीमा यह है कि वे अपने मंसूबे को बेहद 'मासूम' पाते हैं। वे समझना नहीं चाहते कि संजय की कैलकुलेशंस स्वयम् उसके पिता यानी उनकी स्वार्थपरता का विस्तार है।''17 यहाँ आकर लगता है कि नैतिक पतन के मामले में पुरानी पीढ़ी भी नई पीढ़ी से पीछे नहीं है। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की गिरावट का ही परिणाम है कि आज संबंधों का उतना महत्त्व नहीं रह गया है जितना कैरियर का है। अपने मंसूबों का है। अपनी महत्त्वाकांक्षाओं का है। रघुनाथ का छोटा बेटा उनसे कहता है, ''और एक बात कह दें तुमसे भी और इनसे भी। फिर ऐसी बेवकूफी न करें जैसे की संजय के समय की थी। दीदी से साफ–साफ बात कर लें कि वह इनकी तय हुई शादी करेंगी भी या नहीं। यह तो भाग दौड़ करके कही तय कर आएँ और वह कह दें कि मुझे नहीं करनी। फिर भद पिटे इनकी।''

''यह तुम कैसे कह रहे हो?''

''इसलिए कि मैंने एक आदमी को अक्सर उनके साथ देखा है। कौन है वह, नहीं जानता।''

''देखा? इसे शरम नहीं अपनी बहन के बारे में इस तरह बात करते हुए?'' रघुनाथ ने दाँत पीसते.....।''18

भूमंडलीकरण के कारण आज पारिवारिक जीवन में शर्म व लज्जा समाप्त हो गई है, यह हमें इस प्रसंग से पता चलता है। हमारे आपसी व्यवहार व बातचीत करने का ढंग भी बदल गया है। यही संजय जब सोनल से शादी करके अमरीका चला जाता है तो वहाँ पर अपने लैण्डलार्ड की बेटी आरती से सम्पर्क में आता है जो उसी काल सेन्टर में काम करती थी जिसमें वह काम करता था। काशीनाथ सिंह लिखते हैं,– ''साथ आना जाना उसी (आरती) की कार से होता था। दिन रात का साथ। आश्चर्य यह था कि आरती के माँ–बाप उन्हें एक दूसरे के करीब आते देख रहे थे फिर भी चुप थे। आश्चर्य यह भी था कि उसकी आँखों के सामने वे छेड़छाड़ करते थे– बेशर्मी की हद तक और टोकने पर हँसने लगते थे और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि आरती का पति जब कभी न्यूयार्क से आता था तो वह अपनी पत्नी से उसके 'ब्वायफ्रेंड' के बारे में बातें करता था और उसे डिनर पर ले जाता था जाती तो साथ में वह (आरती) भी थी– लेकिन उसे हमेशा लगता था कि न जाती तो ज्यादा अच्छा रहा होता।

वह (सोनल) एक ऐसे समाज में आ गई थी जिसमें डॉलर को छोड़कर किसी और चीज जैसे प्यार– के लिए ईर्ष्या करना पिछड़ापन और गँवारपन था।

वह (सोनल) जब भी संजय से उनकी हरकतों की शिकायत करती, वह खीझ उठाता– ''तुम देश और काल के हिसाब से अपने को बदलना सीखो, चलना सीखो। न चल सको तो चुपचाप बैठो या लौट जाओ।''

''लौटूँगी तो अकेले क्यों? तुम्हें साथ लेकर।''

''मैं तो डियर, परदेस को ही अपना देस बनाने की सोच रहा हूँ।''

मुस्कराते हुए उसने आँख मार कर कहा– ''तुम भी क्यों नहीं ढूँढ लेती एक ब्यायफ्रेंड?''

''अच्छा लगेगा तुम्हें?'' उसने सीधे संजय की आँखों में देखा।

''अच्छा'' की कहती हो? निश्चिंत हो जाऊँगा हमेशा के लिए। हाँ हाँ हाँ .....''19

यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम भी अपना ब्यायफ्रेड ढूँढ लो तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ हमेशा के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते और डॉलर के पीछे भागते युवाओं के नैतिक पतन की पराकाष्ठा हमें इस प्रसंग में मिलती है। सोनल देखती है कि संजय कहीं उससे मुक्ति तो नहीं चाह रहा है। अमेरिका आने के बाद उसमें तेजी से बदलाव आया है। एक दो सालों के अन्दर ही वह तीसरी नौकरी कर रहा है। एक शुरू करते ही दूसरी की खोज में लग जाता है। पहले से उम्दा पैसों के मामले में। उसमें सब्र बिल्कुल नहीं है। यह उसका लालच है या महत्वाकांक्षा वह समझ नहीं पाती है। सोनल यह समझ नहीं पाती है कि आरती गुर्जर के साथ संजय की दोस्ती के पीछे सिर्फ आरती गुर्जर है या उसके एन.आर. आई. माँ बाप जिनका गुजराती हस्तशिल्प का चमकदार व्यवसाय है? और दूसरी बात यह है कि जब भी संजय ने सोचा खुद के बारे में सोचा, सोनल के बारे में सोचने की

फुर्सत ही नहीं थी उसे। इससे यह लगता है कि आज नई पीढ़ी कितनी निर्मम, आत्मकेन्द्रित और संवेदनहीन हो गई है जो खुद के अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं है। यहाँ तक कि अपने परिवार व पत्नी के बारे में भी नहीं। ये संस्कार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा पैदा किए गए संस्कार हैं। रघुनाथ की बेटी सरला जब उन्हें कहकर जाती है कि वह शादी करेगी तो सुदेश भारती से अन्यथा नहीं करेगी और रघुनाथ संस्कार वंश यह स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि उनकी लड़की चमार से शादी करें। रघुनाथ की रातों की नींद गायब हो जाती है वे सोचते हैं, ''जाने किन जन्मों का पाप था जो इस जन्म में भोग रहे हैं। बच्चों को ऐसे संस्कार कहाँ से मिले– यह उनकी समझ से बाहर था। संजय को ऐसे संस्कार कहाँ से मिले– यह उनकी समझ से बाहर था। संजय को कोई नहीं मिली– न ठाकुर, न बामन, न भूमिहार, मिली तो लाला की लड़की। फिर भी वे इस लायक थे कि मुँह दिखा सके। लेकिन यह सरला? वे किसे मुँह दिखाएँगे। कहाँ मुँह दिखाएँगे?''20 सरला, सुदेश भारती से शादी नहीं करती लेकिन शहर में अकेले रहते हुए लगभग सहजीवन स्वीकार कर लेती है। गाँव में रघुनाथ अपमानित होते हैं। रघुनाथ के बेटे–बेटी को न तो अपने माता–पिता से कोई लगाव है न ही वे किसी भी इंसानी रिश्ते से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका रिश्तों के प्रति कोई ममत्व या दायित्व बोध नहीं है। रघुनाथ एक दिन अपनी पत्नी शीला से बोले, ''अब तुम्हारी नजर टिकी है राजू पर कि सारी साधें वही पूरा करेगा। निहाल कर देगा तुम्हें। ऐसा कोई भ्रम हो तो निकाल दो अपने दिमाग से। मुझे पता है कि वह इनसे भी आगे जा रहा है। उसने एक ऐसी विधवा लड़की ढूँढ निकाली है जिसके दो साल का बच्चा है। यही नहीं, वह कोई अच्छी खासी सर्विस भी कर रही है। उसी के पैसे से दिल्ली में ऐश कर रहा है। मोटरबाइक ले ही गया है मस्ती के लिए। बच्चा पालना और ऐश करना– दो ही काम है उसके।''21 धनंजय नोएडा में एक कॉरपोरेट हाउस में काम करने वाली एक बच्चे की माँ के साथ 'लिविंग टुगेदर' का जीवन जीने लगता है। आज हमारे जीवन और पारिवारिक संबंधों में अनेक तरह के बदलाव आए हैं। ये सारे बदलाव हमारी सांस्कृतिक विरासत को छिन्न–भिन्न करके एक नई संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। नई आर्थिक नीति अर्थात् 1991 के पश्चात् बदलाव की जो हवा चली है, हवा न होकर आँधी है और इस तेज आँधी में हमारे घर की सभी चीजें उड़ने लगी हैं।

ग्लॉबलाइजेशन के कारण वैश्विक संस्कृति, स्थानीय संस्कृति को भेदने का जो कार्य कर रही है उससे हम जड़ों से उखड़े तो नहीं किन्तु हमारी जकड़ जरूर ढीली पड़ गई है। उभरती हुई ग्लॉबल–संस्कृति, परम्परागत संस्कृति से भिन्न है।

संदर्भ :–

1. ममता कालिया : दौड़, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 55–57
2. रवींद्र कालिया : ए.बी.सी.डी., वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004, लेप पर
3. वही, पृ. 10
4. वही, पृ. 11
5. वही, पृ. 12
6. वही, पृ. 12
7. वही, पृ. 13–14
8. वही, पृ. 16–17
9. वही, पृ. 51
10. वही, पृ. 93
11. वही, पृ. 95
12. योजना रावत : निजता की अँधेरी गली की दुखद इबारत, पूर्वग्रह, भोपाल, अप्रैल–जून, 2010, पृ. 129
13. वही, पृ. 131
14. काशीनाथ सिंह : रेहन पर रग्घू, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 98
15. वही, पृ. 22–23
16. वही, पृ. 26–27
17. रोहिणी अग्रवाल : लोकतंत्र यानी हिंदी साहित्य के बहाने एक संवाद अपने से, अन्यथा, (अंक–15), लुधियाना, पृ. 184
18. रेहन पर रग्घू : पृ. 28–29
19. वही, पृ. 109–110
20. वही, पृ. 54
21. वही, पृ. 89

कोविड–19 के बाद की भारतीय शिक्षा प्रणाली, नवाचार और भविष्य की दिशा एक अध्ययन

डॉ. चन्द्र कान्त शर्मा
सहायक प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, अपेक्स स्कूल ऑफ एजूकेशन
अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर
Email-lawaniya.chandrakant@gmail.com

प्रस्तावनाः

कोविड–19 महामारी ने वैश्वक शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया। भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित हुआ। भारत में, स्कूलों और कॉलजों के बंद होने से लगभग 94 प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित हुए, जिससे शिक्षा में असमानता और बढी। कोविड–19 महामारी ने शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे शिक्षण और सीखने की पारंपरिक विधियॉ बाधित हुई। इसने डिजिटल शिक्षा की ओर एक त्वरित संक्रमण को प्रेरित किया, जिसने शिक्षा कि परिदृश्य को पुनर्परिभाशित किया। इस शोध का उददेश्य महामारी के बाद शिक्षा प्रणाली में आए परिवर्तनों का विश्लेशण करना इसके सामने आई चुनौतियों, अपनाए गए नवाचारों और भविश्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।

कोविड–19 का शिक्षा पर प्रभावः

महामारी के दौरान शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा को माध्यम बनाया, जिससे छात्रों और शिक्षकों को तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पडा। डिजिटल डिवाइड ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की कमी के कारण कई छात्र शिक्षा से वंचित रह गए। शैक्षिक असमानता से वंचित समुदायों के छात्रों पर महामारी का अधिक प्रभाव पडा, जिससे उनकी शिक्षा बाधित हुई। महामारी के दौरान शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों को अपनाया, जिससे शिक्षण की निरंतरंता बनी रही। हालाकि, यह संक्रमण सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं था, जिससे डिजिटल विभाजन की समस्या सामने आई। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के पास आवश्यक तकनीकी संसाधनों की कमी थी, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हुई। यह डिजिटल विभाजन शिक्षा में असमानताओं को और बढाता है।

शैक्षिक नवाचार और सरकारी पहलें:

सरकार ने SWAYAM, DIKSHA और NPTEL जैसे प्लेटफार्मो के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढावा दिया। इन पहलों ने शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंचा दिया इसके बाद नई शिक्षा नीति ने बहुविशयक शिक्षा, लचीलापन और तकनीकी समावेशन पर जोर दिया है। यह नीति शिक्षा में समावेशिता और गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महामारी के दौरान, शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों को अपनाया, जिससे शिक्षण की निरंतरता बनी रही। हालांकि, यह संक्रमण सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं था, जिससे डिजिटल विभाजन की समस्या सामने आई।

मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकासः

ऑनलाइन शिक्षा के कारण छात्रों में सामजिक अलगाव, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याऍ बढी। शारीरिक गतिविधियों की कमी और स्क्रीन टाइम में वृद्वि ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया डिजिटल साक्षरता छात्र व शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। पारम्परिक परीक्षा प्रणाली की जगह ऑनलाइन मूल्यांकन विधियों को अपनाया, सभी छात्रों को आवश्यक उपकरण और इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करना। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना और परमर्श सेवाऍ प्रदान

करना।

निष्कर्षः

कोविड–19 ने शिक्षा प्रणाली में स्थायी परिवर्तन लाए हैं। इन परिवर्तनों को अपनाकर और चुनौतियों का समाधान करके हम एक समावेशी और लचीजी शिक्षा प्रणाली की ओर बढ सकते हैं। कोविड–19 महामारी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना कराया, लेकिन साथ ही नवाचार और सुधार के अवसर भी प्रदान किए। भविश्य में, एक समावेशी, लचीली और तकनीकी रूप से सशक्त शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जो सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान कर सके।

सुझावः

शिक्षा में तकनीकी नवाचार को बढावा देना।

शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

नीति निर्माताओं को शिक्षा में निवेश बढाना चाहिए, विशेशकर डिजिल अवसंरचना में।

संदर्भः

– Drishti IAS. (17 मई 2021). पोस्ट–कोविड शिक्षा हेतु नया दृष्टिकोण.
https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/new-approach-for-post-covid-education

- ThePrint Hindi. (8 Sept. 2024). "कोविड महामारी के दौरान शिक्षा के प्रौद्योगिकी आधारित होने के अनपेक्षित और अवांछित परिणाम : यूनेस्को की रिपोर्ट". https://hindi.theprint.in/india/unintended-and-unwanted-consequences-of-technology-based-education-during-the-covid-pandemic-unesco-report/727882/

- Drishti IAS. "COVID-19 महामारी और डिजिटल शिक्षा". https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/covid-19-and-digital-education

- Thombre, S. (2023). "भारतीय शिक्षा प्रणाली पर महामारी Covid-19 का प्रभाव". International Journal Of Innovation In Engineering Research & Management, 10(1), 49-55. https://journal.ijierm.co.in/index.php/ijierm/article/view/1096

- ThePrint Hindi. (31 जनवरी 2023). "कोविड के कारण बच्चों की सलाना पढ़ाई का हुआ भारी नुकसान, नए अध्ययन में हुआ खुलासा". [https://hindi.theprint.in/world/

भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक ऐतिहासिक विश्लेषण बच्चों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 ए के अन्तर्गत अध्ययन

डॉ. देवेन्द्र कुमार
निर्देशक
प्रोफेसर लॉर्डस विश्वविद्यालय, चिकानी,
अलवर, राजस्थान

श्रीमति अंजु शर्मा
शोधार्थी
पीएच.डी. छात्रा
लॉर्डस विश्वविद्यालय, चिकानी,
अलवर, राजस्थान

सारांशिका :

भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक, सामाजिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम है। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा कुछ सीमित वर्गों तक ही सिमटी हुई थी। ब्रिटिश काल में वुड्स डिस्पैच (1854) तथा हंटर आयोग (1882) जैसे प्रयास हुए, किंतु शिक्षा को सार्वभौमिक स्वरूप नहीं मिल सका।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माताओं ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे प्रारम्भ में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में स्थान दिया। इसके अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया। किंतु इसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं मिलने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी।

1990 के दशक में शिक्षा के अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ी। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न अंग माना। इसके फलस्वरूप 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21–क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21–क को क्रियान्वित करने हेतु वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) पारित किया गया, जो 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम ने विद्यालयों की जवाबदेही, नामांकन, उपस्थिति, आधारभूत संरचना तथा समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इस प्रकार, भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक संवैधानिक, न्यायिक एवं विधायी विकास की परिणति है। अनुच्छेद 21–क ने बच्चों के शैक्षिक अधिकार को सुदृढ़ कर लोकतांत्रिक, समानतामूलक एवं समावेशी समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रस्तावना :

ईश्वर प्रदत्त कृतियों में मानव सर्वश्रेष्ठ कृति है क्योंकि उसमें सोचने, समझने, तर्क करने, विवेक द्वारा निर्णय लेने की शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तथा ईश्वर की अनुपम रचना है। इस शक्ति द्वारा वह अपने कार्यो को सम्पादित करने में बेहतर तरीकों का प्रयोग करता है जिससे उसके द्वारा किये गये कार्य उसके लिये उपयोगी तथा लाभदायक सिद्ध होते हैं यद्यपि एक ही शक्ति से सभी व्यक्तियों का निर्माण हुआ है; फिर भी सभी के कार्य करने की विधि एक जैसी नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप :– यदि एक व्यक्ति किसी कार्य में निपुण है तो दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करने में कठिनाई अनुभव कर सकता है। इसका कारण यह है कि सभी व्यक्तियों में उनकी क्षमता, चिन्तन तथा योग्यता का स्तर भिन्न–भिन्न होता है। चिन्तन की शुरूआत उस समय होती है जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान वह करना चाहता है। समस्या से तात्पर्य उस परिस्थिति से है–जब व्यक्ति के सामने लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता तथा इन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल, तार्किक क्षमता

द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। मानव सभ्यताओं के प्रारम्भ से ही मनुष्य और उसका व्यवहार अनुसंधान का रूचिकर क्षेत्र रहा है। पिछली शताब्दी में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों समाजशास्त्रियों, मनोचिकित्सकों ने मानव मस्तिष्क के अध्ययन के अनेक प्रयास किये और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ही 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक को 'मस्तिष्क का दशक' कहा जाता है। तकनीकी के विकास तथा अनुसंधान में बढ़ोतरी से मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। उसे देखते हुये 'अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन' ने 21वीं शताब्दी के पहले दशक को 'व्यवहार का दशक' घोषित किया।

''कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो।
तू जिस जगह जागा सबेरे, उस जगह से बढ़ के सो।''

मिश्रा (2019)

भवानी प्रसाद मिश्र की उपरोक्त पंक्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ करने और निरन्तर आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए नित् नयी जानकारियाँ प्राप्त करना और अपने ज्ञान को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है तथा यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव है।

माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षा शैक्षणिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़–

माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर का तात्पर्य कक्षा 9–12 से है । यही वह अवस्था है जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है इस अवस्था में तनाव, दबाव, संघर्ष, संवेग, उत्तेजना आदि की बहुलता होती है। किशोर के समक्ष अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का विचार आता रहता है व समाज के स्वी.त नियमों एवं मानदण्डों से वह स्वतन्त्र होना चाहता है। इस समय उसके व्यक्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है, वह रचनात्मक चिन्तन प्रारम्भ करता है। उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षा उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है क्योंकि इसी समय यह निश्चय किया जाता है कि उसे क्या बनना है अथवा किस दिशा में जाना है? यह व्यक्तित्व निर्माण की सर्वोत्तम अवस्था है।

(आर.टी.ई.) निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 की उपलब्धि और समानता :– आर.टी.ई. के 12 वर्ष बाद अब वर्तमान में इसकी प्रक्रिया अभी भी विकसित नही हो पा रही है । एक दशक बाद शिक्षा के अधिकार कानून की सीमाऐं सीमित है इसके विपरीत कई सवाल खड़े हुए है। इस कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार केन्द्र और राज्य सरकार ही पिछले वर्षो के दौरान इससे सम्बन्धित सूचनाओं से अवगत हुई है । क्योंकि हमारे देश में राजनीति में शिक्षा के कोई मायने नही है इसलिए पिछले वर्षो के दौरान केन्द्र व राज्य सरकारे आर.टी.ई. को लागू करने में उदासीन रही है । भारत अभी भी शिक्षा की संरचना, पर्याप्त शिक्षको की नियुक्ति, गुणवक्ता पूर्ण शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं से जुझ रहा है ।

शिक्षा उपलब्धियों की बात करे तो शिक्षा अधि ाकार कानून के एक दशक की यात्रा सभी के लिए स्कूलों में नामांकन का अधिकार ही सिद्ध हुई है । इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि 6 से 14 वर्ष के बालकों के नाम पर कुछ प्रतिशत ही है । आज लगभग हर बसावट या उसके नजदीक एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है । इसके अलावा स्कूलों की अधोसंरचना में भी सुधार हुआ है । आज ज्यादातर विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग–अलग सुविधाऐं व कक्ष उपलब्ध किये गये है। हालाँकि इनमें अभी पानी और साफ–सफाई की समस्या बनी हुई है। पिछले वर्षो के दौरान सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विफलता साबित हुई है । प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन तो हो गया है परन्तु विद्यालयों में विद्यार्थियों के टिके रहने की चुनौती अभी भी बनी हुई है । इसी के साथ ही आज भी बड़े पैमाने पर सरकारी विद्यालय भाषागत व्यवस्था जरूरी संसाधन शिक्षा के लिए माहौल और शिक्षकों की भारी कमी से जुझ रहे है ।

लास्की के अनुसार :–

अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियॉ है जिसके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता किन्तु जब हम मानव अधिकारों

की बात करते है तो यह अवधारणा और व्यापक हो जाती है ।

न्यायमूर्ति होम्स के अनुसार :–

अधिकार विशुद्ध रूप से आगमनात्मक कथन की न्यूनतम निश्चित शर्ते है जिनके बिना हम जीवन को उत्तम नही बना सकते ।

वस्तुतः शिक्षा प्राप्ति को भी अधिकार के रूप में प्रस्तुत करने के पीछे यही अवधारणा रही होगी कि नागरिक अपने अन्य अधिकारों की भाती अपने इस अधिकार के प्रति भी जागरूक हो एवं इसे प्राप्त कर इसका प्रयोग अपने जीवनस्तर को सुधारने एवं वैश्विक मंच पर अपनी शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज कराने में कर सके ।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की अनुपालना में अवहेलना तथा इसके प्रति जागरूकता का अभाव मानव को इसके अन्य अधिकारों के प्रति जानने व सजग होने से वंचित रखता है । अतः भारतीय परिवेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपना विशेष महत्व रखता है।

भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु प्रयास :

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act)

भारत सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए 2009 में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' पारित किया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत यह भी अनिवार्य किया गया कि सभी निजी विद्यालय अपनी 25प्रतिशत सीटें सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखें। यह कानून न केवल शिक्षा की पहुँच बढ़ाता है, बल्कि शिक्षकों की योग्यता, स्कूल के बुनियादी ढाँचे और छात्र–शिक्षक अनुपात जैसे पहलुओं को भी नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के ज़रिए शिक्षा को केवल नीति नहीं, बल्कि एक कानूनी अधिकार बनाया गया।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan & SSA) :

2001 में शुरू हुआ यह अभियान भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इसके तहत स्कूलों का निर्माण, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, शिक्षक नियुक्ति और प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएँ की गईं। SSA के अंतर्गत विशेषकर बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित होता है और इसमें समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)

NEP 2020 भारत की नई शैक्षिक सोच को दर्शाती है, जिसमें 3 वर्ष की आयु से ही शिक्षा को संगठित किया गया है। इसमें 5+3+3+4 की संरचना को अपनाया गया है, जो बच्चों की मानसिक व शारीरिक विकास अवस्था के अनुसार है। यह नीति 2030 तक स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। इसमें ECCE (Early Childhood Care and Education) पर बल दिया गया है ताकि बच्चों की नींव मजबूत हो। यह नीति डिजिटल शिक्षा, स्थानीय भाषा में पढ़ाई, समग्र शिक्षा और मूल्यन आधारित प्रणाली को बढ़ावा देती है।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में प्रमुख चुनौतियाँ :

शिक्षा के सार्वभौमिकरण की राह में अनेक बाधाएँ हैं जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन में रोड़ा बनती हैं। सबसे पहली चुनौती है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी, जिससे बच्चों को दूर–दराज़ स्कूलों तक पहुँचना कठिन होता है। दूसरी चुनौती है। योग्य शिक्षकों की भारी कमी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तीसरी बड़ी समस्या है। बाल श्रम और गरीबी, जो बच्चों को शिक्षा से दूर रखती है। इसके अलावा लैंगिक भेदभाव के कारण लड़कियाँ अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। पर्याप्त शौचालयों, सुरक्षित वातावरण और मानसिक समर्थन की कमी से बालिकाओं का स्कूल छोड़ना आम बात है। इन सबके बीच सामाजिक सोच और अभिभावकों की जागरूकता की कमी भी एक चुनौती बनी हुई है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी

और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि प्रत्येक गाँव में एक आधारभूत सुविधाओं से युक्त विद्यालय हो, जहाँ पीने का पानी, अलग–अलग शौचालय, पुस्तकालय, खेल सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हों। शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के साथ–साथ उन्हें आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जाए। डिजिटल शिक्षा जैसे स्मार्ट क्लास, ई–कंटेंट, और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुँचे। लड़कियों को शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे साइकिल, छात्रवृत्ति, निःशुल्क यूनिफॉर्म आदि प्रदान किया जाए। समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु जनजागरण अभियान चलाए जाएँ।

शोध के उद्देश्य :

– भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक ऐतिहासिक विश्लेषण का अध्ययन करना ।

– भारत में बच्चों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 ए का अध्ययन करना ।

– बच्चों को अपने मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 ए के बारे में कितना पता लगाना व उसका अध्ययन करना ।

– भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का विकास किस स्तर तक हुआ उसका अध्ययन करना ।

शोध की परिकल्पनाऐं :

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधार्थी नें निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का उपयोग किया हैः

1. शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21 ए की जानकारी के अध्ययन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

2. शहरी क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21 ए की जानकारी के अध्ययन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

3. ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21 ए की जानकारी के अध्ययन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

4. शहरी क्षेत्र के अध्यापक व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक में अनुच्छेद 21 ए की जानकारी के अध्ययन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

5. शहरी क्षेत्र की अध्यापिका व ग्रामीण क्षेत्र की अध्यापिका में अनुच्छेद 21 ए की जानकारी के अध्ययन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

6. शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

7. शहरी क्षेत्र के बालक व बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

8. ग्रामीण क्षेत्र के बालक व बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

9. शहरी क्षेत्र के बालक एवं ग्रामीण क्षेत्र के बालकों का प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

10. शहरी क्षेत्र की बालिकाओं एवं ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं का प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के विकास में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण :

– प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है – बच्चों की व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक नींव तैयार करने वाली शिक्षा, जो कक्षा 1 से 5 (युवा वर्गः लगभग 6.11/वर्ष) में दी जाती है । "प्राथमिक शिक्षा" का अर्थ है बचपन के प्रारंभिक वर्षों में दी जाने वाली बुनियादी शिक्षा, जो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए नींव का कार्य करती है। यह शिक्षा प्रणाली बच्चों में मौलिक ज्ञान, भाषा कौशल, गणितीय अवधारणाएँ, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक समझ और रचनात्मक कौशल को विकसित करने में मदद करती है।

जागरूकता :– प्रस्तुत शोध में जागरूकता से अभिप्राय आर.टी.ई. 2009 के प्रति जागरूकता से है जिसे शोधकर्त्री जागरूकता प्रश्नावली से प्राप्त करेगी।

अनुच्छेद 21। का प्रावधान – 'मुत और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार' : अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का एक

महत्वपूर्ण संशोधन है, जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। "राज्य छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से, जिसे विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा, मुत और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।"

– **शिक्षा का अधिकार** – ''शिक्षा के अधिकार'' से आशय है – निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आर.टी.ई. 2009 एक्ट में दिये गय प्रावधानों से है ।

शोध विधि :

प्रस्तुत लघु शोध विधि में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है ।

जनसंख्या :

प्रस्तुत शोध कार्य में अलवर जिले के प्राथमिक कक्षाओं के छात्र–छात्राओं व अध्यापक अध्यापिकाओं को शामिल किया गया है परन्तु विद्यालय के सर्वेक्षण कार्य में सभी प्रश्नों के उत्तर अध्यापक व अध्यापिकाओं पर ही लागू होंगे ।

न्यादर्श :

प्रस्तुत शोध में अलवर जिले के विद्यालयों में से 160 अध्यापक व अध्यापिकाओं को लिया गया है ।

उपकरण :

शोधकर्त्री द्वारा शोध के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 21 ए अनुच्छेद व प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है ।

सांख्यिकी :

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी –

– मध्यमान

– टी परीक्षण

– प्रमाप विचलन

प्रस्तुत शोध के लिए तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या :–

प्रस्तुत शोध के लिए तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नवत रूप से कि गयी है :–

परिकल्पना संख्या 1. शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

Area	N	Mean	S.D.	T-Value
शहरी	50	69.08	16.21	12.65
ग्रामीण	50	58.52	18.60	

Df = N1+N2-2

50+50-2=98

सार्थकता स्तर त्र 0.05 पर टी का मान 1.96

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी का अध्ययन करने पर शहरी क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं का मध्यमान 69.08 व मानक विचलन 16.21 प्राप्त हुआ इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं का मध्यमान 58.52 व मानक विचलन 18. 60 प्राप्त हुआ गणना करने पर टी का मान 12.65 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता की कोटी के अंश 98 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से ज्यादा है । निष्कर्षतः शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं में सार्थक अन्तर पाया जाता है ।

अतः शून्य परिकल्पना ''शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में अन्तर पाया जाता है'' यह परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है ।

परिकल्पना संख्या 2. शहरी क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध ययन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है ।

Area	N	Mean	S.D.	T-Value
अध्यापकों	25	69.24	18.21	0.28
अध्यापिकाओं	25	68.92	13.92	

Df = N1+N2-2

25+25-2=48

सार्थकता स्तर = 0.05 पर टी का मान 1.96

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने शहरी क्षेत्र के अध

यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी का अध्ययन करने पर शहरी क्षेत्र के अध्यापक का मध यमान 69.24 व मानक विचलन 18.21 प्राप्त हुआ इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के अध्यापिकाओं का मध्यमान 68.92 व मानक विचलन 13.92 प्राप्त हुआ गणना करने पर टी का मान 0.28 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता की कोटी के अंश 98 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से कम है । निष्कर्षतः शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है ।

अतः शून्य परिकल्पना ''शहरी क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में अन्तर नही पाया जाता है'' यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है ।

शोध की परिसीमाऐं :

– प्रस्तुत लघु शोध केवल राजस्थान के अलवर जिले तक ही सीमित है ।

– अध्ययन में केवल प्राथमिक कक्षाओं के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया गया है ।

– अध्ययन में अनुच्छेद 21 ए में अध्यापक व अध्यापिकाओं की मुख्य भागीदारी रहेगी और सभी प्रश्नों का उत्तर भी अध्यापकों पर ही लागू होंगे ।

– अध्ययन में ग्रामीण व शहरी जिले के निजी विद्यालयों तक ही सीमित है ।

शोध से प्राप्त निष्कर्ष :

1. प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी का अध्ययन करने पर शहरी क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं का मध्यमान 69.08 व मानक विचलन 16.21 प्राप्त हुआ इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं का मध्यमान 58.52 व मानक विचलन 18.60 प्राप्त हुआ गणना करने पर टी का मान 12.65 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता की कोटी के अंश 98 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से ज्यादा है। निष्कर्षतः शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं में सार्थक अन्तर पाया जाता है । अतः शून्य परिकल्पना ''शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में अन्तर पाया जाता है'' यह परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

2. प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने शहरी क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी का अध्ययन करने पर शहरी क्षेत्र के अध्यापक का मध्यमान 69.24 व मानक विचलन 18.21 प्राप्त हुआ इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के अध्यापिकाओं का मध्यमान 68.92 व मानक विचलन 13.92 प्राप्त हुआ गणना करने पर टी का मान 0.28 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता की कोटी के अंश 98 के लिए 0. 05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से कम है । निष्कर्षतः शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है । अतः शून्य परिकल्पना ''शहरी क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में अन्तर नही पाया जाता है'' यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है ।

3. प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21 ए की जानकारी का अध्ययन करने पर ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक का मध्यमान 58.64 व मानक विचलन 18.53 प्राप्त हुआ इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की अध्यापिकाओं का मध्यमान 58.4 व मानक विचलन 18.66 प्राप्त हुआ गणना करने पर टी का मान 0.49 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता की कोटी के अंश 98 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से कम है । निष्कर्षतः शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है । अतः शून्य परिकल्पना ''ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक व अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में अन्तर नही पाया जाता है'' यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है ।

4. प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने शहरी क्षेत्र के अध्यापक व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक के अनुच्छेद 21 ए की जानकारी का अध्ययन करने पर शहरी क्षेत्र के अध्यापक का मध्यमान 69.24 व मानक विचलन 18.21 प्राप्त हुआ इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक का मध्यमान 58.64 व मानक विचलन 18.53 प्राप्त हुआ गणना करने पर टी का मान

8.74 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता की कोटी के अंश 48 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से ज्यादा है । निष्कर्षतः शहरी क्षेत्र के अध्यापक व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक में सार्थक अन्तर पाया जाता है । अतः शून्य परिकल्पना ''शहरी क्षेत्र के अध्यापक व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में अन्तर पाया जाता है'' यह परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है ।

5. प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने शहरी क्षेत्र की अध्यापिकाओं व ग्रामीण क्षेत्र की अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21 ए की जानकारी का अध्ययन करने पर शहरी क्षेत्र की अध्यापिकाओं का मध्यमान 68.92 व मानक विचलन 13.92 प्राप्त हुआ इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की अध्यापिकाओं का मध्यमान 58.4 व मानक विचलन 18.66 प्राप्त हुआ गणना करने पर टी का मान 9.21 प्राप्त हुआ है जो कि स्वतंत्रता की कोटी के अंश 48 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से ज्यादा है। निष्कर्षतः शहरी क्षेत्र के अध्यापिकाओं व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापिकाओं में सार्थक अन्तर पाया जाता है । अतः शून्य परिकल्पना ''शहरी क्षेत्र के अध्यापिकाओं व ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापिकाओं के अनुच्छेद 21ए की जानकारी के अध्ययन में अन्तर पाया जाता है'' यह परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है ।

भावी शोध हेतु सुझाव :

प्रस्तुत शोध भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अध्ययन केवल अनुच्छेद 21(क) के संदर्भ में किया गया है। भावी शोध में शिक्षा के अन्य संवैधानिक प्रावधानों एवं नीति–निर्देशक तत्वों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध में अध्ययन का क्षेत्र केवल प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) तक सीमित रखा गया है। भावी शोध हेतु पूर्व–प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर को भी शामिल किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। भावी शोध में तुलनात्मक, सर्वेक्षण अथवा मिश्रित शोध विधियों का उपयोग किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध में सरकारी दस्तावेज़ों, रिपोर्टों एवं द्वितीयक स्रोतों पर अधिक बल दिया गया है। भावी शोध में शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा प्राथमिक आँकड़े एकत्र किए जा सकते हैं।

प्रस्तुत शोध में संपूर्ण भारत को इकाई मानकर अध्ययन किया गया है। भावी शोध हेतु किसी विशेष राज्य, जिले या ग्रामीण–शहरी क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन का सामान्य अध्ययन किया गया है। भावी शोध में RTE अधिनियम की व्यावहारिक चुनौतियों एवं प्रभावशीलता का गहन विश्लेषण किया जा सकता है।

संदर्भ :

– भारत सरकार. (1950). भारत का संविधान. नई दिल्लीः विधि एवं न्याय मंत्रालय।

– भारत सरकार. (2009). निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. नई दिल्लीः मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

– भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्लीः शिक्षा मंत्रालय।

– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी). (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005. नई दिल्लीः एनसीईआरटी।

– अग्रवाल, जे. सी. (2010). आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास एवं नियोजन. नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस।

– दाश, बी. एन. (2017). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार. नई दिल्लीः कल्याणी पब्लिशर्स।

–कुमार, कृष्ण. (2005). शिक्षा की राजनीति. नई दिल्लीः सेज पब्लिकेशन्स।

– तिलक, जे. बी. जी. (2003). शिक्षा, समाज और विकास. नई दिल्लीः ओरिएंट लॉन्गमैन।

– यूनेस्को. (2015). सभी के लिए शिक्षाः उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ (2000.2015). पेरिसः यूनेस्को।

– विश्व बैंक. (2018). विश्व विकास प्रतिवेदनः शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।

समावेशी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की भूमिका

डॉ. रश्मी उपाध्याय
शोध निर्देशिका
महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी

श्रीमती शीतल गुप्ता
शोधार्थी
महाराजा विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी

सार

समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सभी प्रकार के पृष्ठभूमि के छात्रों हेतु शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता होना। विद्यार्थी किसी भी रूप में जैसे शारीरिक ,मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप में भिन्न हो ,सभी को समान रूप से सीखने तथा विकसित होने के अवसर मिल सके। यही समावेशी शिक्षण वातावरण कहलाता है। वर्तमान युग, तकनीकी का युग कहलाता है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षक ने समावेशी शिक्षा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत शोध पत्र समावेशी शिक्षा के संदर्भ में ऑनलाइन शिक्षण की भूमिका, संभावनाओं तथा चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें समावेशी शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षण के मध्य अंतर्संबधों का विश्लेषणात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से वंचित, दिव्यांग तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को मिलने वाले अवसरों एवं उनकी चुनौतियों को स्पष्ट किया गया है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उचित नीतिगत समर्थन, डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण समावेशी शिक्षा को प्रभावी रूप प्रदान कर सकता है।

मुख्य शब्द–
ऑनलाइन शिक्षण ,समावेशी शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ,डिजिटल समावेशन

प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक अवधारणा है , जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, वंचित वर्गों, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों तथा विविध सीखने की गति वाले विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। समावेशी वातावरण उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि उनकी क्षमताओं में भिन्नता होने के बावजूद वह मूल्यवान है । परंपरागत कक्षा कक्ष शिक्षण में अनेक सीमाएं पाई जाती है जिसकी वजह से सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षण एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है।

ऑनलाइन शिक्षण की भूमिका

ऑनलाइन शिक्षण समावेशी शिक्षा को अनेक स्तरों पर सहयोग प्रदान करता है। ऑनलाइन शिक्षण के प्रयोग से भौगोलिक बाधाएं समाप्त हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी डिजिटल माध्यम की सहायता से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की ऑडियो वीडियो सामग्री, रिकॉर्ड लेक्चर ,स्क्रीन रीडर आदि का प्रयोग करना ,कक्षागत शिक्षण के दौरान विशेष शिक्षा शिक्षक की सहायता से विशिष्ट शिक्षण तकनीक को लागू करना, ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है। जिससे कमजोर विद्यार्थी अपने आत्मविश्वास के साथ निरंतर सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं ।

समावेशिता को बढ़ावा देना

ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में समावेशिता का प्रवेश शिक्षा में सुलभता को बढ़ाता है । विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री को सभी विद्यार्थी सरलता से पढ़ सकते हैं । ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में चर्चा मंच , वर्चुअल कक्षा एवं सहयोगात्मक अधिगम के माध्यम से सभी विद्यार्थी समान रूप से सक्रिय सहभागी बन सकते हैं।

'डाइवर्सिटी फॉर सोशल इंपैक्ट के अनुसार समावेशी शैक्षिक वातावरण में शिक्षित छात्रों का प्रतिशत पिछले दशक में लगातार बढ़ रहा है जो 2012 में 57 प्रतिशत था तथा 2023 तक बढ़कर यह 63 प्रतिशत तक हो गया है।

'जुलाई 2022 में जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन में प्रकाशित लेख के अनुसार विकलांग छात्र, जिन्होंने अपना अधिकांश समय अपने विद्यालय में समावेशी कक्षाओं में बिताया उन्होंने गणित विषय में अपने सामान्य साथियों की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त किया।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि उच्च समावेशन वाली कक्षाओं के छात्र कम समावेशन वाले कक्षाओं के छात्रों की तुलना में अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर रूप से प्रदर्शन कर पाने में समर्थ होते हैं।

समावेशी शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षण में अंतसम्बन्ध

ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों को शिक्षा संबंधी स्रोतों का प्रायः अभाव रहता है । ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षण एक बहुत अच्छा विकल्प सिद्ध हुआ है। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से ऐसे छात्र प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षकों के व्याख्यान सुन सकते हैं। अनेक प्रकार की अध्ययन सामग्री भी ऑनलाइन सरलता से उपलब्ध हो जाती है, जिससे शैक्षिक असमानता में कमी आती है। ऐसे बालक अथवा विद्यार्थी जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट टू स्पीच, स्क्रीन रीडर, ऑडियो बुक्स ,सब टाइटल आदि सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ,जो हर तरीके से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा सीखने में कठिनाई वाले छात्रों की शिक्षण में सहायता करती हैं । दिव्यांग विद्यार्थी अथवा धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण से अपनी गति से सीख सकते हैं। कमजोर विद्यार्थी पुनः रिकॉर्ड सामग्री को देख सकते हैं तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थी के समान आगे बढ़ सकते हैं। इससे समावेशी वातावरण में सुदृढ़ता आती है। डिजिटल शिक्षण सामग्री कम में उपलब्ध हो जाती है इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में भाषागत सुविधा भी उपलब्ध होती है ,इससे भाषागत विविधता को सम्मान मिलता है तथा सीखने की प्रक्रिया अधिक समावेशी बनती है।

यद्यपि ऑनलाइन शिक्षण समावेशी शिक्षा के विकास का एक बहुत सुगम साधन है, परंतु फिर भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे सभी छात्रों के पास डिजिटल उपकरण, स्मार्टफोन आदि उपलब्ध नहीं होते हैं। विद्यार्थियों में तकनीकी दक्षता का अभाव पाया जाता है। इससे ऑनलाइन शिक्षा में बाधा आ सकती है ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थी अंतः संबंधों में भावनात्मक अलगाव पाया जाता है क्योंकि प्रत्यक्षता का अभाव होता है। अनेक बार शिक्षक भी तकनीकी उपकरणों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं इससे भी ऑनलाइन शिक्षण में रुकावट आती है।

सुझाव

ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। शिक्षकों हेतु आईसीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। शिक्षण सामग्री की सहज उपलब्धता, हाइब्रिड शिक्षा मॉडल की प्रधानता, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता आदि कार्यों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह सभी प्रकार की विभिन्नताओं को दरकिनार कर शिक्षा को सुलभ एवं लचीला बनाता है। ऑनलाइन शिक्षण को समावेशी . ष्टिकोण के साथ योजनाबद्ध रूप से लागू किया जाना चाहिए।

संदर्भ

–यूनेस्को (2005) समावेशन हेतु दिशा निर्देश, सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना

–शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार(2020)राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नई दिल्ली भारत सरकार

–भारत सरकार(2009) बच्चों का निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 2000 नई दिल्ली, भारत सरकार

– शर्मा, उषा एवं सालैंड, स्पेंसर(2016) समावेशी कक्षाओं में शिक्षक समावेशी शिक्षा जर्नल

प्राचीन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था : मौर्य और गुप्तकालीन कर व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. तपेन्द्र सिंह शेखावत
शोध निर्देशक
इतिहास विभाग
श्री खुशालदास विश्वविद्यालय,
हनुमानगढ़

राजेन्द्र जोईया
शोधार्थी
इतिहास विभाग
श्री खुशालदास विश्वविद्यालय,
हनुमानगढ़

सार :

प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कृषि–प्रधान थी और कृषक वर्ग राज्य के राजस्व का मुख्य आधार था। मौर्य काल में कर व्यवस्था केन्द्रीयकृत, नियंत्रित और राज्य–संचालित थी। 'सीताध्यक्ष' व्यवस्था, भूमि कर और सिंचाई कर से राज्य का कृषि पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्पष्ट होता है। इस व्यवस्था ने कृषि उत्पादन और राज्य की आर्थिक शक्ति को मजबूत किया। गुप्त काल में आर्थिक ढाँचा अपेक्षाकृत विकेन्द्रीकृत हो गया। भूमि–दान और सामंतवाद के कारण कर–संग्रह स्थानीय स्तर पर होने लगा। गुप्तकालीन कर नीति ने कृषि विस्तार को बढ़ावा दिया, लेकिन कृषकों पर नए दायित्व भी आए। दोनों कालों की कर नीतियाँ राज्यसत्ता और प्रशासनिक स्वरूप को दर्शाती हैं। कर व्यवस्था ने ग्रामीण समाज, कृषक वर्ग और आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया।

मुख्य शब्द : कृषि, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण, केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीकरण

प्रस्तावना :

प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था अपनी प्रारंभिक ऐतिहासिक यात्रा से ही मुख्यतः कृषि–प्रधान रही है। कृषि केवल जीवनयापन का साधन नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण और सांस्कृतिक स्थिरता का भी मुख्य आधार थी। भूमि का स्वामित्व, सिंचाई व्यवस्था, उत्पादन क्षमता, श्रम प्रबंधन और कर प्रणाली ने मिलकर इस आर्थिक ढाँचे को आकार दिया। कृषक वर्ग इस प्रणाली का मूल स्रोत और राज्य के राजस्व का मुख्य आधार था। कृषि न केवल उत्पादक थी बल्कि राज्य की शक्ति और प्रशासनिक क्षमता को भी सुनिश्चित करती थी।

मौर्य काल (322–185 ई.पू.) में चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में एक केंद्रीकृत और मजबूत प्रशासनिक तंत्र विकसित हुआ। यह तंत्र आर्थिक रूप से अत्यंत नियंत्रित और सुव्यवस्थित था। कौटिल्य अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के इंडिका में मौर्यकालीन कृषि, भूमि–व्यवस्था, राजस्व प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली का विस्तृत विवरण मिलता है। इस काल में 'सीताध्यक्ष' जैसी पदावली स्थापित की गई, जो राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी को दर्शाती है। राज्य ने कृषि उत्पादन, सिंचाई और भूमि के उपयोग पर व्यापक नियंत्रण रखा। मौर्यकाल में भूमि कर (भाग), उत्पादन कर, सिंचाई कर, व्यापार कर और चराई कर जैसे कर थे। भूमि कर आम तौर पर उत्पादन का लगभग छठा हिस्सा होता था, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार इसमें वृद्धि या कमी की जा सकती थी। सिंचाई पर कर विशेषकर उन क्षेत्रों में लगाया जाता था जहां राज्य ने नहर, तालाब या कुएँ स्थापित किए थे। इन करों से प्राप्त राजस्व का उपयोग साम्राज्य के विस्तार, सेना के संचालन, सड़कों और नालों के निर्माण, प्रशासनिक खर्च और सामाजिक कल्याण कार्यों में होता था।

इसके विपरीत, गुप्त काल (319–550 ई.) में आर्थिक और प्रशासनिक ढाँचा अधिक विकेन्द्री.त और लचीला हो गया। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास में 'स्वर्ण युग' कहा जाता है, जिसका आधार कृषि उत्पादन, व्यापारिक

गतिविधियाँ और मुद्रा प्रणाली का पुनरुत्थान था। इस काल में भूमि–दान और सामंतवाद की प्रारंभिक संरचना का विकास हुआ। गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों, पुजारियों और धार्मिक संस्थाओं को बड़े पैमाने पर कृषि भूमि अनुदान के रूप में दी। इन भूमि–दानों पर करों की छूट या विशेषाधिकार मिलने से राजस्व संग्रहण का तरीका बदल गया। स्थानीय भूमि–स्वामी कर वसूली और न्यायिक कार्य भी करने लगे, जिससे .षि–व्यवस्था में स्थानीय शक्तियों का उदय हुआ। गुप्तकाल में उपकृत, उदक–भाग, पिडक और अन्य स्थानीय करों की विविधता देखने को मिली।

मौर्य और गुप्तकाल की कर प्रणालियों में अंतर केवल आर्थिक दृष्टिकोण का नहीं था, बल्कि यह दो अलग प्रशासनिक तंत्र और राज्य की आर्थिक अवधारणाओं को भी दर्शाता है। मौर्यकाल में आर्थिक दृष्टिकोण राज्य–केंद्रित, नियंत्रित और योजनाबद्ध था, जबकि गुप्तकाल में राजस्व प्रणाली अधिक विकेन्द्रीकृत, भूमि–दान आधारित और स्थानीय स्तर पर नियंत्रित हो गई। इन दोनों कालों की नीतियों ने कृषक वर्ग, ग्रामीण समाज और राज्य के बीच संबंधों को प्रभावित किया। मौर्यकाल में कृषक पर प्रत्यक्ष कर बोझ था, वहीं गुप्तकाल में स्थानीय अधिकार और सामंतों की शक्ति बढ़ने से नए प्रकार के दायित्व और सामाजिक दबाव उत्पन्न हुए।

प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल कर प्रणालियों तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण जीवन, श्रम संबंध, भूमि स्वामित्व, प्रशासनिक नियंत्रण और सामाजिक संरचना की समझ भी प्रदान करता है। शिलालेख, ताम्रपत्र, दानपत्र और पुरातात्विक अभिलेख इस अध्ययन को साक्ष्य–आधारित बनाते हैं। यह स्पष्ट होता है कि मौर्य और गुप्तकालीन आर्थिक नीतियाँ केवल राजस्व संग्रहण का साधन नहीं थीं, बल्कि वे प्रशासन, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ी थीं।

इस प्रकार, मौर्य और गुप्तकालीन कृषि अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की व्यापक और विश्लेषणात्मक समझ प्रदान करता है। यह दिखाता है कि किस प्रकार कर नीति, भूमि स्वामित्व और प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन से सामाजिक संरचना, राजनीतिक नियंत्रण, ग्रामीण जीवन और उत्पादन की प्रणाली में दीर्घकालिक बदलाव संभव हुए। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एक सतत प्रक्रिया थी, और मौर्य व गुप्त दोनों ही काल इस विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।

अध्ययन का महत्व :

प्राचीन भारत की आर्थिक संरचना को समझने में कृषि सबसे मूलभूत तत्व रहा है। मौर्य और गुप्त काल जैसे सुव्यवस्थित तथा समृद्ध प्रशासनिक कालखंडों में कृषि–आधारित अर्थव्यवस्था ने न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की बल्कि सामाजिक संरचना, उत्पादन प्रणाली और राजस्व तंत्र को भी नई दिशा दी। इस शोध का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह अध्ययन प्राचीन भारत की उन मूलभूत आर्थिक जड़ों को उजागर करता है जिन पर भारतीय समाज और राज्य की प्रारम्भिक आर्थिक नींव स्थापित थी।

पहला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मौर्य और गुप्त काल के कृषि तंत्र के अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलती है कि किस प्रकार भूमि–व्यवस्था, कराधान और प्रशासनिक नीतियों ने व्यापक कृषि उत्पादन को संगठित किया। मौर्य काल में अर्थशास्त्र द्वारा वर्णित सुव्यवस्थित कर व्यवस्था, 'सीताध्यक्ष' का नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और कर–संग्रह की व्यवस्था यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य ने कृषि को प्राथमिकता देने के लिए किस प्रकार केंद्रीकृत प्रशासन अपनाया। इसके विपरीत, गुप्त काल की भूमि–दान नीति, सामंतवाद का उदय, और अपेक्षाकृत हल्की कर व्यवस्था यह दर्शाती है कि समय के साथ कृषि तंत्र अधिक विकेन्द्रीय.त हुआ। इन दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन यह समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे शासकीय नीतियाँ अर्थव्यवस्था को आकार देती हैं और कैसे राज्य की भूमिका समयानुसार परिवर्तित होती है।

यह अध्ययन भारतीय कृषि–आर्थिक इतिहास की निरंतरता और परिवर्तनशीलता दोनों को सामने लाता है। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन समाज में कृषक केवल उत्पादनकर्ता ही नहीं थे बल्कि राजस्व व्यवस्था के प्रमुख आधार भी थे। उनकी श्रम–आधारित दायित्व, बली–कर, पशु–कर, सिंचाई–कर और उपज पर आधारित कर निर्धारण ये सभी तत्व आज भी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कई स्वरूपों में दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह शोध आधुनिक कृषि व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में भी सहायक है।

यह अध्ययन प्रशासनिक संरचना एवं राजस्व प्रणाली के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन अभिलेखों, गुप्तकालीन शिलालेखों, मुद्राओं तथा साहित्यिक स्रोतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि राज्य अपनी आर्थिक मजबूती बनाए रखने के लिए कौन–सी नीतियाँ अपनाता था। साथ ही यह शोध यह भी स्पष्ट करता है कि किस प्रकार राजस्व व्यवस्था और भूमि–स्वामित्व के स्वरूपों ने सामाजिक पदानुक्रम, वर्ग–व्यवस्था तथा शक्तिसंबंधों को प्रभावित किया।

यह अध्ययन ऐतिहासिक स्रोतों के मूल्यांकन को भी समृद्ध करता है। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण केवल साहित्यिक स्रोतों पर आधारित नहीं है; बल्कि शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष और विदेशी यात्रियों के विवरण इस शोध को अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक बनाते हैं। इन स्रोतों के समन्वित अध्ययन से यह शोध न केवल ऐतिहासिक सच्चाइयों को उजागर करता है बल्कि शोध–पद्धति को भी वैज्ञानिक रूप देता है।

यह अध्ययन आधुनिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान कृषि संकट, भूमि–सुधार की आवश्यकता, कर सुधार, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक दक्षता जैसे मुद्दों को समझने में प्राचीन भारतीय कृषि तंत्र से अनेक प्रेरणाएँ प्राप्त हो सकती हैं। यह शोध स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सुव्यवस्थित भूमि–व्यवस्था, पारदर्शी कर नीति और कृषकों को संरक्षण प्रदान करने वाली नीतियाँ किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता का आधार बन सकती हैं।

इस प्रकार ''मौर्य और गुप्तकालीन कर व्यवस्था का एतिहासिक अध्ययन'' न केवल प्राचीन भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की गहन समझ प्रदान करता है बल्कि वर्तमान आर्थिक नीतियों और .षि प्रशासन के लिए भी महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है। यह शोध इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और प्रशासनिक अध्ययन जैसे विभिन्न विषयों के विद्वानों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है।

अध्ययन के उद्देश्य :

किसी भी शोध कार्य की दिशा एवं सीमा उसके उद्देश्यों द्वारा निर्धारित होती है। प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित शोध–उद्देश्य शोध की संरचना, विश्लेषण एवं निष्कर्षों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करत हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित है–

1. मौर्यकालीन कृषि अर्थव्यवस्था की संरचना, भूमि–स्वामित्व व्यवस्था तथा कर प्रणाली के स्वरूप का विश्लेषण करना।
2. गुप्तकालीन कृषि तंत्र, भूमि–दान प्रथा और राजस्व–संग्रहण की पद्धति का अध्ययन करना।
3. मौर्य और गुप्त काल की कर नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. दोनों कालों की कर–व्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रभावों का आकलन करना।
5. उपलब्ध शिलालेखों, ताम्रपत्रों, ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करना।
6. राज्यसत्ता, प्रशासन और आर्थिक नियंत्रण में कर–नीतियों की भूमिका को समझना, तथा यह ज्ञात करना कि किस प्रकार कर प्रणाली ने शासन के चरित्र को प्रभावित किया।
7. भूमि–दान प्रथा तथा प्रशासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करना तथा सामंतवाद के आरंभिक संकेतों और उनके आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट करना।
8. कृषि उत्पादन, श्रम संबंधों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

1. मौर्यकालीन कर–व्यवस्था अत्यधिक केन्द्रीय.त थी जिसके कारण कृषि उत्पादन और राजस्व संग्रहण पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ।

2. गुप्तकालीन कर–व्यवस्था अपेक्षाकृत विकेन्द्रीकृत थी जिसमें भूमि–दान प्रथा ने कृषि संबंधी अधिकारों और कर–संग्रह को स्थानीय इकाइयों के हाथों में सौंप दिया।

3. मौर्यकाल में राज्य द्वारा संचालित 'सीताध्यक्ष' प्रणाली ने कृषि के प्रशासनिक प्रबंधन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

4. गुप्तकाल के दौरान भूमि–दान और सामंती अधिकारों के विकास ने कृषकों पर नए प्रकार के दायित्व और भार उत्पन्न किए जिसके सामाजिक प्रभाव दीर्घकालिक रहे।

5. दोनों कालों की कर नीतियाँ कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती थीं तथा कर दरों और कर संरचना में परिवर्तन उत्पादन स्तर पर असर डालते थे।

6. मौर्यकालीन सिंचाई एवं कृषि संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण ने साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया।

7. गुप्तकालीन कर प्रणाली में लचीलेपन और स्थानीय विविधताओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप दिया लेकिन इससे राजस्व संग्रह में क्षेत्रीय असमानताएँ भी बढ़ीं।

8. मौर्य एवं गुप्त दोनों कालों में कर–व्यवस्था का स्वरूप राज्यसत्ता के चरित्र, सामाजिक संगठन और आर्थिक नीतियों के विकास को निर्धारित करता था।

शोध पद्धति :

यह शोध ''ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक'' स्वरूप का है, जिसमें प्राचीन भारत की .षि अर्थव्यवस्था तथा मौर्य एवं गुप्तकालीन कर–व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। इसमें ''प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों'' का सम्यक उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में अशोक के शिलालेख, ताम्रपत्र, भूमि–दान अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्य तथा अर्थशास्त्र, इंडिका, महाभाष्य और बृहत्संहिता जैसे ग्रंथ सम्मिलित हैं, जिनके विश्लेषण से भूमि–व्यवस्था, कृषि उत्पादन, कर संरचना, सिंचाई पद्धति और प्रशासनिक ढाँचे को समझा गया है।

द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आधुनिक इतिहासकारों के शोधग्रंथ, पत्रिका लेख, संदर्भ पुस्तकें और शोध–प्रबंधों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। ''तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति'' के माध्यम से मौर्य और गुप्तकालीन आर्थिक नीतियों के अंतर, सामंजस्य और प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

प्रदत्त विश्लेषण में ''तथ्यपरक एवं वर्णनात्मक तरीकों'' का प्रयोग करते हुए कर प्रणाली, भूमि–स्वामित्व और प्रशासनिक नियंत्रण की तुलना की गई है। पुरातात्विक एवं शिलालेखीय साक्ष्यों की प्रामाणिकता जाँचकर निष्कर्षों को तार्किक रूप से प्रस्तुत किया गया है। शोध में ''गुणात्मक पद्धति'' को प्रधानता देते हुए संपूर्ण अध्ययन में वैज्ञानिक शोध–पद्धति के मानकों का पालन किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र :

1 अध्ययन को केवल मौर्य काल (322–185 ई.पू.) और गुप्त काल (319–550 ई.) की कृषि अर्थव्यवस्था एवं कर व्यवस्था तक सीमित रखा गया है।

2 राजनीतिक, सैन्य, सांस्.तिक या धार्मिक इतिहास को केवल उतनी सीमा तक शामिल किया गया है जितना उनका कृषि एवं कर तंत्र पर प्रभाव पड़ता है।

3 शोध का भौगोलिक दायरा उत्तर भारत के उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ दोनों साम्राज्यों का प्रशासनिक प्रभाव अधिक स्पष्ट था।

4 स्रोतों के रूप में मुख्यतः अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के वृत्तांत, शिलालेख, मुद्राएँ, समसामयिक साहित्य और उपलब्ध पुरातात्विक प्रमाणों पर निर्भर रहा गया है।

5 अत्यधिक विवादित, अनुमानाधारित या अप्रमाणित ऐतिहासिक सिद्धांतों को इस अध्ययन के दायरे से बाहर रखा गया है।

6 शोध केवल कृषि–आधारित उत्पादन, भूमि–स्वामित्व, सिंचाई प्रणाली, कृषक दायित्व और कराधान नीति पर केंद्रित है।

7 व्यापार, शहरी अर्थव्यवस्था, उद्योग या समुद्री वाणिज्य का विस्तार से अध्ययन इस शोध का भाग नहीं है।

निष्कर्ष :

मौर्य एवं गुप्तकालीन कर–व्यवस्थाएँ प्राचीन भारतीय इतिहास की ऐसी निर्णायक आर्थिक संरचनाएँ थीं, जिन्होंने राज्य, समाज और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। मौर्यकालीन कर–प्रणाली अत्यंत केन्द्रीयकृत, अनुशासित और राज्य–नियंत्रित थी, जिसमें कृषि उत्पादन, भूमि व्यवस्था, सिंचाई तथा राजस्व संग्रहण पर राज्य का प्रत्यक्ष और प्रभावी नियंत्रण स्थापित था। इस व्यवस्था ने न केवल राज्य की आर्थिक शक्ति को सदृढ़ किया, बल्कि कृषि उत्पादन में स्थिरता और वृद्धि को भी सुनिश्चित किया। केन्द्रीय प्रशासन, अधिकारियों की सुस्पष्ट भूमिका और कठोर नियमों के माध्यम से मौर्यकाल ने एक संगठित आर्थिक ढाँचे का आदर्श प्रस्तुत किया, जिससे साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनी रही।

इसके विपरीत, गुप्तकालीन कर–व्यवस्था अपेक्षाकृत विकेन्द्रीकृत थी, जिसमें भूमि–दान प्रथा और सामंती प्रवृत्तियों के विकास ने कर–संग्रह और कृषि संबंधी अधिकारों को स्थानीय इकाइयों, सामंतों और धार्मिक संस्थाओं के हाथों में सौंप दिया। इस परिवर्तन ने एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कृषि विस्तार, भूमि विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया, वहीं दूसरी ओर राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कमी और क्षेत्रीय असमानताओं को भी जन्म दिया। गुप्तकाल में कर नीति अपेक्षाकृत लचीली थी, जिसने कृषकों को उत्पादन बढ़ाने और व्यापार से जुड़ने के अवसर प्रदान किए, परंतु छोटे और सीमांत कृषकों पर नए प्रकार के दायित्व और सामाजिक दबाव भी उत्पन्न हुए।

दोनों कालों की कर–नीतियों ने कृषि उत्पादन की दिशा और स्वरूप को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। कर दरों, कर संरचना और प्रशासनिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का सीधा प्रभाव कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति, कृषि अधिशेष और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कृषि अधिशेष ने व्यापार, शिल्प और नगरीय विकास को गति दी, जिससे सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। कर–व्यवस्था केवल राजस्व संग्रह का साधन नहीं रही, बल्कि वह राज्यसत्ता के चरित्र, सामाजिक संगठन, वर्ग संरचना और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला बन गई।

इस प्रकार मौर्य और गुप्तकालीन कर–व्यवस्थाएँ अपने–अपने समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुईं। मौर्यकाल ने सुदृढ़ केन्द्रीय नियंत्रण और प्रशासनिक अनुशासन का आदर्श प्रस्तुत किया, जबकि गुप्तकाल ने विकेन्द्रीकरण, भूमि–दान और सामंती व्यवस्था के माध्यम से एक नए सामाजिक–आर्थिक ढाँचे को जन्म दिया। इन दोनों व्यवस्थाओं के संयुक्त प्रभाव ने न केवल प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित की, बल्कि भारतीय इतिहास के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को भी आकार दिया। इसी कारण मौर्य एवं गुप्तकालीन कर–व्यवस्थाएँ भारतीय इतिहास में एक निर्णायक और मार्गदर्शक भूमिका निभाती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. कुमार, राघवेन्द्र. (2020). प्राचीन भारत की राजस्व संरचना : मौर्य से गुप्त युग. राष्ट्रीय प्रकाशन, वाराणसी।
2. चतुर्वेदी, विनोद. (2022). मौर्य साम्राज्य और राज्य–व्यवस्था का इतिहास. वैदिक बुक्स, दिल्ली।
3. चौधरी, अनिरुद्ध. (2023). प्राचीन भारतीय राजस्व तंत्र : सिद्धांत और व्यवहार. संस्कृत संस्थान प्रकाशन, पटना।
4. दास, .तिकुमार. (2019). मौर्यकालीन राजनीतिक और राजस्व प्रणाली. कोलकाता एशियाटिक प्रकाशन, आगरा।
5. दुबे, अरविंद. (2021). प्राचीन भारत के आर्थिक संस्थान. लोकभारती प्रकाशन, भोपाल।
6. जैन, अनुपमा. (2025). प्राचीन भारतीय कर–प्रणाली के स्रोत और स्वरूप. मानवशास्त्र प्रकाशन, जयपुर।
7. झा, आर.एन. (2014). प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था : मौर्य और गुप्तकाल का अध्ययन. भारती प्रकाशन, वाराणसी।
8. जोशी, शरद. (2015). भारत की राजस्व प्रणाली : प्राचीन से गुप्तकाल तक. भास्कर पब्लिशर्स, दिल्ली।

Impact Assessment of the Ambuja Cement Marwar-Mundwa Plant on Livelihoods, Economy, and Environment of Neighboring Areas

Dr. Kishan Lal Gahlot
Assistant Professor
Dept. of Commerce, Shri Khushal Das University, Pillibanga, Hanumangarh

Babita Bishnoi
Research Scholar, Dept. of Commerce, Shri Khushal Das University, Pillibanga, Hanumangarh

Abstract

The establishment of industrial units often brings both opportunities and challenges for nearby communities. This study assesses the socio-economic and environmental impacts of the Ambuja Cement Marwar-Mundwa Plant on surrounding villages in Rajasthan, India. Using both quantitative and qualitative methods, data was gathered from household surveys, key informant interviews, focus group discussions, and environmental measurements. Findings indicate that while the plant has contributed to job creation, infrastructure development, and increased incomes, it has also led to environmental degradation, health concerns, and socio-cultural shifts. The paper concludes with recommendations for sustainable industrial practices and community engagement frameworks that balance economic progress with environmental protection and social welfare.

Introduction

Industrialization plays a critical role in economic development by generating employment, improving infrastructure, and enhancing local markets. However, these benefits can come with environmental costs and disruptions to traditional livelihoods. The Ambuja Cement Marwar-Mundwa Plant, located in the Marwar region of Rajasthan, has been operational since the early 2000s and is a major cement manufacturing hub. This study aims to systematically assess how the plant's presence has affected the livelihoods, economic conditions, and environmental quality of its neighboring communities.

Background

The Marwar-Mundwa area is characterized by arid climatic conditions, agrarian livelihoods, and sparse industrial base prior to the plant's establishment. Ambuja Cement's strategic decision to locate in this region was influenced by proximity to limestone reserves and transport networks. The local economy, predominantly agriculture and animal husbandry, now confronts industrial influences that shape employment patterns, land use, and natural resources availability.

Research Objectives

1. To assess the socio-economic impacts of the plant on local households.
2. To analyze changes in livelihood strategies and income patterns.
3. To evaluate the environmental impacts including air quality, water resources, and land degradation.
4. To provide policy recommendations for sustainable industry-community partnerships.

Literature Review

Nwogu (2025) studied "Effect of cement production processes on dry atmospheric chemistry in South-South Nigeria." The research analyzed the impact of cement manufacturing on air quality, focusing on particulate matter and

gaseous emissions. Findings revealed that cement production significantly increased concentrations of dust, nitrogen oxides, and sulfur compounds in the surrounding atmosphere. The potential health risks and environmental degradation associated with prolonged exposure to these pollutants. Nwogu emphasized the need for improved emission control measures and monitoring to mitigate the adverse effects of cement production on local air quality and public health.

Ayobami, T. M., Awobode, H. O., & Anumudu, C. I. (2024) studied the ecological and health risks posed by heavy metal contamination in soils and plants surrounding a cement factory in Ibese, Ogun State, Nigeria. Their research revealed elevated levels of metals such as lead, cadmium, and zinc, which posed potential threats to soil quality, plant health, and local human populations. That cement production activities contribute significantly to environmental pollution and the necessity of monitoring and mitigation strategies to safeguard ecological integrity and public health.

Ansari (2023) conducted an ecological footprint assessment of concrete, focusing on the environmental impacts of partially replacing cement with water treatment sludge and stone dust. The study aimed to evaluate how substituting traditional cement with industrial byproducts could reduce resource consumption, energy demand, and carbon emissions associated with concrete production. Using life cycle assessment (LCA) methodology, Ansari quantified the environmental savings in terms of greenhouse gas emissions, energy usage, and material depletion. The results indicated that incorporating water treatment sludge and stone dust as partial cement replacements significantly lowers the ecological footprint of concrete without compromising its mechanical performance.

Ashraf, Bhat, and Ashraf (2022) studied the impact of cement dust on soil physico-chemical characteristics around the Khrew Cement Factory in Pulwama, India. The research focused on how continuous deposition of cement dust alters soil properties, including pH, organic matter content, nutrient availability, and texture. Their findings revealed that soils in the vicinity of the cement factory experienced significant changes compared to control sites. Specifically, cement dust deposition increased soil alkalinity (pH) and calcium content while reducing organic matter and essential nutrients like nitrogen and phosphorus. These changes can adversely affect soil fertility and limit agricultural productivity. The environmental consequences of unregulated cement dust emissions on surrounding ecosystems. The authors suggested implementing dust control measures and continuous monitoring of soil quality to mitigate long-term ecological damage and support sustainable land management around industrial zones.

Chetia and Bhuyan (2022) investigated the effects of cement dust from the Bokajan Cement Factory on residents living in its vicinity in Assam, India. The study primarily focused on health and environmental impacts associated with long-term exposure to airborne cement particles. The authors found that residents reported a range of respiratory problems, including coughing, wheezing, and shortness of breath, which were more prevalent among individuals living closer to the factory. In addition to health impacts, the study observed visible dust deposition on houses, vegetation, and local infrastructure, indicating persistent environmental contamination.

Methodology

The present study adopted a mixed-method research design to comprehensively assess the socio-economic and environmental impacts of the Ambuja Cement Marwar-Mundwa Plant on neighboring communities. The study area

comprised villages located within a 10-kilometer radius of the plant, selected on the basis of proximity, population density, and dependence on natural resources. Primary data were collected through structured household surveys administered to a stratified random sample of local residents to capture information on employment, income, livelihood changes, health conditions, and perceptions of environmental quality. In addition, qualitative data were gathered through key informant interviews with village leaders, health workers, and plant representatives, as well as focus group discussions with farmers, women, and youth to understand community-level experiences and social changes in depth. Secondary data were sourced from government reports, company sustainability disclosures, census records, and published research. Environmental assessment involved the analysis of air quality indicators such as particulate matter (PM?? and PM?.?), groundwater availability and quality, and land-use changes, with observations compared against established national standards. Quantitative data were analyzed using descriptive statistical techniques, while qualitative responses were thematically coded to identify recurring patterns and concerns. This integrated methodological approach enabled a balanced evaluation of economic benefits alongside environmental and social impacts.

Study Area

The present study focuses on a cluster of villages and hamlets located in close proximity to the Ambuja Cements Marwar-Mundwa Plant within Mundwa Tehsil of Nagaur District, Rajasthan. The selected villages include Mundwa, Inana, Khen, Roopasar, Deediya, Naradhana, and Bhadana, along with nearby habitations falling within the plant's immediate zone of influence. These settlements are situated within an approximate 10-kilometer radius of the cement manufacturing facility and are directly exposed to its economic, social, and environmental impacts. The study area is characterized by arid and semi-arid climatic conditions, limited groundwater availability, and a traditional livelihood base primarily dependent on rain-fed agriculture, livestock rearing, and wage labor. The proximity of these villages to limestone mining zones, transportation corridors, and plant operations makes them particularly relevant for assessing changes in livelihood patterns, environmental quality, health outcomes, and socio-economic structures resulting from industrial activity. The selection of these villages ensures a realistic and representative evaluation of the plant-affected region, capturing varying degrees of exposure to emissions, resource use, and industrial interactions.

Supporting Documents / Annexures

To strengthen the empirical validity and transparency of the study, the following supporting documents and annexures are included:

Annexure I: Photographic Documentation

- Photographs of ponds, wells, hand pumps, and local water bodies within the study villages
- Images depicting dust deposition on residential houses, vegetation, agricultural fields, and village roads
- Photographs illustrating land-use changes and environmental conditions in the vicinity of the plant (before and after, wherever available)

Annexure II: Survey and Field Instruments

- Copy of the structured household survey questionnaire
- Key informant interview schedules (village leaders, health workers, plant representatives)
- Focus group discussion (FGD) guides for farmers, women, and youth groups
- Sample filled-in questionnaires (1-2 copies, anonymized)

Annexure III: Maps and Spatial Data

- Location map of Ambuja Cements Marwar-

Mundwa Plant
- Map showing villages and hamlets within a 10-km radius of the plant
- Satellite imagery excerpts used for land-use and environmental change analysis

Annexure IV: Field Observation Records

- Field visit notes and observational logs documenting:
    - o Dust intensity
    - o Water availability
    - o Agricultural conditions
    - o Community interactions and daily activities

Regulatory Framework and Reference Standards
Government Notifications and Environmental Standards
- Extracts from Central Pollution Control Board (CPCB) standards for:
    - o Ambient Air Quality (PM?.?, PM??)
    - o Industrial emissions for cement plants
    - o Groundwater and drinking water quality norms
- Relevant notifications under:
    - o Environment (Protection) Act, 1986
    - o Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
    - o Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

These standards were used as benchmarks for comparing observed environmental data in the study area.

Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosures

CSR Activities and Public Records
- Review of Ambuja Cements Ltd. CSR reports and public disclosures, where available
- Documentation of CSR initiatives related to:
    - o Road and infrastructure development
    - o Drinking water facilities
    - o Health camps and medical support
    - o Education and skill development programs
- Correlation of reported CSR activities with community perceptions and field observations

Research Design
A mixed-methods approach was adopted:
- Quantitative Survey: Structured questionnaires administered to 400 households (100 per village) using stratified random sampling.
- Qualitative Methods: 15 key informant interviews (village leaders, plant officials, local health workers), and 8 focus group discussions with farmers, women's groups, and youth.
- Environmental Analysis: Air quality data (PM?.? and PM?? levels), water sampling from local wells, and land use change analysis using satellite imagery.

Data Analysis

Quantitative data was analyzed using descriptive statistics and regression models to identify correlations between plant proximity and socio-economic indicators. Qualitative data was coded thematically. Environmental data was compared against national standards (e.g., Central Pollution Control Board limits).

Findings

Socio-Economic Impacts

The Ambuja Cement Marwar-Mundwa Plant has brought notable socio-economic changes to the surrounding villages, significantly influencing livelihoods, income patterns, and overall living standards. The establishment of the plant has generated direct and indirect employment opportunities, reducing unemployment and seasonal migration by providing stable wage-based jobs to local residents. Many households have diversified their income sources through ancillary activities such as transportation, small businesses, contractual labor, and service provision linked to the plant's operations. Improved household incomes have contributed to better access to education, healthcare, and consumer goods, enhancing the quality of life in the region.

Additionally, the development of infrastructure such as roads, electricity supply, drinking water facilities, and community amenities-often supported through corporate social responsibility initiatives-has strengthened local economic integration and connectivity. However, these positive outcomes coexist with social adjustments, including a gradual shift away from traditional occupations like agriculture and animal husbandry, changes in social relations, and emerging economic disparities between households directly associated with the plant and those remaining dependent on conventional livelihoods.

Employment and Income

- Direct employment: 27% of surveyed households reported at least one family member employed by the plant.
- Indirect employment: 38% engaged in transport, supply chains, or service businesses linked to the plant.
- Income changes: Average household income increased by 22% over 5 years, attributed to stable salaries and business opportunities.

Infrastructure and Services

- The plant has funded road improvements, local school upgrades, and a primary health center.
- Availability of electricity and connectivity improved significantly since plant establishment.

Social Changes

- Youth migration to urban centers decreased, as more local job options emerged.
- Traditional occupations (e.g., pastoralism) are declining as youth shift to industrial and service jobs.

Environmental Impacts

Air Quality

Data shows elevated levels of particulate matter near the plant, especially during peak production months. PM?? frequently exceeded national safe limits, raising respiratory health concerns among residents.

Water Resources

Groundwater levels have declined in several villages, partly due to industrial water consumption. Some well water samples showed increased turbidity and traces of minerals, though not exceeding all safety limits.

Land Use and Biodiversity

Satellite imagery indicates conversion of agricultural and scrublands to industrial infrastructure and quarrying zones. Local biodiversity, especially bird populations, shows signs of stress due to habitat fragmentation.

Discussion

Balancing Economic Gains and Environmental Costs

The results highlight a classic development dilemma: the plant has enhanced incomes and infrastructure but also introduced environmental pressures. While local employment has improved economic resilience, environmental degradation poses long-term risks to health and traditional livelihoods.

Community Perceptions

Community members acknowledge benefits such as jobs and better amenities, but voice concerns over dust pollution and declining water availability. Women, in focus groups, consistently cited health impacts (coughs, allergies) believed to be linked with air quality.

Policy Implications

Regulatory enforcement on emissions, participatory environmental monitoring, and corporate investment in clean technologies emerge as essential steps. A framework for corporate social responsibility (CSR) that prioritizes sustainable resource use and community health could enhance outcomes.

Conclusions

The Ambuja Cement Marwar-Mundwa Plant has generated substantial socio-economic benefits for neighboring communities by creating

employment opportunities, enhancing household incomes, and contributing to the development of physical and social infrastructure. Improved road connectivity, better access to electricity, and support for educational and health facilities have strengthened local economic conditions and reduced livelihood insecurity. At the same time, the plant's operations have given rise to environmental challenges, particularly air quality deterioration due to dust emissions, increasing pressure on scarce water resources, and noticeable land use changes associated with industrial expansion and mining activities. These impacts highlight the urgent need for sustainable industrial practices that balance economic growth with environmental protection. Strong regulatory oversight, continuous environmental monitoring, active community participation in decision-making, and sustained investment in pollution control and resource conservation technologies are essential to ensure harmonious and long-term coexistence between industrial development and local communities.

Recommendations

1. Strengthen air pollution controls: Install advanced dust suppression systems and real-time monitoring.
2. Water conservation measures: Adopt recycling systems and community water recharge programs.
3. Health screening initiatives: Regular medical camps focused on respiratory and occupational health.
4. Skill development programs: Partner with local communities to expand employability beyond plant jobs.
5. Environmental education: Awareness campaigns on sustainable land and resource management.

References

1. Agarwal, A., & Narain, S. (2018). Industrial development and environmental sustainability in India. New Delhi: Centre for Science and Environment.
2. Bhattacharya, S. (2016). Industrialization and rural transformation in India. Indian Journal of Regional Science, 48(2), 45-60.
3. Central Pollution Control Board. (2022). Environmental standards for cement manufacturing industries. New Delhi: Government of India.
4. Dasgupta, S., Laplante, B., Wang, H., & Wheeler, D. (2002). Confronting the environmental Kuznets curve. Journal of Economic Perspectives, 16(1), 147-168.
5. Government of Rajasthan. (2021). District statistical handbook: Nagaur. Jaipur: Directorate of Economics and Statistics.
6. Gupta, R., & Sinha, A. (2019). Corporate social responsibility and community development in cement industries. Social Responsibility Journal, 15(3), 321-336.
7. Jha, P., & Murthy, K. V. (2017). Industrial pollution and health outcomes in rural India. Economic and Political Weekly, 52(18), 55-63.
8. Kumar, R. (2018). Environmental impacts of cement production: A review. International Journal of Environmental Studies, 75(3), 456-469.
9. Kumar, S., & Singh, P. (2019). Industrial growth and livelihood diversification in rural India. Journal of Rural Development, 38(2), 189-205.
10. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (2020). Environmental impact assessment guidance manual for cement sector. New Delhi: Government of India.
11. Mohanty, B. B. (2015). Industrialization and socio-economic change in India. Journal of Social and Economic Development, 17(1), 89-104.
12. National Council for Cement and Building Materials. (2021). Sustainability practices in Indian cement industry. Ballabgarh: NCCBM.
13. OECD. (2019). Industrial pollution and social impacts. Paris: OECD Publishing.

बी.एड. स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. राम गोपाल शर्मा
शोध निर्देशक
प्राचार्य
राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान,
बीकानेर

आशा भाटी
शोधार्थी
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर

सार

वर्तमान समय में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुख बनाना भी है। व्यावसायिक अभिवृत्ति व्यक्ति की रुचि, क्षमता एवं कार्य के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य बी.एड. स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति का अध्ययन करना तथा ग्रामीण, शहरी एवं विवाहित, अविवाहित छात्राओं के बीच व्यावसायिक अभिवृत्ति के स्तर का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि विभिन्न सामाजिक एवं वैयक्तिक कारकों का व्यावसायिक अभिवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

प्रस्तावना

वैदिक काल से ही यह सार्वभौमिक सत्य और सिद्धान्त प्रचलित है कि स्त्री जाति पृथ्वी पर नैतिकता, मानवता और सभ्यता के विकास का अपरिमित स्त्रोत रही है। इसलिए कवि पन्त ने भी ''देवी, माँ, सहचरी, प्राण'' इत्यादि भारतीय परम्परा में नारी के रूप बताये है। प्राचीन काल से ही स्त्री जाति को माता, पत्नी और स्त्री के विविध सम्बन्धों में पूज्या माना जाता रहा है। कहा भी गया है कि :–

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'

आज स्त्री इस दिशा में प्रयत्नशील हुई है कि वह अपने विकास के लिए समुचित स्त्री–शिक्षा का विकास तथा व्यवस्था करके देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने वाले, राष्ट्रीय समृद्धि में योग देने वाले, योग्य नागरिक दे सकें। परिवार न केवल समाज की नींव मजबूत करता है वरन् व्यक्ति के भावनात्मक स्तर को भी उँचा उठाता है। पारिवारिक जीवन के उद्धेश्यों में एक उद्धेश्य यह भी है कि परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक व संवेगात्मक बंधन कायम रहे। परिवार के स्वरूप को वर्तमान में कई कारकों से प्रभावित किया है। वर्तमान में औद्योगिकीकरण, संचार के साधनों का विकास, पश्चिमीकरण, स्त्री शिक्षा आदि ने इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखा जाये तो रिश्तों की धुरी ''स्त्री'' है। वर्तमान युग में स्त्रियाँ अधिक महत्वाकांक्षी हो रही है। परन्तु इसमें कोई बुराई नहीं है यह तो उनकी बौद्धिक क्षमता, प्रतिभा व योग्यता की निशानी है। इसी कारण वर्तमान रतार के साथ कदम मिलाती नारी को सामाजिक जीवन,पारिवारिक जीवन एवं नौकरी या व्यवसाय से तालमेल बैठाने व घर–परिवार की सुख–शांति व समृद्धि के लिए अनेक समझौते करने पड़ते है। आज की नारी घर–परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हुए भी परिवार में अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति चाहती है।

शिक्षा समाज के विकास की आधारशिला है। आधुनिक युग में शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अकादमिक रूप से सक्षम हो, बल्कि व्यावसायिक .ष्टि से भी सजग हो। बी.एड. स्तर की छात्राएँ भविष्य में शिक्षक के रूप में समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी व्यावसायिक अभिवृत्ति उनके व्यक्तित्व, कार्यकुशलता एवं सामाजिक योगदान को

प्रभावित करती है। ग्रामीण एवं शहरी पृष्ठभूमि तथा वैवाहिक स्थिति जैसे कारक व्यावसायिक अभिवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनका अध्ययन आवश्यक है।

5 शोध उद्देश्य

शिक्षा केंद्रित शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए :–

1. बी.एड. स्तर की छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. बी.एड. स्तर की विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी विवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

शोध की परिकल्पनाएं निम्न प्रकार से है :–

1. बी.एड. स्तर की विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।
2. बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।
3. बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी विवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।
4. बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

शोध की विधि :

शोधकर्त्री ने वर्तमान शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का चयन किया है।

शोध उपकरण :

व्यावसायिक अभिवृत्ति प्रश्नावली (स्वनिर्मित)

शोधकर्त्री द्वारा बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों में व्यावसायिक अभिवृत्ति के मापन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली '' व्यावसायिक अभिवृत्ति प्रश्नावली'' प्रयोग में लाई गयी है। इस प्रश्नावली में 35 प्रश्न है, जिनका उद्धेश्य बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की व्यावसायिक अभिवृत्ति को ज्ञात करना है।

शोध न्यादर्श :

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्री ने शोध हेतु राजस्थान राज्य के बीकानेर संभाग का चयन किया है। जिसके अन्तर्गत बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़,बीकानेर जिले की शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सम्मलित किया है। जिसमें कुल 300 छात्राओं का चयन किया है। प्रत्येक जिले से 100–100 छात्राओं का चयन किया। जिसमें 50 ग्रामीण, 50 शहरी छात्राओं का चयन किया है।शोधकर्त्री ने अध्ययन के लिए बी. एड. अध्ययनरत 150 विवाहित तथा 150 अविवाहित छात्राओं को सम्मिलित किया।

शोध सांख्यिकी :

प्रस्तुत शोध हेतु शोधकर्त्री द्वारा निम्न सांख्यिकी का उपयोग किया गया।

– मध्यमान
– प्रमाणिक विचलन
– टी–परीक्षण

प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण

परिकल्पना 1 – बी.एड. स्तर की विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

बी.एड. स्तर की विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं

की व्यावसायिक अभिवृत्ति

सारणी 1

समूह **Group**	संख्या **NO.**	मध्यमान **MEAN**	मानक विचलन **S.D.**	फलक का मान **t-Value**	स्वतंत्रता का अंश **DF**	परिणाम **Result**
विवाहित	150	18.66	8.44		298	
अविवाहित	150	21.37	8.09	2.88		अस्वीकृत

0.01 सार्थकता स्तर पर टी मान – 2.60

0.05 सार्थकता स्तर पर टी मान – 1.98

सारणी 1 की गणना के आधार पर बी.एड. स्तर की विवाहित छात्राओं का मध्यमान 18.66 तथा बी.एड. स्तर की अविवाहित छात्राओं का मध्यमान 21.37 है तथा बी. एड. स्तर की विवाहित छात्राओं का मानक विचलन 8.44 तथा बी.एड. स्तर की अविवाहित छात्राओं का मानक विचलन 8.09 हैं जबकि फलक का मान (टी वेल्यू) 2.88 हैं जो स्वतंत्रता के अंश (डी.एफ) 298 की तालिका में 0.01 सार्थकता स्तर पर टी का मान 2.60 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर टी का मान 1.98 से अधिक है अर्थात् परिकल्पना क्रमांक 1 अस्वीकृत की जाती है। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि बी.एड. स्तर की विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया जाता हैं।

विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति

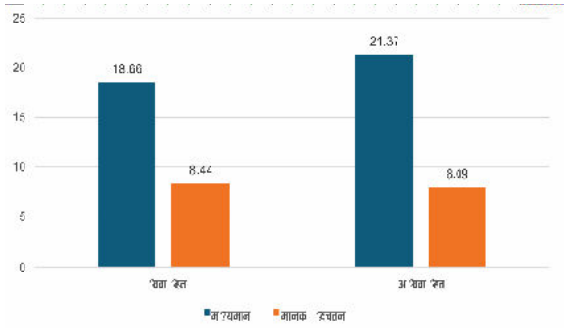

परिकल्पना 2– बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति

सारणी 2

समूह **Group**	संख्या **NO.**	मध्यमान **MEAN**	मानक विचलन **S.D.**	फलक का मान **t-Value**	स्वतंत्रता का अंश **DF**	परिणाम **Result**
ग्रामीण (Rural)	150	18.62	8.44	0.93	298	
शहरी (Urban)	150	19.53	8.16			स्वीकृत

सार्थकता स्तर पर टी मान – 2.60

0.05 सार्थकता स्तर पर टी मान – 1.97

सारणी 2 की गणना के आधार पर बी.एड. स्तर की ग्रामीण छात्राओं का मध्यमान 18.62 तथा बी.एड. स्तर की शहरी छात्राओं का मध्यमान 19.53 है तथा बी.एड. स्तर की ग्रामीण छात्राओं का मानक विचलन 8.44 तथा बी.एड. स्तर की शहरी छात्राओं का मानक विचलन 8.16 हैं जबकि फलक का मान (टी वेल्यू) 0.93 जो स्वतंत्रता के अंश (डी. एफ) 298 की तालिका में कम है अर्थात् परिकल्पना क्रमांक 2 स्वीकृत की जाती है। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति

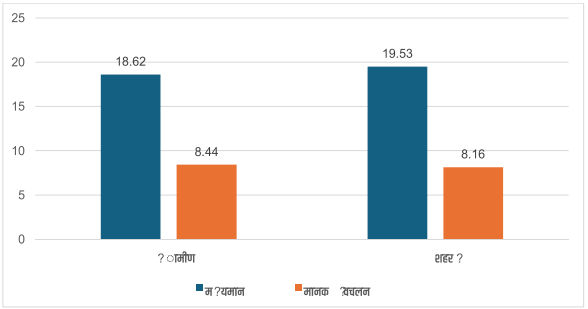

परिकल्पना 3–बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी विवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी विवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति

सारणी 3

समूह **Group**	संख्या **NO.**	मध्यमान **MEAN**	मानक विचलन **S.D.**	फलक का मान **t-Value**	स्वतंत्रता का अंश **DF**	परिणाम **Result**
ग्रामीण विवाहित	75	22.50	8.61	0.16	148	
शहरी विवाहित	75	22.73	8.46			स्वीकृत

0.01 सार्थकता स्तर पर टी मान – 2.60

0.05 सार्थकता स्तर पर टी मान – 1.98

सारणी 3 की गणना के आधार पर बी.एड. स्तर की ग्रामीण विवाहित छात्राओं का मध्यमान 22.50 तथा बी.एड. स्तर की शहरी विवाहित छात्राओं का मध्यमान 22.73 है तथा बी.एड. स्तर की ग्रामीण विवाहित छात्राओं का मानक विचलन 8ण्61 तथा बी.एड. स्तर की शहरी विवाहित छात्राओं का मानक विचलन 8.46 हैं जबकि फलक का मान (टी वेल्यू) 0.16 हैं जो स्वतंत्रता के अंश (डी.एफ) 148 की तालिका में 0.01 सार्थकता स्तर पर टी का मान 2.60 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर टी का मान 1.98 से कम है अर्थात् परिकल्पना क्रमांक 3 स्वीकृत की जाती है। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि बी.एड. स्तर की ग्रामीण विवाहित एवं शहरी विवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

ग्रामीण एवं शहरी विवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति

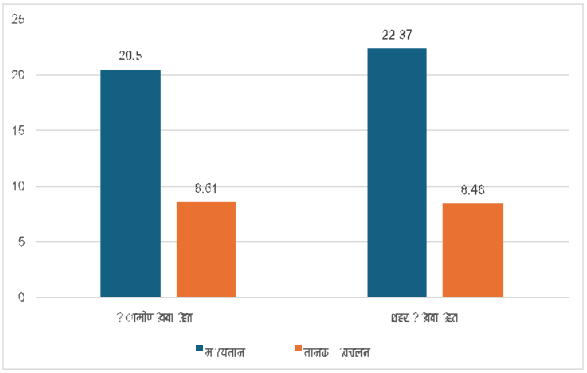

परिकल्पना 4– बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति

सारणी 4

समूह **Group**	संख्या **NO.**	मध्यमान **MEAN**	मानक विचलन **S.D.**	फलक का मान **t-Value**	स्वतंत्रता का अंश **DF**	परिणाम **Result**
ग्रामीण अविवाहित	75	24.07	7.58	0.33	148	
शहरी अविवाहित	75	24.47	7.41			स्वीकृत

0.01 सार्थकता स्तर पर टी मान – 2.60

0.05 सार्थकता स्तर पर टी मान – 1.98

सारणी 4 की गणना के आधार पर बी.एड. स्तर की ग्रामीण अविवाहित छात्राओं का मध्यमान 24.07 तथा बी.एड. स्तर की शहरी अविवाहित छात्राओं का मध्यमान 24.47 है तथा बी.एड. स्तर की ग्रामीण अविवाहित छात्राओं का मानक विचलन 7.58 तथा बी.एड. स्तर की शहरी अविवाहित छात्राओं का मानक विचलन 7.41 हैं जबकि फलक का मान (टी वेल्यू) 0.33 जो स्वतंत्रता के अंश (डी.एफ) 148 की तालिका में 0.01 सार्थकता स्तर पर टी का मान 2.60 तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर टी का मान 1.98 से कम है अर्थात् परिकल्पना क्रमांक 4 स्वीकृत की जाती है। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

ग्रामीण एवं शहरी अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति

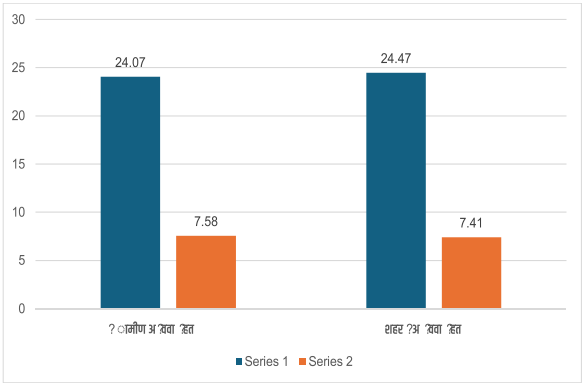

शोध के निष्कर्ष :

1. विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बी.एड. स्तर की शहरी विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात दोनों समूहों की व्यावसायिक अभिवृत्ति समान है। है। इस तथ्य की पुष्टि व्यावसायिक अभिवृत्ति प्रश्नावली में पूछे गये प्रश्न संख्या (9) "नौकरी से व्यक्ति स्वयं को आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित अनुभव करता है।" से होती है जिसका उत्तर 71 प्रतिशत विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं ने ''हाँ'' में दिया।

2. विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात दोनों समूहों की व्यावसायिक अभिवृत्ति समान है। इस तथ्य की पुष्टि प्रश्न संख्या (10) "आर्थिक स्वतंत्रता से आत्म सम्मान मिलता है।" से होती है जिसका उत्तर 68 प्रतिशत विवाहित एवं अविवाहित छात्राओं ने ''हाँ'' में दिया।

3. विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी विवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात दोनों समूहों की व्यावसायिक अभिवृत्ति समान है। इस तथ्य की पुष्टि व्यावसायिक अभिवृत्ति प्रश्नावली में पूछे गये प्रश्न संख्या (23) "नौकरी करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है " से होती है जिसका उत्तर 80 प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी विवाहित छात्राओं ने ''हाँ'' में दिया।

4. विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बी.एड. स्तर की ग्रामीण एवं शहरी अविवाहित छात्राओं की व्यावसायिक अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। अर्थात दोनों समूहों की व्यावसायिक अभिवृत्ति समान है। इस तथ्य की पुष्टि संवेगात्मक व्यावसायिक अभिवृत्ति प्रश्नावली में पूछे गये प्रश्न संख्या (3) "अच्छे करियर से समाज में प्रतिष्ठा बनती है।" से होती है जिसका उत्तर 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी अविवाहित छात्राओं ने ''हाँ'' में दिया।

शोध–परिचर्चा प्रस्तुत अनुसंधान के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों की व्यावसायिक अभिवृत्ति में निश्चित अंतर विद्यमान है। आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की अपेक्षा शहरी विद्यार्थियों की व्यावसायिक अभिवृत्ति का स्तर अपेक्षा.त अधिक है। इसका एक प्रमुख कारण शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध शैक्षणिक एवं तकनीकी संसाधन, करियर परामर्श, तथा व्यावसायिक अवसरों की अधिकता हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण, एवं आर्थिक स्थिति व्यावसायिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं। अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि जिन विद्यार्थियों को समय–समय पर उचित मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्राप्त होता है, उनमें व्यावसायिक .ष्टिकोण अधिक सकारात्मक रूप में विकसित होता है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि व्यावसायिक अभिवृत्ति के विकास में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षणिक संस्थाओं और अभिभावकों को मिलकर विद्यार्थियों में कार्य उन्मुख सोच, आत्मविश्वास, एवं निर्णय क्षमता विकसित करने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए।

संदर्भ सूची

1 गर्ग, आर. (2018). शैक्षिक मनोविज्ञान. आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

2 सिंह, डी. (2020). व्यावसायिक अभिवृत्ति और शिक्षा. नई दिल्लीः प्रकाशन संस्थान।

3 Koul L(2019) Methodology of Educational Research- New Delhi Vikas Publishing House

4 http://www.wnwikipedia.org/ wiki/ autobiography

5 http://www.shodganga.com

6 http://www.google.com

7 http://www.ncte.org.com

स्वच्छ भारत अभियान के प्रति माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. संजय जिन्दल
(शोध निर्देशक)
शिक्षा विभाग, श्री खुशाल दास
विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ (राज.)

सुरेश कुमार शर्मा
(शोधार्थी)
शिक्षा विभाग,
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय,
हनुमानगढ़ (राज.)

सार :

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान के प्रति माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों की जागरूकता का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में शहरी और ग्रामीण, राजकीय और निजी विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में जागरूकता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया। शोध में तीनों वर्गों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर जागरूकता की स्थिति का विश्लेषण किया गया। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक समुदाय लगभग समान रूप से जागरूक है, जबकि विद्यार्थियों और अभिभावकों में विद्यालय के प्रकार और सामाजिक परिवेश के अनुसार भिन्नता देखी गई। यह अध्ययन शिक्षा और व्यवहार के बीच संबंध को स्पष्ट करता है तथा स्वच्छता के प्रति स्थायी जागरूकता उत्पन्न करने में विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक की भूमिका को रेखांकित करता है। शोध से नीति–निर्माताओं, विद्यालय प्रबंधन और समुदायिक कार्यक्रमों के लिए मूल्यवान दिशा–निर्देश प्राप्त होते हैं।

प्रस्तावना

भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों वाला देश है जहाँ स्वच्छता को सदैव पवित्रता, स्वास्थ्य और ईष्वर भक्ति से जोड़ा गया है। भारतीय संस्कृति में ''स्वच्छता ही सेवा है'' का विचार निहित है। किंतु आधुनिक युग में तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कचरा, अस्वच्छ जलस्रोत और प्रदूषण की बढ़ती समस्या न केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवन की गुणवत्ता के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया ''स्वच्छ भारत अभियान'' देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसका उद्देश्य केवल कचरा मुक्त करना नहीं बल्कि लोगों की सोच, व्यवहार और आदतों में स्थायी परिवर्तन लाना है।

विद्यालय समाज का सूक्ष्म रूप हैं जहाँ आने वाली पीढ़ी का निर्माण होता है। शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। यदि विद्यालयों में स्वच्छता व्यवहारगत आदत के रूप में विकसित की जाए तो समाज में भी यह प्रभाव फैल सकता है। शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक यह त्रयी इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शिक्षक प्रेरक हैं, विद्यार्थी सीखने वाले और अभिभावक इसे सामाजिक स्तर पर व्यवहार में लाने वाले हैं।

स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव विशेष रूप से विद्यालयों में देखा जा सकता है। ''स्वच्छ भारत – स्वच्छ विद्यालय अभियान'' के अंतर्गत विद्यालयों में स्वच्छता, शौचालय निर्माण, पेयजल, कचरा प्रबंधन और हाथ धोने की आदतें अनिवार्य की गई हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में स्वच्छता की आदतें विकसित करना और उन्हें समाज में परिवर्तन के वाहक बनाना है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह अभियान विद्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हो रहा है? क्या शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक समान रूप से जागरूक हैं?

आज शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक उपलब्धि नहीं बल्कि मूल्यपरक और व्यवहारिक नागरिकता का विकास भी है। स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ समाज का आधार हैं। शिक्षक और अभिभावक का व्यवहार विद्यार्थी में आदर्श स्थापित करता है। इसलिए तीनों वर्गों की .ष्टि और सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य है ''व्यवहार परिवर्तन'', अर्थात नागरिकों के सोचने और कार्य करने के तरीके में स्थायी परिवर्तन लाना। यह प्रक्रिया सबसे पहले विद्यालयों से प्रारंभ होती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे तो यह प्रेरणा परिवार और समाज तक पहुँच जाएगी। विद्यालय समाज में स्वच्छता के प्रचार–प्रसार का सशक्त माध्यम बन सकता है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवधारणा और क्रियान्वयन में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी और शहरी क्षेत्रों में अनुशासन और निरंतरता की समस्या देखी जाती है। शौचालय निर्माण के बाद रखरखाव न होने और अभिभावकों की कम सहभागिता से विद्यार्थियों की जागरूकता प्रभावित हो सकती है। इसलिए शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

यह अध्ययन केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि दृष्टिकोण, व्यवहार और भागीदारी का समग्र मूल्यांकन करेगा। इससे स्पष्ट होगा कि स्वच्छ भारत अभियान विद्यालयों में कितने प्रभावी हैं और किन कारकों के कारण इसमें बाधाएँ आ रही हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग में स्वच्छता के प्रति स्वामित्व की भावना तभी विकसित होगी जब शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। इस .ष्टि से यह अध्ययन केवल शैक्षिक शोध नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

शोध का महत्व :

भारत जैसे विकासशील देश में स्वच्छता केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान, पर्यावरणीय संतुलन और राष्ट्रीय विकास का भी आधार है। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, खुले में शौच की प्रथा समाप्त करना और स्वच्छता को व्यवहारिक जीवन मूल्य बनाना है। किसी भी जन–आंदोलन की सफलता नागरिकों की भागीदारी और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, इसलिए विद्यालय स्तर पर स्वच्छता जागरूकता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

विद्यालय समाज का दर्पण हैं। शिक्षक व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, विद्यार्थी अनुसरण करते हैं और अभिभावक समाज में उसका प्रसार करते हैं। यह त्रयी शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक स्वच्छ भारत अभियान के मूल स्तंभ हैं। यदि इन तीनों में जागरूकता का समुचित विकास हो जाए तो अभियान केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि सामाजिक आदत बन सकता है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि शिक्षक विद्यार्थियों को स्वच्छता के व्यवहार से कैसे जोड़ते हैं, विद्यार्थी कितने जागरूक हैं और अभिभावक कितना सहयोग कर रहे हैं। साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जागरूकता में अंतर भी पता चलेगा। स्वच्छता केवल आदत नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा का अंग है, जो अनुशासन, समयपालन और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्य विकसित करता है।

स्वच्छ भारत अभियान की सफलता केवल शौचालय निर्माण या सफाई से नहीं, बल्कि नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन से मापी जाती है। यह शोध यह निर्धारित करेगा कि विद्यालय स्तर पर यह परिवर्तन हो रहा है या नहीं और रुकावटें कौन–सी हैं। परिणाम नीति–निर्माताओं और शिक्षा विभाग को कार्यक्रमों में सुधार के लिए मार्गदर्शन देंगे।

अध्ययन ग्रामीण और शहरी परिवेश में असमानताओं को समझने का अवसर भी प्रदान करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी और शहरी क्षेत्रों में अनुशासन की कमी जागरूकता को प्रभावित करती है। यह शोध शिक्षा के माध्यम से समाज में स्थायी और रचनात्मक परिवर्तन लाने

की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अतः यह अध्ययन शिक्षा, समाजशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और जननीति के क्षेत्र में प्रासंगिक है और विद्यालयों को ''स्वच्छता के केंद्र'' बनाकर नागरिकों में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के विचार को व्यवहार में लाने का ठोस मार्ग प्रशस्त करेगा।

तकनीकि शब्दों की व्याख्या :

1. स्वच्छ भारत अभियान– 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय जन–आंदोलन, जिसका उद्देश्य देश को खुले में शौच और कचरा मुक्त बनाना तथा नागरिकों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" और शहरी क्षेत्रों में "स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)" कहा जाता है।

2. जागरूकता– किसी विषय के प्रति जानकारी, . ष्टिकोण और व्यवहारिक संवेदनशीलता। इस अध्ययन में इसे तीन स्तरों पर मापा गया है–

संज्ञानात्मक– स्वच्छ भारत अभियान का ज्ञान

भावनात्मक– स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण

व्यवहारिक– दैनिक जीवन में स्वच्छता के अभ्यास

3. शिक्षक– इस शोध में 'शिक्षक' शब्द से तात्पर्य उन अध्यापकों से है जो माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12 तक) के विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं।

4. विद्यार्थी– विद्यार्थी वह व्यक्ति है जो किसी विद्यालय में औपचारिक रूप से नामांकित होकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है।

इस शोध में विद्यार्थी का आशय माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से है।

5. अभिभावक– अभिभावक वह व्यक्ति है जो किसी विद्यार्थी के जीवन में माता–पिता या संरक्षक की भूमिका निभाता है।

6. माध्यमिक विद्यालय– माध्यमिक विद्यालय वह शिक्षण संस्था है जहाँ कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है। यह स्तर विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास का महत्वपूर्ण चरण होता है।

शोध के उद्देश्य :

1. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति शिक्षकों की जागरूकता के स्तर का अध्ययन करना।
2. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों की जानकारी, दृष्टिकोण और व्यवहार का विश्लेषण करना।
3. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अभिभावकों की सहभागिता और समझ का अध्ययन करना।
4. शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के जागरूकता स्तरों की तुलनात्मक समीक्षा करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में स्वच्छता जागरूकता में पाए जाने वाले अंतर का अध्ययन करना।
6. पुरुष और महिला प्रतिभागियों के बीच स्वच्छता जागरूकता में अंतर का विश्लेषण करना।
7. विद्यालयों में संचालित स्वच्छता गतिविधियों का शिक्षकों और विद्यार्थियों पर प्रभाव ज्ञात करना।
8. स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन में विद्यालय, परिवार और समुदाय की भूमिका का मूल्यांकन करना।
9. अध्ययन के आधार पर विद्यालय–आधारित स्वच्छता शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पनाएं :

1. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति शहरी राजकीय एवं ग्रामीण राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति शहरी निजी एवं ग्रामीण निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति शहरी राजकीय एवं

ग्रामीण राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति शहरी निजी एवं ग्रामीण निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

7. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

8. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति शहरी राजकीय एवं ग्रामीण राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

9. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति शहरी निजी एवं ग्रामीण निजी माध्यमिक विद्यालयों के अभिभावकों की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध का परिसीमन :

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र राजस्थान राज्य के चुरू जिले तक सीमित है। इस जिले के चयन का कारण यह है कि यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के सामाजिक एवं शैक्षणिक परिवेश विद्यमान हैं जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

2. अध्ययन के अंतर्गत केवल माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12) के विद्यालयों को ही शामिल किया गया है।

3. अध्ययन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में केवल शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक शामिल है।

4. यह अध्ययन केवल स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित जागरूकता, दृष्टिकोण और व्यवहार तक सीमित है। स्वच्छता से संबंधित अन्य सरकारी या गैर–सरकारी अभियानों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।

शोध विधि :

प्रस्तुत अनुसंधान में आवश्यक तथ्यों एवं आंकड़ों के संकलन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श :

अध्ययन की जनसंख्या में राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक शामिल किए गये है।

न्यादर्श चयन या.च्छिक न्यादर्श तकनीक (Random Sampling Technique) द्वारा किया जाएगा। कुल लगभग 1000 प्रतिभागियों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है जिनमें राजकीय विद्यालय से 100 शिक्षक तथा निजी विद्यालय से 100 शिक्षक, राजकीय विद्यालय से 300 विद्यार्थी तथा निजी विद्यालय से 300 विद्यार्थी और राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के 200 अभिभावक शामिल है।

क्र.सं.	समूह / श्रेणी	राजकीय विद्यालय	निजी विद्यालय	कुल प्रतिभागी
1	शिक्षक	100	100	200
2	विद्यार्थी	300	300	600
3	अभिभावक	100	100	200
.....	कुल	500	500	1000

शोध उपकरण :

शोध के लिए शोधकर्त्ता द्वारा तीन पृथक स्वयं निर्मित प्रश्नावलियाँ तैयार की है–

1. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति शिक्षकों की जागरूकता मापनी (SBAAS-T)

2. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थीयों की जागरूकता मापनी (SBAAS-S)

3. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति अभिभावकों की जागरूकता मापनी (SBAAS-G)

सांख्यिकीय तकनीक :

संग्रहीत आंकड़ों का विश्लेषण माध्य (Mean), प्रमाण विचलन (Standard Deviation) तथा टी–परीक्षण (t-test) के माध्यम से किया गया है।

मुख्य शोध निष्कर्ष :

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूकता में कोई सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर नहीं है। शिक्षक समुदाय, चाहे वे किसी भी प्रकार के विद्यालय से संबंधित हों, समान रूप से सजग हैं। सरकारी और निजी दोनों शिक्षक प्रशिक्षण,

दिशा–निर्देश और कार्यशालाओं से लाभान्वित होते हैं और अभियान को सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में अपनाते हैं।

शहरी और ग्रामीण राजकीय शिक्षक भी समान जागरूक पाए गए, जो दर्शाता है कि सरकारी प्रयासों से अभियान की पहुँच सभी क्षेत्रों में प्रभावी रही है। निजी विद्यालयों में शहरी और ग्रामीण शिक्षक भी समान रूप से जागरूक हैं, जो उनके साझा शैक्षिक वातावरण और प्रशिक्षण की उपयुक्तता को दर्शाता है।

विद्यार्थियों की जागरूकता में अंतर देखा गया। निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की जागरूकता राजकीय विद्यार्थियों की तुलना में अधिक है, जो विद्यालय में योजनाबद्ध गतिविधियों, परियोजना कार्यों और प्रतियोगिताओं के कारण है। शहरी राजकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की जागरूकता ग्रामीण विद्यार्थियों से अधिक रही, जो शहरी संसाधनों, जनसंचार और अभियान की .श्यता से प्रभावित है।

अभिभावकों की जागरूकता में भी अंतर पाया गया। निजी विद्यालयों के अभिभावक अधिक जागरूक हैं, जबकि शहरी राजकीय अभिभावक ग्रामीण अभिभावकों से आगे हैं। यह शिक्षा स्तर, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, सूचना संसाधनों की उपलब्धता और विद्यालय के साथ सक्रिय सहभागिता के कारण है। निजी विद्यालयों के शहरी और ग्रामीण अभिभावकों की जागरूकता समान पाई गई, जो नियमित संवाद और जागरूकता कार्यक्रमों का परिणाम है।

सारांशतः अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि शिक्षकों की जागरूकता लगभग समान, विद्यार्थियों की जागरूकता विद्यालय प्रकार और सामाजिक परिवेश से प्रभावित, और अभिभावकों की जागरूकता शिक्षा, आर्थिक स्थिति और सक्रिय सहभागिता से प्रभावित होती है। ये निष्कर्ष नीति निर्धारण, विद्यालय प्रबंधन और ग्रामीण–शहरी क्षेत्रों में लक्षित जागरूकता कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. कुमार, ए. (2020). स्वच्छ भारत : मिशन, चुनौतियाँ और उपलब्धियाँ. नई दिल्ली : नेशनल बुक ट्रस्ट।

2. वर्मा, वी. (2021). स्वच्छता शिक्षा और विद्यालयी पहल. दिल्लीः प्रकाशन गृह।

3. मिश्रा, बी. एवं पांडेय, एस. (2022). ग्रामीण भारत में स्वच्छता जागरूकताः एक अध्ययन. जयपुरः राजस्थान पब्लिकेशन।

4. सिंह, आर. (2022). स्वच्छ भारत अभियान और सामाजिक परिवर्तन. लखनऊः शिक्षण विज्ञान प्रकाशन।

5. शेखर, पी. (2023). विद्यालयों में स्वच्छता और छात्रों की भूमिका. मुंबईः ज्ञानदीप पब्लिकेशन।

6. यादव, के. (2024). स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी)ः नीति और प्रभाव. पटनाः बिहार शिक्षा प्रकाशन।

7. अग्रवाल, डी. एवं राठी, एम. (2025). स्वच्छता जागरूकताः शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक का .ष्टिकोण. दिल्लीः राष्ट्रीय शिक्षा शोध संस्थान।

मानवाधिकार शिक्षा के प्रति महाविद्यालय के शिक्षकों की अभिवृत्ति : एक अध्ययन

डॉ. प्रतिभा शर्मा
मार्गदर्शिका
सहायक आचार्य
श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर

प्रीति जोशी
शोधार्थी
पीएच.डी स्कोलर
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ
वि.वि. उदयपुर, (राज.)

सार

मानवाधिकार शिक्षा लोकतांत्रिक समाज के सुदृढ़ीकरण का आधार है। महाविद्यालय स्तर पर शिक्षक इस प्रक्रिया के प्रमुख संवाहक होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महाविद्यालयीन शिक्षकों की मानवाधिकार एवं मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। नमूना 200 महाविद्यालयीन शिक्षकों (100 ग्रामीण एवं 100 शहरी) से चयनित किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण माध्य, मानक विचलन तथा t–परीक्षण द्वारा किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश शिक्षकों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, किंतु ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के मध्य अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया गया। अध्ययन मानवाधिकार शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देता है।

Keywords: मानवाधिकार शिक्षा, शिक्षक अभिवृत्ति, महाविद्यालयीन शिक्षक, तुलनात्मक अध्ययन

1. प्रस्तावना

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता एवं समानता की रक्षा करते हैं। 1948 में Universal Declaration of Human Rights द्वारा मानवाधिकारों को वैश्विक मान्यता प्रदान की गई। भारत में संविधान के मौलिक अधिकार मानवाधिकारों का संवैधानिक आधार प्रस्तुत करते हैं।

मानवाधिकार शिक्षा का उद्देश्य केवल अधिकारों की जानकारी देना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सहिष्णुता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। इस प्रक्रिया में महाविद्यालयीन शिक्षक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अतः उनकी अभिवृत्ति का अध्ययन आवश्यक है।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

1. उच्च शिक्षा में मानवाधिकार शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षक अभिवृत्ति का ज्ञान आवश्यक है।
2. ग्रामीण एवं शहरी संदर्भों में दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है।
3. नीति निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तथ्यात्मक आधार प्रदान करना।

3. अध्ययन के उद्देश्य

1. महाविद्यालयीन शिक्षकों की मानवाधिकार एवं शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की अभिवृत्ति की तुलना करना।
3. पुरुष एवं महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. परिकल्पनाएँ (Hypotheses)

1. ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. पुरुष एवं महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5. शोध विधि

(क) शोध की प्रकृति

वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति।

(ख) नमूना (Sample)

कुल 200 महाविद्यालयीन शिक्षक

– ग्रामीण क्षेत्र : 100

– शहरी क्षेत्र : 100

(पुरुष – 110, महिला – 90)

(ग) उपकरण

मानवाधिकार एवं शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति मापन हेतु 48 कथनों वाली स्पामतज प्रकार की स्वनिर्मित प्रश्नावली (पाँच–बिंदु स्केल)।

(घ) सांख्यिकीय तकनीक

– माध्य (Mean)

– मानक विचलन (SD)

– t–परीक्षण

6. परिणाम एवं विश्लेषण

सारणी संख्या 1

ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की अभिवृत्ति की तुलना

समूह	N	माध्य	SD	t–मूल्य
ग्रामीण	100	162.40	14.25	4.12
शहरी	100	170.80	13.10	

(*0.01 स्तर पर सार्थक)

व्याख्या :

t–मूल्य 4.12, 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया। अतः परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। शहरी शिक्षकों की अभिवृत्ति अधिक सकारात्मक पाई गई।

सारणी संख्या 2

पुरुष एवं महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति की तुलना

समूह	N	माध्य	SD	t–मूल्य
ग्रामीण	100	166.50	13.80	0.92
शहरी	90	168.20	14.10	

व्याख्या :

t–मूल्य 0.92 असार्थक पाया गया। अतः पुरुष एवं महिला शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

7. प्रमुख निष्कर्ष

1. अधिकांश महाविद्यालयीन शिक्षकों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पाई गई।
2. ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों में सार्थक अंतर पाया गया।
3. लैंगिक आधार पर कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।

8. शैक्षिक निहितार्थ

1. ग्रामीण महाविद्यालयों में मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है।
2. शिक्षक प्रशिक्षण में मानवाधिकार शिक्षा का समावेशन होना चाहिये।
3. पाठ्यचर्या में व्यवहारिक एवं सहभागितामूलक गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा।

9. निष्कर्ष

मानवाधिकार शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति आवश्यक है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवाधिकार शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। शिक्षक प्रशिक्षण एवं पाठ्यचर्या विकास के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है।

10. References

• United Nations- (1948)- Universal Declaration of Human Rights-

• National Human Rights Commission- (2020)- Human Rights Education in India-

• UNESCO- (2015)- Global Citizenship Education Report-

• Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006)- Research in Education-

भारत तथा विदेशों में बाल अधिकार अधिनियम : एक तुलनात्मक सैद्धान्तिक विश्लेषण

डॉ. ऐकता हुसैन
मार्गदर्शिका
सहायक आचार्य
श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर

कामिनी गुर्जर
शोधार्थी
पीएच.डी स्कोलर
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ
वि.वि. उदयपुर, (राज.)

सार

बाल अधिकार मानवाधिकार विमर्श का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो बच्चों के जीवन, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता से संबंधित मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 1989 में United Nations द्वारा स्वीकृत Convention on the Rights of the Child (CRC) ने विश्व स्तर पर बाल अधिकारों को विधिक और नैतिक मान्यता प्रदान की। इस शोध लेख का उद्देश्य भारत तथा विदेशों (विशेषतः अमेरिका और ब्रिटेन) में बाल अधिकार संबंधी विधिक ढाँचों का सैद्धान्तिक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। अध्ययन में अधिकार–आधारित (Rights&Based) तथा कल्याण–आधारित (Welfare&Based) दृष्टिकोणों की तुलना की गई है। भारत में संवैधानिक समर्थन एवं सामाजिक न्याय उन्मुख नीतियाँ प्रमुख हैं, जबकि अमेरिका में संघीय संरचना एवं पारिवारिक स्वायत्तता पर बल दिया गया है। ब्रिटेन एवं यूरोपीय देशों में "Best Interest of the Child" सिद्धांत प्रमुख आधार है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके बाल अधिकार कानूनों की प्रकृति एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करती है।

Keywords: बाल अधिकार, तुलनात्मक अध्ययन, CRC, भारतीय मॉडल, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

1. प्रस्तावना

बालक समाज की आधारशिला है तथा उसका समुचित विकास किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सूचक है। बाल अधिकारों की अवधारणा का विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तीव्र हुआ। Convention on the Rights of the Child ने पहली बार बच्चों को स्वतंत्र अधिकारधारी (Independent Rights Holders) के रूप में मान्यता दी।

भारत ने इस संधि को स्वीकार करते हुए अपने संवैधानिक एवं विधिक ढाँचे में व्यापक प्रावधान किए हैं। दूसरी ओर, पश्चिमी देशों में बाल अधिकारों का विकास सामाजिक कल्याण राज्य (Welfare State) की अवधारणा के अंतर्गत हुआ। प्रस्तुत लेख में भारत, अमेरिका तथा ब्रिटेन के बाल अधिकार कानूनों का तुलनात्मक सैद्धान्तिक विश्लेषण किया गया है।

2. Theoretical Framework

बाल अधिकारों की अवधारणा मुख्यतः दो सिद्धांतों पर आधारित है :

(1) Rights&Based Approach

इस दृष्टिकोण में बालक को पूर्ण अधिकारधारी माना जाता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण एवं सहभागिता के अवसर सुनिश्चित करे। भारत और अधिकांश यूरोपीय देशों ने यह मॉडल अपनाया है।

(2) Welfare&Based Approach

इसमें बालक की सुरक्षा और देखभाल को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु अधिकार की अपेक्षा कल्याण (Welfare) की अवधारणा अधिक प्रमुख रहती है। अमेरिका

में यह दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है।

3. भारत में बाल अधिकारों का विधिक ढाँचा

भारत में बाल अधिकारों का आधार संविधान तथा विभिन्न अधिनियमों में निहित है। प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

– Right of Children to Free and Compulsory Education Act (2009) – 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।

– Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act — संरक्षण एवं पुनर्वास व्यवस्था।

– Protection of Children from Sexual Offences Act — यौन शोषण के विरुद्ध कठोर दंड।

– Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act — बाल श्रम निषेध।

– National Commission for Protection of Child Rights — निगरानी एवं शिकायत निवारण।

भारतीय मॉडल सामाजिक न्याय, समानता एवं संवैधानिक संरक्षण पर आधारित है।

4. विदेशों में बाल अधिकारों का विधिक ढाँचा

(A) अमेरिका

अमेरिका ने CRC को पूर्णतः अनुमोदित नहीं किया है, परंतु बाल संरक्षण हेतु संघीय कानून विद्यमान हैं, जैसे :

- Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA)

अमेरिका में बाल संरक्षण का कार्य मुख्यतः राज्यों के अधीन है और पारिवारिक स्वायत्तता को महत्व दिया जाता है।

(B) ब्रिटेन

- Children Act 1989
- Children Act 2004

ब्रिटेन में "Best Interest of the Child" सिद्धांत केंद्रीय भूमिका निभाता है।

5. Comparative Analysis

आधार	भारत	अमेरिका	ब्रिटेन
अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता	CRC अनुमोदित	पूर्ण अनुमोदन नहीं	CRC अनुमोदित
शिक्षा	मौलिक अधिकार	राज्य विषय	सार्वभौमिक शिक्षा
दृष्टिकोण	अधिकार–आधारित	कल्याण–आधारित	बाल–हित सर्वोपरि
प्रशासनिक ढाँचा	केंद्र–राज्य समन्वय	संघीय ढाँचा	स्थानीय प्रशासन सशक्त
सामाजिक संदर्भ	विकासशील राष्ट्र	विकसित राष्ट्र	कल्याणकारी राज्य

6. Discussion

तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में बाल अधिकारों का विधिक ढाँचा व्यापक एवं संवैधानिक रूप से समर्थित है, परंतु क्रियान्वयन में चुनौतियाँ विद्यमान हैं। अमेरिका में अधिकारों की अपेक्षा संरक्षण और पारिवारिक अधिकारों को महत्व दिया जाता है। ब्रिटेन में संस्थागत ढाँचा अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी है।

7. Conclusion

भारत, अमेरिका एवं ब्रिटेन के बाल अधिकार कानूनों की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक देश की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि उसके विधिक ढाँचे को प्रभावित करती है। भारत का मॉडल अधिकार–आधारित एवं सामाजिक न्याय उन्मुख है, जबकि अमेरिका का मॉडल संघीय एवं कल्याण–आधारित है। ब्रिटेन का मॉडल बाल–हित सर्वोपरि सिद्धांत पर आधारित है। भविष्य में भारत को प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता एवं संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल देना चाहिए।

References

(अ) अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज

United Nations. (1989) Convention on the Child. New York : United Nations.

United Nations Children's Fund (Unicef) (2019) : The State of the World's Children Report. New York : UNICEF.

(ब) भारतीय संदर्भ

India (2009). Right of Children to Free and Compulsory Education Act. New Delhi : Government of India.

India (2015). Protection of Children from Sexual Offences Act. New Delhi : government of India.

India (2012) Protection of Children from Sexual Offences Act. New Delhi : Government of India.

India (2016). Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act. New Delhi : Government of India.

National Commission for protection of Child Rights. (Various Years). Annual Reports. New Delhi.

(स) अमेरिका

United States Congress. (1974). Child Abuse Prevention and Treatment Act (CAPTA). Washington. DC.

U.S. Department of Health & Human Services (2022). Child Welfare Information Gateway Reports. Washington, DC.

(द) ब्रिटेन

United Kingdom Parliament. (1989). Children Act 1989. London.

United Kingdom Parliament. (2004). Children Act 2004. London.

(य) शोध एवं पुस्तकें

Alston, P. (1994). The Best Interests of the Child : Reconciling Culture and Human Rights. Oxford University Press.

Archard, D. (2015). Children : Rights and Childhood Routledge.

Freeman, M. (2011). Human Rights of Children, Ashgate Publishing.

Kaime, T. (2009). The African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Pretoria University Law Press.

OUR ADVISORY BOARD

DR. CHANCHAL B.
Texas U S A

PROF. SHAD AHMAD KHAN
Sultanate of Oman

DR. BIMLA RAI
Thimphu Bhutan

SANDEEP JOSHI
N.C.T.E.,New Delhi

PROF. (DR.) SAROJ GARG
Educationist, Udaipur

DR. SANTOSH SHARMA
Educationist, Jodhpur

DR. DINESH CHAND
U.G.C., New Delhi

DR. REKHA LALWANI
Educationist, Jhalawar

OUR EDITORIAL BOARD

DR. OM PRAKASH MEHRARA
Educationist, Hanumangarh

PROF (DR.) BABITA JAIN
Educationist, Bikaner

PROF. (DR.) BHAGIRATH BISHNOI
Educationist, Jalore

DR. NIRANJAN K. BOHRA
Educationist, Jodhpur

DR. PAWAN K. GUPTA
Director & Educationist, Jaipur

DR. MAHESH C. GURJAR
Educationist, Kotputli

DR. SAMINA
Educationist, Jodhpur

PROF. (DR.) SUNITA
Educationist, Jalore

DR. SUBHASH CHANDRA SAINI
Principal & Educationist, Dundlod, Jhunjhunu

DR. RITU BAIRAGI
Educationist, Udaipur

DR. DEEPIKA SHARMA
Educationist, Jaipur

DR. ASHA SHARMA
Educationist, Jodhpur

DR. GAYATRI BAIRWA
Educationist, Jaipur

Dr. Kashmir Singh Khunda
Educationist, Amritsar, Punjab

DR. JAKIR HUSAIN ANSARI
Educationist, Hindoli, Bundi

DR. PRATIMA GUPTA
Educationist, Jaipur

DR. BHARTI SANKHLA
Educationist, Bikaner

DR. ALPANA SHARMA
Educationist, Bikaner

DR. VIMLA KHATRI
Educationist, Bikaner

DR. SHWETA GUPTA
Educationist, Jaipur

ACADEMIC EDITOR

PROF. SHREESH PAL SINGH
Chief Academic Editor

PROF. (DR.) RAJENDRA K. SHRIMALI
Chief Editor

DR. PRIYANKA SHRIMALI
Associate Editor

ABOUT THE JOURNAL

CHHAVI National Journal of Higher Education is a reviewed periodical published in January, April, July and October in every year by the Shubham Education, Research & Information Centre, Bikaner, Raj.

Journal registered by National Institute of Science Communication and Information resources, New Delhi's Letter NSL/ISSN/INF/2012/2816 Dated December 04, 2012 and assigned ISSN (Print) 2319-9679. Bilingual journal's broad subject is Psychology, Philosophy and Sociology is the special reference of focus subject is Education.

Journal Title	:	CHHAVI : National Journal of Higher Education
Publication Language	:	Bilingual Hindi & English both.
Publication Frequency	:	Quarterly
Publication Nature	:	Print & Online
ISSN	:	2319-9679
Broad Subject	:	Psychology, Philosophy, Sociology
Focus Subject	:	Education
Published by	:	Shubham Educational, Research and Information Centre
E-mail	:	shrimalidrrajendra@gmail.com
website	:	www.chhavinjhe.in
Contact No.	:	9414742973, 9413471252, 8209618803

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

Membership registration fees can be sent in the shape of at per cheque / cash or online transfer. Cheque shall be prepared in favour of Shubham Shrimali and Online Deposit Phone-Pay Number. - 9352628093.

Youth Publisher

Name of Bank	:	State Bank of India
Branch	:	Dauji Road, Bikaner
Account Name	:	Shubham Shrimali
Account No.	:	37051542804
IFSC Code	:	SBIN0031447
MICR Code	:	334002039
PIN : 31447		

The subscription rates are as under :

Single Copy	₹ 350
Annual Subscription	₹ 1000

Youth Editor

Communication Address : PROF. (DR.) RAJENDRA KUMAR SHRIMALI
Behind Karni Mata Temple, Outside Jassusar Gate, Bikaner-334004 (Raj.)
Mobile: 9414742973, 9413471252, 8209618803
Google Scholar Profile : https://scholar.google.com/citations?user=kNxjU_8AAAAJ&hl=en
Social Science Research Network ID : 4556183

Print at : Rajasthan Computger & Printers, Bikaner M. : 9352999951